राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 2 नवीं विधान सभा के दूसरे सत्र का पहला दिवस संख्या : 1

मंगलवार,

दिनांक 26 जून, 1990

(विधान सभा की कार्यवाही पूर्वाह्न 11.00 बजे विधानसभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

शपथ/प्रतिज्ञान

निम्नांकित सदस्यों ने सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान किया :—

क.सं.	नाम सदस्य	शपथ/ प्रतिज्ञान
1.	श्री नन्दकिशोर शर्मा (हिन्दी)	प्रतिज्ञान
2.	श्री जगमाल सिंह यादव (हिन्दी)	प्रतिज्ञान

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 1.

व्यवस्था का प्रश्न

प्रश्नकाल का निलम्बन

श्री हरिदेव जोशी (नेता, प्रतिपक्ष) : ऑन ए पाइण्ट ऑफ ऑर्डर, सर।

श्री अध्यक्ष : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर प्रश्न काल में नहीं उठता।

श्री हरिदेव जोशी : ऐसा है कि नियम सारे कार्य के संचालन के लिए हैं। आपको यह अधिकार है, उन नियमों को आप स्थगित भी कर सकते हैं। राजस्थान में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जो प्रश्न काल से पहले अगर ली जायं तो ज्यादा उपयोगी होंगी। मैं आप से यह प्रार्थना करूंगा कि आप इसके ऊपर विचार करें जो प्रार्थना हमने आपसे की है।

श्री शिवचरण माथुर (माण्डलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, हमने नियम 306 में आपको नोटिस दिया है और निवेदन किया है कि नियम 31 को निलम्बित करें। जो घटना मण्डावरी में हुई है, मैं समझता हूं, राजस्थान में आज उसके मुकाबले में और कोई विषय ऐसा नहीं है जिस पर विधान सभा विचार करे। हमने आपको एडवांस में नोटिस दिये हैं, आप उस रूल को निलम्बित करके इसे ले लें।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : आप तो घटनाओं के सबसे बड़े जिम्मेदार हो, जो राजस्थान में हुई है। कलंक हो राजस्थान के लिए...(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर) : + + +

श्री प्रद्युम्न सिंह : + + +(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : हरिजनों पर अत्याचार करके बोल रहे हो + + + (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजिये। आपने सवाल रखा है, मेरा जवाब नहीं सुनेंगे आप ?.....(व्यवधान)···· बैठिये, बैठिये। आपने एक सवाल रखा है, मेरा जवाब अभी आया नहीं। आप मेरे जवाब की प्रतीक्षा किये बिना...(व्यवधान) मैंने उनको चुप करा दिया, आप भी शान्त हो जाइये....(व्यवधान)...वह शांत हैं अब आप शांत बैठिये। आपने एक सवाल रखा, मैंने जवाब दिया नहीं और उसके बीच में ही......(व्यवधान)......पहले मेरी बात सुनिये। मेरी बात आप सुनेंगे नहीं ?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया (कठूमर) : अध्यक्ष महोदय, यह मानवता का प्रश्न है।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जो प्रश्न मैंने आपके सामने खड़ा किया उसमें कहीं भी उत्तेजना पैदा होने वाली बात थी ?

श्री अध्यक्ष : देखिये, सवाल यह है कि आप कोई मेरा जवाब सुने बिना दोनों ओर से बोले। अब भी आप बोल रहे हैं। अभी वह चुप बैठे हैं... (व्यवधान).....आप बैठिये, अब आप बोल रहे हैं। आप प्रत्यक्ष दिखा रहे हैं और वह बिल्कुल शान्त बैठे हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : वह बिल्कुल शान्त बैठे हैं और हम बोल रहे हैं। बोलने दीजिए उन्हें + + + आप उधर निगाह नहीं डालते। हम तो बोले ही नहीं थे।

श्री अध्यक्ष : देखिए, एक तरफ से बिल्कुल शान्ति है, आप सब क्यों खड़े होते हैं ? आपके नेता से ऊपर हैं आप.....(व्यवधान) आपके नेता बोल रहे हैं, इनको भी नहीं सुनना चाहते।

श्री राजेन्द्र पारीक : अध्यक्ष महोदय, पूरा राजस्थान उद्वेलित है इस बात से। केवल सदन के सदस्य ही नहीं, पूरा राजस्थान उद्वेलित है इस बात से।

श्री अध्यक्ष : आप सब हाउस की प्रक्रिया को समझते हैं। उसको समझने के बावजूद भी...

श्री ईश्वरलाल सैनी (लक्ष्मणगढ़) : उधर भी देखिए आप। हमने कुछ नहीं किया था।

श्री अध्यक्ष : कोई हठधर्मी नहीं, आप शान्त बैठ जायं। आप बैठिये, आप बिराजिये। आपने एक सवाल किया है, मैं उसका जवाब देने जा रहा था और आप

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री अध्यक्ष)

जवाब सुनना नहीं चाहते और आप जबर्दस्ती दोषारोपण उधर कर रहे हैं। वे कोई नहीं बोल रहे।

श्री हरिदेव जोशी : मैं सुनना चाहता हूँ, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ नम्रतापूर्वक कि क्या मेरे प्रश्न के अन्दर आपने कोई उत्तेजना पैदा करने वाली बात सुनी ?

श्री अध्यक्ष : सवाल यह नहीं है। सवाल यह है कि जब मैं आपके प्रश्न पर व्यवस्था दे रहा था.....

श्री हरिदेव जोशी : आप दे रहे थे उसके बीच में मैं बोला ?

श्री अध्यक्ष : उधर से भी लोग खड़े हुए, इधर से भी लोग खड़े हुए।

श्री हरिदेव जोशी : नहीं, गलत है यह....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप अभी देख लीजिए क्या हो रहा है।

श्री ईश्वरलाल सैनी : नहीं, सही बात है यह। आप पक्षपात करते हैं। हम नहीं बोले थे।

श्री अध्यक्ष : अब आप बैठिये।

श्री ईश्वरलाल सैनी : हमारे नेताजी बोल थे, हम बोले ही नहीं थे कोई। उधर से आपके मुख्य सचेतक ने खड़ा किया उनको। आप हमको पक्षपात की बात बता रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : अब आप बैठें। क्या आप यह चाहते हैं कि प्रश्न काल स्थगित करने के लिए मैं हाउस की इच्छा की जानकारी करूं ?

श्री हरिदेव जोशी : नहीं, आप जानते हैं नियम।

श्री अध्यक्ष : नियम बिल्कुल स्पष्ट हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा (कुम्भलगढ़) : विवेक इसमें काम में लेना है, सदन को पूछने की आवश्यकता नहीं रहती है अध्यक्ष महोदय को।

श्री अध्यक्ष : और किसी को कुछ ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों की चिन्ता से सहमत हूं, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि मण्डावरी काण्ड पर इस सदन में चर्चा हो, चर्चा निश्चित रूप से होनी चाहिए। सरकार जो कुछ भी चर्चा में मुद्दे उठेंगे उनका उत्तर देने के लिए तैयार है। मैं आपको यह विश्वास से कह सकता हूँ कि जितना आपको दुख है उससे कहीं ज्यादा दुख मुझे है......

श्री हरिसिंह (महुआ) : इस्तीफा दे दो, इससे कम कुछ नहीं। बहुत बढ़िया बात है....(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दे देंगे.....(व्यवधान)...उससे ज्यादा दुख मुझे है। जहां तक इस्तीफा देने का प्रश्न है, माननीय सदस्य बड़े उत्तेजित हैं इस मुद्दे पर, मगर देश में.......(व्यवधान)....मेरी सुन लीजिये। मेरी बात तो सुनिये। आपकी

(६)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कई राज्यों में पहले सरकार थी, केन्द्र में आपकी सरकार थी, यह दुर्घटनायें देश में कई बार हुई हैं। यदि आप लोगों ने त्याग-पत्र देने की परम्परा रखी होती.... (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : एक आदमी की हत्या पर शिवचरणजी माथुर ने त्याग-पत्र दिया, हम कांग्रेस वालों ने...(व्यवधान)

श्री ईश्वरलाल सैनी : यहां 9-9 आदमियों की हत्यायें हुई हैं...(व्यवधान)

श्री नत्थी सिंह (राजस्व मंत्री) : यह पुलिस के इशारे पर हत्या हुई थी, वह राजनीतिक हत्या थी, वह लोकतन्त्र की हत्या थी। इस्तीफा दिया नहीं था, दिलवाया गया था....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : लाडनूं के साम्प्रदायिक दंगे में, तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य, लाडनूं में 5 आदमियों का कत्ल हुआ था उस समय आपके मुख्य मंत्री ने त्याग पत्र क्यों नहीं दिया था....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजें।

एक माननीय सदस्य : लाडनूं में हत्या हुई उस समय आपके मुख्य मंत्री कहां थे ?

श्री डूंगरराम पंवार (टीबी) : लाडनूं में क्या लाड़ कर रहे थे ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य देवपुरा जी ने जो सवाल उठाया है मैं नियम 306 पढ़कर आपको सुना देता हूँ....आप प्लीज मेरी सुन लीजिए। आप बैठिये मुझे तो समाप्त कर लेने दीजिए। आपने जो सवाल उठाया है मैं उसका जवाब दे रहा हूं। आप सुनने को तैयार नहीं।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : आप नियमों में उठायेंगे, मानवता का ध्यान नहीं रखेंगे ?

श्री अध्यक्ष : पहाड़ियाजी, आप सुनिये। नियम 306 :—

"Any member may, with the consent of the speaker move that any rule may be suspended in its application to a particular motion before the House and if the motion is carried the rule in question shall be suspended for the time being."

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, इसमें अध्यक्ष के विवेक को चैलेन्ज नहीं किया गया है। आपने 27 तारीख को स्वयं :—

Without seeking permission of the House.

सस्पेण्ड किया है 27 तारीख को प्रश्न काल। आपका बजट पेश होने वाला था उस दिन प्रश्न काल सस्पेण्ड किया है। आप कह देंगे कि यह भी एक ट्रेडिशन है लेकिन रूल्स के अन्दर ट्रेडिशन का सवाल जब आता है रूल्स उस समय कायम नहीं रह सकता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपके विवेक पर है, आप किसे कितना महत्व देते हैं। क्वेश्चन यह

(श्री हीरालाल देवपुरा)

नहीं है कि रूल्स में नहीं है लेकिन आपका विवेक काम आयेगा उस वक्त किसको आप महत्व देते हैं ?

श्री अध्यक्ष : मेरे विवेक के अनुसार आपको मेरी अनुमति से प्रस्ताव रखना था मेरे से अनुमति तो ली नहीं ?

श्री हीरालाल देवपुरा : लिखकर नोटिस दिया है, अध्यक्ष महोदय, नोटिस दिया हुआ है यह तो हाउस में...(व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : अनुसूचित जाति के लोगों के घर डाइनामाइट बम से उड़ा दिये और सदन में चर्चा नहीं हो, इससे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या हो सकता है ?

श्री अध्यक्ष : नेता महोदय, बोलिये आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि आप लोगों को जितनी चिन्ता हैं उतनी चिन्ता मुझे भी है, हम सब लोगों को उस प्रकार की चिन्ता है। मुझे इस बात की खुशी है कि शिवचरणजी माथुर कल गये, मैं भी गया था, 3 मंत्री पहले वहां पहुंच चुके थे, सारे अधिकारी वहां पर पहुंच गये थे। इस मामले की पूरी जांच हो रही है आप अगर चर्चा करना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है......

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली) : आपके मंत्रिमण्डल के सदस्य सम्पतरामजी स्वयं ने इस बात को कहा है कि सरकार को यह बात मालूम थी और उस समय खुद थानेदार की उपस्थिति में इस प्रकार का नरसंहार हुआ। वहां पर पुलिस के लोगों ने खड़े होकर यह कहा है कि अब इतना हो गया अब इसको ज्यादा मत मारो...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : नवभारत टाइम्स में आज छपा है यह सम्पतरामजी का वक्तव्य, इसके बाद रह क्या जाता है कहने के लिए यहां पर ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको बोलना है, बोलिये।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप नियमों के हवाले की बात करते हैं और एक तरफ नरसंहार हुआ है......

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यह तो कोई तरीका नहीं है।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : उसके ऊपर आप नियमों की बात कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : यह सदन नियमों से ही चलेगा, यह आप मानकर चलिये नियम विरुद्ध सदन को मैं चलने नहीं दूंगा। यह नियमों से चलेगा और मैं अपेक्षा करूंगा...(व्यवधान)...सदन नियमों से चलेगा, जो भी होगा नियमों से होगा... (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : मैं विपक्ष के नेता महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आप अनुशासित रहें, आपने 40 साल तक इस देश की सामाजिक व्यवस्था.....(व्यवधान)

श्री ईश्वरलाल सैनी : 40 साल में ऐसी घटना नहीं घटी थी। राजा मानसिंह की हत्या, केवल एक आदमी की हत्या हुई थी और शिवचरण जी माथुर साहब ने इस्तीफा दे दिया था।

श्री अध्यक्ष : बैठिये। मैं खड़ा हूं। मेरे पास जो नोटिस आया है वह नोटिस में लिखा हुआ है कि प्रक्रिया सम्बन्धी नियम 306 के अन्तर्गत, इस 306 को मैं फिर पढ़कर सुना देता हूँ....(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप किन नियमों की बात कर रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : मुझे नोटिस प्रक्रिया के नियम संख्या 306 के अन्तर्गत मिला है और इसलिए मुझे व्यवस्था 306 के अन्तर्गत ही देनी है, उससे भिन्न नहीं दे सकता। 306 में यह साफ लिखा हुआ है, यदि आप चाहें तो मैं यह मोशन सदन को...(व्यवधान)

श्री ईश्वरलाल सैनी : इस सरकार को डूब मरना चाहिये, हरिजनों की हत्याओं पर अदालत बैठा रहे हैं। दर्जनों हरिजनों की हत्यायें हो रही हैं, पुलिस की देख-रेख में हत्यायें हो रही हैं...

श्री राजेन्द्र पारीक : 9-9 आदमियों की हत्यायें हो गयी उसके बाद कानून की आड़ लेकर...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें। आप बैठें तो सही।

श्री ईश्वरलाल सैनी : दर्जनों लोग पुलिस की देख-रेख में मारे जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आप विराजें।

श्री ईश्वरलाल सैनी : हरिजनों पर सारे अखबार लिख रहे हैं। हरिजनों पर इन 6 महीनों में जो घटनायें हुई हैं सारे हिन्दुस्तान में ..

श्री अध्यक्ष : आपने सवाल उठाया है और आप व्यवस्था सुनने को तैयार नहीं है। क्या आप व्यवस्था सुनने को तैयार नहीं है?

एक माननीय सदस्य : इस काण्ड के बाद आपकी सरकार जायेगी।

श्री अध्यक्ष : आपके नेता बोल रहे हैं।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मुझे आपकी बात को सुनकर बहुत दुख हुआ जो आज समस्या आपके सामने रख रहे हैं और आप रूल्स की बात कह रहे हैं। इस सदन को चलाने के लिये, सरकार को, लोकतन्त्र को चलाने के लिये लोकतन्त्र के अन्दर अगर पुलिस का थानेदार खड़ा रहकर 9 आदमियों को मरवा डाले और राज्य का एक मंत्री उसको पुष्टि करे और मुख्य मन्त्री वहां जाकर के आवे और इसको कान्ट्राडिक्ट न करें उसके बाद में क्या रह जाता है कहने को? उसके बाद में कोई रूल्स नहीं हैं। केवल एक ही चीज है कि जिसने मार डाला उसने मार डाला...

श्री अध्यक्ष : माननीय जोशी जी, आप भी मुख्य मन्त्री रहे हैं और यह सारे हादसे हर सरकार के जमाने में होते रहे हैं और आज संवेदना की बात करते हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, आप पक्षपात कर रहे हैं...

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं करें, अंकित मत कीजिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह XXX

श्री राजेन्द्र पारीक : XXX

श्री हरिसिंह (महुआ) : XXX

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : X X X

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि माननीय सदस्यों को इतनी आतुरता है तो प्रश्नकाल स्थगित किया जाकर इस पर चर्चा आरम्भ कर दी जाये। (व्यवधान)

प्रश्न काल का निलम्बन

श्री अध्यक्ष : मैं बोल रहा हूँ। अभी मैंने व्यवस्था दी नहीं है। आप बैठिये। पहले आप सुनिये, मैं व्यवस्था दूंगा। आप मेरी व्यवस्था सुनिये। ...(व्यवधान)...मैंने प्रश्नकाल स्थगित नहीं किया है, मेरी व्यवस्था सुनिये आप।...(व्यवधान) नियम संख्या 306 के अन्तर्गत मैं सदन की इच्छा जानना चाहता हूँ कि क्या प्रश्नकाल को स्थगित किया जाये ?

(स्वीकृत)

प्रश्नकाल स्थगित किया जाता है।

(प्रश्न काल के निलम्बन के कारण माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार तारांकित प्रश्नों को अतारांकित प्रश्नों के रूप में लिया गया। इसके लिये कृपया आगे देखें) ...(व्यवधान)

माननीय श्री हेतराम जी, का 25 तारीख को मिला है मुझे। एडजोर्नमेंट मोशन तीन आये हैं इनका 25 को आया है, बाकी 26 को आये हैं। बोलिये, माननीय श्री हेतरामजी। (व्यवधान) इनका पहले मिला है।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

ग्राम मण्डावरी जिला चित्तौड़गढ़ में कंजरों की हत्या

एक माननीय सदस्य : इतना बड़ा काण्ड हो गया इससे ज्यादा महत्वपूर्ण तो कोई चीज हो ही नहीं सकती।..(व्यवधान)

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस समय हमने आपको अध्यक्ष चुना था उस समय हमने यही प्रार्थना की थी कि आप सदन के सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करेंगे, सदन की भावनाओं की रक्षा करेंगे। आज राजस्थान में पुलिस के कर्मचारी के नहीं अधिकारी के निर्देशन के अन्दर हत्याएं हुई हैं। इसने सारे सदन को उत्तेजित किया है मगर हमने इसको गम्भीरता से लिया, आपने नहीं लिया। मुझे इसका खेद है।...(व्यवधान)

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री हेतराम बेनीवाल : आपकी हमने इज्जत रख दी है। आप भाषण देने लग गये।

श्री हरिदेव जोशी : मेरा भाषण नहीं है। मुझे इस बात का भी खेद है कि आपने जिस प्रकार से कार्यवाही चलाई उससे हमको असन्तोष हुआ है और हमको यह लगने लगा है कि हमारी आवाज को आप सुनते भी अथवा नहीं। अभी एक मित्र मजाक कर रहे थे। जब आप पधारे तब आपने हां पक्ष की ओर सिर झुकाकर, हाथ जोड़कर नमस्कार भी लिया किन्तु हमारा नमस्कार नहीं लिया।...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह दृष्टि दोष हो सकता है।

श्री हरिदेव जोशी : यह दृष्टि दोष नहीं है यह आसन दोष है।

श्री अध्यक्ष : मैंने पूरे सदन को नमस्कार किया है। मैं किसी एक पक्ष को, दूसरे पक्ष को नहीं करता। पूरे सदन को नमस्कार करता हूँ। मैंने पूरे सदन को नमस्कार किया है।

श्री हरिदेव जोशी : यह हम व्यवहार में देखना चाहते हैं। उसको तो हमने दृष्टि दोष मान लिया, आसन दोष मान लिया मगर अब व्यवहार दोष नहीं होना चाहिए। यही मेरी प्रार्थना है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा नम्र निवेदन यह है कि इस सदन को एडजोर्न तो कराया हमने और आपने एडजोर्न करना ही जब तय कर दिया तो इसे बढ़ाने पर किसी माननीय सदस्य ने दो दिन पूर्व वह दे दिया था तो यह तो बात ऐसी हुई कि जगह तो हम बनायें और आप अवसर किसी दूसरे को दे दें। इन्होंने यह कोशिश की होती कि एडजार्न करवा दो।

श्री अध्यक्ष : बाप कमाता है, बेटे खाते हैं।....(व्यवधान)

श्री पूनमचन्द विश्नोई : वह आपका प्रस्ताव है तो बाद में बोलियेगा, पहले अवसर तो हमारा होगा।

श्री हेतराम बेनीवाल : पहला प्रस्ताव ही वही था।

श्री अध्यक्ष : मेरे पास तीन नोटिस आये हैं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : हमने इसको इतना जोरों से प्रेस किया, आपकी नाराजगी सहन की, सदन के नेता महोदय की नाराजगी सहन की हम सब इसमें उद्वेलित थे। हम चाहते थे कि इस पर चर्चा हो और फिर आप इसको सैकिण्ड हैण्ड कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय विश्नोई जी, आप तो सारी परम्पराएं जानते हैं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : इसलिए तो कह रहा हूं कि माननीय सदस्य सारे उतावले हैं। यह कोई पार्टी का प्रस्ताव नहीं है।

श्री अध्यक्ष : यह कोई पार्टी का प्रस्ताव नहीं है, सदस्यों का है तो जिन सदस्यों ने पहले दिया है उनका नाम पुकारना स्वाभाविक है। यदि वह आपके हक में बैठते हों तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वह भी विपक्ष में ही हैं। शुरू करें आप, शुरू करें।

एक माननीय सदस्य : विपक्ष के नेता को पहले अवसर दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : वह भी विपक्ष में ही हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : पहले हम बोलेंगे। Congress is the main opposition party. We should be given chance first. अध्यक्ष महोदय, बात साफ है।.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, आप बैठिये।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : पहले बोलकर इसका राजनैतिक लाभ लेना चाहते है।...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय हेतराम जी, ऐसा है वहस आप अपने विपक्ष के नेता को शुरू करने दीजिए। आपका क्या जायेगा। इनको शुरू करने दीजिए। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपके माथुर साहब का नाम है। आप बोलेंगे क्या? आपका नाम है। आप बोल रहे हैं।...(व्यवधान)

माथुर साहब का नाम है। आप बोलिये।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : मैं समझता हूं हाउस की टेंशन को देखते हुए और जो माननीय सदस्य ने कहा है मैं एक बात कहना चाहता हूं। जहां तक इस स्थगन प्रस्ताव की भाषा का और स्थगन प्रस्ताव के बारे में मेरे विचार का सवाल है मेरा वही विचार है, लगभग थोड़ा बहुत फर्क इस रूप में हो सकता है कि जो परिस्थितियां इन्होंने पैदा कीं इसका जिक्र कर कर दिया था इसलिए नाराजगी है। एक बात और कहना चाहता हूं कि हाउस में अपोजीशन के लीडर बोलना चाहें तो मैं इस बात के लिए सहर्ष तैयार हूं लेकिन यह नहीं है कि कोई भी कांग्रेस का नेता खड़ा होकर बोलने लग जाये + + + यह बात नहीं है। इनके लिए मैं अधिकार नहीं छोड़ूंगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय विपक्ष के नेता माननीय जोशी जी बोलें।

श्री हरिदेव जोशी (नेता, प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय मैंने इस स्थगन प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं क्योंकि मैं अवेलेबल नहीं था।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : यह सदन की गलती हो गयी है इसमें यह आवश्यक नहीं है कि इसमें किसी माननीय सदस्य के दस्तखत हों या नहीं हों।

श्री अध्यक्ष : आप बोलिये।

श्री हरिदेव जोशी : मैं ऐसा समझता हूँ आज की जैसी दुर्घटना पहले कभी नहीं हुई राजस्थान के अन्दर।

एक माननीय सदस्य : बहुत हुई है।

श्री हरिदेव जोशी : बहुत हुई है तो पहले आप गिना दीजिए।

श्री अध्यक्ष : कृपया शान्ति से सुनिये।

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

मैं निवेदन करूंगा कि सभी जिस मुद्दे को बड़ा गम्भीर बता रहे थे कृपया जब बहस शुरू हुई तो उसे गम्भीरता से ही लें।

श्री हरिदेव जोशी : मैंने इस घटना को अखबारों के द्वारा जाना है। मेरी पार्टी के लोग विशेषकर के शिवचरणजी माथुर और उनके साथी वहां जाकर आये हैं। उन्होंने घटना स्थल की कई बार जांच की है, मालूम किया है। आपके भी लोग गये हैं उन्होंने कुछ वक्तव्य भी दिये हैं। विशेष कर सम्पतराम जी ने वक्तव्य दिया हैं। मुख्य मंत्री जी वहां पर गये उसके बाद उन्होंने इसका कोई कन्ट्राडिक्शन नहीं किया इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि सरकार ने इसको स्वीकार किया जो वक्तव्य सम्पत राम जी ने दिया है। यह एक अत्यन्त गम्भीर घटना है। क्योंकि आपने अभी तक इसको कन्ट्राडिक्ट नहीं किया है इसलिए मैं मानकर चलता हूँ सरकार ने इस घटना के अन्दर अपना सहयोग दिया है। लोगों के मारने के अन्दर जिस सरकार ने सहयोग दिया है उस सरकार को राज्य की कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है। शिवचरण जी ने चुनाव के दिनों में मुख्य मंत्री का पद सम्भाला था उस समय राजा मानसिंह जी की हत्या हुई, वह भी पुलिस के द्वारा हुई थी। शिवचरण जी मौके पर मोजूद नहीं थे, उण्होंने कुछ कहा नहीं था। यह आज तक साबित नहीं हुआ है कि उन्होंने कुछ कहा। पर नैतिकता के कारण उनसे कहा गया कि हमारी पार्टी की ओर से आप त्याग-पत्र दे दीजिए। उन्होंने त्याग-पत्र दे दिया। तो जब आज आप यह स्वीकार करते हैं कि घटना राज्य के कर्मचारियों की नहीं सरकार की मिलीभगत से हुई है, यह बहुत गम्भीर है। कुछ लोगों की बात मैं नहीं कहता। मुख्यमंत्री जी का इसमें हात हो, मैं यह नहीं कहता, शिवचरण जी का हाथ था उसमें यह प्रश्न नहीं था पर सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है इसलिए इस सरकार को शासन की कुर्सी के ऊपर बैठने का अधिकार नहीं है। यही कहना है।

श्री अध्यक्ष : माननीय शिवचरण जी माथुर।

एक माननीय सदस्य : कोटा में जो आप लोगों ने हत्यायें करवायी हैं जब तब आपने इस्तीफा दिया था क्या ?

श्री चन्द्रभान : जयपुर में हत्यायें हुई हैं, साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। माथुर साहब बोलें।

श्री शिवचरण माथुर (माण्डलगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, 23 जून, 1990 की प्रातः चित्तौड़गढ़ जिले के बेगूं थाने के अन्तर्गत पड़ने वाले मंडावरी गांव के पास यह उन कन्जरों के, मैं समझता हूँ काले दिवस के रूप में सामने आयेगा। जो घटना वहां पर घटित हुई यदि मैं कहूं तो ज्यादती नहीं होगी, कि वह एक बहुत भयंकर ऐसी घटना है जो किसी भी सभ्य समाज में घटित होती है तो उसका शर्म से सिर झुक जाना चाहिए था। अध्यक्ष महोदय, 23 जून को बेगूं थाने के अन्तर्गत पड़ने वाले मंडानरी गांव के पास कुछ कन्जरों के झोंपड़े, जिनको डेरे कहते हैं, बहुत

(श्री शिवचरण माथुर)

सालों से बसे हुये थे। वहां कोई 'झोंपड़े नहीं थे, करीब-करीब सभी पक्के मकान थे, दुमंजिले मकान थे। एक डेरा नहीं था वहां बड़ावास, खेड़ी ऐसे कई गांवों के आस पास बस्ती थी वहां कंजर गांवों के आस पास बस्ती के बाहर अपना डेरा लगाकर रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, उन कन्जरों के हालात जो हमने वहां जाकर के, मैं मोटे-तौर पर कह सकता हूं ऐसा नहीं लगता कि वहां कंजर आज तक चोरी के जुर्म में हमेशा पकड़े जाते हों। उनके पास खेती थी, अच्छी जमीन थी। उस जमीन में मूंगफली की फसल, माननीय सम्पतरामजी देखकर आये हैं, माननीय हरिसिंहजी देखकर आये हैं, मुख्यमंत्रीजी देखकर आये हैं, अच्छी फसल उगी हुई है। मैं समझता हूं ऐसी जमीन आस-पास के गांव वालों के पास भी नहीं। उनको हम बहुत चोरी करने वाले कंजर कहें ऐसा नहीं लगता, लेकिन 23 जून को करीब चार बजे सुबह हजार, दो हजार, तीन हजार, चार हजार लोगों ने वहां आकर उन कंजरों के डेरों को घेर लिया। चार बजे से आठ बजे तक सारे कंजर लोग अपने डेरों में बैठे हुए इन्तजार कर रहे थे मुकाबले का। उन्होंने सोचा भी था कि मुकाबला हुआ तो मुकाबला कर लेंगे। उनके पास थोड़े बहुत हथियार थे लाठी, सरिये वगैरह। बन्दूकें भी थीं। उन्होंने सोचा इसका मुकाबला कर लेंगे हमला करते हैं तो। आठ बजे तक लगातार कोई घटना नहीं हुई। आठ बजे बाद में थाना बेगूं के थानेदार जीप में आते हैं, 12 सिपाही और उनके साथ थे। वे वहां के कन्जरों के पास आते हैं और कहते हैं कि घबराओ मत, कोई खतरा नहीं है, जो भी हथियार आपके पास हैं वह मेरे पास जमा करवा दो, यहां इकट्ठे कर दो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। उन्होंने यह समझ कर कि पुलिस मौजूद है हमारी रक्षा के लिए, उन्होंने विश्वास करके सारे हथियार जमा करवा दिये। ठीक आठ बजे बेगूं के थानेदार ने उन लोगों को कहा, आ जाओ, निपट लो इन लोगों से। उसके बाद जो आस-पास डेरे डाले लोग खड़े थे उन्होंने निहत्थे लोगों पर हमला कर दिया। अध्यक्ष महोदय, वहां करीब 10-12 के बयान मैं टेप करके लाया हूं वे बयान आप कहें तो मैं सदन के सामने सुना सकता हूं। जिन लोगों ने बयान दिये उन्होंने कहा कि थानेदार ने एक सत्तू नाम का एक कन्जर 25 साल की उम्र का नौजवान, उसको पकड़ कर कहा कि इसने थाने में मेरा अपमान किया था, कहा कि लगाओ सबसे पहले इसको गोली। सत्यनारायण 25 वर्ष के युवक पर, अध्यक्ष महोदय, फोटोग्राफ मेरे पास हैं सीधी गोली उसके माथे पर लगी। इस तरह से घायल होकर उसने दम तोड़ दिया। दूसरी गोली फिर एक आदमी पर चलायी गयी और उसके बाद लगातार 1, 2, 3 लोगों ने सरिये, डंडों से लाठी से बुरी तरह हमला किया। जितनी औरतें थीं वे बचान करने के लिए उनके ऊपर पड़ गयीं। एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी इस तरह रक्षा-ढाल बनाने की कोशिश की। अन्त में नतीजा यह हुआ कि सबसे ऊपर जो लोग थे उन पर जो डंडे पड़े, उससे करीब आठ लोग मारे गये। जब आठ लोग मारे गये तो थानेदार ने कहा, बहुत हो गया अब

(श्री शिवचरण माथुर)

रोक दो। उसके पहले घटना नहीं हुई थी। आठ आदमियों की मृत्यु के बाद थानेदार ने कहा कि अब चुप हो जाओ, कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सब काम रुक जाता है। थोड़ी देर बाद डी. वाई. एस.पी. वहां आता है, उसके बाद कोई घटना नहीं हुई। यह कहा जा सकता है मंडावरी में तीन चार हजार आदमी उनको घेरे हुए खड़े थे और पुलिस बल बहुत कम था, हथियार भी उनके पास नहीं थे। मैं ऐसा मानता हूं पुलिस शायद इसलिए नहीं होती है कि पहले कहे कि हथियार डाल दो और उसके बाद इन लोगों पर हमला करो। जबकि उनका कर्तव्य था कि हवा में फायर करते। तो शायद वे लोग भाग सकते थे। लेकिन हवा में फायर करने का सवाल ही नहीं था वह तो मिलीभगत से कराना चाहते थे। उनका परपज सर्व हो गया, 7-8 आदमी मौत के घाट उतार दिये गये उसके बाद उनको रोक दिया गया। यदि वह भीड़ पुलिस पर हमला करने की इच्छा रखती, आज पुलिस को एक भी कंकर लगा हो तो मुझे बताइये। पुलिस के सिपाही के एक भी कंकर नहीं लगा, लाठी नहीं लगी, कोई चोट नहीं लगी।

श्री चन्दनमल बैद : हमलावरों को भी नहीं लगी।

श्री शिवचरण माथुर : हमलावरों के लगने का सवाल ही नहीं उठता। हमलावर तो पुलिस के संरक्षण में हमला कर रहे थे। पुलिस के एक भी आदमी को वहां पर चोट नहीं लगी। उसके बाद में 11 साढ़े 11 बजे डी.वाई. एस.पी. आते हैं। स्टेट हैडक्वार्टर को जो जानकारी दी गई मुझे वहां पर बताया गया कि तीन आदमियों की मृत्यु के बारे में जानकारी दी गई। जबकि एक साथ, पांच-सात मिनिट ज्यादा नहीं लगे होंगे, पांच-दस मिनिट में आठ आदमियों की मृत्यु हो गई। जो घायल लोग थे उन लोगों को उठाकर ले जाया गया उनमें से एक आदमी जाते-जाते मर गया। आठ और एक यानी 9 आदमियों की नृशंस हत्या वहां पर कर दी गई। मेरा ऐसा मानना है कि राजस्थान के इतिहास में आजादी के बाद शायद यह पहली घटना है जबकि पुलिस के सान्निध्य में, पुलिस की देखरेख में, पुलिस की मौजूदगी में लोगों को इस प्रकार से नृशंस हत्या करने के बाध्य किया गया।

एक माननीय सदस्य : राजा मानसिंह हत्याकांड का वर्णन भी करोगे क्या ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि शांति से बैठिये......(व्यवधान).....बैठिये, बिराजिये आप।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर : राजा मानसिंह हत्याकाण्ड...

श्री अध्यक्ष : मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा, आप बैठिये। नो इण्टरप्शन, प्लीज सिट डाउन।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है ऐसी दर्दनाक घटना पर भी एक पार्टी के कुछ माननीय सदस्य इस प्रकार की बात करते हैं। इससे घटना की

(श्री शिवचरण माथुर)

गम्भीरता के बारे में राजस्थान की जनता का मंतव्य साफ नजर आता है ।

श्री चन्दनमल बैद : संवेदनशील सरकार है यह ।

श्री अध्यक्ष : कृपया बोलें नहीं ।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, हमने जब लोगों से पूछा कि क्या हुआ, क्या आपकी कोई लड़ाई थी । उन लोगों ने कहा कि न तो हम लोग चोरी करते हैं, न लड़ाई करते है, बल्कि हम खेती करते हैं । एक व्यक्ति ने कहा जितने भी हमारे पास जेवर थे, करीब 12 तोला, और 10-12 किलो चांदी, वह मकान में से ले गये । डायनामाइट लगाया । उसने कहा कि मैंने पुलिस के डर से क्योंकि पुलिस कंजरों को हमेशा हेबिच्युअल आफेण्डर्स मानती है इसलिए हमने जेवर पर सुनार का नाम जिस सुनार ने जेवरों को घड़ा था उसका नाम लिखा हुआ था । वह सब जेवर पुलिस के पास में मौजूद हैं । 12 तोला सोना और दस-बारह किलो चांदी का कोई पता नहीं । एक व्यक्ति जिसका दो मंजिला मकान था उसकी कीमत मैं समझता हूं कि 50-60 हजार या एक लाख के बीच आती है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता । कोई मकान कच्चा नहीं था । वहां पर जो कच्चे मकान थे उनमें सबके अन्दर आग लगा दी गई । जो कच्चे मकान नहीं थे, जिनको तोड़ना मुश्किल था, डायनामाइट लाये और डायनामाइट लाकर उनको ब्लास्ट किया गया । आज एक भी मकान ऐसा नहीं है जिसकी पट्टी टूटी हुई नहीं हो । मैं आपके सामने यह फोटो बता रहा हूँ जिसका मकान उड़ा दिया गया । एक दीवार पर मकान खड़ा हुआ है और कभी भी गिर सकता है । वह रहने की स्थिति में नहीं है । इसी प्रकार एक खेड़ा नहीं, करीब 5-6 खेड़े, एक पारावास के खेड़े के पास जितने मकान थे इन सब को गिरा दिया गया । खेड़े के पास में खेत थे उनको ध्वस्त कर दिया गया । जितना सामान उनका था, खाने-पीने के बर्तन, साइकिलें, उन सबको इकट्ठा करके जला दिया गया । उनके पास एक कोठी में अनाज भरा हुआ था, उस कोठी के अनाज को जला दिया गया । एक भी दाना आज उनके पास मौजूद नहीं है । अध्यक्ष महोदय, स्थिति वहां पर यह थी, मैंने उनसे पूछा तुम्हारे मवेशी क्या थे । उन लोगों ने बताया कि हमारे पास बकरियां थीं, दूसरे मवेशी नहीं थे । करीब चार-पांच सौ बकरियां हमारे पास थीं । उन बकरियों का आज तक पता नहीं, बकरियां कहां गईं कोई मालूम नहीं । उस एक खेत में, मैं समझता हूँ ज्यादा जगह नहीं थी, वहां पर नौ आदमियों को मौत के घाट उतार दिया गया । वहां पर खून का ढेर लगा हुआ है । हम जब वहां पर गये तो पुलिस ने उस खून को हटा दिया था । वहां पर लोगों ने उन नौ मृतक व्यक्तियों की हथेलियों पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए खून लगाया । खेत में जानवर चर रहे थे । मैंने उनसे पूछा कि खेत से जानवर क्यों नहीं निकालते । उन्होंने कहा, हम इस हत्यारी जमीन पर दुबारा खेती बोने पर ही खायेंगे । इस खेती को हम लोग नहीं लेंगे अपने घरों में । मैंने पूछा

(श्री शिवचरण माथुर)

मुख्य मंत्रीजी कल यहां पर आये थे, आपको क्या कह गये। उन्होंने कहा आये थे और कह गये, एक हजार रुपये देंगे, तुमको मकान बना देंगे। उन्होंने कहा, एक हजार रुपये से क्या होता है। पचास हजार रुपये में हमारा मकान जो आप देख रहे हैं सामने, उसमें एक हजार रुपये से क्या होता है। झोंपड़ी योजना के आधार पर एक बैंक का कर्मचारी दस्तखत करा रहा था। मैं समझता हूँ इससे बड़ी मजाक कोई हो नहीं सकती। एक हजार रुपये देकर सरकार उनका अपमान कर रही है। उन्होंने कहा एक बात तो कम से कम हमारी सुन लीजिए, एक पत्थर हम आपको देते हैं। इस पत्थर पर निशान है। इस पत्थर को मेहरबानी करके यदि विधान सभा में कोई संग्रहालय हो, या मुख्य मंत्रीजी की सरकार के पास कोई संग्रहालय हो जहां पर लोगों की हत्या करके उसको सुरक्षित रखा जाय, उसमें रख दिया जाय...(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : मुख्य मंत्रीजी की कोठी पर रख दो।

श्री शिवचरण माथुर : मैं इसे सदन की पोपर्टी बनाने के लिए निवेदन करता हूं। इस पर खून का निशान है। इस प्रकार की बात वहां के लोगों ने मुझ से कही है। ऐसा लगता है आज के युग में, बीसवीं शताब्दी में जबकि हम...(व्यवधान) सुनिये, इसको बहुत गम्भीरता से लेने की चेष्टा कीजिए.....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, बैठिये। यह मामला वास्तव में बहुत गम्भीर है। आप इसको शांति से सुनिये। आपको जवाब सुनने का मौका मिलेगा। सरकार जवाब देगी। यह मामला ऐसा नहीं है जिसके ऊपर इस तरह से किया जाय। गम्भीरता से सुनिये।

श्री शिवचरण माथुर : हमको बताया गया कि इस सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय सम्पतरामजी, हमारे भी साथ में रहे हैं। कांग्रेस के बहुत पुराने हमारे साथी रहे हैं। उनका मन नहीं माना कि सरकार के बारे में कुछ नहीं कहें। लोगों से उन्होंने कहा, ऐसी घटना देखकर हमें सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है, सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं होता। इस प्रकार की घटना घटती है तो हमको कोई अधिकार नहीं है। उनको कहा अखबारों में दे दें, उन्होंने कहा नहीं, मैं तो अन-ऑफिशियल इस बात को कह रहा हूँ, इसको अखबार में देने का सवाल नहीं होता। लेकिन मुझे खुशी है, मैं बधाई देना चाहता हूँ माननीय सम्पतरामजी को, आखिर उनमें कांग्रेस की पुरानी आत्मा है... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : लीपा-पोती कर रहे हैं।

श्री शिवचरण माथुर : कांग्रेस के पुराने व्यक्ति हैं। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है क्योंकि वह उसी वर्ग से आते हैं। जो नृशंस हत्यायें वहां पर उन्होंने देखी उससे यह बात साफ है कि इस प्रकार की.....

श्री अध्यक्ष : माननीय माथुर साहब, आप घटना की गम्भीरता को बनाये रखने

(श्री अध्यक्ष)

के लिए गम्भीर बात ही कहें तो अच्छा रहेगा। तालियां बजाते हैं लोग। अगर आत्मा में देखें तो तालियां नहीं बजनी चाहिए...(व्यवधान)...माफ करिये, समस्या गम्भीर है तो गम्भीर रखिये।

श्री शिवचरण माथुर : उन्होंने कहा, मैं तो उनकी बात कह रहा हूं। जो उन्होंने कहा, जो लोगों ने मुझे कहा कि सम्पतराम जी ने हमसे इस प्रकार की बात कही वह मैंने आपके सामने जिक्र किया। उनकी जगह आज कोई भी व्यक्ति हो, वह बात कहेगा। मुख्य मंत्रीजी भी इस बात को स्वीकार करते हैं, उन्होंने भी इस बात को कहा होगा कि बहुत बुरी घटना हुई है। ऐसी घटना कभी नहीं हुई। इस घटना के बारे में उनको दुख है। मैं समझता हूं कोई भी व्यक्ति वहां जायेगा, इधर बैठने वाले या उधर बैठने वाले, उनको दुख होगा। अध्यक्ष महोदय, मैंने लोगों से पूछा, तुम्हारी कोई लड़ाई हुई क्या ? उन्होंने कहा कोई लड़ाई नहीं हुई, हम लोग आराम से रहते थे। परेशानी यह है कि पिछले जमाने में कांग्रेस के राज में हमें कुछ जमीन अलाट की गई थी। ऐसे लोगों को जो पूर्णतया पिछड़े लोग हैं उनको बसाने के लिए, हमारी बहुत सी योजनाएं थीं। उनको बसाने के लिए स्कूल खोले, उनको जमीन अलाट की, उन लोगों को सर्विस में काम दिया गया, उनको पढ़ाया-लिखाया। मैं नहीं कहता कि सब समस्याओं का हल निकाल दिया। लेकिन जो शुरूआत की थी उसके परिणाम सामने आने लगे थे। उनको जमीन अलाट की गई थी और जमीन का फायदा उनको मिलने वाला था। कांग्रेस की सरकार ने कुछ साल पहले वहां पर दोहराई बांध के निर्माण की स्वीकृति दी थी। करीब चार-पांच करोड़ की योजना स्वीकृति हुई थी। उस दोराई बांध का निर्माण बहुत तेजी से चल रहा था। वहां पर एक करोड़ रुपया खर्च हो चुका था और कुछ दिन बाद तालाब बनाकर नहर आने वाली थी दोराई बांध की योजना पर। नहर का सबसे ज्यादा लाभ उनके खेतों को मिलने वाला था। असली लड़ाई यह थी। कंजरों के पास अच्छी खेती है, वहां नहरें हैं, पानी से इलाका सरसब्ज है, यह वहां के लोगों को पसन्द नहीं था। मैंने उनसे पूछा आखिर घटना तो बताओ। उन्होंने हमको कहा कि यह तो इस चुनाव के बाद में ऐसा लगता है जैसे कोई चुनावी वायदा किया गया हो, कि हम कंजरों को समझ लेंगे तुम अपने आप निपट लो और तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं किया जायेगा। 12 मार्च की घटना है। चंदलोई के पास चन्द्राखेड़ी एक गांव है। उस गांव में एक कंजर की हत्या की गई कंजर को बुरी तरह से मारा गया। एक शम्भूलाल जिसकी जीनिया माता के पास एक थान चलती है, वह मोटर साइकिल से आ रहे थे। उन्होंने कहा कि क्या कर रहे हो। उसकी कोई बात नहीं सुनी, उसका बयान तक किसी ने रिकार्ड नहीं किया। उस शम्भूलाल ने खुद बयान दिया है। मैंने कहा उस वक्त के अखबार हों तो दो, अखबार उस वक्त उसके पास मिल नहीं पाये। उन्होंने कहा मैंने खुद बयान दिये हैं मेरी बात को किसी ने नहीं सुना और शम्भूलाल ने कहा कि मेरी आंखों के सामने उसको इतना मारा कि वह वहीं खतम हो गया।

(श्री शिवचरण माथुर)

उसको पुलिस ने एक्सीडेन्ट कह करके कि एक्सीडेन्ट से मर गया, हमें बताया गया। उसी दिन 23 जून को उसकी एफ.आर. दे दी गई, हमको बताया गया। कहां तक सच है, कहां तक सच नहीं है यह तो सरकार बतायेगी लेकिन हमको बताया गया कि 23 जून के दिन ही उसकी फाइनल रिपोर्ट दे दी गई। और इस मामले को हुस-अप कर दिया गया। यह ऐसा वाकया था। दो साल पहले भी इस प्रकार एक कंजर की हत्या की गई थी। यह दो वाकयात ऐसे थे जिससे लोगों का हौसला बढ़ा और लोगों ने महसूस किया कि सरकार हमारे ऊपर है, हमारी पीठ पर है, जो चुने हुए नुमाइन्दे हैं वे हमारी पीठ पर हैं, वह हमारा समर्थन करते हैं तो फिर हमें परवाह करने की बात नहीं है। थानेदार को आपका समर्थन प्राप्त था, उसका परिणाम यह था कि उसके सामने बैठ करके बिल्कुल सामने नामजद करके उस आदमी की हत्या कराई। मैं मानता हूँ कि इस प्रकार की घटना किसी भी समाज के लिए कलंक की बात हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, हमने जब उनसे पूछा कि आप लोगों ने चोरी करने की बात कब छोड़ी तो उन्होंने कहा हम चोरी करते नहीं हैं। उन्होंने कहा कि 3-4-5 लाख रुपया हमारे किसानों के ऊपर कर्ज है। सबसे बड़ी बात यह है कि उस कर्ज की वसूली के लिए जब हम जाते हैं उस समय अड़चनें आती हैं और वह कर्जा देना नहीं चाहते, यह बात है। बात है कि हमारे पास खेती है, उसमें पानी आ रहा है। उसमें जो फसल अच्छी पकेगी उसका लाभ इन लोगों के मन को नहीं भाता। यही कारण है कि नियमित तरीके से हमला करने की बात की गई। अध्यक्ष महोदय, हम जब अस्पताल में लोगों से मिलने गये तो वहां हुकमा करके एक कंजर ने बताया कि छोटे-छोटे दूध पीते बच्चों को, दो-तीन साल के बच्चों को डंडे से मार करके घायल कर दिया गया। एक बच्चे के सर पर लगी हुई थी. मुख्य मंत्रीजी ने स्वयं देखा होगा। एक स्त्री रोती-रोती हमारे पास आई, 15 दिन पहले उसके बच्चा हुआ था, उसके पति को मार दिया गया, उसके एक और रिश्तेदार को मार दिया गया। उसके घर में दो मौतें हुई। वह हमारे सामने रोने लगी, मैं क्या करूं, मेरा कोई सहारा नहीं है। यह 15 दिन का बच्चा है मैं कहां ले जाकर कैसे इसका पालन करूंगी।

ये स्थितियां अध्यक्ष महोदय, वहां पर थीं। आज वहां के लोग अनुभव करते हैं, मैं उसमें कोई झगड़े का सवाल नहीं करना चाहता, लेकिन यह निश्चित बात है मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आखरी ऊपर माल की गो भूमि जिसमें बिजोलिया का इतिहास बनाया गया था, आजादी के आन्दोलन में इस क्षेत्र ने अपना एक इतिहास बनाया है, योगदान दिया है। वह क्षेत्र जिसमें रूठाजी और कक्काजी की शहादत हुई थी और उसी ऐतिहासिक क्षेत्र में आज एक योजनाबद्ध तरीके से गरीबों को इसलिए कि वह गरीब हैं, और इसलिए कि चुनाव में उन्होंने कांग्रेस का साथ दिया था...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं दिया....

श्री शिवचरण माथुर : बिल्कुल दिया था। उनको एक योजनाबद्ध तरीके से मारने की एक साजिश की जाती है उसी जगह पर जहां पर बिजौलियां का आन्दोलन हुआ था और रूपाजी और कृपाजी की जहां पर शहादत हुई। क्योंकि मेरा क्षेत्र उसके नजदीक पड़ता है, मैं जानता हूं। मैं किसी वर्ग विशेष की बात नहीं करता हूं, मैं किसी व्यक्ति की बात भी नहीं कहता हूं लेकिन क्षुद्र राजनैतिक स्वार्थों के आधार पर यदि आप इतनी बड़ी घटना होने के बाद सोचते हों तो मैं समझता हूं आप जैसा संवेदनशील व्यक्ति, जो हमेशा वैल्यू बेस्ड पालिटिक्स की बात करते हों, और आज खास तौर से नये चुनाव होने के बाद में तीन-तीन, चार-चार वायदे दे करके जो वैल्यूबेस्ड पालिटिक्स की आप बात कर रहे हैं, मूल्यों पर आधारित नीति की जो चर्चा चल रही है मैं समझता हूं कि वैल्यू बेस्ड पालिटिक्स की बात करने वाली सरकार आज इस बात को बहुत गम्भीरता से सोचे कि क्या राजस्थान के आजादी के इतिहास में इस प्रकार की पहले घटना कभी हुई है। और यदि हुई हो तो मुझे बता दीजिये, मुझे तो याद नहीं आता है। इस प्रकार की घटना, अध्यक्ष महोदय, सरकार के लिए जो इस समय पदासीन है एक शर्म की बात है। हमारे नेता ने जो बात यहां पर कही है मैं मुख्य मंत्रीजी की सीधी जिम्मेदारी है ऐसा नहीं कहता, मुख्य मंत्रीजी इस प्रकार की बात करने का कभी साहस नहीं कर सकते। अंग्रेजी में कहा है :—

Worried is the head who wears the Crown.

जिसके सर पर मुकट है उसके सर पर ही आती है और उसको जिम्मेदारी सहन करनी पड़ती हैं। मैं समझता हूँ यदि आप नैतिक जिम्मेदारी की बात करना चाहते हैं और करते हैं तो इस घटना को देख कर राजस्थान के इतिहास में, राजस्थान की सरकार के ऊपर, राजस्थान की आज जो सरकार है उस पर सबसे बड़ा कलंक है। उस कलंक को धोना मैं समझता हूं सम्भव नहीं है। और उस पर सरकार ने कार्यवाही क्या की? हमने पूछा कि क्या कार्यवाही की गई, कि साहब उसको लाइन हाजिर कर दिया गया है। थानेदार को लाइन हाजिर कर दिया गया है। मैंने कहा, साधारण तौर पर सस्पेन्शन कोई बहुत बड़ी सजा नहीं हुआ करती, पहली बात तो सुन करके भी आमतौर पर सस्पेण्ड किये जाते हैं। यहां इस तरफ बैठ करके जो आज उधर बैठे हैं जो माननीय विपक्ष के नेता थे, अधिकारियों के बारे में उन्होंने यहां बहुत-सी बातें उठाई हैं। हमको मौका नहीं दिया गया कि हम उसकी कम से कम जांच तो करते और सस्पेन्शन की बात की गई है। इस थानेदार ने जिसने हाथ पकड़ करके उस आदमी को मरवाया उसको तो लाइन हाजिर करने वाली बात की। मैं जब गया तो बताया गया कि थानेदार को लाइन हाजिर किया गया है। तो हमने कहा कि ऐसी क्या बात थी जिससे लाइन हाजिर किया गया। उन्होंने कहा कि नहीं तो पुलिस का मोरल टूट जायेगा। पुलिस के मोरल टूटने वाली बात कही कि यदि हम इस प्रकार से कार्यवाही करते रहेंगे पुलिस का मोरल टूट जायेगा। वहां एक वरिष्ठतम अधिकारी डी.आई.जी. कहता

(श्री शिवचरण माथुर)

है कि हमको पुलिस के मोरल की बात ध्यान में रखनी पड़ती है । अगर इस प्रकार से कार्यवाही करने लगेंगे तो पुलिस का मोरल टूट जायेगा । अखबार वालों ने वहां पर सारे फोटो लिए, अध्यक्ष महोदय, आप को सुन कर ताज्जुब होगा, अखबार वालों ने फोटो लिए, उन फोटो की रील डी. आई.जी. ने सील करके अपने पास रख ली । मैं अखबार वालों को, सवाददाताओं को कहना चाहता हूँ कि क्या यह उनकी आजादी का हनन नहीं है । उन्होंने कहा कि मैं रील वापस दे दूंगा, लेकिन आज तक वह रील उनके पास वापस नहीं आई है । पुलिस के मोरल के नाम पर उस अधिकारी को बचाने की बात की गई । हम गये जब तक वह लाइन हाजिर था । उसके बाद हमने सुना मुख्य मंत्रीजी चित्तौड़ वापस आये नहीं थे । यहां से एक प्रेस रिव्यू उनका निकला और मालूम पड़ा कि उस अधिकारी को निलम्बित कर दिया गया है । अध्यक्ष महोदय, इतना साफ मामला होने के बाद भी अधिकारी को निलम्बित किया जाये और उस पर मुकदमा नहीं चलाया जाये ? मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी साजिश उन 9 आदमियों को मारने की थानेदार की है और उस पर मुकदमा चलने वाली बात आती है तो हम समझेंगे कि शेखावत साहब की सरकार संवेदनशील विचार रखती है । मैं समझता हूं कि यहां बैठकर जो कुछ कहा करते थे, इस तरह के आंसू थे, और मगरमच्छ के आंसू हुआ करते थे और जैसे वह तीन महीने पहले उधर बैठे हैं वह सब बातें भूल गये और गुनाहगार लोगों को बचाने की बात उनके दिमाग में आती है । मैं उम्मीद करता था मुख्य मंत्रीजी से, कल वे वहां पर गये थे, कि वे पाजिटिव एक्शन की घोषणा करके आते लेकिन वहां पर कोई उन्होंने एनाउंसमेंट नहीं किया, उन्होंने कहा जांच चल रही है । जांच कब तक चलेगी और क्या जांच करवाना चाहते हैं आप ? जब सबरे लोग कह रहे हैं, आपके पुलिस अधिकारी, पहले बयान में उन्होंने कहा कि थानेदार इज मर्डरर । यह पहले एस.पी. के शब्द थे, लेकिन उसके बाद में उन्होंने बयान बदल दिये अपनी सारी भाषा बदल दी । मैंने एस.पी. को बुलाया, और कहा कि बात बताओ, बात क्या है । उन्होंने कहा हमको तो मौका ही नहीं मिला जांच करने के लिए । हम तो कल से लोगों को उठा रहे थे, इनकी रिलीफ का काम कर रहे थे हमको तो मौका ही नहीं मिला है । मैंने उनसे पूछा, आपने उन लोगों को गिरफ्तार किया । दस आदमियों की लिस्ट उन्होंने मुझे भेजी । दस आदमियों की लिस्ट वह लिस्ट है जो कि थानेदार ने एफ. आई. आर. दर्ज कराई उसमें शामिल थी । थानेदार जो मारने में खुद शामिल, एफ.आई.आर. दर्ज कराये और 25 आदमियों के एफ.आई.आर. में नाम दाखिल हो अध्यक्ष महोदय, आपको ताज्जुब होगा उन दस आदमियों को जो लिस्ट है उसको देखकर ऐसा लगता है जैसे पुलिस ने इस सारे केस को शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज और सब जातियां का मिला हुआ एक्शन लगाने वाली बात की । इस गिरफ्तार की हुई लिस्ट में दस आदमियों में से पांच भाकर हैं, दो बलाई हैं, दो रेगर हैं और एक भील है । यह बताने

(श्री शिवचरण माथुर)

की चेष्टा की गई इसमें शिड्यूल कास्ट, ट्राइब सभी लोग शामिल थे और उन कंजरों की शक्ति की वजह से लोग परेशान थे। मैं समझता हूं कि 25 आदमी जो एफ.आई.आर. में दर्ज थे कम से कम उनको तो गिरफ्तार किया होता। मैंने एस.पी. से कहा जो प्रभावित लोग हैं, उन्होंने 193 आदमी नाम दर्ज किये हैं। हमें बतलाया कि 193 आदमी नामजद किये गये हैं, मुझे आप नामजद 193 आदमियों की लिस्ट दीजिये। मुझे 193 आदमियों की लिस्ट नहीं दी गई, केवल 10 आदमियों की लिस्ट मुझे दी गई। उस लिस्ट में 10 आदमी जैसा मैंने आप से कहा कि 2 बलाई थे, 2 रेंगर थे, 1 भील था। 193 आदमियों की लिस्ट में जो हमको बताया लोगों ने, मेरे पास यह टेप रिकार्ड है, उसमें नाम लोगों ने कहे हैं। हमने पूछा कि भाई कैसे हैं उन्होंने कहा हमने सामने देखा है। उस आदमी ने गोली मारी हमने सामने देखा है। यह टेप रिकार्ड में है, उनके नाम दर्ज है। पहले तो उनको गिरफ्तार करना चाहिए था लेकिन आज तक वह गिरफ्तार नहीं हुए। खास तौर से उन लोगों को, हो सकता है, वह लोग निर्दोष हो, मैं नहीं जानता निर्दोष है कि दोषी हैं लेकिन जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है वह लोग ऐसे हैं, बताने की कोशिश की गई जिनमें शिड्यूल्ड कास्ट के भी शामिल थे, ट्राइब के भी शामिल थे और सब जाति के लोग शामिल थे। अध्यक्ष महोदय, केस को इस प्रकार से बनाने की जो आदत हमारी पुलिस की रही है, मैं उम्मीद करता हूं सरकार से कि वह इसको बहुत गम्भीरता से लेकर के कुछ करने की कोशिश करेगी। और कुछ रहा ही नहीं है, मैं समझता हूं, इस प्रकार का नरसंहार वहां पर हुआ है, उसको देखते हुए सरकार का केवल एक ही फर्ज बनता है कि वह तुरन्त इस्तीफा दे दे, तुरन्त इस बात को स्वीकार करें। कम से कम अगर उनका बहुमत है तो कोई दूसरा व्यक्ति आये, मैं समझता हूं लेकिन उनमें से भैरोंसिंह शेखावत को रहने का तो अधिकार नहीं है, मुझे इतना निवेदन करना है। क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा बातें वेल्यू बेस्ड पालिटिक्स की बातें की जाती हैं, हम तो कहते हैं वेल्यू बेस्ड पालिटिक्स में यह विश्वास ही नहीं करते। आज हर चीज में वेल्यू बेस्ड पालिटिक्स की बात की जाती है। मैं उसी तकाजे के आधार पर कहना चाहता हूं, मैं उसकी सीधी जिम्मेदारी नहीं बताता, लेकिन एक नैतिक जिम्मेदारी उनकी बनती है कि उनके राज में 9 आदमियों की नृशंस हत्या यदि कर दी गई हो और इस प्रकार से पुलिस के द्वारा करवाई गई हो तो कोई नैतिक अधिकार इस सरकार को नहीं है पदासीन रहने का और श्री शेखावत को, जैसी हमारे नेता ने मांग की है, इस्तीफा देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, जो जांच की बात है, मैं ऐसा मानता हूं कोई इस पर सबसे पहली बार अगर मुख्यमंत्रीजी करते हैं तो ज्यूडिशियल इन्क्वायरी की घोषणा करनी चाहिये थी उनको पहले। साधारण से साधारण बात पर भी ज्यूडिशियल इन्क्वायरी की घोषणा की है। आपको

(श्री शिवचरण माथुर)

मालूम है कोटपूतली में एक बार थाने के अन्दर एक महिला से बलात्कार की घटना हुई थी हमने उसी वक्त में ज्यूडिशियल इन्क्वायरी की घोषणा की, फेक्ट्स बाद में आये लेकिन ज्यूडिशियल इन्क्वायरी की घोषणा की। कम से कम....

एक माननीय सदस्य : महिला के साथ बलात्कार हुआ थाने में। स्कूल के मासूम बच्चे कोटपूतली में मरे थे तब नैतिकता कहां चली गई थी उस समय इस्तीफा दिया था क्या ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य बिराजिये आप, आप बैठिये।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : मैं मुख्यमंत्रीजी के लिए बता दूं थोड़ा क्योंकि मैं खुद सवा महीने इस कांड में गिरफ्तार रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री रामकरण सिंह : इस बारे में माननीय शिवचरण माथुर उस समय मुख्य-मंत्री थे। इस बारे में कह सकता हूं कि सरकार हमेशा पक्ष लेती हैं और उसमें एक व्यक्ति को भी सजा नहीं हुई। वहां जो 6-7...

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये। माननीय रामकरण जी, बैठिये हो गई बात। आप बैठिये ना।

श्री रामकरण सिंह : इस बारे में कुछ तो स्पष्टीकरण करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये ना।

श्री रामकरण सिंह : बैठने के लिए नहीं आये हैं यहां, आपकी इजाजत से बोलने के लिए आये हैं।

श्री अध्यक्ष : अच्छा, मैं इजाजत नहीं दे रहा हूँ। बैठिये, आप बैठिये। आप बोलिये।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था, मैं मुख्यमंत्री जी से कम से कम यह आशा करता था कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद में वह वहीं पर ज्यूडिशियल इन्क्वायरी की घोषणा करते। वह इन्होंने नहीं की। यहां तक कि उस पुलिस के थानेदार को केवल लाइन हाजिर करने वाली बात पहले की गई। निलम्बन की बात कहकर आये होंगे आप, उसके बाद में निलम्बन हुआ है।
(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी (राज्य मंत्री, उपनिवेशन) : आपको भी लाइन हाजिर किया था।

श्री शिवचरण माथुर : जहां तक प्रभावित लोगों को रिलीफ का सवाल है, मैं उस पक्ष की ओर आना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, जहां तक रिलीफ गवर्नमेन्ट ने अनाउन्स किया है, उस बारे में आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। रिलीफ जो गवर्नमेन्ट ने अनाउन्स किया है, आज स्थिति यह है कि उनके ऊपर कोई छाया नहीं है। आसमान है और धरती है उनके नीचे। कहीं उनको छुपने को जगह नहीं

(श्री शिवचरण माथुर)

है। मैंने कलक्टर से कहा कि सबसे पहले तो आपकी जिम्मेदारी यह है कि उनको कम से कम छाया का इन्तजाम कीजिये। कलेक्टर ने बहुत संजीदगी से बातचीत की कि हमारा सबसे पहला काम यह है कि हम उनको रिलीफ देंगे, शेल्टर देंगे। उन्होंने मुझे वायदा किया कल कि हम टीन शेड लगाकर के और कुछ नहीं कर सके तो कम से कम शेल्टर प्रोवाइड करेंगे। अध्यक्ष महोदय, 5000 रुपये की घोषणा राज्य सरकार की ओर से उनको देने की की गई। यदि 5000 रुपये में एक आदमी की जिन्दगी खरीदी जाती हो, यह आपने बहुत बार यहां बैठ करके कहा है, हमने ऐसे मौको पर हमेशा 50000 और एक लाख रुपये से कम की घोषणा नहीं की। आज 5000 रुपये की आप घोषणा करके एक आदमी की जिन्दगी खरीदना चाहते हैं। एक आदमी की कीमत केवल 5000 रुपया मानते हैं। 5000 रुपये में वह लोग जो अच्छे लोग हैं, जिनकी खेती है, जिनके दो-दो मंजिले मकान गिरे हैं, उनको केवल 5000 रुपये देकर उनका मूल्य करना चाहते हैं। उनको मकान बनाने के लिए यह कहा गया किजो कच्ची बस्तियों के दिए या इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत या झोंपड़ी योजना के अन्तर्गत 1000 रुपया देने की जो आपकी स्कीम है इसके अन्तर्गत बैंक का एक कर्मचारी उनसे दस्तखत करा रहा था। मैंने कहा इन लोगों का अपमान क्यों करना चाहते हैं? जिन लोगों के मकान दो-दो मंजिले हैं, वह गिरे हैं। मुझे वहां के अधिकारियों ने बतलाया कि साहब, हमारे पास कोई सरकार के आदेश नहीं हैं कि इनको जल्दी से बनाया जावे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, अध्यक्ष महोदय, शासन जिलेलाव में इस प्रकार की घटना हुई थी, वहां की प्रोपर्टी का नुकसान हुआ था, हमने जाकर के आदेश दिया था कि जैसे मकान पहले थे, उस स्थिति में उनको लाया जाय।
(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय हीरालाल जी आप बैठिये। माननीय बिराजिये आप। आप विराजें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : + + + (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप थोड़ा दिल मजबूत करो।

श्री अध्यक्ष : यहां + + + मना है हाउस में।

श्री शिवचरण माथुर : मुझे बताया गया, मेरी जानकारी में आया, मैंने वहां पर पूछा, मैंने कहा इनके मकान बनाने के लिए क्या कहा गया है। उन्होंने कहा कि साहब, मकान तो इनको देंगे लेकिन मजदूरी इनको अपने आप करनी पड़ेगी। यह अखबारों में भी बयान आया है। इसका मतलब वह मजदूरी का पैसा अपना देंगे। उनका योगदान होगा, सरकार केवल मेटेरियल

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री शिवचरण माथुर)

का पैसा उनको देगी, ऐसा मुझे अन्दाज लगता है। यही हैं मुख्यमंत्रीजी ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमंत्री) : मैं बता देऊंगा, आप बोलते जावो।

श्री शिवचरण माथुर : मैं चाहता हूँ कि निःशुल्क उनको उनके मकान बनाकर दिये जाने चाहिये। जैसी स्थिति में मकान थे, वैसी स्थिति में उनको मकान बनाने की स्थिति में लाना चाहिये। उनको केश मुआवजा देना चाहिये। मरने वाले लोगों को कम से कम 1 लाख रुपया प्रति व्यक्ति के हिसाब से सरकार को देना चाहिये क्योंकि जिन्दगी की कोई कीमत नहीं होती है। लेकिन उनके रिहेबिलिटेशन के लिए, उनके बच्चों के लिए....

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री अध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन। प्लीज।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर : अभी माथुर साहब कह रहे थे कि जिनकी मृत्यु हो गई, एक लाख रुपये देने चाहिये। स्वर्गीय राजा मानसिंह की हत्या के बाद चार आदमी मारे गये, उनको कितने रुपये दिये गये ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिये बैठिये।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर : उनको उस वक्त किसने दिये ?

श्री अध्यक्ष : हो गया आपका सवाल। बैठिये आप। आपका सवाल हो गया, बैठिये। बिराजिये, आप बैठिये।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, एक महीने का खाने का राशन उनको दिया गया है। एक महीने के बाद कोई उनकी व्यवस्था नहीं है। उनकी जो फसल आज नष्ट हुई है उसकी व्यवस्था का कोई इन्तजाम नहीं है। एक व्यक्ति जो कर्मचारी था सरकार का अध्यापक था, मुझे वहां लोगों ने बतलाया कि साहब, वर्मा साहब एक अच्छा कार्यकर्ता था। उदयलाल उसका नाम था, वह बेचारा केवल इसलिए मार दिया गया कि उसकी जो जमीन के कागजात थे वह लेना चाहते थे और उसने रेसिस्ट किया कि मैं जमीन के कागजात नहीं दूंगा। इसलिए उसको मार दिया गया। वह रिटायर हो चुका था। वह रिटायर्ड कर्मचारी था, अध्यापक था, एक अच्छा कार्यकर्ता था, सामाजिक कार्यकर्ता था, उसकी हत्या वहां पर कर दी गई।

अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की घटना के आधार पर आखिर आप क्या समझेंगे कि इस राजस्थान के अन्दर इस प्रकार की घटना घटती है तो मैं ऐसा मानता हूं, लगता ऐसा है कि इस प्रदेश के अन्दर कोई शासन है ही नहीं। शासन का नितान्त अभाव है इस प्रदेश के अन्दर। मुख्यमंत्रीजी बहुत बातें ऐसी किया करते थे हमारे सम्बन्ध में कि यहां बहुत कुछ ब्यूरोक्रेसी पर निर्धारित हैं। इनके पीछे रहना चाहते हैं। आज वह स्वयं निर्णय नहीं ले सकते और अपने विवेक से अपने निर्णय से कल कुछ

(श्री शिवचरण माथुर)

कह कर नहीं आ सकते थे ? आपको कहना चाहिये था वहां पर कल चित्तौड़ के अन्दर, आप वहां गये और बेगू से आने के बाद सीधे उधर से निकल गये, अखबार वाले वहां इन्तजार करते रहे, हमने भी सोचा कि मुख्यमंत्री जी कुछ घोषणा करके जायेंगे और मालूम पड़ेगा, हमको भी सन्तोष होगा कि वह क्या कह कर गये। हमनें उन घायलों से पूछा, मैंने कहा यहां पर मुख्यमंत्री जी आये थे ? हां साहब, पूछकर चले गये, दिया-लिया तो कुछ है नहीं यह हमको 2000-2000 रुपये 1000-1000 रुपये दे गये हैं, यह तो हमारे यहां वैसे ही पड़े हुए थे। इस प्रकार से यदि सारी चीज को गवर्नमेन्ट ट्रीट करे, और इस प्रकार से उसका व्यवहार हो, मैं नहीं समझता कि कोई संवेदनशील सरकार इसको कह सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं, आपसे पहले भी उम्मीद करते थे आप कोई पाजिटिव घोषणा करके यहां पर आते, ज्युडिशियल इन्क्वायरी की बात वहां कहकर आते। वह आपने वहां पर नहीं की। रिलीफ कुछ उनको दी नहीं गई और जो हत्या करने में शामिल वहां का पुलिस अधिकारी था उसको आपने केवल निलम्बित करके छोड़ दिया। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं सवाई माधोपुर की घटना हुई थी। एक बाहर का व्यक्ति आकर के उसके भरोसे पुलिस के कर्मचारियों को, पूरे थाने को सी. जे. एम. ने निलम्बित किया था। आपको याद होगा, सवाई माधोपुर का पूरा थाना हमने निलम्बित किया था। थाने के सभी अधिकारी उसमें शामिल थे। मैं ऐसा मानता हूं कि जो घटना वहां पर हुई है और उस थाने के 12 आदमी पूरे वहां पर मौजूद थे। वहां पर सबसे पहले यह करना चाहिए था कि थानेदार के खिलाफ 302 का मुकदमा चलाना चाहिए था और सारे थाने को निलम्बित करना चाहिए था। तभी मालूम पड़ता कि पाजिटिव एक्शन सरकार ने लिया है। लेकिन वहां साधारण तौर से उस अधिकारी को आपने निलम्बित कर दिया और उसे निलम्बित करके लीपा-पोती कर दी। मुझे लोग कहने लगे कि साहब, हमको कहा जा रहा है कि तुम यहां से भाग जाओ, बयान मत दो। हमने उनको साहस दिया कि तुम अपनी पूरी हिम्मत से बयान देना। बोले हमें रात दिन उनके साथ बैठकर काम करना पड़ता है यहां से भाग जाओ। बयान मत दो। इस तरह से डराने धमकाने वाली बात जो पुलिस के अधिकारी वहां पर करते हैं तो मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय, यह प्रजातंत्र नहीं, यह तो जंगल का राज कह सकते हैं। कानून का राज तो कम से कम नहीं है। इस जंगल के राज में इस तरह की घटनाएं हों। और भी घटनाएं जो होंगी सदन में आपके सामने आएगी, सरकार उनका जवाब देगी। कितनी लगातार यहां पर घटनाएं हुई है, कितनी मौतें हुई हैं और यहां तक कि पानी पीने के लिए सरकार से मांग करे जनता और उस पर गोली चला कर मार दें। यह घटना तो पूरे महीने भर सदन चलेगा उसमें आपके सामने आएगी लेकिन जो हत्याकाण्ड हुआ है मण्डावरी में, मैं समझता हूं उसकी कोई समानता राजस्थान के अन्दर अध्यक्ष महोदय, आज तक नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आज इस घटना के बाद में इस सरकार को इस जगह पर बैठने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। सरकार को तुरन्त स्तीफा देना चाहिए और इसकी

(श्री शिवचरण माथुर)

जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी चाहिए तभी हम समझेंगे कि आप सही मायने में वैल्यू-बेस्ड पालिटिक्स में विश्वास करते हैं। यदि वैल्यू-बेस्ड पालिटिक्स में आपका विश्वास नहीं है तो हम यह मानेंगे कि आप केवल मगरमच्छ के आंसू यहां पर बहाया करते थे और आज भी यही बातें करते हैं, अखबारों के जरिये से, वह केवल घड़ियाली आंसू आप बहाते हैं। बाकी सही मायने में आपका सत्ता में बैठ कर येन-केन प्रकारेण कायम रहने का आपका एक मंतव्य है और कुछ नहीं है।

अन्त में अध्यक्ष महोदय, मैं इस घटना की तीव्रतम आलोचना करते हुए कहना चाहता हूं कि यदि यह घटनायें रोकी नहीं गई मुख्य मंत्री महोदय, तो इसको आप गम्भीरता से लीजिए। एक बार जब लोगों का हौसला बढ़ जाता है, उनको प्रश्रय मिल जाता है, उनकी बात चल जाती है तो फिर ऐसी घटनाएं पचास जगह भी हो सकती है। अगर आप पंजाब और दूसरी जगह के पुराने इतिहास में जाएं, कहीं पर कोई चीज बर्दाश्त कर ली गई होगी। उसको वहीं पर रोका नहीं गया होगा और लोगों का हौसला बढ़ गया होगा और इस प्रकार की घटनाएं निरन्तर बढ़ती गई। आज यह स्थिति राजस्थान में हो सकती है। अगर समय पर इस घटना को नहीं रोका गया और लोगों के साथ सख्ती से कार्यवाही नहीं की गई तो ऐसी घटनाएं रात-दिन होंगी लोगों के हौसले बढ़ जाएंगे और गरीब लोग जिनको हमने बड़ी मुश्किल से 40 साल के अन्दर ऊपर उठाने की कोशिश की, सामाजिक दृष्टि से आर्थिक दृष्टि से ऊपर उठाने की कोशिश की। उन लोगों पर आज इन अत्याचारों के कारण एक ऐसी स्थिति बन जाएगी कि जो लोग साधन सम्पन्न हैं, जो निहित स्वार्थ में विश्वास करने वाले लोग हैं वह उन गरीबों को मारेंगे उनकी जमीनें छीनेंगे, उन पर अत्याचार करेंगे और उनकी नृशंस हत्याएं करेंगे। यही मैं बहुत गम्भीरता से इस बात को लेकर कहना चाहता हूँ। इसकी तीव्र आलोचना करना चाहता हूँ और सरकार से कहना चाहता कि कोई नैतिक अधिकार नहीं है उनको यहां पर बैठे रहने का। उनको तुरन्त स्तीफा दे देना चाहिए। यही मुझे आपसे कहना है।

श्री अध्यक्ष : श्री हेतराम बेनीवाल।

श्री हेतराम बेनीवाल (सांगरिया) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो घटना मण्डावरी में हुई है वास्तव में उस पर जो हमारे सदन के विरोधी नेता हैं, दोनों नेताओं ने अपने विचार रखे हैं। असल में मेरी समझ में इस घटना के पीछे जो सबसे बड़ा कारण यहां माननीय शिवचरण जी ने बताया, पुलिस वहां थी। लोग वहां पर आये और उन्होंने कुछ लोगों को घेर कर मार दिया। असल में जब कोई किसी का कत्ल करता है, समाप्त करने की स्थिति में पहुंचता है, निश्चित रूप से कोई उसके मन में ऐसा द्वेष, ऐसी भावनायें होती हैं जिससे कोई कत्ल कर सकता है। यह जातिगत भावना, यह द्वेष जो आपस में पैदा हुआ है इसका क्या कारण है ? कंजर लोग जिस प्रकार की स्थिति में रहते हैं उन गांवों में, आस-पास में जिस प्रकार का

(श्री हेतराम बेनीवाल)

जीवन यापन करने के लिए झुग्गी झोंपड़ी बना कर गांवों के बाहर रहते हैं और जो गांवों के लोगों के साथ उनके आपस मे मनमुटाव और झगड़े चलते हैं उनका मुख्य कारण यह है कि हमने पिछले 30-40 साल से जो पुराने वक्त के जरायम पेशा लोग चले आ रहे थे जिनको उस वक्त सामन्तों और राजाओं की सरकार ने पाला, चोरियों के लिए प्रेरित किया। चोरियां और धन्धे करवाये। उसके बाद जो चुनी हुई सरकार हमारे प्रदेश में आई उन सरकारों ने उन पर ध्यान नहीं दिया। सामूहिक रूप में अगर हम प्रयत्न करके अपने प्रदेश का पैसा खर्च करके उनके लिए कुछ योजनाएं बनाते, जमीनें देते, निश्चित रूप से माथुर साहब ने जो बात कही मैं क्षमा चाहूंगा कि जिस प्रकार से आप बोल रहे हैं. मुझे लगता है जो माथुर साहब ने कहा है मगरमच्छी आंसू वह बहा रहे हैं, आप भी ऐसे ही मगरमच्छी आंसू बहा रहे हैं। मैं आपसे निवेदनकरना चाहूंगा कि इस घटना पर जो वाकई इस घटना के प्रतिसीरियस होते। यह घटना क्यों हुई, क्या वजह है। तीन हजार लोग तीस गांवों में इकट्ठा हुए उन्होंने 500–200 आदमियों को घेर लिया और उनको जान से मार दिया ? इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है जिनके लिए हम कहते हैं कि हमने जमीनें दे दी। क्या वाकई में उन लोगों को, यह ठीक है कि उनका जमीन का झगड़ा है। यह सही है कि कुछ लोगों के पास जमीन थी और कुछ सवर्ण जाति के लोग जमीन हड़पना चाहते थे। उनका झगड़ा था। जमीन का द्वेष भी था यह बात भी सही है कि कुछ लेन-देन का झगड़ा भी था। पुलिस के साथ भी झगड़ा था लेकिन मुख्य रूप से झगड़ा यह है कि जो कंजर जाति के लोग हैं इनके बारे में जो ऐसी जातियां हैं जिनका गांवों में और राजनीति में विशेष प्रभाव है उनसे उनका द्वेष था, इनकी नाराजगी थी और वह उनसे बदला लेना चाहते थे और उस बदला लेने की घटना के पीछे हमारे राजस्थान की सरकारें पहले रही, मुझे माफ करें, मैं जो सत्ता में बैठे हैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि जो जातिगत भावनायें प्रदेश में पैदा हो रही हैं और जिस प्रकार से पिछले चुनावों के दौरान, लोक सभा और विधान सभा के चुनावों के दौरान दंगे हुए राजस्थान में उसके बाद जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं उनसे लगता है कि राजस्थान में इस प्रकार की जातिगत भावना पैदा करने में सत्ता में बैठे हुए लोगों का या राजनीति में जो लोग हैं उनका भी हाथ है। वह लोग भी अपने स्वार्थ के लिए एक जाति को दूसरी जाति से लड़ा कर वोटों की बात करते हैं तब यह स्थिति पैदा होती है। आज जो घटना तीन दिन पहले हुई, निश्चित रूप से माथुर साहब ने एक बात कही कि वहां पुलिस खड़ी थी उन्होंने मरवा दिया। यह बात नहीं। असल में पुलिस का रोल था वह उस जाति के लोगों से मिले हुए थे जिस जाति के लोग उनसे बदला लेना चाहते थे उनके साथ उनका मेलजोल था और यही वजह है कि पुलिस ने उनसे हथियार लिये, उनको निहत्था किया और उसके बाद भीड़ ने उन पर हमला किया। यह जो कहना है कि वहां मार दिया और उसके बाद कुछ नहीं हुआ.....(व्यवधान)... मैं आपसे अर्ज करूं.... (व्यवधान)

(श्री हेतराम बेनीवाल)

ने यह कहा कि कंजर इस तरह के लोग हैं, जरायम पेशा लोग हैं और उनको इस तरह की सजा मिलनी चाहिए। अगर वाकई इस तरह के लोग हैं कुछ, आज भी, राजस्थान के अन्दर यह घटना हुई है, निश्चित तौर से मैं एक पक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, हम विधान सभा में जितने सदस्य बैठे हैं, सबको हमको महसूस होता है, हमारा सबका सिर नीचा होता है इस बात से कि राजस्थान में इस तरह की घटना हुई कि निरीह दस-बारह आदमियों को मार दिया, पैंतीस-चालीस को घायल कर दिया। सारे घर उजाड़ दिये, सब को बरबाद कर दिया और पुलिस हमारी देखती रही। हमने प्रशासन को जो इस तरह बनाया है, मैं खास तौर से मुख्य मंत्री महोदय, से कहूँगा उन्होंनें पहली जो बात यहां कही थी कि मेरी सरकार संवेदनशील होगी, यह संवेदनशीलता की निशानी है ? क्या हम समझते हैं कि जिस सरकार के अन्दर भरतपुर के अन्दर पानी के लिए झगड़ा हुआ और पानी की बात पर गोली मार दी गई, आपने वही किया थानेदार को लाइन हाजिर कर दिया, सस्पेण्ड कर दिया, मेरी समझ में दो महीने बाद वह थानेदार की बजाय इन्सपेक्टर बन गया होगा। यही हालत यहां कोतवाली पर हुई। कोतवाली में एक गरीब बच्चे को, उसने चोरी कर ली, यह इल्जाम लगा कर पुलिस वाले लाये और उसको पीट करके खत्म कर दिया, मार दिया। बच्चे को मार दिया गया, लोग इकट्ठे हुए, झगड़ा हुआ, हल्ले को शांत करने के लिए आपने थानेदार को सस्पेण्ड कर दिया। सस्पेण्ड करने के बाद क्या हुआ उसका, चार महीने, तीन महीने के बाद वही अच्छे थानेदार की जगह चला गया। इस तरह की घटनाओं से यह जो आप पुलिस का मोरल उठाना चाहते हैं, यह पुलिस का मोरल नहीं उठा, पुलिस के दिमाग में आ गई कि आज का प्रशासन, आज का राज हमारे बिना चल नहीं सकता और जिस तरह हम चलायेंगे, वैसे ही चलेगा। और यही वजह है कि यह घटना हुई पुलिस के सामने और पुलिस के एस.पी. और कलक्टर को नहीं पता लगा। असल में इस सारी साजिश का पता, मैं मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आज के सदन में यह बड़ी अजीब सी बात है कि हम उन कंजरों के घरों को दो रुपये दे देंगे, छप्पर बना देंगे, हम उनको रुपये दे देंगे, जब भी ऐसी घटनाएं हुई, मुख्य मंत्रीजी इधर बैठते थे और जब कोई घटना होती थी—चाहे जोशीजी से हुई हो, चाहे माथुर साहब से हुई हो, जब भी इस तरह की घटना राजस्थान में हुई, चाहे पुलिस ने किसी को गोली से मार दिया, चाहे कोई आपरेशन से मर गया, चाहे कोई और घटनाओं से मर गया, हमेशा हमने मांग की है कि इनको लाखों दिये जाये, लाख दिये जाय, दो लाख दिये जाय और जब खुद की देने की बारी आई तो हम हजार पर आ गये। हमने वहां पर शुरू कर दिया जबकि आज की स्थिति में पांच हजार रुपये, दो हजार रुपये किसी परिवार को, जिसके परिवार में एक कमाने वाला व्यक्ति समाप्त हो गया हो, जिस किसी का चिराग बुझ गया हो, उस मां के पास जाकर कहें कि पांच हजार रुपये ले ले,

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया सुनें। आपने माथुर साहब को शांति से सुना। आपको भी शांति से सुनें। आप धैर्य रखिये। आप भी सुनते जाइये...... (व्यवधान)

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, हम उनका पूरा वक्तव्य सुनना चाहते हैं...अध्यक्ष महोदय, शंका इस बात की है, जिस तरह से आप कह रहे हैं क्या वह राष्ट्रीय मोर्चे की संगठन की सरकार का जवाब देना चाहते हैं क्या ?

श्री हेतराम बेनीवाल : नहीं, नहीं, मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : आप राष्ट्रीय मोर्चे में उनके साथ मिले हुए हैं। इसका जवाब मुख्य मंत्रीजी की बजाय आप देना चाहते हैं क्या ? आप यह बता दीजिए, हम तो मान लेंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपस में बहस नहीं करें। आप इतने पुराने हैं, आप शांति से सुनें। आपके और लोग भी बोलेंगे। आप शांति से सुनें।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं आपसे निवेदन करूं, मैं आपसे सच्चाई कह रहा हूं कि डायनामाइट से घर उड़ाये गये, उनका पीछा किया गया। उनके घरों को झोंपड़ियों को जलाया गया। उनके घरों पर जाकर बच्चों को मारा गया इसका मतलब जो द्वेष और जातिगत भावनाएं, उनके अन्दर जो गुस्सा था आपस में वह कई दिनों से पनपा हुआ था और उसका पता सरकार को भी होना चाहिए।

आपस में जो मनमुटाव या झगड़ा था, क्या वहां की पुलिस को पता नहीं था कि यह आपस में इनका झगड़ा है ? उस झगड़े की रिपोर्ट पुलिस के थानेदार ने या तो एस.पी. को दी नहीं और अगर एस. पी. एवं कलक्टर को दी तो निश्चित तौर से इसके अन्दर सारे जिले का प्रशासन इस बात में शामिल है, सिर्फ एक थानेदार नहीं। क्योंकि यह जो बात है, सुबह चार बजे चली, साढ़े चार घण्टे, छह घण्टे तक आदमी इकट्ठे हुए लोगों ने हथियार इकट्ठे किये, उनके पास बन्दूकें, राइफल्स और डाइनामाइट भी थे। मैं यह कहता हूं कि दोनों तरफ से इस बात की पुष्टि हुई है। सरकार ने भी मौन रहकर इस बात की पुष्टि की है कि उनके पास डाइनामाइट थे। इससे बड़ी गम्भीर क्या बात हो सकती है कि एक हमला करने भीड़ जाये और उसके पास डाइनामाइट हो ? यह डाइनामाइट किसने सप्लाई किये, यह डाइनामाइट उनके पास कहां से आये, किन लोगों ने दिये, किस तरह से दिये और पुलिस किस तरह से मौन रही ? थानेदार ने किस तरह से उसकी रिपोर्ट नहीं की ? यह ऐसी गम्भीर घटना है कि हमारे यहां जो जातियों का आपस का संघर्ष या आपस में जो सम्प्रदाय में भावना बिगड़ रही है उसको निश्चित तौर से सरकार या तो मौन होकर देख रही है या उसमें किसी न किसी रूप में अपरोक्ष रूप में शामिल है। मैं एक बात आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि इस घटना के अन्दर मुझे सबसे बड़ा अफसोस इस बात का है कि उस घटना के बाद कुछ वहां के स्थानीय नेताओं ने, कुछ पार्टियों ने और कुछ लोगों

(श्री हेतराम बेनीवाल)

मैं समझता हूँ कि यह बेइज्जती है उस परिवार की और हमको खुद को भी महसूस होना चाहिए कि यह हम उसको जो देने जा रहे है, यह मदद नहीं, उसका मजाक है। इसलिए अगर हमको इस मामले में मुआवजा देना है तो मुआवजा इस रूप में दिया जाय कि वह परिवार पूरी तरह से संभल सके, जिन परिवारों में इस तरह का नुकसान हुआ है।

मैं एक अर्ज करूं आपसे, एक कत्ल तो ऐसा हुआ है जिसका डाइरेक्टली इस थानेदार से सम्बन्ध है क्योंकि थानेदार के एक कंजर ने थप्पड़ मारा था। असली घटना यह है कि एक कंजर, यह भी मैं मानता हूँ कि उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका चोरियों में हाथ भी हो सकता है, चोरी कर भी सकते है और उनका पुलिस से झगड़ा भी है क्योंकि बहुत दफा पुलिस भी करवाती है। जहां पुलिस किसी क्षेत्र में रहे, चोरी बन्द हो जाय तो पुलिस कुछ आदमी तैयार करती है कि चोरी करें। इसलिए हो सकता है कुछ ऐसे आदमी हों पर एक कंजर, जिसको सबसे पहले गोली से मारा गया उसने इस सब इन्सपेक्टर को पुलिस के थाने के अन्दर थप्पड़ मारा था और पब्लिक के सामने उसकी बेइज्जती की थी। उस नवजवान से बदला लेने की उस थानेदार के मन में थी और मौके का फायदा उठाकर थानेदार ने सबसे पहले उसको खड़ा किया उस निहत्थी भीड़ में और उसको खड़ा करते ही गोली मार दी गई। इसका मतलब थानेदार ने खुद ने गोली मारी है, एक तरह से इन्स्टीगेट किया है। उसको सस्पेण्ड करना, उसको लाइन भेजना, उसको तो सिवाय जेल भेजने के कोई जगह हो ही नहीं सकती, जो उसका काम है। इस तरह से मैं समझता हूं कि यह जो घटना राजस्थान में हुई है, निश्चित तौर से मेरे कांग्रेसी भाइयों ने कहा है कि आजादी के इतिहास के बाद सबसे बड़ी घटना है, शायद अंग्रेजों ने भी राजस्थान में तो ऐसी कोई घटना की नहीं। राजाओं ने जरूर की थी, राजाओं ने इस तरह जरूर किया था कि पचास-पचास, साठ-साठ को......

श्री देवीसिंह भाटी : संगरिया में बारह किस तरह मर गये थे ?

श्री हेतराम बेनीवाल : दस-दस, बारह-बारह राजाओं ने मारे थे, संगरिया में भी गोली चली.....

श्री देवीसिंह भाटी : सन् 1970 में।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं आपसे यह कह रहा हूँ, कसर इन्होंने भी नहीं छोड़ी थी पर हम कहां पहुंच गये हैं, वह गलत है। यह निश्चित तौर से मैं महसूस करता हूं कि किसी भी ऐसी सरकार को, जो अपने आपको जिम्मेदार समझती है और जनता की भावनाओं से जुड़े रहना चाहती है, महसूस करना चाहिए और सम्पतरामजी की उस बात को मैं दाद देता हूं कि उन्होंने कैबिनेट में रहते हुए यह स्टेटमेंट दिया है, इसके लिए तो मैं उनको मुबारकबाद देऊंगा, धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हिम्मत दिखाई और यह परम्परा मुख्य मंत्रीजी भी कायम रखेंगे कि आज हाऊस के अन्दर वह

(श्री हेतराम बेनीवाल)

सच्चाई पूरी की पूरी आये और इस मामले में ऐसी सजा मिले, इस बात की परवाह न करे कि पुलिस का मोरल गिरता है, नहीं गिरता है ऐसे लोगों का निश्चित ही मोरल गिरना चाहिए। जिन लोगों ने यह घटनाएं की है उन लोगों का मोरल गिरना चाहिए और सबसे बड़ी बात हमारे प्रदेश में जो जातिगत सद्भावना है उसको कायम रखने की है, वह कायम रखने की हमको कोशिश करनी चाहिए जिससे कि आइन्दा इस तरह की घटना नहीं घटे और हमारा जो वर्ग है, विशेष तौर से हरिजन, गरीब समुदाय, उनके दिमाग में निश्चित तौर से यह चीज पैदा हो रही है कि आज की सरकार जिस तरह के कदम उठा रही है उन कदमों से वह भयभीत है, उन कदमों से वह परेशान है। सरकार में बैठे हुए लोगों को पता लगता कि उनकी क्या स्थिति है। जब तक कोई सरकार में रहता है निश्चित तौर से जनता के बारे में महसूस नहीं करता, सरकार से बाहर निकलते ही जनता पूरी याद आती है। मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि आज राजस्थान का जो गरीब है, हरिजन है, पिछड़ा हुआ है, ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई धन्धा-रोजगार नहीं है वह यह महसूस कर रहे हैं कि सरकार पता नहीं उसके साथ क्या करे? अभी आपकी सिर्फ बातें ही बातें हैं, तो आज यह जो घटना हुई है इसमें निश्चित तौर से इस सरकार को चाहिए कि ऐसा रुख अपनाये जिससे राजस्थान की गरीब जनता को, लोगों को, उन पिछड़ी जाति के लोगों को महसूस हो कि यह सरकार उनके पक्ष में है, उनके साथ है या उनके साथ न्याय कर सकती है। मुझे यही कुछ कहना है।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री पहाड़ियाजी।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया (कठूमर) : माननीय अध्यक्षजी, जैसा आप जानते हैं कि मैं सदन की कार्यवाही में बहुत कम ही हिस्सा ले पाता हूँ और जब खास तौर से पिछड़े वर्ग पर, अनुसूचित जाति, जनजाति पर अत्याचार की बात होती है तो मैं उस वर्ग का होते हुए भी अपने आपको शांत रखता हूं क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि यह जिम्मेदारी केवल उस वर्ग से आने वाले लोगों की नहीं है। आप सभी लोग, जो इस वर्ग के नहीं हैं उस वर्ग के हितों की रक्षा करने की कोशिश करते हैं और जब दूसरे वर्ग के लोग अन्य वर्ग के लोगों की रक्षा करने की कोशिश करते हैं, ऐसे मौके पर उस वर्ग के लोग, जिन पर अत्याचार हुआ है वह चुप रहें तो ज्यादा अच्छा रहता है। इससे समाज में एक सौहार्द्र का वातावरण बनता है और वह समस्या एक वर्ग विशेष की बनकर नहीं रह जाती है। लेकिन आज कुछ मुद्दा उससे थोड़ा सा गम्भीर और है, उस गम्भीरता में, अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं बीच में खड़ा होकर, मेरी आदत के खिलाफ मैं खड़ा हुआ था आपको याद दिलाने के लिए एक तो नियमों में आपने शायद खुद कहा था आपातकालीन लगा देना, आपने उसका पालन किया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। लेकिन इसके अलावा एक बात और है यह घटना शिड्यूल्ड कास्ट पर हुई, हरिजन वर्ग पर हुई या अन्य किसी जाति पर जिसका

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

तक और रहेंगे लेकिन ऐसी घटना जैसा मैंने कहा एक तो जरायमपेशा जाति, जिसको शिक्षा नहीं मिली, इसलिए मैं आपके माध्यम से आज मुख्यमंत्रीजी को खास तौर से कहना चाहूंगा इसकी गम्भीरता को देखें पुलिस ने खड़े होकर ही इस काम को नहीं कराया, साजिश में पुलिस शामिल है। योजना बनायी गयी, गांव वालों को इकट्ठा किया गया और बाकायदा किस तरह से समय तय करके, चन्द गुण्डे लोग, सारे गांव को दोषी नहीं मान रहा हूँ, सारे गांव को दोष नहीं दे रहा हूँ अगर कोई देगा तो मैं नहीं मानूंगा क्योंकि सारा गांव गुण्डा नहीं हो सकता है, सारी जाति गुण्डा नहीं हो सकती है। चन्द गुण्डे, चन्द व्यक्ति होंगे, किसी जाति वाले हो सकते हैं, जैसा माथुर साहब ने कहा उस बात की पुष्टि जरूरी रूप से करना चाहूँगा। एफ. आई. आर. जरूर दर्ज कर दी, उसमें कुछ नाम अनुसूचित जाति के डाल दिये और कुछ दूसरों के डाल दिये याने मामले को ऐसा बनाया जाय कि कुछ सबूत न मिल जाये और ऐसा मामला बन जाये कि सारा गांव, सारा इलाका उसमें परेशान था और परेशान क्यों था? कह दिया जाये वह चोरी करते थे, डकैती करते थे या और कुछ पेशा करते थे जिसकी चर्चा करना मैं उचित नहीं समझता हूं। मैंने आपसे पहले ही कह दिया हो सकता है कि ऐसे संस्कार लोगों के रहे हों, वर्ग के रहे हों। अध्यक्ष महोदय, इसको गम्भीरता से लेना पड़ेगा कि क्यों अपराध हुए?

दूसरा निवेदन किया कि इससे ज्यादा गम्भीर बात यह हुई कि पुलिस जिसको रक्षक कहते हैं वही अगर भक्षक बन जाये। न केवल भक्षक बन जाये बाकायदा योजना बनाये कि फलां फलां व्यक्ति ने मेरा अपमान किया था इसलिए उस व्यक्ति को हमको पहले समाप्त करना है। ऐसा अगर अध्यक्ष महोदय हो गया तो फिर इस पुलिस को रखने की क्या आवश्यकता है? गांव में रहने वाले चोर, डकैत सब फ्री हो जायेंगे। पूरा समाज, सारा देश, दुनिया नहीं चल पायेगी। इसलिए इसकी दूसरी गम्भीरता यह भी है कि पुलिस ने खुद साजिश रचकर, योजना बनाकर गांव के गुण्डों को आगे करके उनको मरवाया है। अब क्या होना चाहिए मैंने जैसा निवेदन किया एक तो यह करना पड़ेगा कि कंजर, सांसी जातियां हैं जिनका आज तक ज्यादा विकास नहीं हो पाया है। आज मेरे ख्याल से आवश्यकता इस बात की होगी, हम सब की जिम्मेदारी है कि उनके विकास की योजना खास तौर से बनायी जाय। मैंने कहा सब की योजना बननी चाहिए, हरिजनों के लिए, आदिवासियों के लिए, कंजरों के लिए खास तौर से बननी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस मौके पर विषयान्तर होकर कोई राजनीति की बात नहीं करना चहता हूँ या मैं अपने व्यक्तित्व को आगे लाने के लिए विचार नहीं प्रकट करना चाहता हूं। मैं जानता हूँ जब भी इस तरह के आर्थिक अपराध होंगे किसी जाति का व्यक्ति हो, किसी धर्म का व्यक्ति हो अगर गरीब है तो उसकी मदद करनी चाहिए और उसमें कभी कभी आरक्षण के मामले पर मैं साफ कहना चाहता हूं कि मैं

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

प्रतिनिधित्व सरकार में हो या सरकार के बाहर राजनैतिक पार्टी में बड़ा नेता हो, अगर होता तो मैं आज भी आपको खड़ा होने की तकलीफ नहीं देता। लेकिन शिड्यूल्ड कास्ट के अन्दर भी एक ऐसी जाति जिसको कंजर नाम से जाना जाता है। कंजर जाति अनुसूचित जाति की सूची में जरूर जानी जाती है लेकिन मेरे ख्याल से यह एक घूमन्तु जाति हैं और जैसा हम पारम्परिक ढंग से मानते आये हैं, उसको हम एक आपराधिक जाति की संज्ञा देते हैं, जरायमपेशा की देते हैं। अध्यक्ष महोदय, यह मानी हुई बात है, इसको छिपाने की बात नहीं है। इस कारण गांव से बाहर उनको रखा जाता है गांव से बाहर रखा जाता है तो सभ्यता की किरणें उन तक नहीं पहुंच पाती हैं, शिक्षा नहीं पहुंच पाती है जब शिक्षा, सभ्यता नहीं पहुंच पायी तो संस्कार बन नहीं पाये तो जो संस्कार चले आते थे, वह रहे, तो शायद उनका थोड़ा बहुत अंश रह जाता होगा।

हमारी कोशिश रहती है, मैं विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, सब की कोशिश है कि इस तरह के जो तबके है, वर्ग हैं, जातियां है, व्यक्ति हैं, उन सब को उठाया जाय, कोशिश की गयी होगी लेकिन ऐसा है कि जिन जातियों में जागरूक व्यक्ति पैदा हो गये या जिनकी संख्या ज्यादा थी, जिनसे हम को वोट का सरोकार था उनकी तरफ तो हमारा ध्यान ज्यादा चला गया। हम सब का, मैं इसमें अपने आपको शामिल करता हूँ लेकिन यह कुछ ऐसे वर्ग और व्यक्ति रह गये जिनकी संख्या भी कम, पेशा भी जरायम, एक जगह रह भी नहीं सकते, बच्चों को पढ़ा भी नहीं सकते शायद वोटर लिस्ट में उनका नाम भी नहीं है, ऐसे व्यक्तियों की तरफ हमारा ध्यान नहीं गया। मैं किसी एक जाति को, धर्म को, किसी एक को दोषी नहीं मान रहा हूं। मैं अपने आपको शामिल कर रहा हूं। इसलिए आज मेरे मन में आया कि अगर इस बात पर चुप रहूंगा तो अपने आपको इस बात में शामिल होना मानूंगा अगर दोष को देखकर ध्यान नहीं दिलाता हूं।

इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि केवल हरिजनों पर होने वाले अत्याचारों की बात कहकर ही बात को नहीं टाला जाय, जैसा उनका इतिहास था वह जरायमपेशा जाति है। जिसको शिक्षा नहीं मिली, जिसको जमीन नहीं मिली, जिसको रहने को घर नहीं मिला, जो संस्कार बनने की बात करते आये हैं, शायद नहीं बन पाये हैं। ऐसे मौके पर हमारा कर्तव्य है कि इस घटना को ऐसे ही न छोड़ दें। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि मेहरबानी करके इसको एक विषय बना लें जिससे आगे चलकर उनके विकास की बात हम सोच सकें। कुछ व्यक्ति मारे गये जिनकी चर्चा हमारे माननीय विपक्ष के नेता महोदय, हमारे जोशीजी, हमारे माननीय माथुर साहब, ने, माननीय हेतरामजी ने की और बाकी करेंगे इसलिए मैं घटना के विस्तार में जाने में समय नहीं लेना चाहूंगा। मैं केवल कुछ बातों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। यह अत्याचार जो आज हो रहे हैं, हालांकि नये नहीं हैं, होते आये हैं और शायद कुछ समय

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

खुद विचार करता हूँ कि ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिनको आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, इन जातियों में भी ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिनको आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। मैं उन सब मुद्दों पर सब विचार प्रकट करूंगा जब इसका मौका आयेगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज इस बात की आवश्वकता पड़ गयी कि इसके पीछे कारण क्या हैं? कारण दो बताये गये। एक आर्थिक कारण तो बताया गया लेकिन आर्थिक कारण के बारे में जैसा माथुर साहब ने कहा जिन पर अत्याचार हुए, जिनको मारा गया है वह कोई बहुत गरीब व्यक्ति नहीं थे, गरीब तो थे लेकिन बहुत गरीब व्यक्ति नहीं थे क्योंकि गांव वालों के साथ उनका लेन देन का भी काम था और दूसरी बात बतायी गयी कि यह भूमिहीन भी नहीं थे, उनके पास एक या दो बीघा नहीं बल्कि तीन सौ बीघा जमीन थी सब को बाकायदा सरकार ने पट्टे देकर काबिज किया और जमीन जो दी जाती है ऐसा कहा जाता है, मैं भी कहता हूँ कि, जमीन उबड़ खाबड़ दी जाती है, गांव से दूर दी जाती है लेकिन बाकायदा यहां पर बांध बनने वाला है डोराई बांध। उस बांध से इस जमीन में सिंचाई होने वाली है और यह जमीन उपजाऊ हो जायेगी। यह सब कारण हमें इस बात की ओर ले जाते हैं कि यह कोई उत्तेजनात्मक रूप से अचानक हुआ काम नहीं है। इसका मतलब है इसके पीछे आर्थिक इतिहास है, इसके पीछे सामाजिक इतिहास है, इसमें राजनीति की बात नहीं करूंगा, वोट किस ने किस को दिया उसको माथुर साहब ने कह दिया था मैं उसका समर्थन करता हूँ मैं उसमें नही जाना चाहूंगा लेकिन निश्चित रूप से आर्थिक और सामाजिक कारण थे यही बात हमारे माननीय मंत्री महोदय सम्पतरामजी ने कही और मैं उनको बधाई देना चाहूंगा कि मेरे जैसे लोग कई बार चुप रह जाते हैं सरकार में रहते हुए भी लेकिन खुलासा उन्होंने जो देखा और महसूस किया उसको कहा। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि वह केवल उनके विचार नहीं हैं वह प्रतिनिधि है हमारे। यह सवाल केवल हरिजनों पर अत्याचार का नही है, यह सवाल सिर्फ जरायमपेशा जाति पर अत्याचार का नहीं है, यह सवाल केवल आर्थिक भी नहीं है, यह सवाल तो मानवता का सवाल पैदा हो गया है। अगर इसी तरह से पुलिस के संरक्षण में योजनाबद्ध तरीके से उन सब लोगों को जो कि अपराधी माने जाते रहे हैं, इसका मतलब अपराधी को समाप्त करना है पर अपराध को समाप्त करना चाहिए अपराधी को नहीं अगर कोई है तो न कि अपराधी को समाप्त करना चाहिए अगर अपराधी को समाप्त कर देंगे तो अध्यक्ष महोदय, हम में से कौन-कौन क्या-क्या अपराध करता है, सब को अपना हृदय टटोलना पड़ेगा। कौन किस तरह का अपराध करता है, सब अपराध करते हैं तो मेरे ख्याल से कोई बचेगा नहीं। इसलिए कोशिश अपराधी को नहीं अपराध को खत्म करने की होनी चाहिए।

मैं बहुत विषयान्तर में न जाकर इतना ही कहना चाहूँगा कि एक तो कंजरों को सांसियों को विकसित करना होगा दूसरा मैंने आपसे निवेदन किया हमें धीरे-

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

धीरे पुलिस को शायद आज सिखाने की आवश्यकता पड़ गयी है कि अपराध को रोकने के साथ-साथ अपराध के पीछे कारण क्या है ? शायद पुलिस की कोर्स में इस बात को शामिल करना पड़ेगा और इसके साथ-साथ हमको इस बात पर भी आना पड़ेगा कि वीकर सेक्शन का वीक, वीक केवल धन के हिसाब से नहीं चाहे जाति के हिसाब से संस्कार के हिसाब से शिक्षा के हिसाब से किसी प्रकार से वीक है उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए और इसके साथ साथ एक बात और कहना चाहूंगा वह यह कि शायद अब मौका आ गया है कि जो अलग अलग बस्तियां बसायीं खास तौर से अपराधिक जातियों की उनको और नजदीक लायें हो सकता है कि कुछ परेशानियां हों, होती है, बहुत कठिन काम है लेकिन इस काम को कोई न कोई तो करेगा। कुछ काम पिछली सरकारों ने किये होंगे कुछ काम आप करेंगे तो समय धीरे धीरे आयेगा कि समाज एक बन जायेगा। तब जातियों में, धर्मो में, वर्गों में समाज नहीं बंटेगा। अपराधी व्यक्ति होता है, जाति नहीं। हमने सारी कंजर जाति को अपराधी मान लिया है। ऐसी परम्परा चली आ रही है, उसको मानते आये हैं लेकिन आगे ऐसा नहीं चले इस बात की व्यवस्था हमको करनी पड़ेगी कि अब क्या हो। सबसे पहले तो यह कर्तव्य हो जाता है हमारे जो मारे गये व्यक्ति हैं। एक हैं, दो हैं, नौ हैं, अभी अखबार में आया कि दसवां व्यक्ति भी मारा गया। उन दस व्यक्तियों को या उनके परिवारों को पूरी-पूरी सहायता मिले। सहायता की रकम मांगना मेरे ख्याल से बहुत मुनासिब नहीं होगा। मैं कहना चाहूंगा मुख्यमंत्रीजी को जो उनका नुकसान हुआ वो तो हो उसके बाद आगे उनकी कैसे रक्षा होगी, रक्षा का प्रबन्ध हो। उसके साथ-साथ उनकी आमदनी के और क्या जरिये होंगे क्योंकि मान लो आपने 25,000, 50,000, 1,00,000 जो भी संख्या आप रखे उनको दे दी उसको खतम कर दिया वो बात तो नहीं आयेगी। इसके साथ-साथ आर्थिक सहायता भी हो, उनको मकान बनाकर भी दिये जायें। इसलिए पैसा तो आमदनी का जरिया है और मैं समझता हूँ कि उनमें से कुछ लोगों को नौकरी मिल जाये। जो नौकरी करने के सक्षम हों, कर सकते हों किसी रूप में भी चाहे क्लास फोर भी हो तो वह बात भी हमको साथ-साथ करनी चाहिये और केवल यह काम करने से काम नहीं चलेगा। जो अपराधी दूसरे हैं, गांव के गुण्डे हैं उनको जब तक आप कोई ऐसी सजा नहीं देंगे मैं मानता हूं कायदे कानून हैं सजा उसके हिसाब से दी जायेगी लेकिन अभी तक कई लोगों की गिरफ्तारियां हो गयीं और कई गिरफ्तारियां नहीं हुयीं। भावना ये पनप रही है मुख्यमंत्रीजी, माफ करना जो गरीब थे उनमें भी अपराधियों में भी मारने वालों में गरीब थे, पिछड़ीजाति के थे उनको तो गिरफ्तार कर लिया गया। जो सक्षम थे, जो बड़ी जाति के थे उनमें भी ये भावना पनप रही है श्रीमान्, उनको नहीं किया गया। ऐसा तो नहीं होना चाहिए जिन्होंने भी मारा, मारने में जो भी शामिल हैं चाहे वे हरिजन भी हों, उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिये और

(श्री जगन्नाथ पहाडिया)

इसके साथ-साथ मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा पुलिस जिसको मैंने कहा हमारी रक्षक है अगर वही भक्षक बन जाये तो बहुत मुश्किल बात हो जायेगी। इसलिए पुलिस के उन लोगों को जो उसमें शामिल हैं, चाहे वह योजनाओं में शामिल हैं या जिनको जानकारी भी है मुख्यमंत्री जी, आपको गम्भीरता के साथ इस बात का पता लगाना पड़ेगा कहीं मामला सिपाही और थानेदार तक न रह जाये, कहीं ऐसा न हो कि ऊपर के लोग उसमें शामिल हों। मैं नहीं कहता शामिल हैं, हो सकता है हों, हो सकता है नहीं हों। नहीं हों तो बहुत अच्छी बात है अगर हों तो इस बात की जांच हमको करनी चाहिये और जो मौके पर थानेदार, सिपाही जो भी उसमें शामिल थे। जिन्होंने मौके पर खड़े होकर इस वारदात को कराया, उनको तुरन्त गिरफ्तार किया जाये और गिरफ्तार करने से काम नहीं चलेगा। अध्यक्ष महोदय, शायद कभी कभी हमको एग्जाम्पलरी दण्ड भी देना पड़ेगा और ये दण्ड क्या हों ? मैं मानता हूँ सरकार नहीं दे सकती है, अदालत देगी। मुझे पता है इस बात का लेकिन इसको किस तरह से केस को बनाया जाये, दर्ज कराया जाये, उसको परस्यु किया जाये और एग्जाम्पलरी कोई दण्ड दिया जाये तो शायद आगे होने वाली घटनाओं में कमी आयेगी। मैं मानता हूं एकदम तो समाप्त नहीं होगी, धीरे-धीरे होगी लेकिन बहुत कुछ कमी आ सकती है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि इन पुलिस वालों को एग्जाम्पलरी कोई दण्ड दिया जाना चाहिये तभी समाज का सारा ढांचा धीरे-धीरे करके सुधरेगा। मैं आपसे बहुत अधिक न कहकर आशा करना चाहता हूँ मृतकों को पर्याप्त सहायता मिले। उनको केवल आर्थिक सहायता देकर न छोड़ दें, उनका कोई जरिया बने। पुलिस को गिरफ्तार करके कोई एग्जाम्पलरी दण्ड दिया जाये और साथ-साथ गांव में वातावरण बनाया जाये। अध्यक्ष महोदय, शायद यह अब आपका, हमारा सबका कर्तव्य है। एक सामाजिक चेतना का वातावरण हमको बनाना पड़ेगा। डाक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की शताब्दी इस साल हम मना रहे हैं इसके अन्दर बहुत सारी योजनाएं हैं। सरकार भी चला रही है, केन्द्रीय सरकार भी, यहां की सरकार भी शायद चलाये। हम लोग भी सब सोच रहे हैं उनके अन्दर मैं समझता हूँ कि हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि अब कोई न कोई प्रोग्राम सामाजिक चेतना का भी बनायें। आर्थिक चेतना का हमने बनाया है और बातें भी हम कर रहे हैं लेकिन साथ-साथ आर्थिक चेतना के साथ-साथ सामाजिक चेतना का भी कार्यक्रम चले जिसमें सब के सब लोग शामिल हों तो मैं समझता हूँ कि समाधान में आसनी होगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री विश्नोई जी (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : हमारी पार्टी के बहुत से सदस्यों ने प्रस्ताव दिया है।

श्री अध्यक्ष : जब आप थक जायें तब कह देना, मैं बन्द कर दूंगा।

(35)

श्री हेतराम बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, मण्डावरी की जो घटना है एक बहुत ही दुखद घटना है ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलोदी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस घटना में प्रशासन और असामाजिक तत्वों के मामले में जो तथ्य सामने आये हैं उनके अन्दर यूं तो लोग काफी संख्या में और काफी गांवों के लोग बताते हैं लेकिन मैं मानता हूँ कि पांच सौ लोग, छह सौ लोग होंगे इससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। 20-30 गांवों के आदमी होंगे इससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। तो अपनी समाज व्यवस्था जो है उसको समझते हुए यह समझिये कि 30 या 15 या 5 गांवों के लोगों को भी इस तरह से इकट्ठे होने का क्या कारण बना है ? इसमें कितना समय लगा । पुलिस में खुफिया विभाग है आज फलां एम.एल.ए. कहां गये हैं, किससे मिला है, कहां मीटिंग हुई है, गुप्त से गुप्त बातें भी आपका खुफिया विभाग मालूम कर लेता है तो इस तरह की स्थिति बनी है अपने समाज में अकस्मात् कोई लड़ाई हो जाये दो वर्गों में संघर्ष हो जाये, दो जातियों में संघर्ष हो जाये, कोई धार्मिक जुलूस निकल रहा हो उस मौके पर झगड़ा हो जाये तो एक और बात है लेकिन अपने गांव वाले आम तौर से शांतिप्रिय लोग हैं और काफी गांवों और सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठे हो जायें और इतना चुस्त पुलिस प्रशासन होते हुए, चुस्त के मायने वो यूं तो सुस्त हैं, चुस्त नहीं हैं लेकिन उनके पास वायरलैस सैट है, उनके पास गाड़ियां हैं, उनके पास शस्त्र हैं, उनके पास काफी संख्या में लोग हैं, उनकी कई तरह की ब्रान्चेज है फिर पुलिस अधिकारियों को चाहे डी. आई.जी., चाहे एस. पी. हो इस बात की सूचना क्यों नहीं मिली ? जब तक ये काण्ड हुआ ।

दूसरा सवाल यह है कि वर्ष भर में मुख्यमंत्री स्वयं भी जानते हैं, अपन जानते हैं कम से कम 10, 15 दफा पुलिस फायरिंग करती है और फायरिंग का बहाना होता है कि जब पुलिस को ये खतरा था कि हमारे हथियार छिन जायेंगे, ये थानों के ऊपर एक गैर कानूनी मजमा बना करके आ गये थे इसीलिए गोलियां चला दी वहां पर यह बात निर्विवाद सत्य है कि 10, 15 लोग पुलिस के थे । उनके पास गाड़ियां थीं, उनके पास वायरलैस सैट भी होगा, वहां पर सब-इन्स्पैक्टर स्तर का अधिकारी मौजूद था और सब-इन्स्पैक्टर के बारे में आप और हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि भारतीय प्रशासनिक सिस्टम का अगर सबसे सक्षम कोई व्यक्ति है तो वह भारत का थानेदार है । सब कुछ सर्व अधिकार उसके पास होते हुए, शस्त्र होते हुए और लोगों को 8, 10 को मार दिया, पचासों को घायल कर दिया, मकान को डाइनेमाइट से उड़ा दिया और उसके बाद में उसने कुछ भी किया । सवाल यह उठता है कि उसकी लापरवाही के लिए हम सस्पैण्ड कर देंगे, उसको सजा दिला देंगे इतना ही प्रश्न नहीं है । प्रश्न यह है कि आपका प्रशासन किस स्तर का है । इस तरह की परिस्थितियां हो जायें और फिर भी वो लोगों की हिफाजत नहीं कर सके, मुद्दे का सवाल यह है । मुद्दे का सवाल उनके खिलाफ कार्यवाही करने का नहीं है । पुलिस बल थोड़ा था । कानून से आप और

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

हम अच्छी तरह से परिचित हैं प्रयोग करने के लिए खास तौर से फायरिंग के लिए कितने आदमी होते हैं। आप और हम जानते हैं जहां दो सौ लाठीधारी होते हैं वहां पर दो या तीन लोग फायरिंग करने वाली पार्टी में होते हैं तो तीन से तो वहां पर ज्यादा थे और वो तो थानेदार था। किसी भी व्यक्ति को अपनी आत्मरक्षा में या किसी दूसरे की आत्मरक्षा में हमलावर को जान से मारने का अधिकार है यदि वह स्वयं को या उसके साथ के किसी व्यक्ति को ये आशंका हो जाये कि उसकी जान को खतरा है उसको संगीन चोट पहुंचायेंगे या उसकी हत्या हो जायेगी तो थानेदार नहीं दूसरा प्राइवेट व्यक्ति है वो भी अगले को मार सकता है या उसको संगीन चोट पहुंचा सकता है। लेकिन फिर भी पुलिस के थानेदार और पुलिस बल मौके पर होते हुए ये नहीं हुआ यह एक आश्चर्य की बात है।

तीसरी बात यह है कि आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि कुछ झगडे तो अकस्मात् हो जाया करते हैं धार्मिक कारणों से, जुलूस से, आपस में व्यक्ति कोई 4-5 लोग इधर के, 4-5 लोग उधर के हैं और कोई बात से झगड़ा हो गया और उसने उग्र रूप धारण कर लिया या साम्प्रदायिक दंगे का रूप धारण कर लिया वो बात तो आप छोड़ दीजिये लेकिन राजस्थान में अधिकतर जो कत्ल होते हैं वो इस तरह के दंगों में नहीं होते। तीन-तीन हरेक कत्ल के पीछे तीन-तीन, चार-चार साल का इतिहास होता है और पुलिस उस साजिश में शामिल होती है। गांवों के अन्दर दो धडे होते हैं। किसी को एक ने एक बार पीट दिया। पुलिस में शिकायत की। उसके खिलाफ में कोई कार्यवाही नहीं हुई। नतीजा यह होता है कि दूसरे वाले उसको जाकर पीटते हैं, वह फिर उसको पीटते हैं फिर किसी के गहरी चोट आ जाती है, फिर कत्ल हो जाता है तो प्रत्येक कत्ल के पीछे आप देखेंगे कि दो-दो, तीन-तीन, चार-चार साल का इतिहास होता है और पुलिस में दोनों तरह की दोनों पक्षों के लोगों की शिकायतें होती हैं फिर भी जान-बूझकर के पुलिस कार्यवाही नहीं करती और कार्यवाही नहीं करने का कारण ये भी होता है कि इस तरह के जो आपसे में मूंछ ऊँची-नीचे के या प्रतिष्ठा के झगड़े हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पुलिस के लिए एक आमदनी का स्रोत है तो इस प्रवृत्ति को आप लोग जब नहीं रोकेंगे, इस तरह की घटनाओं की आप गहराई में नहीं जायेंगे तब तक इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण हत्याएं होती हैं और भविष्य में भी होती रहेंगी।

तीसरा बड़ा प्रश्न यह है कि हमारा काफी सुदृढ़ प्रशासन है, बड़े-बड़े आई. ए. एस.आई.पी.एस. और आल इण्डिया सर्विस के दूसरे अधिकारी हैं। बात यह है कि इन सब लोगों का जनता से सीधा कोई सम्पर्क नहीं है। किसी कलक्टर या एस. पी. को यह मालूम नहीं कि उनके अधिकार क्षेत्र के जिले में कौनसी जाति कौनसी बिरादरी, उनकी क्या सामाजिक स्थिति है, क्या आर्थिक स्थिति है किस तरह के लोग हैं, इसकी उनको जानकारी नहीं हैं, वे सिर्फ हवा में ही बात करते हैं।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

विदेशी होते हुए अंग्रेजी की मैं इस बात के लिए तारीफ करूंगा और कुछ नाम भी गिनाए जा सकते हैं जिन्होंने जिस जिले के अन्दर के रह रहे हैं वहां को जाति, बिरादरी, उनकी आमदनी का क्या जरिया है इनके किस तरह के विचार हैं, ये कैसा सोचते हैं, कैसे विचारते हैं, क्या प्रवृत्तियां इनमें काम करती हैं, इन सबका लेखा-जोखा रखते थे। लेकिन आज देखेंगे कि हमारे प्रशासन के चाहे कलक्टर हों, चाहे एस. पी. हों बिल्कुल पूरी तरह से अनभिज्ञ हैं। मैं आपको बता दूं कई जातियां जिनकी आबादी 5-5 लाख है राजस्थान में और उनका आज भी गजेटेड अधिकारी नहीं है इस राज के अन्दर। रेबारी जाति, आप और हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। मुख्य मंत्री जी को एक-एक बात ध्यान में है। कोई उनका आर. ए, एस., आर. पी. एस. का, आई. ए. एस., आई. पी. एस. डाक्टर, इंजीनियर कोई भी हैं? उनमें से कितने लोग हैं जो पुलिस बल में है? ठीक है शिड्यूल कास्ट, शिड्यूल ट्राइब उसमें भी क्या है, कुछ पिछड़ी जातियां हैं उनको लाभ मिला है और क्योंकि एक को देखते हैं लाभ होते हुए तो दूसरे उसी समाज के आगे आ जाते हैं पढ़ाई-लिखाई होती है। बीसों ऐसी जातियां हैं जिनका अपना कोई गजेटेड अफसर नहीं है। सांसी इसमें ले सकते हैं, कंजरों को ले सकते हैं, अपने ये भांड होते हैं इनको ले सकते हैं, नटों को ले सकते हैं, कालबेलियों को ले सकते हैं। उनका पटवारी और कांस्टेबल तक नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सांसी तो है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : सांसी यहां पर कलक्टर कोई नहीं है, यू. पी. का है, मुझे ध्यान है, है, लेकिन नहीं है। और पचासों जातियां है, याददाश्त नहीं रही.... नट हैं, कई जातियां हैं और उनको + + + कांस्टेबल में भी कोई नहीं लेता। कहने का मेरा आशय यह है कि हमारा जो प्रशासन है यह कागजी प्रशासन है, रात में जाकर सर्किट हाउस में ठहरते हैं, जनता के नजदीक हैं नहीं इसलिए अफसरों को खास तौर से, पुलिस अधीक्षकों को यह मालूम नहीं रहता कि किस तरह की प्रवृत्तियां कहां चल रही हैं, कहां कितने झगड़े हो रहे हैं, झगड़ों के कारण क्या हैं, इस सब गहराई के अन्दर वह जाते नहीं हैं और आपके खुफिया विभाग, इन्टेलीजेंस विभाग और फलां-फलां ये सब क्या कर रहे थे जबकि इस तरह का वातावरण बना कि इतने लोग इतने गांवों के इकट्ठे हो गए और इस तरह की संगीन वारदात हुई। तो मेरा नम्र निवेदन है कि इस घटना के बारे में तो आप जो कुछ कार्यवाही करनी है करेंगे, उनको मुआवजा भी ढंग से दिया जाना चाहिए। जिन्होंने यह अपराध किया है उनको सजा मिलनी चाहिए लेकिन मेरा नम्र निवेदन है कि हमारे जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं चाहे किसी विभाग के हों उनको स्थानीय स्थिति का ज्ञान होना चाहिए, कौन लोग बसते हैं, क्या-क्या उनकी परम्पराएं हैं किस मनोवृत्ति से वह अपने आपको चालित करते हैं, उनकी क्या

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

विचारधारा है, कौन किस स्तर से जी रहे हैं यह जब तक हम नहीं करेंगे तब तक होगा नहीं और पुलिस के अन्दर यह जो प्रवृत्ति घर कर गई है कि यह आमदनी का जरिया है, यह अपराधी है यह आमदनी में इस तरह से काम में आ सकता है। ये दो धड़े हैं जिनका आपस में झगड़ा है तो इससे हम किस तरह से लाभ उठा सकते हैं। इस तरह की साजिश सामने आये उन पुलिस अधिकारियों को आपको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए यही मेरा इस मामले में निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सुरेन्द्र व्यास।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : अध्यक्ष महोदय, दो चीज महत्वपूर्ण है। घटना अपने आपमें घटी पर एक तो राज्य सरकार की तरफ से यह प्रचारित करवाया गया और यह प्रकाशित करवाया गया कि ये जरायम पेशा लोग थे, इससे गांव वाले नाराज हो गए। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा बड़ा अन्याय नहीं हो सकता है कि यह उनका चरित्र हनन था, एक तो उनके साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया, उनको मार दिया गया। ऐसे कोई फैक्ट्स नहीं है कि गांव के अन्दर कोई चोरी के मुकदमें दर्ज हुए। 4 महीने से सत्तारूढ़ है यह सरकार। 4 महिने में कितने मुकदमे दर्ज हुए और कितने मुकदमों में क्या कार्यवाही हुई और उन मुकदमों में कार्यवाही नहीं हुई तो उनके लिए जिम्मेदार कौन है ? अध्यक्ष महोदय, उनके लिए भी जिम्मेदार यही सरकार है और यही शासन है। सबसे पहली बात तो इस प्रकार का प्रचार इस सरकार के माध्यम से करवाया गया है वह बहुत निर्दयतापूर्ण है।

दूसरा अध्यक्ष महोदय, एफ. आई. आर. थाने में दर्ज करवाई, वह जब सरकारी जवाब आयेगा तब मालूम पड़ेगा। उसमें पुलिस कार्यवाही में क्या लिखा है, कौनसे सैक्शन्स में केस रजिस्टर किया है पर मोटी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 161 के बयान तो उसी वक्त होते हैं कलमबन्द। हमारे शिवचरण जी और कल्ला जी वहां जाकर आए थे, टेपरिकार्डर के अन्दर स्टेटमेंट लेकर आए हैं। निश्चित रूप से थानेदार ने खुद भी उनके शस्त्र इकट्ठे करवाए तो यहां कांसप्रेंसी क्लीयर है सब इतना क्लीयरेंस है तो उसी वक्त उनको गिरफ्तार करना चाहिए था। आज 3 दिन से सस्पेंशन आफ पुलिस लाइन की बात चल रही है। 302 के मुकदमें में कत्ल के मुकदमें में 120 (बी) लगा करके उनको अरेस्ट नहीं करें, साधारण मुजरिम को आप अरेस्ट करते हैं और उनको अरेस्ट नहीं करें इससे बड़ा कोई जनतंत्र में अपराध नहीं हो सकता और अध्यक्ष महोदय यह आप निश्चित रूप से मान लें कि यह समस्या साधारण पुलिस की तफ्तीश से निपटने वाली नहीं है। यह बहुत गम्भीर मामला है वहां पर यह एलीगेशन प्राइमाफेसी ही था कोमनसेंस की अपील करते हैं कोई चोरी-चोरी से भीड़ इकट्ठी होने वाली नहीं है। लेकिन कांग्रेस राज के अन्दर जब जमीनें अलाट की गयी उनकी जमीनों के अन्दर उनका लालच होगा। लोग तो आज इस बात को जानते हैं, अध्यक्ष महोदय, इस सदन के सब सम्मान-

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

नीय सदस्य जानते हैं शिड्यूल कास्ट का कोटा होता है, उसका अलाटमेंट किया जाता है, अलाटमेंट के ऊपर काबिज नहीं होने दिया जाता । इसमें एक वर्ग का दिमाग साफ नहीं हुआ और वह मूल कारण इसके अन्दर हो सकता है तो यह एक राजनैतिक कारण बन गया और विशेषकर अध्यक्ष महोदय जब इस प्रकार के एलीगेशन लगाये हैं कि चुनाव के वक्त इस प्रकार के वायदे किये गये और पुलिस प्रशासन उसमें शामिल है और फिर डी. आई. जी. लेविल का अफसर रील निकाल ले, फोटो नहीं खींचने देवे । तो अध्यक्ष महोदय, स्थानीय पुलिस से कोई भी यह अपेक्षा नहीं कर सकता है कि ईमानदारी से तफ्तीश हो सकती है । आज भी मैं आपको बताता हूं अध्यक्ष महोदय, इस सदन के अन्दर बैठ करके 23 तारीख और 26 तारीख में 3 दिन की डिले होती है और क्रिमीनल लॉ के अन्दर एक दिन की डिले भी फेटल होती है । 161 के बयान उसी रोज पंचनामा बना होगा लाशों का, उसी रोज होना चाहिए था । उसी वक्त एफ. आई. आर. के अन्दर राउण्ड अप करना चाहिए था थानेदार को । इसलिए सी. बी. आई. से इन्क्वायरी करानी चाहिए यह निश्चित रूप से सही बात है और राजनैतिक ज्यूडिशियल इन्क्वायरी तो आप करायेंगे ही । जहां से आपकी सत्ताधारी पार्टी के एम.एल.एज. इन्वोल्ड हैं जिसमें खुद थानेदार से कांसपाइरेसी की है इस प्रकार के एलीगेशन्स हैं । तो मेरा सुझाव है अध्यक्ष महोदय, यहां हाउस की कमेटी बनानी चाहिए क्योंकि वह ही निष्पक्ष जांच कर सकती है और कम से कम राजनैतिक आधार पर यह घटना घटी है, अगर राजनैतिक कांसपाइरेसी है तो उसका पता हाउस कमेटी लगा सकती हैं और अध्यक्ष महोदय सबसे बड़ी बात यह है कि यहां बैठे हुए कई माननीय सदस्य इस बात को समझते हैं, अधिकांश समझते हैं कि इतने बड़े क्राउड के अन्दर क्या एवीडेंस आयेगी। सभी माननीय सदस्यों ने कहा कि कठोर से कठोर दण्ड दिलवाया जाय । दण्ड देना तो अपने हाथ में नहीं है यह तो कानूनन कोर्ट में जायेगा और कोर्ट में एविडेन्स चाहिये । आज इस बड़ी घटना के लिये मोरल रेस्पोन्सिबिलिटी कौन होल्ड कर रहा है ? इस बड़ी घटना के लिये आप अल्टिमेटली क्या करना चाहते हैं ? इस बड़ी घटना के लिये ज्यादा से ज्यादा एक थानेदार को आपने लाइन हाजिर कर दिया, जब ज्यादा चिल्लाये तो आपने उसको सस्पेण्ड कर दिया और आज यहां पर गर्मागर्म बहस हुई है तो आप उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लेंगे, एस्केप कर देंगे मगर 12 सिपाहियों और थानेदार जो मौजूद थे उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिये, डी. आई. जी. के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिये जो वहां पर मौजूद था, जिसने फोटो नहीं लेने दी और कम से कम मोरल रेस्पोन्सिबिलिटी तो होल्ड करे । मुख्य मंत्रीजी कायदे से जिस प्रकार आपका अनाउन्समैण्ट रहा है आपको इस्तीफा देना चाहिये और अगर आपको अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं तो विजय सिंह जी झाला से इस्तीफा दिलवा दें वे उसी डिस्ट्रिक्ट के हैं । बड़े आदमी की कुर्सी बचाना चाहते हैं तो किसी न किसी को, नेता के साथ कई वफादार आदमी

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

होते हैं । मैं यह बात कोई मजाक के अन्दर अर्ज नहीं कर रहा हूँ, अध्यक्ष महोदय, यह गम्भीर बात है । इस राष्ट्र के अन्दर बड़ी-बड़ी घटनायें हुई हैं और हमेशा मोरल रेस्पौन्सिबिलिटी होल्ड की है और लोग गये हैं । लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मोरल रेस्पौन्सिबिलिटी की बात करने से कोई लाभ होने वाला नहीं है । क्योंकि स्वयं देश के प्रधान मंत्री, विश्वनाथ प्रतापसिंह जी की कान्स्टिट्यूएन्सी में क्या हुआ ? वहां पर मर्डर हो गया, उसकी औरत के साथ रेप हो गया, उसके आदमी को जिन्दा जला दिया गया फिर बाद में प्राइम मिनिस्टर वहां गये और उन्होंने कह दिया कि नहीं साहब रेप तो नहीं हुआ ? उसके साथ रेप नहीं हुआ, जिन्दा तो जला दिया ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुंझुनू) : अमेठी में क्या हुआ था ?

श्री अध्यक्ष : मैं आपका ध्यान इस बात के लिये आकर्षित कर रहा हूँ कि एडजोर्नमैण्ट मोशन का जो विषय है उसके विषय दो नहीं होते हैं इसका आप ध्यान रखें ।....नहीं, नहीं, उसका ध्यान रखें । बाकी रेफरैन्स दें, मुझे आपत्ति नहीं है ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं अध्यक्ष महोदय, सिर्फ यही निवेदन करना चाहता हूँ कि यह शायद प्रेरणा वहीं से प्राप्त हुई है और सरकार का रवैया यह है कि अब कोई सबूत और किसी चीज की जरूरत नहीं है क्योंकि माननीय सम्पतरामजी अभी खड़े हुये हैं वे जिम्मेदार मंत्रिमण्डल के सदस्य हैं वे उसका स्पष्टीकरण देंगे लेकिन नवभारत टाइम्स में जो उन्होंने साक्षात्कार दिया है वह छपा है अनौपचारिक रूप से और माननीय शिवचरण जी ने जो कहा है उस विषय में निवेदन करना चाहता हूं, लेकिन नवभारत टाइम्स में जो साक्षात्कार दिया है उससे तो वह इन्कार नहीं कर सकते । वह स्वयं इस बात को मानते हैं जॉयंट रेस्पॉन्सिबिलिटी पार्लियामैण्ट्री डेमोक्रेसी के अन्दर...नहीं, अध्यक्ष महोदय, बड़ी अहम बात है कि आप...

श्री अध्यक्ष : इसमें तो वही निवेदन करेंगे, वही बतायेंगे ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, नहीं । निर्णय नहीं करेंगे, अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय का वक्तव्य आने के बाद यह पूरे प्रदेश की प्रॉपर्टी हो गयी यह आप नहीं कह सकते हैं ।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : प्रदेश की नहीं पूरे देश की ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : राजस्थान के मंत्री हैं, राजस्थान की बात कर रहा हूं । पूरे देश की मान लीजिये और भी उचित है । अध्यक्ष महोदय, आपके मंत्री कह रहे हैं और आप कार्यवाही नहीं करना चाहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ । यह इस तरह से नहीं, सी. बी. आई. से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिये, हाउस की कमेटी बननी चाहिये जो इसकी जांच कर सके और तत्काल मुख्य मंत्री जी को अपने पद से त्याग-पत्र

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

देना चाहिये और अपने आप स्पष्टीकरण देना चाहिये। हम यह समझते हैं, अध्यक्ष महोदय, कि 23 तारीख के बाद आज 26 तारीख तक 3 रोज निकल चुके हैं। आज उस पृष्ठभूमि में जाकर कुछ कार्यवाही सरकार ने की है, स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। जो सीधी कार्यवाही की है आप उस विषय से अवगत करवायें और जो कार्यवाही नहीं की है उसकी लेप्स की जिम्मेदार मोरल (रेस्पोन्सिबिलिटी) होल्ड करके इस्तीफा दें।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री सम्पतराम जी। (व्यवधान) मैं बन्द नहीं कर रहा हूं। आप सुन लें पहले एक मिनिट। विराजें। आप बैठें प्लीज सिट डाउन। (व्यवधान) मेरी बात सुनिये। मैं डिबेट बन्द नहीं कर रहा हूँ।...अब आप कुछ मेरी सुनेंगे। आसन पैरों पर है। मेरी बात सुनिये पहले। (व्यवधान)

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली) : अध्यक्ष महोदय, अगर भैरोंसिंहजी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया हो और माननीय सम्पतरामजी को अधिकृत कर दिया है।....

श्री अध्यक्ष : एक मिनिट मैं क्या कहने के लिये खड़ा हुआ हूं मेरी बात सुन लीजिये। नियमों के अन्तर्गत इस डिबेट का टाइम दो घण्टे है। मेरी बात आप सुन नहीं रहे हैं। दो घण्टे बहस चलती है तो आटोमैटिकली टर्मिनेट हो जाती है यह आपके रूल्स हैं...आप पहले सुन तो लीजिये मुझे हर बात के लिये इजाजत लेनी पड़ेगी? मेरी बात आप सुनना ही नहीं चाहते हैं। आप पहले मेरी बात सुन लीजिये। (व्यवधान) मैं खड़ा हुआ हूं इतनी गरिमा तो रखिये। जब मैं खड़ा हुआ हूँ....

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) : माननीय अध्यक्ष जी, आप बिलकुल ठीक कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : तो मेरी बात पहले सुन लीजिये। दो घण्टे का समय होने जा रहा है। अभी 10 मिनट बाकी है। इसलिये सुन लीजिये मैंने बीच में माननीय सम्पत रामजी को बोलने के लिये कहा है। आप बिराजें। आपकी जान बिलकुल सकुशल है।

श्री राजेन्द्र पारीक : 9 आदमियों की कोई गारन्टी नहीं तो मेरी क्या गारन्टी है?

श्री अध्यक्ष : किसी को गारन्टी नहीं है। इसलिये दो घण्टे में 10 मिनिट का समय है आप उनको बोल लेने दीजिये। यदि हाउस चाहेगा तो आप सबको मौका दूंगा। फिर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप मेरी बात सुन लीजिये। कृपया अब आप बिराजें। मैं बोलने का मौका दे रहा हूं। मैं रोक कहां रहा हूँ। मुझे नियमों की अपनी जो फोर्मेलिटीज हैं उनको पूरी करनी पड़ेगी वह मैं कर रहा हूं। इसलिये आप बिराजें। मैंने डिबेट बन्द नहीं की है। I have not losed the debate. The debate is still going on so Please be take the seats...(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : आप विराजें।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष जी, बिजनेस के रूल 56 में इस प्रकार का प्रावधान है कि अगर माननीय अध्यक्ष महोदय, सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो वह क्वेश्चन को पुट-अप करेंगे और उस पर जो कुछ भी डिबेट होगी वह दो घण्टे के लिये होगी। जैसा कि समय का आप ध्यान रख रहे थे 2 घण्टे में 10 मिनट का समय बाकी है मगर यह जघन्य अपराध है, जघन्य काण्ड हुआ जिसका सम्बन्ध होम अफेयर्स मिनिस्ट्री से है। मिनिस्टर इन्चार्ज स्वयं मुख्य मंत्रीजी हैं और जब मुख्य मंत्रीजी हैं तो दूसरे मंत्री 10 मिनट की आप कह रहे हैं। समय हो रहा है सरकार की तरफ से वह स्टेटमैण्ट कैसे दे रहे हैं? अगर स्टेटमैण्ट देना है तो केवल मुख्य मंत्रीजी को देना चाहिये दूसरे अन्य मंत्री नहीं, क्योंकि वह होम अफेयर्स डिपार्टमैण्ट के प्रभारी हैं।

श्री अध्यक्ष : मैंने डिबेट क्लोज नहीं की है और चूंकि कोई भी मंत्री डिबेट को इन्टरविन कर सकता है, इस कानून को भी आप जानते होंगे। उन्होंने मुझे लिख कर भेजा है वह बोलना चाहते हैं। He wants to intervene. Let him intervene. माननीय श्री सम्पतराम जी।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है....

श्री अध्यक्ष : अब मैंने व्यवस्था दे दी है।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, आपकी बिलकुल ही ऊपर कृपा नहीं है, आपकी हमेशा मेरे ऊपर कृपा रही है...

श्री अध्यक्ष : बहुत कृपा है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आज तो मैं आपकी कृपा से वंचित हूँ। मेरा निवेदन है कि, श्रीमन् हमारे सदस्यों ने काफी बड़ी तादाद में एडजोर्नमैण्ट मोशन पर साइन किये हैं और आपको प्रस्तुत किया है। मेरा आपसे निवेदन है कि हम लोगों को पहले उस पर मौका दे दें अपनी बात कहने का और उसके बाद जो भी मंत्रीगण बोलना चाहें, बोलें। सम्माननीय मुख्य मंत्रीजी बोलें हमें ऐतराज नहीं है, लेकिन हमारी बात तो सुन लें पहले उसके बाद बहुत अच्छा उत्तर सरकार की तरफ से आयेगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप कृपा कर हमारी बात सुन लें उसके बाद यह बेहतर रहेगा।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। मैं नहीं समझता हूँ कि माननीय सम्पतराम जी सरकार की तरफ से बोल रहे हैं। आप बार-बार उनको धन्यवाद दे रहे हैं, उनका नाम ले रहे हैं इसलिये उनको बोलने का अवसर दे रहा हूँ ताकि वह अपनी बात स्पष्ट कर सकें उसके बाद में सही बात आ सके और बोलने वाले समझकर बोल सकें।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, देखिए मैं इस बारे में बड़ा नम्र निवेदन कर रहा हूं कि आपने...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य जो बोलना चाहें, संख्या तय कर लीजिए। वह

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

जितना बोलना चाहें बोलने की अनुमति दे देजिए उसके बाद में सम्पतराम जी बोल लेंगे कोई आपत्ति नहीं है इनना ही निवेदन करना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष : संख्या तय कर लीजिए कि कितने बोलेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुन लीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं कि सब बोलें यह आज जरूरी समझते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन विषय शिवचरण जी माथुर ने रख दिया, पहाड़िया जी ने रख दिया, पूनमचन्द जी विश्नोई ने रख दिया विषय वही हूँ। इस विषय पर यदि आप चिन्तित हैं मैं समझता हूँ कि सरकार भी कुछ आपके सामने अपनी बातें रखेगी। उसके बाद में इस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है उसके ऊपर सरकार अपना निर्णय देगी। आपने अपना पक्ष रख दिया इसमें...

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : नहीं रखा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं रखा तो आप तो गये नहीं थे, गये थे तो बोली लेओ। लेकिन ध्यान रखना कि शिवचरण जी का कोन्ट्राडिक्शन नहीं हो जाये मुझे कोई आपत्ति नहीं हैं। जो गये हैं वह बोल लें। आपके बोलने के अधिकार को सत्ता पक्ष किसी प्रकार से कुण्ठित करना नहीं चाहता। लेकिन ध्यान रखें कि वह बातें रिपीट नहीं हो। नई बातें हों तो आप रखिये और उसके बाद हम जवाब देंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : ध्यान रखेंगे कि रिपीटीशन नहीं हों।

श्री अध्यक्ष : 21 सदस्यों ने वक्तव्य दिये हैं। मैक्जिमम एक सदस्य कितना समय लेगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : 10 मिनिट लेंगे।

श्री अध्यक्ष : 10 मिनिट से ज्यादा समय नहीं लेंगे।

श्री रामकरण सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, यह हाउस की प्रोपर्टी है इस पर हमको भी बोलने का अधिकार है।

श्री अध्यक्ष : ...और लोगों के भी नाम मेरे पास है। आपके अलावा और लोग भी इस पर बोलना चाहते है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : हमें बोलने की इजाजत दी जाये। इस घटना से केवल माननीय सदस्यों को ही तकलीफ और आघात पहुंचा हो, हमको भी इस घटना से तकलीफ हुई है। हम भी बोलना चाहते हैं हमको भी समय दिया जाये इस बारे में।

श्री अध्यक्ष : कल्ला साहब आप बोलना शुरू करें 10 मिनिट बोल लें।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, 23 जून का दिन राजस्थान के इतिहास में काले अक्षरों से लिखा जायेगा। उस दिन मण्डावरी गांव में सुबह चार बजे...

श्रीमती उजला अरोड़ा : काले अक्षरों से तो 26 जून का दिन लिखा जायेगा क्योंकि 26 जून को......

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, 23 जून को सुबह मंडावरी गांव के पास कोई 30 गांव के लोग इकट्ठे नहीं हुए 12 गाँव आस-पास के जो है वहां कुछ लोग इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर उन्होंने चार बजे से लेकर कंजरों के डेरों को घेरना शुरू किया। 8 बजे तक वहां की पुलिस जो केवल पांच सात कि.मी. की दूरी पर थी...(व्यवधान)...जितना अधिक आप व्यवधान करेंगे उतना तीखा बोलूंगा। अध्यक्ष महोदय, चार घन्टे तक वहां की पुलिस सोई रही और कम्युनिकेशन बेगूं थाने के साथ नहीं किया गया कि गांव के लोगों को घेरा हुआ है। गांव के लोगों के पास निश्चित रूप से अपने-अपने हथियार होते हैं। हथियार उनके पास थे। आठ बजे भंवरलालजी थानेदार वहां पर पहुंचते हैं दो जीपों में सवार होकर। 12 पुलिस के जवान उनके साथ होते हैं। 10 के पास बन्दूकें और दो के पास डंडे थे और उन्होंने सबसे पहले आकर कहा कंजरों कि आप हथियार डाल दीजिए। हम लोग यहां पहुंच गये हैं आपको कोई खतरा नहीं है और उसके बाद उन निहत्थे लोगों को ऐसे स्थान पर ले जाया गया जहां कोई छोटा सा कंकर भी मौजूद नहीं था और पुलिस की मौजूदगी में सबसे पहले थानेदार ने कहा इसमें से सत्या कौन है उसको लेकर आओ इसने मेरे साथ थाने में बदतमीजी की है और उसको गोली मरवायी और चुन-चुन कर देखते ही देखते आठ लोगों को वहां पर मौत के घाट उतार दिये गये। एक व्यक्ति ने अस्पताल जाते वक्त दम तोड़ दिया। वहां कंजरों का डेरा मरघट सा बन गया। लगभग 45 आदमी घायल हुए उसमें आज भी 6 आदमी असाधारण तौर पर घायल है और उदयपुर के अस्पताल में जीवन और मौत के साथ वह श्वांस ले रहे हैं। 39 आदमी बेगूं के अस्पताल बेगूं और धर्मशाला में सड़ रहे हैं। इसी तरीके से अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूँ कि स्वयं झाला साहब वहां पधारे, सिंचाई मंत्री को 24 तारीख पता लगा कि केवल तीन आदमी मरे आपने प्रेस के सामने यह बात कही है। सारी प्रेस ने बताया कि झाला साहब ने कहा कि तीन आदमी मरे यह बहुत दुखद है, इस अखबार में लिखा है मैं कापी सदन की मेज पर रखता हूँ। एक बजे जिलाधीश को सूचना होती है कि मण्डावरी गांव में इस प्रकार का हादसा हो गया। 8 बजे 8 आदमी मारे गये। कलक्टर को एक बजे सूचना होती है मैं जानना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्रीजी क्या पुलिस के पास वायरलैस सैट नहीं था। दोनों पक्ष जब आमने सामने खड़े थे पुलिस ने केवल कंजर भाइयों के हथियार क्यों डलवाये, दूसरे लोगों के हथियार क्यों नहीं रखवाये ? जब झगड़ा शुरू हो गया और पुलिस के कहने पर झगडा शुरू हुआ उस समय पुलिस ने स्थिति को देखते हुए गोली क्यों नहीं चलवाई, इतने हवाई फायर किये और अब तक कितने लोगों के पास बन्दूकें, कितने भाले और कितने सरिये और कौन-कौन से हथियार बरामद किये यह बहुत बिडम्बना की बात हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहता हूँ कि राजस्थान की आजादी के बाद के इतिहास में ऐसी कलंकित घटना

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

कोई नहीं हुई। अगर पुलिस की मौजूदगी में एक पक्ष के लोगों के हथियार डलवाये और खुले आम दूसरे पक्ष के साथ पुलिस के लोगों ने मिलकर जो खून करवाये हैं वही व्यक्ति 25 आदमियों के नाम पर एफ. आई. आर. लॉज करवा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ, माननीय मुख्य मंत्रीजी सी. पी. सी. की धारा 161 के अन्तर्गत कितने लोगों के कलमबद्ध बयान लिए? जो टेप सदन की मेज पर रख रहे हैं उसमें, लोगों ने बताया मैं सूची दे रहा हूँ कि इन लोगों ने मर्डर किये हैं, लोगों को नुकसान पहुंचाया है, चोटें पहुंचाई हैं। गौतम धाकड़, कालिया धाकड़, मूंडा धाकड़, रामा धाकड़, चुन्नीलाल, किशना, कूका, भंवरलाल, श्यामलाल, कालू, नाना, सोमचन्द, नारायणराम, मांगीराम, नयां गांव के लोग हैं। इसी तरह चम्पा कुम्हार, शिवचन्द कुम्हार, धनीलाल, लाला धाकड़, पुजारी घीसा और मण्डावरी गांव के हैं, चुन्नीलाल, देवीलाल, घासीराम, घीसा, भूरालाल, भोमा, घीसा, ओंकार, मांगीलाल, हजारी फीता, प्यारा, काना, रूपा, लाई खाती, बाबूलाल खाती, नाना चूड़ावत, माधो दरोगा। यह अनेक नाम कंजर भाइयों ने कल बताये जिन्होंने खुले आम लोगों को लूटा, उत्पात किया। वहां डायनामाइट से दो-दो मंजिल के मकान उड़ा दिये। उनके खाने के बर्तन तोड़ दिये। वहां पर जब हम पहुंचे माननीय मुख्य मंत्रीजी हमसे दो घण्टे पूर्व वहां जाकर आये थे। यह खुद इस बात के साक्षी हैं कि आज भी लपटें और धुंआ उठ रहा है और उनका खाने को अनाज गेहूँ जलता हुआ हमने देखा। वहां पर लोगों के पास पीने के पानी के गिलास नहीं केवल मात्र एक टंकी वहां पर जरूर मौजूद थी। खुले आसमान के नीचे लोग धूप में तप रहे थे। उनका कोई समुचित प्रबन्ध अभी तक नहीं हो पाया था। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से, यह जानना चाहता हूँ कि अब तक पुलिस ने उस थानेदार की एफ. आई. आर. जो लॉज हुई है उसके आधार पर लोगों को गिरफ्तार किया है या पुलिस ने स्वयं अपने इन्वेस्टीगेशन के आधार पर कितने लोगों को गिरफ्तार किया है, कौन-कौन से हथियार बरामद किये हैं? जो लोग मृत्यु के शिकार हुए हैं उनकी कॉज ऑफ डेथ क्या रही है? कितने लोगों को गोलियां लगी, कितने लोगों को बल्लम से मारा गया और कितने लोग डायनामाइट का विस्फोट हुआ उसमें मारे गये? इन सबकी सूची आप पढ़कर सुनायें। इसके साथ-साथ आपको जानकर, अध्यक्ष महोदय, ताज्जुब होगा कि जिन लोगों को घायल किया गया है, शंकर भीमा 12 वर्ष का, केकड़ा वल्द तारिया 14 वर्ष का, रुकमण भीमा तीन वर्ष का बच्चा, भीमा पुत्र नीमा 15 वर्ष का, इन्द्रा दस वर्ष की, और इसी तरीके से अवणिया चार वर्ष का, नारायण 6 वर्ष का, उदयलाल 17 वर्ष का, तीन-तीन, चार-चार वर्ष के दुध मुंहे बच्चों को इस दर्दनाक तरीके से मारा है मैं समझता हूँ कि कल भैरोंसिहजी वहां पधारे थे उनका भी हृदय यदि वह संवेदनशील हैं तो द्रवीभूत जरूर हुआ होगा और हम सब विधान सभा के सदस्यों का सिर शर्म से नीचे झुक जाना चाहिए कि

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

आजादी के 42-43 वर्ष बाद भी इस प्रकार के शर्मनाक अत्याचार राजस्थान की धरती पर होते हैं। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने यह कहा कि लोग वहां पर कुछ लोगों से पीड़ित थे। ऐसा मैं नहीं मानता। रोहिड़ा कंजर जिनकी उम्र 60 वर्ष की थी उसका तीन लाख रुपया धाकड़ परिवारों को उधार दिया हुआ था उसकी बारह किलो चांदी दस तोला सोना गुम हुआ उसका जिम्मेदार कौन है। तीन सौ बीघा का रकबा उनके पास है। दोराई बांध आने वाला है। कांग्रेस की हुकूमत ने जिन अनुसूचित जाति के बन्जारों को बसाया था, भूमिहीन लोगों को जमीनें वितरित की थी। उनकी जमीन को हड़पने के लिए और जिनका पैसा बकाया था उनका पैसा चुकता नहीं करने के लिए यह निर्मम हत्याकाण्ड और आतंक का वातावरण पैदा किया गया। इसी तरीके से अध्यक्ष महोदय आपको भी जानकर बहुत दुख होगा शांतिया की बेवा जिसका 15 दिन का बच्चा उसकी गोद में था उसने फूट-फूट कर यह कहा कि मेरे पति को मारा गया, मेरे देवर को मारा गया और उसका ससुर अर्जुनिया आज भी उदयपुर की अस्पताल में सख्त घायल और बीमार है और उसका उपचार चल रहा है। ऐसा गम्भीर हादसा जो चित्तौड़ पद्मिनी के जौहर से, देश की आजादी के आन्दोलन से, और कुरबानियों के लिए प्रसिद्ध था, वह आज आतंक, भय, प्रताड़ना और शोषण का शिकार बना हुआ है। ऐसी स्थिति में मैं आपके माध्यम से कुछ चन्द सवालात माननीय गृहमंत्रीजी, मुख्यमंत्रीजी से करना चाहता हूं। अब तक कई लोग यहां गुम हो गये हैं। एक बंगा नाम का लड़का, जो रुकमा का लड़का है सात वर्ष का अभी भी गुम है। ऐसे कितने लोग गुम हैं जो पुलिस की नजर में आये। मोटे तौर पर अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग पन्द्रह लाख से अधिक सम्पत्ति का नुकसान हुआ। सरकारी आंकडे यह बता रहे हैं कि शायद नौ, पौने नौ लाख रुपये का नुकसान हुआ है। और उनका सोना, जेवरात, बर्तन, मकान जो तोड़े गये हैं, उसके भुगतान का आंकलन करना भी बहुत जरूरी है। दूसरी बात, जो 196 आदमी पुलिस को कंजर भाइयों ने नामजद करके दिये हैं उनमें से आपने कितने लोगों को अब तक गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार लोगों के पास से कौन-कौन से हथियार बरामद किये हैं। मैं यह भी जानना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इस घटना के पीछे मूल कारण क्या है। 12 मार्च, 1990 को जब चुनाव वगैरहा हो गये थे, चुनाव सभायें हो रही थी तो वहां के लोग ऐसा बताते हैं कि स्थानीय विधायक ने यह कहा कि अब मैं जीत गया हूं ? मेरी पार्टी का राज आ गया है, तुम इन पिछड़ी जाति के लोगों को सलट लो मैं तुम्हारे साथ हूं और कोई भी इनका पैसा चुकता मत करना। कोई भी इनकी जमीन को हड़पेगा तो हम उनका साथ देंगे। और इसी तरीके....(व्यवधान).... यह अखबारों में आया है।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : क्या इस प्रकार की भाषा बोली जाती है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बोलने दीजिए।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं यह सारा अखबार सदन की मेज पर रखूंगा :

श्री अध्यक्ष : समाप्त करिये, आपका टाइम हो गया।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, लोगों ने यह भी बताया कि चामुंडा नाम के व्यक्ति को 12 मार्च को टेस्टिकल के ऊपर गम्भीर चोटें पहुंचाई और उसको शम्भूदयाल की मौजूदगी में लालू और शंकर नाम के व्यक्ति ने मारा। इसकी एफ.आई.आर. लॉज हुई और 23 तारीख से पहले-पहले उस रिपोर्ट के ऊपर एफ. आर. लगा दी उसी से उन लोगों का हाव खुला और इसी थानेदार ने जिसकी मौजूदगी में ये हत्याएं हुई, उसी थानेदार ने इस केस में एफ.आर. लगाई जिससे लोगों के हौसने बुलन्द हुए और उन्होंने अनुसूचित जाति के लोगों पर निश्चित रूप से ये सुनियोजित षड्यन्त्र करके क्रिमिनल कोंसपीइरेशी करके सुनियोजित तरीके से हमला बोलकर, मैं समझता हूं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री को और राजस्थान की सरकार को पशोपेश में डाल दिया। मैं कहता हूं कि मुख्यमंत्री जी स्वयं हृदय पर हाथ रखकर कहें कि स्थानीय विधायक ने जिसके बारे में यह खबरें छपी हैं क्या उसने आपको पशोपेश में नहीं डाला और उसका कोई हाथ नहीं है। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि यहां के स्थानीय सरपंच गणपत सिंह सोलंकी जो भारतीय जनता पार्टी की ब्लाक कमेटी का अध्यक्ष है उस व्यक्ति ने अपनी मौजूदगी में यह हमला करवाया और लोगों को घायल किया, क्या आपने उसको गिरफ्तार किया ? घीसालाल दोराई को क्या आपने गिरफ्तार किया ? रुकमा धकड़ को आपने गिरफ्तार किया, चुन्नी धाकड़ को क्या आपने गिरफ्तार किया ? और इसी तरीके से आप वहां पर गये और लोग कह रहे थे कि 5-5, ढाई-ढाई हजार रुपये वापस ले जाओ। हमारे खून का मजाक उड़ाया जा रहा है। सादुलशहर में बैंक डकैती हुई।

श्री अध्यक्ष : आप समाप्त करें।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं समाप्त कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : बीस मिनट ले चुके हैं आप।

श्री बुलाकीदास कल्ला : दस मिनट तो व्यवधान हो गया।

श्री अध्यक्ष : कोई व्यवधान नहीं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : बिल्कुल नये फेक्ट्स दिये हैं अध्यक्ष महोदय, आपके सामने।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करिये आप। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, बहस समाप्त कर रहा हूं। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, 49 मकान टूटे। 9 आदमी मरे, 45 आदमी घायल हुए। यह सरकार मान रही है। उसके बाद 82,500 का

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

मुआवजा, मैं समझता हूं बहुत कम है। सादुलशहर की जो बैंक डकैती हुई थी उसमें मरने वालों को एक लाख रुपये का मुआवजा दिया गया था, उनका माल का नुकसान नहीं हुआ, इधर तो जान और माल दोनों का नुकसान हुआ। इसलिए जो मुआवजा दिया गया है वह बहुत कम है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सादुलशहर की जिस समय आपको सूचना मिली उस समय कितने रुपये देने की घोषणा की थी।

श्री बुलाकीदास कल्ला : जैसे ही मुख्य मंत्रीजी गये और घोषणा कर दी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सरकार ने कितने रुपये की घोषणा की थी। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : कोई घेराव नहीं हुआ।....(व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : मुख्य मंत्री को चारों तरफ से घेर लिया था।

श्री शिवचरण माथुर : आते ही पहली घोषणा मैंने एक लाख रुपये की की।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पहली घोषणा आपने पांच हजार रुपये की थी। (व्यवधान) सरकार की तरफ से पहली घोषणा पांच हजार रुपये की हुई। आप फिर सादुलशहर गये, आपका घेराव हुआ और घेराव में आपने एक लाख रुपये की घोषणा की।

श्री शिवचरण माथुर : कोई घेराव नहीं हुआ.. (व्यवधान)....गलत बात है।

श्री हेतराम बेनीवाल : मुख्य मंत्री जी का घेराव हुआ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शान्ति से बैठें, इनको समाप्त करने दीजिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से,...

श्री अध्यक्ष : आप जल्दी समाप्त करिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह जानना चाहता हूँ कि उनको मुआवजे की उचित राशि दी जावे और प्रशासन यदि थोड़ा भी संवेदनशील है तो इस बात की जांच की जाय कि बड़े अधिकारियों को क्या वायरलैस से चार बजे से आठ बजे के बीच में सूचना हुई या नहीं हुई। और तो पुलिस के बड़े अधिकारी वहां पर मौके पर क्यों नहीं पहुंचे। क्या वह पहुंचे? थानाधिकारी स्वयं इस मर्डर केस में सम्मिलित है, डकैती में सम्मिलित है। उसके खिलाफ, थाने के अन्य अधिकारियों के खिलाफ और पुलिस के अन्य अधिकारियों के खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की? इस मामले की सी. बी. आई. से जांच करायी जाय। हाउस की कमेटी बनाकर इस सारे मामले की जांच कर रिपोर्ट सदन के पटल पर रखा जाय। नहीं तो यह राजस्थान की जनता अनुसूचित जाति के लोगों के ऊपर

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करेगी। इस अत्याचार के खिलाफ हम सबको मिलकर कोई भी आन्दोलन करना पड़े तो हम आन्दोलन करेंगे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री देवेन्द्र सिंह।

श्री देवेन्द्र सिंह (बनेड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस घटना का यहां पर जिक्र किया गया है उसके बारे में जो कुछ मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा, उसको मैं दोहराना नहीं चाहता। पर मैं भी वहां गया था। मैं इस घटना के बाद सरकार का क्या दायित्व हो जाता है, इस पर कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। जैसा यहां पर कहा गया, सरकार की तरफ से तीन माननीय मंत्री वहां गये और कल माननीय मंत्री जी स्वयं वहां पधारे। मैं समझता हूँ कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने उन मंत्रियों को वहां इसलिए भेजा कि वह तत्काल वहां पर कुछ राहत दें ताकि जो कुछ घटना वहां घट गयी है उससे वहां अमन-चैन कायम होगा, शान्ति कायम होगी और जो लोग वहां पर पीड़ित हुए हैं उनको तत्काल सहायता दी जायेगी। तीन मंत्री वहां पर जो गये, उनमें से एक मंत्री का तो वहां पर कोई नाम नहीं लेता, जैसे वह कोई घूमने गये हों और वापस आ गये हों। कोई जानते ही नहीं। मावली से आते हैं वह मंत्रीजी। उनके लिए तो कोई कहता ही नहीं कि वह पहुंचे। पता नहीं, वह यहां क्यों गये, क्यों मुख्य मंत्री जी ने उनको भेजा। दूसरे सिंचाई मंत्री, मंत्री जी जो वहां पर गये वह उसी जिले का प्रतिनिधित्व करते है, सुबह चेतक से वहां पर पहुंचे। उन्होंने वहां पत्रकारों से, जैसा पत्रों में आया है, यह कहा कि तीन आदमी मर गये। जब उनको बताया गया कि तीन नहीं नौ आदमी मरे हैं तो वह कहते हैं, असमंजस में पड़ गये। वह स्वयं मौके पर गये। मौके पर जाने के बाद उन्होंने एक ही बात पर कही कि मैं सारी रिपोर्ट माननीय मुख्य मंत्री को दे दूंगा, तत्काल मैं कोई सहायता नहीं दे सकता। यह जो कुछ अखबारों में आया है मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ।

तीसरे मंत्री माननीय सम्पतराम जी वहां पर गये। पता नहीं वहां उनको कितनी पीड़ा थी। उसके बाद भी उन्होंने प्रेस में कहा कि जो कुछ मैं आपको कह रहा हूं आप छापना मत। जब प्रेस वालों ने हमको कहा कि उन्होंने सारी आफ दी रिकार्ड की बात कही है इसलिए हम छाप नहीं सकते। लेकिन मुझे प्रसन्नता है इस बात की, सम्भवतः इन्होंने यह देखा होगा कि चित्तौड़ की प्रेस लोकल है। लोकल प्रेस में यदि मैं अपनी बात कहूंगा तो शायद देश में यह बात नहीं पहुंच पायेगी। इसीलिए यह सोचकर इन्होंने यहां आकर राजस्थान प्रेस को ब्रीफ किया। जो कुछ राजस्थान की प्रेस में इन्होंने कहा, वह आपके सामने है। लेकिन उसके बाद वहां पर जाने के बाद इनके दल के ही जो कार्यकर्ता थे, कल हमको वहां मिले। वहां पर उन्होंने यह कहा कि हमारे मंत्रीजी आये, उन्होंने बहुत कठोर शब्दों में इस सारे काण्ड की निन्दा की। लेकिन उन्होंने एक बात कही कि मुझे मुख्य मंत्रीजी ने कोई अधिकार देकर नहीं भेजा इसलिए मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता।

(श्री देवेन्द्र सिंह)

और यह मंत्रीजी वहां से वापस आ गये।

उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी वहां पधारे। दो-तीन घण्टे तक इन्होंने जितनी झोंपड़ियां वहां पर जलीं, सारी देखीं, अलग-अलग ढाणियों में यह गये। यहां पर सम्भवतः आप लोग यह समझ रहे हैं अभी तक के भाषणों से कि यह घटना एक ही जगह घटी है। वास्तविकता यह है कि यह घटना तीन किलोमीटर के एरिया में घटी है। तीन किलोमीटर के एरिया में जहां भी कंजर जाति के मकान थे, एक भी मकान को उन्होंने सुरक्षित नहीं छोड़ा और तब तक पुलिस वहां पर देखती रही। आप इस से अन्दाजा लगा सकते हैं कि इस घटना की कितनी गम्भीरता है और कितने सुनियोजित ढंग से इस घटना को वहां पर घटित किया गया। पुलिस के एस. पी. जब चित्तौड से रवाना हुए, उनको यह मैसेज था कि दो आदमी मर गये। उन्होंने वहां के कलक्टर साहब को यह कहा कि दो आदमी वहां पर मर गये हैं इसलिए मैं मौके पर जा रहा हूं। कलक्टर साहब ने पूछा कि गम्भीर बात हो तो मैं भी चलूं? उन्होंने कहा, नहीं, यह पुलिस का ही मामला है, मैं जा रहा हूँ, अगर कोई गम्भीर बात होगी तो आपको बता दूंगा। एस. पी. वहां पहुंचे और पुलिस के अधिकारी वहां गये। कलक्टर साहब, जैसा हमको बताया गया, को एक बजे बाद वहां से सूचना मिली कि वहां पर दो आदमी नहीं नौ आदमियों की हत्याएं हुई हैं। कलक्टर साहब इस इम्प्रेशन में थे कि वहां पर आपस में कोई झगड़ा हुआ, कोई दो आदमी मर गये हैं। इस तरह का लेप्स पुलिस प्रशासन का है। मैं समझता हूं कि सुनियोजित ढंग से इस षड्यन्त्र में शामिल होने की वजह से पुलिस ने कलक्टर को अंधकार में रखा, सरकार को अन्धकार में रखा। वरना मैं समझता हूँ वहां पर जो कुछ घटना घटी यदि इसको गम्भीरता से शुरू में लिया जाता तो आज तक उसकी सारी व्यवस्था हो जाती। माननीय मुख्यमंत्रीजी आप स्वयं वहां पर कल गये है, आपने उन लोगों के हालात देखे हैं उनके पास खाना पकाने के लिए एक बर्तन नहीं है, आटा ओसने के लिए उनके पास एक तगारी नहीं है। हमने औरतों से पूछा आदमी तो कोई वहां पर है ही नहीं यह आटा सामान सरकार से लेकर रखा है और राशन दिया है इसको कैसे पकाते है? उन्होंने कहा कि यहां पर जो पट्टी है उस पर आटा ओसनते है। कहीं से लकड़ी इकट्ठी कर लेते हैं और यह बटियां सेक लेते हैं और नमक-मिर्च पीसकर रोटी खा लेते है, हमारे पास कोई साधन नहीं है। आपने स्वयं देखा है उनके सारे बर्तन टूटे हुए है, साइकिल जली हुई है और सारा सामान जड़स, बैल, नाव वगैराह सब जले हुए हैं। वहां पर इससे और ज्यादा क्या विडम्बना की बात हो सकेगी कि वहां मारे गये लोगों का अन्तिम संस्कार किया गया, मैं समझता हूँ कि आपने भी वहां पर देखा होगा कि उनके पास अन्तिम संस्कार करने के समय में भी एक बर्तन वहां पर मौजूद नहीं था। केलू पड़े हुए थे उससे धूप दी और यदि आप उस स्थान पर गये होगें तो आपने स्वयं देखा होगा। इस तरह की विडम्बना की बात और क्या हो सकती है? लेकिन उसके बाद भी माननीय मुख्यमंत्रीजी आप

(श्री देवेन्द्र सिंह)

चुप क्यों है ? आसन जिलेलाव का जो काण्ड हुआ था जब आप इधर बैठते थे, मुझे मालूम है आपने कितने शोर-शराबे से अध्यक्ष महोदय कहते हैं 2 घन्टे की बहस हो सकती है मैं समझता हूँ कि आप दिन भर बोलें लेकिन आपको मालूम होना चाहिए। जब वहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी वहां पर नहीं पहुंचे उसके पहले वहां पर जोधपुर के कमिश्नर, कलक्टर और सारे अधिकारी पहुंच कर उनको सामान बरतन, बिस्तर और जो कुछ सामान मुहैया होना चाहिए था माननीय मुख्यमंत्रीजी वहां पर नहीं पहुंचे थे उसके पहुंच चुका था।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं स्वयं गया था

श्री देवेन्द्र सिंह : वह बात ठीक है, माननीय मुख्यमंत्रीजी उसके दो दिन बाद गये थे। पर पहले पहुंच जाना चाहिए था वहां। यह ठीक है माननीय मुख्यमंत्रीजी वहां पर पहुंचे, उन्होंने यह आदेश दिया कि जितने मकान इन लोगों के खराब खण्डित हुए हैं, पी. डब्ल्यू. डी., चाहे कितनी भी कीमत लगे, इनको बनाकर देगी। मैं समझता हूँ कि आप वहां पर पहुंचे, आपको इस तरह का आदेश देना चाहिए था। कल हम वहां पर गये तो एक एल. आई. सी. का अफसर था जो गुलाबी पत्रों पर औरतों के दस्तखत करवा रहा था। हमने पूछा क्या कर रहे हो ? उन्होंने कहा हजार रुपये का झोंपड़ी बीमा है, उसके बीमे के पैसे दे रहे हैं। झोंपड़ी तो जली ही नहीं, किस को पैसे दे रहे हैं ? वहां पर सभी दो मंजिल के मकान बनाये गये थे और उसको आप एक हजार रुपये में पूरा करना चाहते हैं। कलक्टर साहब से हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि हम इस बात की चेष्टा कर रहे हैं 10 हजार की सहायता दी जाये। और आपने पांच हजार की बात कही वह घोषणा ठीक नहीं की। साधारणतया कलक्टर एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी होते हैं वह स्वयं ही एक लाख, पांच हजार की घोषणा कर देता है लेकिन जब माननीय मुख्यमंत्री जी जाते हैं वहां पर उनसे बहुत ज्यादा अपेक्षा की जाती है कि वास्तव में हमको सहायता दी जायेगी। मैं चित्तौड़ का ही एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। सीमेन्ट फैक्टरी में एक अकाउन्टेन्ट मारा गया था। एक माननीय मंत्रीजी वहां पर गये और उन्होंने सरकार से सहायता नहीं दिलवाई हो लेकिन वह व्यक्ति साधन सम्पन्न व्यक्ति था उसको फैक्टरी से एक लाख रुपये मुआवजे के दिलवाये और आज जो कंजर मारे गये उनकी कीमत क्या पांच हजार रुपये है जो पांच हजार दिलवाये ? माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप रिलाई कर सकते हैं, रिपोर्ट पर रिलाई कर सकते हैं ? तीन महीने पहले जिन अफसरों के लिए आप यह कहते थे कि अफसर निकम्मे हैं, ये जो सरकार को फीड करते हैं ये सारी बातें गलत हैं, लेकिन आपको यह पता नहीं था कि तीन महीने में ही आपको फेस करना पड़ेगा। जो होम कमिश्नर, डी. आई. जी. श्री भण्डारीजी माननीय श्री शिवचरणजी के यहां बगल में फाइल लेकर आते थे और ब्रीफ करते थे, वैसे ही आपको भी ब्रीफ कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप विवेक से काम लीजिए, अपना स्वयं का फैसला कीजिए और मैं निश्चित रूप से मानकर चलता हूँ कि ऐसे आपका विवेक

(श्री देवेन्द्र सिंह)

और हृदय परिवर्तन होगा। और यदि आप उन लोगों की सहायता नहीं कर सके तो आप पर एक बहुत बड़ा कलंक लगेगा।

अन्त में मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि आपको इस काण्ड की पृष्ठ-भूमि में जाना होगा। जैसा कि माननीय कल्लाजी ने कहा कि न तो आप इस्तीफा देगें और न झाला साहब इस्तीफा देगें। लेकिन मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि जब तक वहां के विधायक माननीय धाकड़ साहब रहेगें, झगड़े वहां समाप्त नहीं होगें। आपने स्वयं इस बात को महसूस किया है। लोगों ने कल हमको कहा है कि आपने कहा कि "माननीय चुन्नीलालजी, आपने क्या करवा दिया? विधानसभा के दो दिन पहले हमारी हालत खराब कर देगें आप।" यह बात आपके कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री जी से कही है। इसलिये अगर आप इस बात को समाप्त करना चाहते है तो चाहे आप इस्तीफा दें या नहीं दें, यह तो समय की बात रहेगी लेकिन उनको तुरन्त बरखास्त कीजिये आप यदि वहां पर वातावरण को ठीक करना चाहते हैं क्योंकि वहां पर एक वर्ग संघर्ष शुरू हो गया है। वहां पर इस जाति के लोग किसी भी स्थिति में और किसी भी कास्ट पर वहां पर शेडयूल्ड कास्टस और शेडयूल्य ट्राईब्ज के लोगों को नहीं रहने देगें...

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

कल वहां पर गये और लड़ करके आये और उन्होंने हमारे खिलाफ नारे लगाये और कहा कि आप क्या इनको बचाने आ गये हो यह तो बदमाश हैं, गुण्डे हैं इनको क्यों बचाना चाहते हो। जिनकी यह भावना वहां पर हो वह क्या तो शेड्यूल्ड कास्टस और शेड्यूल्ड ट्राईब्ज के लोगों को रहने देगें इस पर आपको विचार करना चाहिये और अन्त में मैं तो आपसे एक ही बात निवेदन करना चाहता हूं कि आप दो मिनट के लिये यह सोचिये कि आप इधर बैठें हैं और इधर बैठकर के उधर कांग्रेस सरकार से क्या अपेक्षा करते थे ऐसे काण्ड में, ठीक वहीं आपका कॉन्सीयस अलाऊ करे वह काम आप कीजिये। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्रीमती रमा पायलट।

श्रीमती रमा पायलट (हिण्डोली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझ से पहले वक्ताओं ने बहुत सारे हालात के दृश्य जो उन्होंने देखे जिनमें श्री माथुर साहब कल्ला जी देवेन्द्र सिंह जी यह वहां पर गये उन्होंने स्थिति का जायजा एक व्यक्ति से पूछकर नहीं लिया बल्कि वहां की जनता जो दुख से ग्रस्त थी और जो हाहाकार वहां मचा हुआ था उन सभी से हर तरह के व्यक्ति से उन्होंने पूछ करके सारा हवाला सदन के सामने रखा। सदन में जैसा मुख्यमंत्री जी ने पहले कहा कि किसी भी बात की दुबारा से बात यहां न रखी जाये मैं नहीं चाहती कि मैं उन दृश्यों को और उन वृतांतों से दुबारा से कहूँ जो शिवचरणजी माथुर ने रखे और जो हमारे माननीय सदस्य साहब ने सदन के सामने रखे। मैं कम से कम इतना अवश्य समझती हूं कि मुख्यमंत्री साहब एक मानव हैं और मानव जाति के

(श्रीमती रमा पायलट)

आधार पर उनके अन्दर भी भावनायें होंगी। मानव जाति को साक्षी रखकर उन्होंने जो वहां मानवों से बातें की होंगी, वहां का दृश्य देखा होगा और मैं नहीं समझती हूं कि हर व्यक्ति से बात की या जो अधिकारीगण से उन्हीं से बात की। लेकिन जब वह उस मौके पर पहुंचे हालांकि मौके के होने के बहुत बाद पहुंचे उससे पहले उनके यदि मैं दूत कहूं तो बुरा नहीं होगा, वह गये। उन्होंने वहां जो हालात देखें। उनको देखने के बाद एक मानवता के आधार पर यदि कोई मानव ऐसे दृश्य को देखता है जो सामने खून से लथपथ लाश पड़ी हों, पत्थर खून से रंगे हों, जमीन खून से लाल हुई हो, ऐसे हालातों को देखकर एक वह इन्सान जो पूरे प्रदेश के ऊपर आज राज चला रहा हैं, उनके हाथ में बहुत पावर है बहुत शक्ति है और वह जो चाहें उनको मदद दे सकते हैं, जो चाहें उनके लिये सुविधायें जुटा सकते हैं लेकिन मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उनको ऐसे हालात देखने के बाद भी उन्होंने मानवता से परे हटकर राजनैतिक तौर पर उनकी सुविधाओं का एलान किया न कि मानवता के तौर पर किया। मुझे उनसे ऐसी आशा थी, संवेदनशील का शब्द मुझे से पहले कई माननीय सदस्यों ने लिया। संवेदनशीलता होने के नाते मैं नहीं समझती कोई पत्थर दिल व्यक्ति भी ऐसे माहौल में जाकर और ऐसे वातावरण में जाकर के यह नहीं कह पायेगा और उसका दिल नहीं पिघलेगा जब वह देखेगा कि बहुत सी माताओं की गोद खाली हो गई, बहुत से बहिनों के भाइयों के सिर फूट गये. हाथ कट गये और उन बहिनों के जिनके मांग के सिंदूर 23 तारीख को पोंछ दिये गये और उन माताओं की 9 तारीख को जिनकी गोद खाली हो गई, और उन बहिनों की 23 तारीख जिनके भाई चल बसे को उनके आंसू पोंछने के लिये यदि आज सरकार के पास उनकी कीमत सिर्फ पांच हजार रुपया है तो मैं समझती हूं लानत है ऐसी सरकार पर क्योंकि यदि पांच हजार रुपये में कोई सीरियस बीमारी का व्यक्ति ईलाज कराने के लिये जाये तो पांच हजार रुपये में उसका आपरेशन करने के लिये आज कोई डाक्टर तैयार नहीं है। बड़े शर्म और दुख की बात है कि एक ऐसा इन्सान जिसने हर तरह की राजनीति भी देखी है और मानवता को जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझा है। मैं मुख्यमंत्री साहब से कम से कम ऐसी अपेक्षा नहीं करती थी कि वह वहां जाकर, जो राजनैतिक बातें हैं, वह उन्होंने वहां जाकर की, एक हजार रुपया और पांच रुपया। आज जबकि इस सरकार ने, पिछले साल जो मंहगाई का हिसाब किताब था उससे कहीं ज्यादा प्रतिशत आज मंहगाई है आज भी जो पिछले साल और उससे पिछले साल एक साधारण चोट लगने के बाद उसको मुआवजा दिया जाता था, ऐसी जघन्य अपराध और घटना और मैं जुल्म कहूं तो बुरा नहीं होगा, ऐसा जुल्म होने के बाद भी पांच हजार रुपये और एक हजार रुपये का मुआवजा देना यह बहुत दुःख और अफसोस की बात है। ऐसे-ऐसे वाक्यों और ऐसे दृष्टांत वहां से आपके सामने लिये गये। मेरे सामने एक पत्थर पड़ा है जो खून से

(श्रीमती रमा पायलट)

रंगा हुआ है एक कैसेट पड़ी है जिसमें वहां के जो मौजूदा वाकयात हुए उन लोगों की वाणी इसमें भरी हुई है और यह इतिहास रहेगा और रिकार्ड रहेगा। न यह पत्थर कहीं जायेगा और न यह कैसेट कहीं जायेगी। मुझे बहुत अफसोस है एक महिला होने के नाते किसी का दिल ऐसा नहीं पिघला कि उस महिला को जिसको हिन्दुस्तान देवी के समान समझता है, उस महिला को जिसको देवी के समान उसकी पूजा करते हैं और सम्मान की दृष्टि से देखते हैं उसको इज्जत की दृष्टि से देखते हैं आज उन महिलाओं के आंसू पोंछने के लिये उनकी कीमत पांच हजार रुपये रह गई। मुझे बहुत अफसोस और बड़ा दुःख है.... (व्यवधान) माननीय सदस्य, जो मैं कहना चाहता हूँ मेरे जजबात हैं और जो मेरी भावना है आप उसको सुनेगें, मेरा अधिकार है। शर्म की बात है कि इस दुख के अन्दर आप मखौल और मजाक उड़ाना चाहते हैं। बड़े दुख की बात है। वह बहिन और वह भाई आपके बहिन और भाई भी हैं क्योंकि आप भी एक हिन्दुस्तानी हैं। शर्म से सिर झुक जाना चाहिये हमको यह कहते हुए कि हम हिन्दुस्तानी होते हुए अगर उनकी मौत पर उनका खून सामने पड़ा है फिर भी हम उनकी मजाक उड़ाना चाहते हैं, हम तालिया पीट रहे हैं। हमारे लिये बहुत शर्म की बात है जो बहिनें जिनके भाई चले गये, वह आपकी भी कुछ लगती होंगीं इसमें जाति की कोई बात नहीं इसमें कंजर हो ब्राह्मण हो या पण्डित हो या शूद्र हो इसकी कोई बात नहीं है वह हिन्दुस्तान है और हिन्दुस्तानी वह पहले है और बाद में कुछ और है और यदि हिन्दुस्तान के किसी भी नागरिक के साथ इस तरह का कोई जघन्य अपराध होगा, और इस तरह की कोई बात हो गई तो हम सब का यह कर्तव्य हो जाता है चाहे वह सरकार में है चाहे सरकार में नहीं है लेकिन एक हिन्दुस्तानी होने के नाते उनका यह कर्तव्य बन जाता है कि हम उनके दुःख में शामिल हों और यदि उनके ऊपर कोई जुल्म हो रहा है या आघात हो रहा है तो हम उनकी रक्षा करें यह हमारा कर्तव्य हो जाता है और यह हिन्दुस्तान की संस्कृति है और हमको उस संस्कृति से बिल्कुल एक कदम भी इधर उधर नहीं रहना है बल्कि हमें अपने संस्कृति को याद करते हुए

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अपनी संस्कृति की रक्षा करते हुए, अपने हिन्दुस्तानी नागरिकों की रक्षा करते हुए इस सरकार का सबसे पहला कर्तव्य है कि अपने हिन्दुस्तानी भाइयों की बहिनों की और माताओं की सबसे पहले रक्षा करें और रक्षा का मतलब यह नहीं है कि आज यदि कोई व्यक्ति पद पर है और पद पर रहते हुए वहां जाकर यह बोले कि मैं वहां गया और वहां का जायजा लिया, एक-एक हजार रुपया सब को दे दो और यह मकान बन जायेगें। यह बहुत गहरी भावना और बहुत गहरे हृदय विदारक की बात है। यदि आप हृदय से सोचें तो आपका पत्थर दिल भी पिघल जायेगा। मैं नहीं समझती कि हाऊस में कितने मेम्बर्स बैठे हैं यदि उनके सामने वह दृश्य हो, सुनने की बात और है आपने बात सुनी एतिहासिक तौर पर राजनैतिक तौर पर और अपनी राजनीति चलाने के तौर पर आपने कोई बात कर दी यह बात अलग है लेकिन यदि आप इन्सान हैं और इन्सान की दृष्टि से उसको

(श्रीमती रमा पायलट)

देखते हैं तो आपका पत्थर दिल भी मैं नहीं समझती कि नहीं पिघलेगा, वह हर हालात में पिघलेगा और ऐसा हुआ है, यह सबको पता है, अखबार भी बतला रहे हैं लेकिन कई माननीय सदस्य ने यह भी कोशिश की है कि अखबार के वारदात को भी यह कहा यदि किसी ने संवेदनशीलता की कोई बात कही और मैं नाम नहीं लेना चाहती उन मंत्री साहब का क्योंकि जिन्होंने मंत्री जी का नाम लिया उस बारे में एक गलत तरीके से उस बात को रखा गया, यह कहा गया, माननीय इस बात की अध्यक्ष साहब से माफी चाहूँगी कि उन्होंने भी यह कहा कि उठकर अपना बयान दें कि उन्होंने यह बात नहीं बल्कि पेपर वालों ने गलत लिख दी है। आज इस तरह से इस बात को राजनैतिक रूप दिया जा रहा है। यदि कोई इन्सान इन्सानियत में, भावना में बहकर और वहां पर सही बात कहता है तो उसको हाऊस में इस बात का इशारा किया जाता है और दबाया जाता है कि हाऊस में वह सही बात न करें।

(म. प. 1.50

(श्री रघुवीरसिंह कौशल, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, मैं यह प्रार्थना करना चाहती हूँ कि मुख्यमंत्रीजी और यह सरकार कम से कम ऐसी छोटी जातियों को और ऐसे जघन्य अपराध को भविष्य में होने के लिए इसको उत्साहित न करें और भविष्य में ऐसा कदम उठायें ताकि जो छोटी जाति के लोग, मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी कंजर जाति के लोग रहते हैं और मैंने आज और कल दो-तीन टेलीफोन भी उनके सुने हैं, वह लोग इतने डरे हुए और भयभीत हैं कि वह घरों से बाहर निकलने में डर रहे हैं। उनको यह डर है कि हम निकलेंगे तो हमारी मार-पिटाई होगी। क्योंकि पुलिस और प्रशासन सब साथ मिले हुए हैं और लोगों पर अत्याचार करने के लिए उनको कोई डर और भय नहीं है। मैं ऐसी आशा करती हूँ कि सरकार इस बात की तरफ ध्यान देगी और ऐसी जो छोटी जातियां हैं या छोटे वर्ग हैं या कोई असामाजिक तत्व है उनको बढ़ावा नहीं देगी और एक मरते हुए गिरते हुए दबते हुए इन्सान को सहारा देकर और उसका सहारा बनकर यह साबित करेंगे कि भविष्य में हमारी जो ऐसी जातियां हैं उनको सबको एक तरह से एक जैसा जीने का अधिकार हो और हम उनकी रक्षा करें। इतना मैं आपसे कहकर माफी चाहूंगी। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय ईश्वरलाल सैनी।

श्री ईश्वरलाल सैनी (लक्ष्मणगढ़) : सभापति महोदय, इस हरिजनों पर अत्याचार करने वाली सरकार से हम और क्या उम्मीद कर सकते हैं। सभापतिजी, बेलची कांड हुआ था उसमें सरकार गई थी, यही सरकार थी और आज उस बेलची कांड की पुनरावृत्ति राजस्थान में हो गई है। इससे बड़ा कांड नहीं होगा और न ही हुआ है। मैं कहना चाहूंगा पिछले 6 माह से जब से केन्द्र में सरकार बनी है और तीन महीने से जब से राजस्थान में सरकार बनी है आप आंकड़े देख लीजिए, राजस्थान और हिन्दुस्तान में हरिजनों के

(श्री ईश्वरलाल सैनी)

प्रति अत्याचार बढ़े हैं। यही नहीं, आज हरिजन जो हैं, परेशान इसलिए हैं कि इनकी शादी-ब्याहों में सवर्ण लोग अड़चनें डाल रहे हैं उनको घोड़ी तक पर नहीं बैठने दिया जा रहा है। गांव-गांव में ऐसे एक झगड़े नहीं, अनेक झगड़े हुए हैं। मैं यह कहना चाहता हूं, यह जो साजिश की गई है, इस गांव में मण्डावरी में यह कोई थानेदार की या वहां की पुलिस की हिम्मत नहीं है, यह पूरे पुलिस प्रशासन की चाहे उसमें एस.पी. हो और चाहे उसमें डी.एस.पी. हो उनकी सबकी शह है। उनके खिलाफ कार्यवाही करना आवश्यक हो। यही नहीं, वहां के जो माननीय चुन्नीलालजी बी.जे.पी. के विधायक हैं, उनके भानजे ने कुछ दिन पहले एक हरिजन को मारा, उसके खिलाफ आज तक कोई एफ. आई. आर. दर्ज नहीं हुई, कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। मैं यह भी मांग करूंगा, दफा 302 का उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जावे, मैं यह भी चाहूंगा यह जो हत्याएं हुई हैं, इसमें साजिश है वहां के बी.जे.पी. के बड़े-बड़े राजनीतिज्ञों और पुलिस की मिली-भगत से है। हमारे माननीय सम्पतरामजी को आपने भेजा जो आपकी सरकार में मंत्री पद सम्भाले हुए हैं और अभी आप देख रहे हो कि नाटक रचाया जा रहा है और मीडियेटर है माननीय नत्थीसिंहजी। बार-बार मुख्यमंत्रीजी से बात कर रहे हैं, जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया है उसको बदलने की बात की जा रही है। लेकिन मुझे उम्मीद है, स्वयं वह हरिजन है, हरिजनों पर जो अत्याचार हुआ है उसमें जो स्टेटमेंट दिया है, मुझे विश्वास है, उस पर अडिग रहेंगे। मैं यहां तक कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्रीजी, आपने भारी गलती कर दी। जब आपने अपना विस्तार किया मंत्रीमण्डल का तो माननीय सम्पतरामजी को गृह मंत्री बना देना चाहिए था ताकि राजस्थान में कम से कम जो अत्याचार हरिजनों पर हो रहे हैं वह तो आज हमको देखने को नहीं मिलते। लेकिन नहीं, आप ऐसा डिपार्टमेंट नहीं देना चाहते थे। जनता दल को मेरा निवेदन है कि हम तो हैं ही, जो विपक्ष में बैठे हैं लेकिन जो सत्ता पक्ष में हैं चाहे वह बी.जे.पी. में हो, चाहे वह जनता दल में हों, मैं उन हरिजन विधायकों से निवेदन करना चाहता हूँ कि वह आज की इस हालात में आज के इस माहौल में जबकि ऐसा बड़ा भारी कांड राजस्थान में हुआ है, उनको हमारा समर्थन करना चाहिए, ताली नहीं बजानी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। वह अपनी पार्टी की हिफाजत के लिए, अपने मुख्यमंत्री की हिफाजत के लिए, चन्द वहां के प्रशासन की हिफाजत के लिए इस प्रकार की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री महोदय, सभापतिजी, मैं कहना चाहता हूं कि यह निर्णय कि उनको कितना मुआवजा मिले, यह निर्णय कि माननीय चुन्नीलालजी के भानजे के खिलाफ कौन सी दफा दायर हो, यह निर्णय कि कितने वहां मुलजिम बने, यह अब आपका कोई अधिकार नहीं रहा। माननीय मुख्यमंत्रीजी, अब तो यही है और यह निर्णय आपको आज ही लेना है कि आप स्वयं इस सदन में इस्तीफा दे दीजिये इस कांड के लिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं क्योंकि आपकी जो बी. जे. पी.

(श्री ईश्वरलाल सैनी)

है, इसमें आपके बाद आते हैं माननीय ललित किशोरजी, वह तो कहीं पता नहीं शिमला में या कहीं गये हैं, फंस गये हैं अब आज यह निर्णय लेकर जनता दल को, माननीय सम्पतरामजी को बता दीजिए और उनको मुख्यमंत्री बना दीजिए, कम से कम हरिजनों पर अत्याचार हो रहा है, वह तो इस राजस्थान में बन्द हो जायेगा। अब एक ही विकल्प रह गया है। मैं अन्त में कहना चाहता हूं आज इसके अलावा और कोई मुद्दा नहीं है आज आप तुरन्त इस सदन से इस्तीफा दे दीजिये, इससे बड़ा कांड अब हो भी नहीं सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। जयहिन्द।

श्री सभापति : माननीय श्री हीरालाल आर्य... (व्यवधान)

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : सभापति महोदय, हमारा खत्म कैसे हो गया।

श्री सभापति : बीच में एक और भी बोल रहे हैं।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : बीच में कैसे शुरू कर दिया।

श्री बुलाकीदास कल्ला : स्थगन प्रस्ताव दिया है क्या ? पहले जिन्होंने प्रस्ताव दिया है, उनको तो बुलवाइये...(व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कांत : थोड़ा मौका हरिजनों को भी दीजिये बोलने का।

श्री सभापति : आपके जिनके नाम आये हैं, सबको बोलने का अवसर दिया जावेगा लेकिन बीच में और भी कोई माननीय सदस्य अपने विचार प्रकट करना चाहे तो उनको भी बोलने दीजिए... (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, इनको बोलने दीजिए, यह बाद में बोल लेंगे।

श्री सभापति : माननीय जनार्दनसिंहजी गहलोत।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली) : सभापति महोदय, मुझे सबसे पहले तो इस बात की खुशी है कि कम से कम जो गरिमा इस सदन की रही है, सभापति के आसन से हो और चाहे वह अध्यक्ष के आसन से हो, यह अच्छी परम्परा है कि नेता महोदय इण्डीकेट करते हैं तो आसन से व्यवस्था वह हो सकती है इसके लिए तो हम आपको बधाई देना चाहते हैं। ऐसी परम्परा हमेशा मेरे ख्याल से नहीं रही थी, नेता महोदय के आदेश के बाद सदन की व्यवस्था अध्यक्ष की प्रॉपर्टी की हैसियत से दी जाती है।

सभापति महोदय, मेरे से पूर्व काफी साथियों ने 23 तारीख की घटना पर अपने विचार रखे हैं। मुद्दा इस बात का है, सभापति महोदय, कि आज जो मुद्दा उठा है उसका जवाब क्या वर्तमान नेता महोदय से लिया जाय ? भारत सरकार के अन्दर बैठे हुए माननीय प्रधानमंत्री, इन्हीं की मिली-जुली सरकार, इन्हीं की समर्थित सरकार से देश के अन्दर बैठे हुए हैं और नैतिकता की बात पूरे देश के अन्दर इस चुनाव के बाद काफी सामने

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

आई है और उछाली जा रही है। हम लोगों को भी यह विश्वास हो गया है कि आपकी सरकार निश्चित तौर से नैतिकता के आधार पर ही चलने वाली है और सब निर्णय भी नैतिकता के आधार पर ही कुर्सी पर बैठे हुए लोग निश्चित तौर पर करेंगे। उसका एक उदाहरण भी है। मेहम के अन्दर जिस प्रकार से इलेक्शन के बीच में अमरसिंह की हत्या हुई, यह सरकार ने नैतिकता दिखाई और नैतिकता यह दिखाई कि चौटाला साहब से इस्तीफा मांग लिया गया और चौटाला साहब ने इस्तीफा दे दिया और उन्होंने अपनी नैतिकता सामने रख दी। अब प्रश्न इस बात का उठता है, सभापति महोदय, कि जिस सरकार ने और शासन ने जो सरकार चल रही हो और वहां पर जिस प्रकार की निर्मम हत्या हुई, पुलिस की देखरेख में हुई, वहां के थानेदार की उपस्थिति में हुई उसके बाद मैं सोचता हूँ कोई ऐसी बात नहीं रह गई। सरकार के दो मंत्री सम्पतरामजी और भाला साहब और किसी का स्टेटमेंट तो मैंने पढ़ा नहीं लेकिन विजयसिंहजी ने साफ शब्दों में कहा कि इस सारे प्रकरण में प्रशासन की शिथिलता का आभास झलकता है। पुलिस दस्ता घटनास्थल पर होते हुए भी यह हादसा हो गया यदि पुलिस वहां हवाई फायर भी कर देती तो हादसा टाला जा सकता था। सिंचाई मंत्री ने यह भी स्वीकार किया कि घटना के दस दिन के बाद सायंकाल पांच बजे तक मुख्यमंत्री से मिलने गये केवल तीन जनों के मारे जाने की सूचना मिली। राजस्थान सरकार के ...ट मंत्री खुद इस बात को स्वीकार करते हैं कि प्रशासन की शिथिलता हुई और इसी प्रकार सम्पतरामजी ने जो बात कही, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात कही है। मैं जानता हूँ कि सरकार के दोनों वरिष्ठ मंत्रियों ने एक अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए, हम उनको मुबारकबाद देना चाहते हैं कि कुछ नैतिक मूल्यों पर उन्होंने बात कही और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि यह शिथिलता प्रशासन की हुई। इस प्रकार माननीय सम्पतरामजी ने यह भी कहा कि इस प्रकरण में अगर पुलिस वालों के खिलाफ धारा 302 के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाय। घटनास्थल का दौरा करके लौटने के बाद उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस वहां मौजूद थी और यह भी माना कि 3-4 हजार लोगों की भीड़ वहां मौजूद थी और यह भी कहा कि पुलिस की सारी कार्यवाही से मैं सन्तुष्ट नहीं हूँ। इसका मतलब वहां जो सरकार के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री दोनों ही सदन के नेता हैं, जो इस बात को स्वीकार करते हैं कि वह पुलिसकी की हुई कार्यवाही से सन्तुष्ट नहीं है तो अपने आप में यह बात साबित हो जाती है कि आज का प्रशासन, आज की सरकार अयोग्य है, निष्क्रिय है। प्रशासन चलाने के लिए अक्षम है यह बात हमारे कहने की आवश्यकता नहीं है, उनके कैबीनेट मंत्रियों के स्टेटमेंट से साबित हो जाता है। इसलिए जो घटना हुई उन सारी बातों की गम्भीरता में अगर जायें तो यह बात निश्चित है कि यह योजनाबद्ध सुनियोजित षडयन्त्र पहले से था। वहां की पुलिस अभी जैसा कि पूनमचन्दजी

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

ने कहा कि जो अधिकार डी.जी. को नहीं को नहीं हैं वह अधिकार एक थानेदार को होता है। जिस सरकार का थाना इस बात के लिए सक्षम हो और सक्षम होने के नाते जब खुद अपनी देखरेख में कर रहा है तो यह भी मानकर चलना चाहिए कि यह मामला उसी दिन नहीं चला यह मामला बहुत पहले से चल रहा है। यह मामला नया नहीं है। इस बात से भी साबित होता है कि चुन्नीलालजी धाकड़ के भानजे ने इसी जगह के किशनियां कंजर को जब खुद ने मारा था, जिसकी एफ. आई. आर. दर्ज है जैसा कि माथुर साहब ने कहा कि मैं वह बयान भी लाया हूं जिस समय प्रत्यक्षदर्शी ने यह कहा था कि मेरे सामने हत्या की है और वहां की पुलिस ने वहां पर उसके बयान नहीं लिए। बयान न लेने का मतलब यह समझ लेना चाहिए कि इस प्रकार की हत्यायें कराने के लिए राजनीतिक संरक्षण उन्हें प्राप्त था वहां की राजनीति तोड़कर वहां के विधायक, वहां का थाना, वहां का पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन इस बात के लिए पहले से ही उसको संरक्षण दे रहा था। इसमें नौ आदमियों की हत्या कोई सामूहिक तौर से कर सकता है यह कोई छोटे बड़े कलेजे की बात नहीं है छोटा मोटा आदमी नहीं कर सकता। इसके पहले जब तक कि उसको पूरा सन्तोष नहीं हो, जब तक उसको पूरा इस बात का विश्वास नहीं हो कि मैं इतनी बड़ी घटना करने जा रहा हूं और इतनी हत्यायें करने जा रहा हूं, अगर उसके पीछे कोई बहुत बड़ी शक्ति, बहुत बड़ी प्रशासनिक और राजनीतिक ताकत उसके पास नहीं होती उन लोगों को तो निश्चित तौर से यह हत्यायें नहीं होती इसलिए पुलिस केस को भी, जिसमें यह केश लगा उसके अन्दर 23 जून को ही इसी थाने ने इसी पुलिस प्रशासन में सरकार को एफ.आर. दी है और उसी थाने ने आकर दी है तो इसका मतलब यह तो पहले से ही इस प्रकार का वातावरण एक योजनाबद्ध तरीके से चल रहा था। राजस्थान सरकार की मैं मानकर चलता हूं कि पिछले 100 दिन के अन्दर मुख्य मंत्रीजी ने और तो कुछ किया नहीं, इसके लिए हम जिक्र नहीं करना चाहते लेकिन सबसे पहले पहला काम उन्होंने अपने सार्वजनिक भाषण में एक ही कहा कि मैं पहले प्रशासन को ठीक करूंगा। मैं राजस्थान के भ्रष्ट अधिकारियों को समाप्त कर दूंगा। फिर माननीय मुख्यमंत्रीजी, हम आपसे तो कम से कम आशा करते थे कि आप ऐसे भ्रष्टाचारी ऐसे गिरोहों के सरगना जो थानों में बैठे हों उन पर आपने कुछ कार्यवाही न करके यह भी साबित कर दिया कि आपने विकास के काम, अकाल और पानी के काम तो नहीं किये लेकिन जिस बात का आप ढिंढोरा पीट रहे थे कि सौ दिन के अन्दर मैंने केवल एक काम किया है कि प्रशासन को चुस्त कर रहा हूं और मैं पहले भ्रष्टाचार को समाप्त करके और काम करूंगा। तो क्या यह भ्रष्टाचार नहीं हैं या प्रशासन की, आपकी योग्यता का प्रतीक है। आपने नौ हत्यायें उन लोगों की थीं जो एक तरह से निहत्थे थे, पुलिस का थानेदार खुद उनके हत्यारों को जाकर के कहे कि पहले छत्तू को बुलाओ पहले इस पर गोली चलेगी फिर औरों पर चलेगी।। यह आपका प्रशासन है। यह आपकी योग्यता का प्रतीक है।

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

कई मायने में यह बात आज साबित हो गई कि आपको नैतिकता के आधार पर, हमारे माननीय शिवचरणजी की बात तो छोड़िये आप, हमारी पार्टी ने नैतिकता दिखाई माननीय मानसिंहजी जो स्वयं हमारे इस सदन के सदस्य थे, सभी को उस समय तकलीफ थी लेकिन उस समय उनकी हत्या हुई पुलिस के इस तरह के षड्यन्त्र से। उन्होंने नैतिकता के आधार पर स्तीफा दिया...माननीय यदुनाथसिंहजी .... (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : उनकी बात से भी हम सहमत हैं, चलिये, हमारी पार्टी में यह नैतिकता तो है कि हमारे ऊपर के जो नेता हैं वह हमारा हाईकमान, हमारे नेता राजीव गांधी, उनका अगर आदेश मिले तो माननीय शिवचरणजी एक साधारण कार्यकर्ता की हैसियत से मुख्य-मंत्री की कुर्सी को छोड़कर सीधे हमारे बीच आ गये। आज आपके नेता को भी यह जिम्मेदारी है। जहां आप लोग एक सामूहिक पार्टी है, आपका बहुमत है, हममें से तो कोई आने वाला नहीं है। आना तो आपको है।

एक माननीय सदस्य : चाहे माननीय चतुर्वेदीजी आयें, माननीय भाभड़ा जी आयें।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : नहीं, चतुर्वेदीजी से तो ज्यादा सक्षम मैं माननीय अध्यक्ष महोदय को मानता हूँ। राजस्थान विधान सभा में उनसे चतुर उनसे सक्षम मैं अध्यक्ष जी को मानता हूँ जो कि मुख्यमंत्री की कुर्सी के लायक हैं लेकिन कोई कमी नहीं है आपकी पार्टी में। भंवरजी की शंका को मैं देख चुका हूं बहुत पहले से, मैं उसका लाभ नहीं लेना चाहता। शंका बढ़ गई है उनकी। इसलिए सभापति महोदय, मैं उन बिन्दुओं पर बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाहता क्योंकि और माननीय सदस्यों से बहुत लम्बी बात करनी है अपने-अपने सुझाव देने हैं। आपने यह भी निर्णय किया है, कुछ लोग और भी बोलेंगे लेकिन जिस प्रकार की घटनाएं घटी हैं यह एक तरह से जघन्य अपराध इस राजस्थान में शताब्दियों में भी कभी नहीं हुआ। जिस प्रकार की घटना घटी है, मैं सोचता हूं सदन के सभी सदस्यों का इससे माथा झुकता है। मैं सोचता हूं कि इस बात को इस सदन के माननीय नेता महोदय महसूस करेंगे और वह आज इस मानवीय दृष्टिकोण को देखते हुए त्यागपत्र देंगे। मैं इसकी मांग करते हुए मेरी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : माननीय हरिसिंहजी महुआ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : माननीय सभापति महोदय, मण्डावरी में जिस प्रकार की घटना घटी है उसकी तथ्यात्मक रिपोर्ट और उसके भावात्मक पहलू सभी पर मेरे कई पूर्व वक्ताओं ने सदन के सामने विचार प्रस्तुत किये हैं।

सभापति महोदय, मैं ज्यादा समय सदन का नहीं लूंगा लेकिन एक प्रश्न की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करवाना

(श्री हरिसिंह)

चाहता हूँ । और वह इस तथ्य का नैतिक पहलू है । हम यहां सब जितने भी माननीय सदस्य हैं और यह सदन जो है वह राजस्थान की समूची जनता के लिए उत्तरदायी है और सरकार इस सदन के प्रति उत्तरदायी है और कानून का सिद्धान्त है कि master is responsible for the acts of servant. और यहां मास्टर सरकार है और सर्वेन्ट वह पुलिसकर्मी हैं जिनकी देखरेख में यह नृशंस हत्याकांड हुआ है । मैं कोई ज्युडिशियल इन्क्वायरी की बात नहीं करूंगा क्योंकि ज्युडिशियल इन्क्वायरी से ज्यादा तथ्यात्मक रिपोर्ट तो हम माननीय सदस्यों के द्वारा यहां पेश की जा चुकी है । कैबिनेट के तीन-तीन मंत्री वहां जा चुके हैं जिन्होंने अपनी आंखों से पूरा हाल देखा है, वृत्तान्त देखा है । राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री वहां जा चुके हैं, इन्होंने भी सब कुछ देखा है । विरोधी दल के तीन-तीन सदस्य वहां पर जा चुके हैं और तथ्यात्मक रिपोर्ट पूरे सदन के सामने आ चुकी है । मैं उनके मुआवजे के पहलू पर बात नहीं करता, मुआवजे का पहलू आप पांच हजार रुपये से बढ़ाकर दस हजार कर दें, दस से बढ़ाकर पन्द्रह कर दें, पन्द्रह से बीस कर दें, उससे उनके आंसू नहीं पोंछे जा सकते । मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से सीधा-सीधा एक प्रश्न पूछता हूँ कि मुख्य मंत्री जब वहां गये तो क्या किसी मां ने यह कहा था कि मेरा पुत्र लौटा दे, क्या किसी पत्नी ने यह कहा था कि मेरी मांग से मेरा सिन्दूर पुंछ गया है, मेरा पति ला दे ? क्या किसी बिलखती हुई मां ने यह रुदन किया था कि मेरे अबोध बच्चे का कत्ल कर दिया गया है, वह बच्चा मुझे लौटा दे ? क्या यह नैतिक जिम्मेदारी राजस्थान के मुख्य मंत्री और उनकी सरकार की नहीं है ? माननीय मुख्य मंत्रीजी, मैं विशेष समय नहीं लूंगा, आपका व्यक्तित्व राजस्थान में चालीस साल से प्रतिपक्ष के नेता के रूप में और एक बार मुख्य मंत्री के रूप में बहुत अच्छा रहा है, मैं व्यक्तिगत रूप से आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं, मैं कबूल करता हूँ और यह मुख्य मंत्री की कुर्सी आपके व्यक्तित्व के नीचे भी पड़ती है, यह भी मैं कहूँगा । आपने अपने पिछले सत्र काल में प्रदेश को ही नहीं, हिन्दुस्तान को अन्त्योदय की स्कीम देकर उस पर पहल करके कुछ अच्छे काम किये । मुख्य मंत्रीजी, मेरी तरह आप भी एक साधारण किसान परिवार से आने वाले व्यक्ति हैं, आप किसी राजा-महाराजा के बेटे नहीं हैं, किसी पूंजीपति सेठ के बेटे नहीं, आपने अपने जीवन का इतिहास स्वयं अपनी कलम से लिखा है और वह व्यक्ति जो अपने जीवन का इतिहास अपनी कलम से लिख रहा हो, माननीय सभापति महोदय, मैं सदन से निवेदन कर रहा हूँ, सदन यह निर्णय करेगा कि अपने जीवन का इतिहास अपनी कलम से लिख रहा हो और वह भी उसको गन्दा लिख दे तो आप उसको क्या कहेंगे ? यह घटना आपके जीवन के इतिहास पर एक कलंक है । मैं आपसे अनुरोध करूंगा, माननीय लाल बहादुर शास्त्री ने एक रेल्वे दुर्घटना के ऊपर अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था और इतिहास पुरुष बन गये । आज आवश्यकता उन

(श्री हरिसिंह)

लोगों को कम्पनसेट करने की या पैसे से उनको मुआवजा पूरा करने की नहीं है, आज आवश्यकता इस बात की है मुख्य मंत्रीजी, आप इसकी नैतिक जिम्मेदारी अपने ऊपर लें और राजस्थान की जनता में ही नहीं, हिन्दुस्तान की जनता में इतिहास पुरुष बन कर त्याग पत्र दें और इसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लें। मैं इतना ही सदन से निवेदन करके अनुरोध करना चाहता हूं और मुझे विश्वास है कि मुख्य मंत्रीजी आज ही इस काम को यहीं सदन में घोषणा करके पूरा करेंगे।

श्री सभापति : माननीय श्री राजेन्द्र पारीक।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : माननीय सभापति महोदय, एक बड़ी दुर्घटना घटी। मैं समझता हूं–पूरा सदन ही इस दुर्घटना से अपने आपको व्यथित महसूस कर रहा है। हत्या किसकी हुई, जो लोग मरे हैं वह गरीब हैं या पैसे वाले हैं या किसी विशेष जाति के लोगों ने इनकी हत्या की, यह सवाल नहीं रह जाता। सवाल यह रह गया कि हमारे इस देश के नौ सपूत अपनी जान से हाथ धो बैठे। किसी बहन के हाथ से उसकी राखी छिन गई। इस तरह की वार्ता जो आप कर रहे हैं, मेरा सिर तो आपकी वार्ता से शर्म से झुक जाता है। बजाय इसके कि आप यह करते कि इस पड़े हुए पत्थर को आप श्रद्धा-सुमन अर्पित करते, इसको नमन करते, यह भी किसी मां के बेटे का लहू है, आप सब लोगों की आंखों के सामने यह पत्थर कब से पड़ा हुआ है, किसी भी सदस्य की यह हिम्मत नहीं हुई कि उठ करके इस पत्थर को नमन करे। मैं नमन करता हूँ इन नौ व्यक्तियों के खून को और सदन से मांग करता हूं कि आगे आने वाले समय में शोक-संदेश पढ़े जाने से पहले इन नौ व्यक्तियों के नाम पर शोक-संदेश पढ़ा जाना चाहिए। वह भी इस हिन्दुस्तान के बेटे हैं, हमारे भाई हैं। आप बीच में व्यवधान डालते हैं। मैं कोई ड्रामा करने के लिए स्टेज पर खड़ा नहीं हुआ हूँ। मेरे मन में एक व्यथा थी जो व्यथा किसी भी भाई को हो सकती है, किसी बहिन को हो सकती। इसको शब्दों के आडम्बर में बांध कर पेश करने की मैं कोई जरूरत महसूस नहीं करता। मेरा मन तो स्वयं व्यक्ति है, अपने आप में अन्दर से रो रहा हूँ, इस बात को सिर्फ दिल से महसूस किया जा सकता है। लेकिन दिल से महसूस तो वह करे जिसके पास में दिल हो। आप लोगों ने आज की इस घटना पर तो यह दर्शा दिया कि शायद दिल रहा ही नहीं, यदि आपके पास कोई दिल होता तो समवेत् स्वर में आप इस बात की ताईद करते और इस बात की मांग करते कि जिन लोगों के साथ यह हादसा हुआ है उन लोगों को हम ज्यादा से ज्यादा किस तरह से कम्पनसेट करें। हो सकता है, आप इन लोगों को लाख रुपये देकर कम्पनसेट कर दें। लेकिन उस परिवार को, उस बेटे को उसका बाप नहीं मिल सकता, उस पत्नी को उसका पति नहीं मिल सकता। हादसा इतना बड़ा घट गया, मुख्य मंत्रीजी मैं आपसे सिर्फ एक सवाल और एक बात कहना चाहूँगा। आये दिन ऐसी घटनाएं होती हैं, इन्क्वायरीज बैठा दी जाती हैं और इन्क्वायरी में बड़े लम्बे समय के बाद निर्णय

(श्री राजेन्द्र पारीक)

यह होता है कि कोई दोषी व्यक्ति नहीं रहा, हालात ऐसे बन गये थे कि जिनकी वजह से यह हादसा घट गया। किसी न किसी व्यक्ति पर तो आपको वह जिम्मेदारी डालनी होगी, नैतिक जिम्मेदारी तो बनती है आपकी, लेकिन आपकी जिम्मेदारी के साथ-साथ उन व्यक्तियों की भी जिम्मेदारी बनती है जिनकी मौजूदगी में, जिनके संरक्षण में यह हादसा हुआ। किसी थानेदार को निलम्बित करने या सस्पेण्ड करने से भी बात नहीं बनती है। जो हादसा घटा, जिस तरह से घटा, इसको आप किसी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य न ना लें, इसे सीधे तौर से इस रूप में लें कि मरने वाला जनता पार्टी का था या बी. जे. पी. का था या कांग्रेस था या कम्यूनिस्ट था, क्या था वह दीगर बात है, वह हमारा सबका भाई था और जब हम इस बात को इस रूप में लेंगे, इस अहसास को जब हम दिल में महसूस करेंगे तो स्वतः ही स्पष्ट हो जायेगी कि जिन लोगों ने षडयंत्रपूर्वक इन लोगों की हत्याएं की, यह हत्या किसी एक दिन का षडयंत्र नहीं हो सकती। क्या पुलिस का प्रशासन, क्या यहां के कलक्टर, इन सबको कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती? इतना बड़ा हादसा हो गया और उसकी जिम्मेदारी कोई कलक्टर या पुलिस का वरिष्ठ अधीक्षक लेने को तैयार नहीं। लेने को तैयार हो भी क्यों, उनको पता है इस बात का, क्योंकि उनका तो मोरल डाउन हो जाता है। किसी का बेटा गया तो जाये, पुलिस का मोरल नहीं डाउन होना चाहिए, मोरल बाकी कहां रह गया। इस तरह की हत्याएं आंखों के सामने होती रहें और उसके बाद मोरल की बात करें वह आदमी? मुख्यमंत्री महोदय, घटनाओं का क्रम जब तक नहीं रुकेगा जब तक कि आप उच्च आसन पर बैठे हुए अधिकारियों को प्रताड़ित नहीं करेंगे, उनको इस बात का अहसास नहीं करायेंगे कि आपको इस बात की जिम्मेदारी लेनी होगी, आप यदि जिम्मेदारी अपने मन से नहीं लेंगे तो मैं आपको इस बात के लिए कम्पेल करता हूँ कि आप इस बात के जिम्मेदार हों और आपको यहां से हटाना पड़ेगा। किस बात की न्यायिक जांच? सदन के इतने माननीय सदस्य वहां गये, स्वयं मंत्री महोदय वहां गये, स्वयं मुख्य मंत्री वहां गये, आपका दिल था, आपका दिल पसीजा होगा वहां पर। किसी मां ने आपको मारे डर के यह कहा या नहीं कहा, क्योंकि वह गरीब मां आपके पास पहुंच ही नहीं पाई होगी कि उसका बेटा आप लौटा दो। लेकिन मुख्य मंत्री होने के नाते यह आपका दायित्व फिर भी बन जाता है कि राजस्थान के नागरिकों की सुरक्षा का आखिर जिम्मा है किस पर? यदि आपने यह जिम्मा इस पुलिस प्रशासन और आई. ए. एस. अधिकारियों पर डाल कर आंख बंद कर ली तो इस राजस्थान का नागरिक अपने आप को सुरक्षित ना समझे। सभापति महोदय, मुझे यह कहा गया कि आपकी जान की मैं गारण्टी लेता हूँ, मेरी जान की क्या गारण्टी लेंगे, मेरी जान की गारण्टी तो मेरा परमात्मा लेकर बैठा हुआ है और यदि किसी तरह से हादसा हुआ भी तो मुझे इस बात की चिन्ता भी नहीं है। यदि यही नौ लोग सीमा पर मारे जाते फौजी की हैसियत से तो आज यह शहीद कहलाते लेकिन गरीबों को वहां पर इकट्ठा किया

(श्री राजेन्द्र पारीक)

और पुलिस ने अपनी मौजूदगी में मरवा दिया और आप दो आंसू भी बहाने में लायक नहीं हैं। आपका दिल इतना भी नहीं पसीजा कि आप इनके गम में अपने आप को थोड़ा-सा शरीक करते ? हंस दिये, बीच में व्यवधान डाल दिया और मजाक बनाई आपने इस बात की। मैं लानत भेजता हूँ ऐसी सरकार पर, जो इस तरीके के कारनामे करने के बावजूद भी अपने बैठे हुए माननीय विधायकों को यह तक नहीं कह पाये कि आपको इस गम में शरीक होना है। इस गम में शरीक होना है कांग्रेस के उस हर सदस्य को, इस गम में शरीक होना है बी. जे. पी. को, इस गम में शरीक होना है जनता दल को, क्योंकि इन पर किसी का लेबल नहीं लगा हुआ है। इस गम में तो आज पूरा राजस्थान शरीक है। माननीय विधायक, जो यहां पर बैठे हुए हैं, क्या यह जनता से अलग हट कर हैं ? जनता से हट कर आपका अस्तित्व क्या रह जाता है, कोई अस्तित्व नहीं रहता है। तो माननीय मुख्य मंत्री महोदय, आप जिम्मेदारी डालिये उन उच्च आसन पर बैठे हुए अधिकारियों पर ताकि उनको इस बात का अहसास हो कि वह अपने दफ्तर में बैठ करके रिपोर्ट्स नहीं बनाये और इस बात का भी वह आगे से ख्याल रखे कि उसके नीचे काम करने वाले अधिकारी अपने काम को सही अंजाम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं वर्ना ऐसे काण्डों की पुनरावृत्ति होती रहेगी और सदन इस तरह बैठ कर चर्चा करता रहेगा और जब तक यह पुनरावृत्ति नहीं रोकी जायेगी यह मानव समाज पर कलंक होगा और इस कलंक का भागीदार, किसी पार्टी बेसिस पर नहीं मैं मानता हूँ कि मैं इस समाज का अंग हूँ जिस समाज में ऐसी नृशंस हत्यायें हो रही हैं....(व्यवधान)....माननीय मुख्य मंत्रीजी मेरे इलाके के हैं उनसे इस्तीफा दिलवाइये मैं भी इस्तीफा देता हूं। वे अपने पद से इस्तीफा देते हैं तो कम से कम मेरे क्षेत्र का नाम तो होगा। मैं तो सिर्फ सड़क पर काम करने वाला हूँ फिर भी काम चला लूंगा पर उनका क्या होगा ? दीजिए मैं भी देता हूँ।

माननीय सभापति महोदय, मेरी एक मांग है आपसे, सदन से, कि यह पत्थर जो पड़ा हुआ है शोक संदेश से पहले उन 9 व्यक्तियों के नाम पढ़े जाने चाहिए बाकी काम बाद में। धन्यवाद। (व्यवधान)... सड़क छाप तो आप हैं ही।

श्री हीरासिंह चौहान : पाइंट आफ आर्डर। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि दो घण्टे हो गये उसी बात का रिपीटेशन हो रहा है। इससे पहले भी सदन चला है....(व्यवधान)

श्री जर्नादन सिंह गहलोत : यह तो आपकी सरकार पर कलंक लग चुका।

श्री सभापति : श्री जुबेर खां।

श्री जुबेर खां (रामगढ़) : सभापति महोदय, पिछले लगभग साढ़े तीन घण्टे से एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर माननीय सदस्यों ने अपनी राय दी है। 23 जून, 1990 के दिन चित्तौड़गढ़ जिले की बेगूं तहसील के अन्तर्गत मंडावरी गांव के कंजरों की ढाणी के लिए एक कलंक के रूप में

(श्री जुबेर खां)

माना जायेगा। अगर हम तथ्यों को देखें तो यह मालूम चलता है। जिस चित्तौड़ का नाम न सिर्फ प्रदेश के इतिहास में बल्कि दुनियां के इतिहास में गर्व ले लिया जाता था आज इस काण्ड ने एक प्रश्नवाचक लगा दिया है कि चित्तौड़ का नाम इतिहास में किस तरह से लिया जायेगा और जो निर्णय करेंगे यह निर्भर करेगा मौजूदा भाजपा की सरकार के ऊपर माननीय भैरोंसिंहजी के ऊपर कि उस चित्तौड़ का इतिहास आज किस तरह से लेकर जाते हैं। इसलिए, सभापति महोदय, मैं याद दिलाना चाहूँगा यहां इसी माध्यम से इस सभा में सबसे पहले संवेदनशील शब्द मैंने माननीय सदन के नेता महोदय के मुंह से सुना था, जिन्होंने बनते ही कहा था कि हम चाहेंगे कि संवेदनशीलता से इस सदन की कार्यवाही चले, निर्णय हों, सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी हो। यहां सदन में राज्यपाल महोदय से तरह-तरह की बातें कहलवायी गयी थी कि यह नयी सरकार बनी है, यह बनी है जनता के प्रति जवाब-देही के लिए, जो लोगों का सरकार में विश्वास उठ गया था, प्रशासन उठ गया था। यह जो हत्याकाण्ड हुआ, यह दोहराता है कि आज यह निर्णय लेना होगा इस मौजूदा सरकार को कि यह सरकार अपनी बातों पर खरी उतरती है या उस दिन खयाली नारे लगाये थे। जैसा कि काफी सदस्यों ने बताया कि कोई झगड़े की बात होती तो यह मालूम चलना चाहिए था कि पहले वहां पर दो जातियों में, किसी ग्रुप विशेष, सम्प्रदाय विशेष में झगड़ा हुआ है। ऐसा बहुत से लोगों ने कहने की कोशिश नहीं की कि कंजर लोग चोरी करते हैं पर पिछले काफी दिनों से यह देखने में नहीं आया कि वहां किसी प्रकार की चोरी उस एरिया में हुई हो या मारधाड़ की गयी हो या आपस में मन मुटाव हुआ हो। ऐसी कोई बात नहीं लगती जिससे कि झगड़े की नौबत आती। सिर्फ एक ही बात सामने आती है कि यह सुनियोजित तरीके से रचना रचकर काम कराया और यह प्रशासन का है, पुलिस का है, नेतागिरी का है, पार्टियों के लोग हैं वह इसके जिम्मेदार हैं, उनका पता लगाया जाना चाहिए कि कौन से ऐसे हालात थे जिन हालातों के अन्दर इस तरह का हत्याकाण्ड करवाया। इसका पता लगाना होगा और दोषी ठहराना होगा और उनको उसकी सजा देनी होगी।

माननीय सदन के नेता ने बार-बार कहा था, हमने उनके चरित्र के लिए जब भी सुना है, व्यक्तित्व के लिए सुना है यही सुना है कि सच्चाई के लिए लड़ते हैं, सही बात के लिए लड़ाई की है। आज उनका भी व्यक्तित्व सामने आयेगा इस निर्णय के बाद उनका किस तरह का व्यक्तित्व रहता है। जो बात कहते रहे हैं यह बात सही है या विपक्ष के नेता बैठकर कहते रहे हैं। यह देखने को मिलेगा। आज दो ही फैसले इस सदन में सरकार की तरफ से होंगे कि सरकार के लिए सत्ता का लोभ ज्यादा प्रिय है या नैतिकता ज्यादा प्रिय है? जनता की सेवा ज्यादा प्रिय है या सदन की जिम्मेदारी ज्यादा प्रिय है? यह निर्णय सरकार को लेना पड़ेगा।

आज जो हम कहते हैं कि फलां जाति ने फलां जाति को मारा यह बात नहीं है।

(श्री जुबेर खां)

माननीय मंत्री सम्पतरामजी ने कहा मानवता की हत्या हुई है, मानवता के ऊपर कलंक लगा है तो आज तमाम लोगों को चाहे सत्ता का पक्ष का हो, चाहे ना पक्ष का हो, तमाम लोगों को गम्भीरता से विचार करना होगा कि कौन से ऐसे हालात थे जिसकी वजह से ऐसा भयंकर हत्याकाण्ड हुआ, लोगों के घर डायनामाइट से उड़ा दिये गये पुलिस के लोगों ने पिन पाइंट करके लोगों को गोलियों से उड़वा दिया। आज गम्भीरता से विचार करना होगा यह विचार नहीं किया जाय कि कांग्रेस के लोगों ने यह मुद्दा उठाया है बल्कि भाजपा और जनता दल का यह नैतिक दायित्व बन जाता है कि इसका विरोध करे या कांग्रेस के विरोध में बोलें। जो भी चर्चा की जाय संवेदनशीलता से की जाय, गहराई से की जाय और अगर आज यह सदन इस बात पर नहीं पहुंचा और इन तमाम बातों के बावजूद भी यह हत्यायें नहीं रुकती है, आज तीन-चार घण्टे बहस होने के बाद, तो मैं समझता हूँ कि तमाम बहस व्यर्थ जायेगी। आज सदन के माध्यम से ऐसे निर्णय आने चाहिए, ऐसे बिन्दु, ऐसे सुझाव आने चाहिए, ऐसे निर्णय आने चाहिए कि सिर्फ वही लोग जो दोषी हैं उनको सजा मिले ऐसी सजा मिले कि आज ऐसा करने से लोग बचें बल्कि ऐसी घटना को रोका जाय, यह इस सदन का नैतिक उत्तरदायित्व बन जाता है।

आज होता यह है कि यहां से कोई बोलता है तो उधर से काट कर देते हैं। बात यह नहीं है, बात यह है कि आपको भी जनता देख रही है कि क्या मुंह लेकर यह सरकार जनता के सामने आती है। जब यह तय हो गया, वहां हत्याएं करायी गयी, थानेदार के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से, वहां के पुलिस के लोग उसमें इन्वाल्व हैं तो बाकी क्या रह जाता है कि सरकार उस पर उत्तर दे। अब तो एक बात रह जाती है कि यह सरकार जो नैतिकता का दावा भरती है, अत्याचार के खिलाफ लड़ने का दावा भरती है, जनता की भावनाओं के अनुरूप निर्णय लेने का दावा भरती है आज वह सरकार अपने सत्ता के लोभ में, अपने दूसरे स्वार्थों के लिए इन मुद्दे को इधर-उधर इन्क्वायरी करके भटका देती है या एक मजबूत निर्णय लेती है जिससे न केवल पुलिस में, बल्कि प्रदेश में, पूरे देश में एक उदाहरण मिलेगा राजस्थान में इस तरह का अत्याचार आदिवासियों के खिलाफ कंजरों के खिलाफ हुआ या उस सरकार ने यह निर्णय लिया है। आज बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेने की बात है। मैं तो माननीय सदन के नेता महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपके सामने दो ही रास्ते बचते हैं या तो उनसे डटकर मुकाबला कीजिए ऐसी ताकतों को दबा दीजिए जो समय-समय पर इस तरह के कदम उठाती है और भाई भाई को, जाति के नाम पर, बिरादरी के नाम पर, छोटी-छोटी बातों के नाम पर, छोटे-छोटे विचारों के नाम पर लड़वाती हैं। ऐसी ताकतों के खिलाफ जेहाद छेड़ दीजिए और निर्भर होकर निर्णय लें या फिर जिस तरह से पहले लेते आये हैं कायरता से कायरतापूर्ण निर्णय लीजिए रास्ता छोड़िये और एक तरफ चले जाइये।

(श्री जुबेर खां)

यह दो निर्णय आपके सामने बचते हैं जो यह दिखायेंगे कि आपका किस तरह का व्यक्तित्व है आप किस तरह की सरकार जनता को देना चाहते हैं। मेरा तो यह निवेदन है कि हम तो यह देख रहे हैं कि आप कायरता से एक तरफ भागते हैं या निर्भय होकर निर्णय लेते हैं उन ताकतों के खिलाफ जो हमारे समाज में नजर आती हैं। सदन के नेता महोदय से एक निवेदन और करना चाहूंगा आपकी पार्टी के लोग इसमें मौजूद हैं पहले उन लोगों ने सुनियोजित तरीके से कोशिश की थी कि किस तरह से अल्प-संख्यक समुदाय को काटा जाय। अब दूसरा निशाना हरिजन और दूसरे आदिवासी बन रहे हैं। आज आपकी सरकार में बैठे हुए हैं, ऐसे लोग। आपके विधायक दल मे बैठे लोग वहां मौजूद हैं जो जगह-जगह दंगे करवाते हैं इसके बहुत से उदाहरण हैं यह तो एक हत्याकाण्ड हो गया जो सदन के सामने आ गया। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जहां हरिजनों के ऊपर अत्याचार हुए हैं। कई ढाणियां लूटी गयी, कईयों को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया। हमारा तो आपसे यही निवेदन है कि पूरे सदन को एकजुट होना चाहिए, पूरे सदन को यह निर्णय लेना चाहिए कि यह जो भयानक कारनामा यहां हुआ है, इसके लिए हमें क्या उचित कदम उठाने हैं। अगर इससे यह सोचा गया कि यह मामला कांग्रेस के लोगों ने उठाया है इसलिए इस मामले को दबाया जाना चाहिए, और यदि यही आप अपना कर्तव्य समझते हैं तो इससे ज्यादा शर्म की बात और कोई नहीं होगी। आपको तो यह निर्णय लेना चाहिए कि चाहे कहीं से भी यह मामला उठे, कोई भी उठाये, सब लोगों के लिए बड़ी शर्म का मामला है।

हर व्यक्ति को भागीदार होना चाहिए ऐसे तत्वों को दबाने के लिए। जो इसके लिए जिम्मेदार हैं वह चाहे पुलिस के लोग हों, चाहे प्रशासन के हों, चाहे दलों के लोग हों, चाहे कोई अधिकारी हो, कोई भी व्यक्ति हो, उनके लिए आपको निर्णय लेना होगा। निर्णय इस तरीके से लेना होगा कि जिस तरह से इस तरह की आग भड़काने की कोशिश की जा रही है वह कोशिश दबायी जा सके। वर्ना मैं आपको सदन के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि अगर यहां ऐसे कोई निर्णय नहीं होते हैं जिससे लोगों को यह सन्देश जाय कि सरकार बिल्कुल सचेत है और ऐसे तत्वों को किसी हालत में बढ़ने नहीं देगी, तो मैं आपको बता देता हूं कि आगे आने वाले दिनों में जगह-जगह इस तरह के काण्ड होंगे, इस तरह की मारधाड़ होगी, इस तरह के अत्याचार होंगे। इसके लिए आप लोग जिम्मेदार होंगे, आपकी सरकार जिम्मेदार होगी। मेरा आप से निवेदन है कि इसको बहुत संवेदना से लें, बहुत ढंग से लें। जो भी आपको कदम उठाना पड़े, वह कदम आप उठाइये। इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दायर होना चाहिए। माननीय नेताजी, जहां थानेदार गोलियों से लोगों को मरवाने लग जाय, ऐसे प्रशासन में जनता का विश्वास उठ जायेगा।

(म. प. 2·36)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

(श्री जुबेर खां)

इसलिए आपको लोगों को यह बताना होगा कि प्रशासन ऐसे लोगों का बचाव नहीं करेगा, वह चाहे कोई विधायक हो, कोई मंत्री हो, चाहे कोई अफसर हो, किसी भी बड़े पद पर हो। अगर उसने कहीं ऐसा अत्याचार किया है, कोई इस तरह की गलती की है, कोई भी इस तरह की लोगों के साथ मारपीट की है, उसके खिलाफ सरकार नहीं दबेगी। आपको ऐसे निर्णय लेने होंगे। अगर ऐसे निर्णय आप नहीं लेते हैं तो आपनी नैतिकता के आधार पर कोई जिम्मेदारी नहीं बच जाती है कि आप इस पद पर बैठे रहें। आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। यही शब्द मैं कहना चाहता था। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री रामकरण सिंह।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस मण्डावरी कांड के बारे में ज्यादा जिक्र नहीं करना चाहूँगा, केवल एक सुझाव देना चाहूंगा। इस हाउस में चार मुख्य मंत्री भूतपूर्व हैं और एक वर्तमान है। चारों सज्जन अपने-अपने समय में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, इस बारे में विचार करें और वर्तमान में भी इस बारे में विचार करें।

दूसरा मेरा यह सुझाव है कि चारों ये पूर्व मुख्य मंत्री, एक वर्तमान मुख्य मंत्री, एक अध्यक्ष महोदय, एक नत्थी सिंहजी, केदारजी और तीन और माननीय सदस्य लेकर ग्यारह आदमियों की एक कमेटी बनायी जाय, जो 15 साल के अरसे में जो जो कांड हुए हैं उन कांडों की बड़े ढंग से जांच करे। जिस तरह के विचार यहां रखे जा रहे हैं उस पवित्रता को कायम रखते हुए अपने हिसाब से जांच करके अगर उन अधिकारियों को सजा दी जा सके जिनके हिसाब से यह कांड हुए हैं, चाहे वह पुष्कर का कांड हो, नागौर का हो, भरतपुर वाला का है, राजा मानसिंह कांड है, अन्य थानों में जो कत्ल हुए हैं वह है। इसके अलावा कोटपूतली गोली कांड है, सांगरिया में जो कांड हुआ, आमरसोल, जोधपुर में हुआ, बेलछी में हुआ और इसी तरह मण्डावरी का यह कांड है। इसी के साथ श्री सम्पत सिंह के बेटे ने सांगरिया के अन्दर एक राजीव नामक व्यक्ति की हत्या की है। उसको उस समय संरक्षण दिया गया। इन कांडों की लिस्ट बनाकर इसकी जांच की जाय। मेरी यह राय है...

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। माननीय श्री सम्पतराम जी।

श्री रामकरण सिंह : नहीं, साहब।

श्री अध्यक्ष : आपकी राय हो गयी बस।

श्री रामकरण सिंह : देखिये, मेरा सुझाव है वह सुझाव तो पूरा सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष : हो गया सुझाव आपका, बाकी क्या रहा?

श्री रामकरण सिंह : यह तो मैं सोचूंगा कि हुआ कि नहीं हुआ।

(श्री रामकरण सिंह) :

आज त्याग पत्र देने की बात आती है। जो माननीय सदस्य यहां बैठते हैं वे त्याग पत्र मांगते हैं। यह परम्परा चली आयी है। त्याग पत्र से कोई उपाय नहीं है। जिस तरह का महाभारत का इस समय संवाद चल रहा है, बड़े भावुक हो रहे हैं। यह भावुकता से काम नहीं चलेगा, यह तो काम करने से चलेगा। एक भी मुख्य मंत्री यह बता दे कि उनके टाइम में अन्याय नहीं हुआ। एक जोशीजी ने सती वाले कांड को जिस तरह से हैण्डल किया उसके लिए तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। बाकी कोई मुख्य मंत्री ऐसा नहीं है जिसके टाइम में अत्याचार और अन्याय नहीं हुए हों। अगर निष्पक्षता की बात कही जाय तो यह है। इस तरह इस पर निर्णय लेना है तो यह है। बाकी महाभारत में जैसे संवाद होते हैं उस तरह भावुक होकर कोई भी बात इधर के भी माननीय सदस्य कह दें, उधर के भी माननीय सदस्य कह दें, इस्तीफा मांग लें, नहीं मांग लें, उससे कोई तुक नहीं है। हाउस की पवित्रता को यदि कायम रखना है तो माननीय सदस्य जो वरिष्ठ हैं, जो इस सदन के लीडर रह चुके हैं, उनके सामंजस्य से मैं आपसे निवेदन करूंगा। हाउस के लीडर से भी निवेदन करूंगा, वह एक कमेटी बना लें ग्यारह आदमियों की। 7-8 के तो मैंने नाम बता दिये, तीन और ले लें। 15 साल के आंकड़े लेकर अगर आपने निष्पक्षता से उन लोगों को दण्ड दिया, कानून-कायदे से दिया तो इस तरह के कोई काण्ड आगे से नहीं होंगे। यह मेरे सुझाव हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सम्पतरामजी।

श्री हरिसिंह (महुआ) : हम उम्मीद करेंगे कि आप अन्तरात्मा की पुकार सुनो.

श्री सम्पत राम (एकीकृत ग्रामीण विकास मंत्री) : आज जिस अन्तरात्मा से बोल रहे थे मैं उससे बढ़िया अन्तरात्मा से बोलूंगा।

अभी चर्चा हो रही थी इस विषय पर, वास्तव में एक बड़ी दुखद और शर्मनाक घटना है। दिल तो उस समाज का है, उस वर्ग का है जो हजारों बरसों से इस देश में इस प्रकार की घटनाओं का शिकार होता आया है। ऐसा आभास हो रहा था आप माननीय सदस्यों की बातचीत से, जैसे मुख्य मंत्रीजी पुलिस को संरक्षण दे रहे हैं, या उन भाइयों को जो नुकसान हो गया है, राहत नहीं देना चाहते हैं या सच्चाई तक नहीं पहुंचना चाहते।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : यह सरकार की तरफ से जवाब है, क्या है? सरकार की तरफ से जवाब मान लिया जाय इसी को?

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। आप अपने रिकार्ड को स्ट्रेट क्यों नहीं रखते हैं? जो हुआ है आप लोगों ने स्वीकार किया है और उसके बाद वही व्यवस्था है। जो व्यवस्था सदन ने स्वीकार की है वही चल रही है। मैंने कोई नयी बात नहीं कही।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात आप से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब सरकार बैठी है....

श्री अध्यक्ष : सरकार जवाब देगी।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : ऐसी स्थिति में इसको सरकार का जवाब नहीं माना जायेगा न ?

श्री अध्यक्ष : इनका स्पष्टीकरण सुन लीजिये। सरकार जवाब देगी।

श्री सम्पत राम : मैं यह अर्ज कर रहा था कि इस तरह के कुछ आये। घटना तो घट गयी। क्या घटी, कैसे घटी, किसकी गलती से हुआ, क्या नहीं हुआ, इस पर भी मैं थोड़ा-सा प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। लेकिन ऐसा मालूम हुआ जैसे मुख्यमंत्रीजी कुछ और चाहते हों और माननीय सदस्य कुछ और चाहते हों। जब यह घटना घटी थी मैं मेरे ऑफिस में था। मुख्य मंत्रीजी का टेलीफोन आया कि आप एकदम यहां आ जाइये। मैं वहां चला गया। आपने यह कहा कि इस तरीके से सात आदमी मर चुके हैं इस जगह, आपको वहां जाना होगा। मैंने कहा, मुख्य मंत्रीजी, मेरे तो पार्टी अध्यक्ष का चुनाव है, आप किसी और मंत्री को भेज दें तो उचित रहेगा। आपने यह कहा कि नहीं, इस मामले में तो आप खुद को ही जाना पड़ेगा, स्वयं जाओ।

सुनिये भाई, सुन लो, डॉक्टर साहब, बात तो सुन लो। आपने मेरे से तो शपथ-पूर्वक कहलाया है। मैं भी इन्सान हूं, आप भी इन्सान हैं। सब बातें सुन लो। इन सब बातों के साथ मेरे को वहां जाना पड़ा। मैं वहां चला गया। जब मैं वहां गया तो मेरे साथ कोई आदमी नहीं था, मैं अकेला था, सब ऑफिसर्स को मैंने दूर छोड़ दिया था। आपने जो पत्थर देखा खून का सना उससे ज्यादा खून मैंने वहां पर जमीन पर फैला हुआ देखा था। जब कत्ल होता है, कोई मर जाता है तो खून तो स्वाभाविक रूप से आयेगा। आपकी जो वेदना और तकलीफ है मगर मैं यह कहूंगा कि मुझे ज्यादा तकलीफ है तो आप नाराज हो जायेंगे लेकिन मैं यह मानकर चलता हूं उस वर्ग से आने के नाते मुझे बहुत तकलीफ हुई थी और मैं घण्टों वहां बैठा रहा। एक-एक महिला से बात की थी जिसका जिक्र आपने किया था और मैंने यह भी जानकारी की थी कि बेटी यह बताओ कि अपनी महिलाओं और बहन-बेटियों के साथ अभद्रता का व्यवहार तो नहीं हुआ ? तो उन्होंने बड़ी सत्यता के साथ कहा कि नहीं हुआ।

मुख्य मंत्रीजी से आकर मैंने सब बात कही है। पैसे की बात आपने कही कि अधिकार देकर नहीं भेजा और पता नहीं क्या-क्या बातें अपने बयान में कहीं। जब चलने का हुआ तो यह सवाल आया था कि क्या मदद देनी है ? मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा था कि यह मौके पर जा रहे हैं जैसा उचित समझेंगे उसी प्रकार का निर्णय स्वयं ले लेंगे और वहीं पर घोषणा कर देंगे। मैं ज्यादा की घोषणा कर सकता था लेकिन मैं चाहता था कि यह बड़ा मामला है और वहीं पर चलकर आप तक बात पहुंच जायेगी, मुख्य मंत्रीजी की जानकारी में सारी बात ला देंगे उसके बाद जो भी इनके मकान बनाने का है राहत देने का है और जो कुछ करने का है वह कर लेंगे। आप सब लोगों ने बड़ी गहराई से कहा था

(श्री सम्पत राम)

कि मैं राजनीतिक पहलू पर भी गया था जिसका अभी माथुर साहब ने जिक्र किया था। मैंने पूछा था कि भाई पहले चुनाव हुआ आपने किसको वोट दिया था ? औरतों से भी बात की, कुछ नवयुवकों से भी बात की, उनसे भी पूछा क्योंकि वह सब मैं जानकारी में लाना चाहता था, आप लोग गये उससे ज्यादा गहराई में जाकर मैं जानकारी करना चाहता था, लेना चाहता था। उन्होंने कहा कि हमारे अन्दर भी टुकड़े हैं। दो हिस्सा वोट भारतीय जनता पार्टी को गये हैं और एक हिस्सा वोट कांग्रेस को गये हैं ऐसा उनका अन्दाजा था। खैर ! अब प्रश्न यह आता है वहां पर गये, उनकी जितनी मदद करनी है और अन्य बातें हैं वह तो मुख्यमंत्रीजी स्वयं बोलेंगे और कुछ कहेंगे आपके सामने। यह सरकारी जवाब नहीं है। सरकार मौन बैठी हुई है। मेरे बारे में जो चर्चा आयी है इसलिए मेरा कहना बहुत आवश्यक है वह मैं कहूँगा। आप मौके पर गये हैं। सत्य बात है हथियार कंजर लेकर गये......

श्री परसराम मदेरणा : सीनियर मिनिस्टर ऑफ शेखावत गवर्नमेंट उनके निर्देश पर, परामर्श पर जाते हैं, आप कह रहे हैं कि सरकार उधर बैठी है—

Sarkar is a joint responsibility, gentleman, and you are part & parcel of the Government. You are a very seasoned minister.

मुझे तो इस बात का दुःख है कि आपको उन्होंने होम डिपार्टमेंट नहीं दिया और फिर भेज दिया वहां पर।

श्री सम्पत राम : मैं परसरामजी की तकलीफ को अभी दूर कर देता हूं। क्योंकि यह सवाल उठा था कि क्या यह सरकारी जवाब था...सुन लीजिये मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं, ज्वाइन्ट रेपोन्सिबिलिटि है, आपने भी काम किया है, आप भी जानते हैं। यह संकेत दिया था कि क्या यह सरकारी जवाब था ? मैंने कहा कि मेरा नाम बार-बार आया है इसलिए मेरा बोलना जरूरी है. मैं मौके पर गया हूं इसलिए मुझे बोलना जरूरी है, आपने मेरी तारीफ बहुत कर दी है इसलिए मुझे बोलना बहुत जरूरी है। एक बात बता दूं।

श्री परसराम मदेरणा : दूसरे भी मिनिस्टर्स गये हैं वह तो बोल नहीं रहे हैं, वह भी तो सरकार का पार्ट है, वह तो बोल नहीं रहे हैं और आप बोल रहे हैं और फिर हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वह आपके धन्यवाद का कृतज्ञता-ज्ञापन कर रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : आपने वहां पर कोई बात कही और अभी भी बहुत सत्य आप बोल रहे हैं कि 2/3 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले और 1/3 कांग्रेस को वोट मिले।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप उनको बोलने दीजिए ना।

श्री परसराम मदेरणा : दूसरे मिनिस्टर्स भी बोलेंगे या ग्राप ही बोल रहे हैं ?

श्री सम्पत राम : यह मेरी प्रशंसा कर रहे हैं इसके लिए तो मैं ग्राभार प्रदर्शित करता हूँ ग्रौर यह कहते हैं कि मन्त्रिमण्डल में यह महकमा नहीं दिया वह महकमा नहीं दिया, पर चूंकि गरीब तबके के साथ कुछ हुग्रा था मेरे ख्याल से जितने भी मंत्रिमण्डल के सदस्य हैं उनसे ज्यादा मेरे से मन्त्रणा हुई थी। एक मुद्दा यह ग्रायेगा, कहते हैं कि इतने ग्रादमी थे। मैंने पूछा वहां दो गाड़ियां गयी थीं। एक गाड़ी नहीं थी, दो गाड़ी थी। एक गाड़ी तो पुलिस की थी ग्रौर एक बाद में गाड़ी गयी थी ठेकेदार की, जो शराब का ठेकेदार था, शराब का जिसने ठेका ले रखा है उसकी गाड़ी गयी थी। उन्होंने जानकारी नहीं दी थी परन्तु मुझे जानकारी मिली थी, यह मैंने जानकारी की थी। उसमें हथियार लेकर गये थे। दो बातें हो सकती हैं। एक माननीय सदस्य ने कही कि थानेदार की मध्यस्थता थी ग्रौर वह मरवाना चाहता था इसलिए कंजरों से हथियार रखवा लिए ग्रौर भीड़ से कह दिया कि तुम इनको मारो। एक प्रश्न यह हो सकता है। एक यह भी हो सकता है कि वहां पर जो मालूम किया है कि वह मन-मुटाव को दूर करना चाहता था ग्रौर ज्यादा गड़बड़ न हो, कंजरों के पास बन्दूकें थीं यह बात उन्होंने मेरे सामने कबूल की है उस समय यह सब कुछ था उस हादसे को टालने के लिए थानेदार ने कोशिश की है...(व्यवधान) ...मुझे कह तो लेने दीजिये...(व्यवधान)

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय सदस्य, देखिये ग्रापको बहुत शान्ति से सुना गया है ग्रौर मैं समझता हूं कि....(व्यवधान)......मैं जब उनको पहले बुलवाना चाहता था पर ग्राप लोगों ने ग्रापत्ति की, ताकि ग्रापको जवाब दे सकें। ग्राप विराजें। प्लीज सिट डाउन।

श्री सम्पत राम : तोड़-फोड़ नहीं करूँ, मैं 302 का मुलजिम बना दूं ग्रौर पकड़ लूं। ग्राप मेरी बात सुन लीजिये..... (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : ग्रध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि माननीय मंत्री महोदय यह बयान दे रहे हैं कि हादसा नहीं हो इस बात में कंजरों से हथियार रखवा लिए। क्या हमलावरों से हथियार रखवाये गये थे ? क्या केवल कंजरों से ही हथियार रखवाये गये ? क्यों ?......(व्यवधान)

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय बैदजी। ग्राप बहुत सीनियर हैं मैं ग्रापका बहुत जोर से नाम नहीं ले सकता। ग्राप पहले सुन तो लीजिये।

श्री सम्पत राम : ग्राप मेरी बात सुन लीजिये....(व्यवधान)

श्री ग्रध्यक्ष : ग्राप सुनना ही नहीं चाहते हैं।

श्री चन्दनमल बैद : सुनने लायक कुछ है ही नहीं।

श्री ग्रध्यक्ष : फिर ग्राप बैठिये। जो लोग सुनना चाहते हैं उनको तो मौका

(श्री अध्यक्ष)

दीजिये । आप विराजें । प्लीज सिट डाउन । कृपया बैठें । अब मैं खड़ा हुआ हूं और आप भी खड़े हैं यह कोई मर्यादा है ?

डा. हरिसिंह : माननीय सम्पतराम जी जानते हैं मुख्य मंत्रीजी के दवाब में आकर यह सारे मामले को ट्विस्ट कर रहे है ।

श्री अध्यक्ष : आप विराजें ।

श्री सम्पत राम : माननीय अध्यक्ष जी, जब तक मैं मेरा बयान नहीं दे देता, स्टेटमेंट सदन के सामने नहीं कह दूं तब तक यह क्या मतलब है ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हां यह भी कर रहे हैं । आप तो बोलिये...

श्री चन्दनमल बैद : मंत्रीजी कह रहे हैं कि हादसा टालने के लिए कंजरों के हथियार रखवाए लिए । मैं पूछना चाहता हूं कि हादसा टालने के लिए...

श्री यदुनाथ सिंह : समझ तो नहीं रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं ?

श्री चन्दनमल बैद : यह बात सही नहीं है....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय बैदजी। अभी इसकी जांच हो रही है क्या, अभी यह निर्णय हो जायेगा, अभी निर्णय होने की कोई बात नहीं है । आप अपनी बात कह चुके, अब सुनना नही चाहते हैं...(व्यवधान) ...माननीय सचेतकजी । आप बोलिये...... (व्यवधान)

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : माननीय मंत्री महोदय सदन में 11·00 बजे आये तब तक मैं बोल चुका था, अखबार में जो वर्सन था उससे वह सहमत थे ।

श्री अध्यक्ष : अभी वह बोले ही कहां यहां पर अखबारों के बारे में । एक बात उन्होंने नहीं कही है । तो उनकी भूमिका तो सुन लीजिए आप ।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : नहीं, उनकी नीयत निश्चित तौर से साफ हो गई ।

श्री अध्यक्ष : आप साफ करिये किस की नीयत में क्या है इसका निर्णय आप नहीं कर सकते हैं और न हम कर सकते हैं । आप पूरी बात सुनेंगे तो पता चलेगा । कृपया बैठें । गलत और सही निर्णय यह नहीं हो सकता है ।

श्री चन्दनमल बैद : वह तो कंजरों के हथियार रखवा लेने की बात से साफ हो गई माननीय मंत्री महोदय की नीयत ।

श्री अध्यक्ष : जो हो गयी, आपने भी साफ कर दो । अच्छा, आप विराजें । माननीय मंत्रीजी ।

श्री सम्पत राम : अध्यक्ष महोदय, उस समय जब तक पुलिस पहुंच गई थी....

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट के सीनियर मिनिस्टर जो मौके पर गये, घण्टों तक इन्होंने लोगों से बात की, सभी फैक्ट्स जानने की कोशिश

(श्री परसराम मदेरणा)

की लेकिन सब इन्सेपेक्टर की मानसिक स्थिति क्या थी और उसने निर्णय यह लिया या वह लिया यह भी हो सकता है वह भी अल्टरनेटिव हो सकता है, यह बयान किसी गवर्नमेंट के मिनिस्टर का नहीं है। यह तो ठीक है आप अपनी ओपीनियन बना रहे हैं और जब तक सरकार का कोई भी मंत्री जांच के बाद में इस निर्णय पर नहीं पहुंच जाये कि वार्ता टालने के लिए थी उनको किस लिए अलार्म किया गया, क्यों किया गया और उसकी वजह से जो सब-इन्सपेक्टर का निर्णय था, एरर ऑफ जजमेंट थी या वह कोल्यूजन और कान्सपिरेन्सी में था इस बात के निर्णय के बिना कोई ओपीनियन बना करके....

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री सम्पत राम : माननीय परसराम जी ने बिल्कुक ठीक कहा है। मैं ओपीनियन बिल्कुल नहीं बना रहा और मुझे बनानी भी नहीं चाहिए और वही बात मैं कह रहा था कि इन आधारों की ओपीनियन न बनायें। तो वहां यह सम्भावनाएं मैं आपको अर्ज कर रहा था। जैसे पुलिस होती है....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। सैनीजी आप विराजिये।

एक माननीय सदस्य : इस तरह एक तरफा कार्यवाही नहीं चलेगी। हम आपकी गम्भीरता केलक्यूलेट कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : अंकित मत करिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : XXX

श्री यदुनाथ सिंह : XXX

श्री अध्यक्ष : आप मेरा आदेश मानेंगे नहीं तो मैं आपका आदेश दूंगा।

श्री चन्दनमल बैद : XXX

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : XXX

श्री अध्यक्ष : माननीय सम्पतराम जी।

श्री सम्पतराम : माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह बात कहना चाहता हूं वह आप कहने नहीं देते, बड़ा दुर्भाग्य है। अब इसके बाद मान लीजिये यह बात नहीं है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : XXX

श्री महावीर प्रसाद जैन : XXX

श्री ईश्वरलाल सैनी : XXX

श्री अध्यक्ष : आप बोलते रहिये।

श्री जगत सिंह दायमा : XXX

श्री ईश्वरलाल सैनी : XXX

श्री अध्यक्ष : माननीय सम्पतराम जी, आप बोलते जाइये।

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री सम्पत राम : मैं यह बात कहना चाहता हूं जो आप कह रहे थे......

श्री ईश्वरलाल सैनी : XXX

श्री अध्यक्ष : दायमा जी, बैठिये आप XXX

श्री सम्पत राम : अध्यक्ष महोदय, यह बात बड़ी साफ है।

श्री चन्दनमल बैद : XXX

श्री सम्पत राम : चन्दनमल जी आप सुनो तो सही। यह संवाद मैंने एक सम्भावना बताई लेकिन फिर भी मैं यह मानता हूँ कि ....

श्री राजेन्द्र पारीक : XXX

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : XXX

श्री सम्पत राम : मैं अखबार के बारे में स्टेटमेंट दे रहा हूँ आप सुनते क्यों नहीं हैं।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : XXX

श्री हीरालाल इन्दौरा : XXX

डा. हरि सिंह : XXX

श्री अनंग कुमार जैन : XXX

श्री महावीर प्रसाद जैन : XXX

श्री राजेन्द्र पारीक : XXX

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री सम्पत राम : अध्यक्ष महोदय, वहां पर पुलिस मौजूद थी।

श्री लक्ष्मीनारायण दुबे : XXX

श्री अध्यक्ष : मुझे लग रहा है विपक्ष के सदस्यों को भय लग रहा है। आप भयभीत हैं। आप मंत्रीजी के भाषण से भयभीत हो रहे हैं। बैठिये आप।

श्री लक्ष्मीनारायण दुबे : XXX

श्री किशन गोपाल कोगटा : XXX

श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित : XXX

श्री हरि सिंह : XXX

श्री प्रद्युम्न सिंह : XXX

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : XXX

श्री सुरेन्द्र व्यास : XXX

श्री राजेन्द्र पारीक XXX

श्री बुलाकीदास कल्ला : XXX

श्री राजेन्द्र पारीक : XXX

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, आप बैठिये। यदि हाउस को नारों से ही चलाना चाहते हैं तो चलाइये। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। राजस्थान की जनता आपको देख रही है। (व्यवधान)

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

लगाइये नारे. और लगाइये नारे लगाकर विधान सभा चलाना चाहते हैं तो लगाइये नारे आप । आप नारे लगाइये । (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह गलत है अध्यक्ष महोदय, आप सरकार की मदद कर रहे हैं । हमारी रक्षा करिये आप... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मुझे खेद है कि कांग्रेस में इतने जिम्मेदार नेता होने के बावजूद भी सदन को नारों से चलाना चाहते हैं । यह खेद की बात है । (व्यवधान) आप सोच समझकर बोलिये । आप इसी तरह से हाउस चलाना चाहते हैं, अपने नेताओं को खुश कीजिये, लगाइये नारे । आप सुनने को तैयार क्यों नहीं हैं । आप जब तक बोलते रहे किसी ने इण्टरप्शन नहीं किया । आपको किसी ने बोलने से रोका नहीं । आपके हर एक वक्ता ने...(व्यवधान) आप सुनना नहीं चाहते, आप सुनना क्यों नहीं चाहते । इनको बोलने दीजिये । आप बोलिये । (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्रीजी अखबार के बारे में अपना वक्तव्य शुरू करें । (व्यवधान)

विपक्ष के कई माननीय सदस्य : + + + (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सारी नैतिकता मूर्त रूप से यहां खड़ी हो रही है । सारी नैतिकता यहां अभी खड़ी है । (व्यवधान) लगाइये आप, लगाइये । मुझे बार-बार आपको कहना पड़ रहा है । आप कांग्रेस के शानदार इतिहास में काला धब्बा मत लगाइये । (व्यवधान) लगा रहे हैं, लगाइये, लगाइये ।

एक माननीय सदस्य : सरकार के इतिहास पर काला धब्बा लगा है । (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी पहले अपना वक्तव्य दें ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : विपक्ष के माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करना चाहता हूं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आज आप सारी परम्पराओं को तोड़ना चाहते हैं तोड़िये । मुख्य मन्त्रीजी बोल रहे हैं, आप उनको सुनिये । (व्यवधान) आप उनको बोलने दीजिये । यदि आप भयभीत नहीं हैं तो बोलने दीजिये । सम्पतरामजी को सुनने का साहस बटाइये । नहीं बटाते हैं तो मत बटाइये । (व्यवधान)

श्री हरिदेव जोशी : मुझे खेद है, अनेक अध्यक्षों को देखने का मुझे मौका मिला है, मगर मुझे खेद है, जिस प्रकार से आप हाउस को कण्डक्ट कर रहे हैं वह यह बतलाता है कि आपका दृष्टिकोण क्या है । मैं यह आशा करता था कि जिस चीज को हमने उठाया है उस चीज की गम्भीरता को देखते हुए इस सदन को, ट्रेजरी बैंचेज को, यह गाइड करते, गाइडेंस देते अपने अनुभव

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

(श्री हरिदेव जोशी)

से कि जो लोग यह बात कह रहे हैं उसके अन्दर अगर वजन है तो आप उतनी ही गम्भीरता से उसको लीजिये। और इसके बदले में आपने विरोधी पक्ष को उपदेश देना उचित समझा। आप अपनी पार्टी जिससे आप आये हैं, उनको यह बात कही आश्चर्यजनक चीज है, चेयर से इस प्रकार की स्थिति पैदा होती है... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : हमको तो शंका है इस बात पर कि कांग्रेस पक्ष वास्तव में इस बात की गम्भीरता रखना चाहती है या नहीं। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के माननीय सदस्य इस बात से सन्तुष्ट होंगे कि (व्यवधान) मैं आपको इतना बता दूं कि आप इसी तरह से + + + करोगे तो कमजोर पक्ष सत्ता पक्ष में नहीं रहेगा। अभी जोशीजी ने जो कहा हमने उस बात को सुना। विपक्ष के नेता बोल रहे थे...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप मुख्यमंत्री जी को भी सुनना नहीं चाहते और आप मुझसे यह अपेक्षा करते हैं कि मैं हाउस में यह बात नहीं कहूँ जो मुझे सही लगे। जोशीजी को इन्होंने शान्ति से सुना और अब आप मुख्य मंत्रीजी को सुनना नहीं चाहते। (व्यवधान) आप बैठ जाइये, प्लीज सिट डाउन। प्लीज सिट डाउन। (व्यवधान) आई विल नेम यू। प्लीज सिट डाउन। आप बैठ जाइये, आप बैठ जाइये। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, आपने कांग्रेस के बारे में जो शब्द कहे उसको कार्यवाही से निकालिये।

श्री अध्यक्ष : आप मुख्यमंत्री जी को सुनना नहीं चाहते। और न्याय की बात करते हैं। सुनना किसी को नहीं चाहते आप। न मन्त्रीजी को सुन रहे हैं न मुख्यमन्त्री जी को सुन रहे हैं। अध्यक्ष को उपदेश दे रहे हैं। मुझे खेद है जोशीजी ने कहा उस पर भी खेद है। (व्यवधान) आप बैठिये, आप सुनिये। आप हाउस में शान्ति रखिये। बैठिये। आप बिराजिये। (व्यवधान) अच्छा, अच्छा आप बोलिये, आप बोलिये।

श्री चन्दनमल बैद : वहां पर थानेदार की साजिश से गोली चली। यहां पर आप चलवाइये। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने कांग्रेस पर एसपरशन किया है...

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदार शहर) : बैठिये, आप तो + + + (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, आपने कांग्रेस के बारे में जो कमेण्ट्स किये है उनको एक्सपन्ज कीजिये। यह आपको शोभा नहीं देता। आपने कांग्रेस के बारे में जो भी कहा है बिल्कुल गलत है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने कहा, कांग्रेस की शानदार परम्परा—इसको आप एक्सपन्ज कराना चाहते हैं। आप इसको एक्सपन्ज

+ + + माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

कराना चाहते हैं ? मैंने कहा कांग्रेस की शानदार परम्परा, उसको आप एक्सपन्ज कराना चाहते हैं । (व्यवधान) आप "कांग्रेस की शानदार परम्परा" शब्द को एक्सपन्ज कराना चाहते हैं ? (व्यवधान) नहीं चाहते, रहने दीजिये ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आपने जो कांग्रेस के बारे में गलत कमेण्ट्स किये उनको एक्सपन्ज कीजिये ।

श्री ईश्वरलाल सैनी : आपने कहा है कि हम भयभीत हैं और फिर आपने स्पष्टीकरण किया कि आप में सुनने की शक्ति नहीं है । इन शब्दों को आप वापस लीजिये । (व्यवधान)

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में धरना दिया गया ।) (व्यवधान)

कई माननीय सदस्य : चलाईये गोली...

(सदन में नारेबाजी) + + +

श्री अध्यक्ष : श्री सम्पतराम जी, आप बोलिये । यह तो करेंगे आप बोलिये ।

श्री सम्पतराम : माननीय अध्यक्ष जी... अब तो सुन लो । आपके मतलब की बात कहूंगा अब तो सुन लो ।

(सदन में नारेबाजी)

श्री यदुनाथ सिंह : वह सरकार बदल दी है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही 3.45 बजे तक स्थगित करता हूं ।

(तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही अपराह्न 3.13 बजे से 3.45 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

सदन के पुनः समवेत् होने पर
3.45 म. प.

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही आधे घण्टे (4.15 बजे) तक के लिए और स्थगित की जाती है ।

(सदन के पुनः समवेत् होने पर)
4.15 म. प.

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिये और स्थगित की जाती है ।

(सदन के पुनः समवेत होने पर)
4.40 म. प.

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्यमंत्री जी ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, सदन में कुछ बातों को लेकर इस प्रकार की भ्रांति उत्पन्न हो गई जिसके कारण विपक्ष के साथी अप्रसन्न भी

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

हो गये और सदन में धरना देकर बैठ गये। मुझे इस बात की खुशी है कि उनसे बातचीत करने के पश्चात यह मामला निपट गया। लेकिन मैं सदन को और खास तौर से विपक्ष को इस बात का भरोसा दिलाना चाहता हूं कि मेरी ओर से सदन की मर्यादा या किसी माननीय सदस्य की मर्यादा पर कभी भी कोई आघात नहीं हो सकेगा। यदि आप लोग ऐसा समझते हो कि मेरे व्यवहार के कारण आपको वेदना हुई है तो मैं निश्चित रूप से उस पर खेद प्रकट करता हूँ। मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि मैंने आज के प्रसंग में मेरी ओर से इस बात का प्रयत्न किया है कि माननीय सदस्य खूब अच्छी तरह से बोलें, पूरा समय लें और जो भी घटनाक्रम है उसको जिस रूप में भी वह चाहें विधान सभा में रखें और आपने प्रश्नकाल स्थगित किया जाये। कोई भी राजस्थान में इस प्रकार की घटना होगी तो चिन्ता आपको भी होगी और चिन्ता मुझे भी होगी लेकिन सत्ता पक्ष में होने के नाते मुझे ज्यादा चिन्ता होगी और आप लोग उस चीज को विधान सभा में रखकर अपने कर्तव्य का निश्चित रूप से निर्वहन करें। यह दोनों का ही इस प्रकार का आदान-प्रदान यह सदन में चलता रहे और उसके लिए वातावरण बहुत ही स्वस्थ बने इस दृष्टि से मैं सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि हम अलग नहीं हैं। हम इस सदन के सदस्य के नाते पूरी राजस्थान की जनता के प्रति एक विशेष उत्तरदायित्व लिये हुये हैं। हमारे आचरण में यदि किसी भी प्रकार की कोई कमी रहती है तो दोष देने का सवाल नहीं है हमें स्वयं को ही अपनी ओर देखना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ जो माननीय सदस्य अभी अप्रसन्न हो गये वह प्रसन्न मुद्रा में यहां बैठें इस खुशी के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : माननीय जोशी जी।

श्री हरिदेव जोशी (नेता, प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, व्यक्तिगत रूप से भी और जिस स्थान पर वह बैठे हैं उस दृष्टि से भी भैरोंसिंह जी शेखावत से हम यही अपेक्षा करते हैं। दरअसल यहां हम एक जिम्मेदारी लेकर के आये हैं। जहां मैं बैठा करता था वहां आज आप बैठे हैं। जहां आप बैठा करते थे वहां आज मैं बैठा हूं। दोनों को अपने कर्तव्य निभाने हैं। हमने यह सोचा कि राजस्थान के एक कोने में चाहे वह बहुत ही वीरान कोना हो वहां एक दुर्घटना के तुरन्त बाद में राजस्थान विधान सभा का अधिवेशन हो रहा है, हमने यह सोचा कि यह हमारा दायित्व है विरोधी पक्ष के नाते ही नहीं बल्कि इस सदन के सदस्य के नाते कि हम इस चीज को आपके समक्ष रखते हैं। आपने देखा होगा अध्यक्ष महोदय, कि मैंने इस चीज को रेज किया, मेरे मन में कहीं कोई उत्तेजना नहीं। नम्रतापूर्वक जितना मैं नम्र हो सकता हूं दो लाइनों में मैंने अपनी बात कही और मैं बैठ गया। बार-बार जब उत्तेजना हुई तो मैंने पूछा कि मैंने कोई ऐसा शब्द कहा है जिससे किसी को बुरा लगा हो। प्रश्न यह है कि हम एक दृष्टिकोण रखते हैं आप दूसरा

(श्री हरिदेव जोशी)

दृष्टिकोण रखते हैं। हम अपनी बात कहते हैं आप अपनी बात कहते हैं। उस कहने के अन्दर अगर कहीं कोई कड़वाहट आती है तो बुरा तो लगता ही है। बुरा लगा उसका उतनी ही ताकत के साथ में हमने विरोध किया। मैं समझता हूँ जैसा आपने कहा उसको भूलकर के हम लोग इस राजस्थान के हितार्थ में लगें यह हमारा परम कर्तव्य है। तो अगर आप कार्यवाही आगे बढ़ाते हैं तो हम उसका स्वागत करेंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों, सदन के नेता व विपक्ष के नेता ने जिस गरिमा के साथ अपने भाव आपके सामने प्रकट किये हैं मैं समझता हूं मेरा भी उत्तरदायित्व है कभी-कभी आप भी भूल कर जाते हैं मुख्य मंत्री जी, माथुर साहब को मुख्य मंत्री कह देते हैं यह चालीस साल के जो पुराने संस्कार हैं वह कभी-कभी आ जाते हैं। हो सकता है कि सारी बहस में, मेरे से यह भूल नहीं होगी यह भूल आपस में ही होने की बात है लेकिन मेरे पर भी चालीस साल के संस्कार ऐसे पड़े हुए हैं कि कभी-कभी बावजूद इसके कि मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं इम्पार्शल रहूँ नॉन पार्टी मेन हूं और मेरे कन्डेक्ट से मैं समझता हूँ अब तक तो आपको कहीं पार्शलिटी नहीं दिखी होगी लेकिन मेरे शब्दों से लगता हो कहीं कि इस तरह के शब्द आपको पिन्च करते हैं तो मैं ऐसे शब्दों के बारे में ध्यान रखूंगा कि किसी तरह से भी आपको पिन्च नहीं करें और यह मैं फिर आश्वासन देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूं कि सदन की कार्यवाही नियमानुसार चले। विपक्ष का जो अधिकार है उसके प्रोटेक्शन को करने का, मैं फिर से आश्वासन देता हूं कि विपक्ष अपनी बात सदन में रखें, पुरजोर शब्दों में रखें उसको रोकने के लिए मैं कभी भी अपने डिस्क्रीशन का दुरुपयोग नहीं करूंगा और आज भी सदन की इच्छा है दोनों ओर से जो नियम 306 के अन्तर्गत सदन की इच्छा से प्रश्न काल स्थगित किया गया यह इने गिने मौकों में से एक मौका है जिसमें आज प्रश्न काल स्थगित किया गया है चूंकि मामला दोनों तरह से ही बहुत गम्भीर माना जा रहा है मैं स्वयं इस बात का हूं कि जो घटना हुई है वह इतनी दुखान्तिक है कि उसके बारे में यह सदन चर्चा नहीं करे तो मैं समझता हूं कि सदन अपने कर्तव्यों मे सफल नहीं माना जायेगा इसलिए अब कार्यवाही ठीक प्रकार से चले इसी आशा के साथ मैं माननीय सम्पत राम जी से निवेदन करूंगा कि वह बोले।

श्री सम्पत राम : माननीय अध्यक्ष जी, मैं जो कुछ पहले इस सदन के सामने अर्ज कर चुका हूँ उसका रिपिटेशन नहीं करूंगा। मैं यह कह रहा था और अब भी मैं अनुरोध करता हूं कि मेरी बात को सारी को सुने कि जब उन कजरों से हथियार रखवा लिए गये और एक जगह वह इकट्ठे हो गये तो यह वहां पर आयावर्जन कि साहब झगड़ा फसाद न हो हम इनको रोकें यह प्रयत्न की बात है। अब प्रश्न यह है कि यदि यह भावना थी पुलिस जो मौजूद थी और उनकी भावना के मुताबिक काम नहीं हुआ और फिर उनके ऊपर

(81)

(श्री सम्पत राम)

हमला कर दिया गया ग्रौर थोड़े से दायरे के ग्रन्दर ही थोड़े से समय में काफी लोगों का वहां पर कत्लेग्राम हुग्रा। एक नागरिक की हैसियत से ग्रौर महकमे के कर्मचारी होने के नाते कुछ उत्तरदायित्व उनका बनता है उस वक्त ग्रगर उनकी धारणा जो थी, वह फेल हो गयी थी तो हवाई फायर करना चाहिए था। कोई इस तरह का काम करना चाहिए था ताकि वह निर्दोष कंजर इस तरीके से न मारे जाते। यह जांच का विषय है लेकिन यदि यह सही है तो निश्चित तौर से ग्रवेटर है ग्रौर वह बड़े से बड़े जुर्म का भागी है यह मैंने ग्रखबार में भी कहा ग्रौर ग्राज भी कहता हूँ। ग्रब सवाल यह पैदा होता है, कि ग्रब प्रश्न यह है कि क्या सारे लोग इकट्ठे हुए हमने यह भी जानकारी करने की कोशिश की ग्रौर मेरे से ज्यादा मुख्य मंत्रीजी ने की। मैं नहीं कर सका। कितना बड़ा हादसा हुग्रा कहीं न कहीं मीटिंग हुई होगी कोई योजना बनी होगी। उस टाइम ग्राये होंगे सुबह तो कोई न कोई सूचना किसी न किसी जगह होनी चाहिए ग्रौर नहीं है तो क्यों नहीं है। यह जानकारी का विषय है। इसके बाद वहां पर जो कुछ भी हुग्रा वह तो निश्चित तौर से काफी खराब है। ग्रौर इससे बुरा कुछ हो भी नहीं सकता तो जो भी दोषी ग्राफिसर हैं उसके बारे में मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन कर दिया था कि यह साधारण मामला नहीं है। यदि हथियार नहीं रखवाये गये होते तो वह कंजर शायद इस तरीके से नहीं मरते ग्रौर मरते तो तादाद तो जरूर बढ़ जाती उस साइड से भी कितने ग्रादमी मरते यह मैं नहीं कह सकता लेकिन काफी लोगों का मुकाबला हो जाता यह था। इसके ग्रलावा यहां तो हथियार रखवा लिए। बिहार में भी हरिजनों पर काफी ग्रत्याचार की शिकायतें ग्राई थीं तो मुल्क में एक धारणा बनी थी, संसद में भी यह प्रश्न ग्राया विधान सभाग्रों में भी ग्राया था कि पिछड़े वर्ग के लोगों को हथियारों से सुसज्जित किया जाये ताकि ग्रगर प्रशासन मदद नहीं कर सके तो वह स्वयं इन हमलों ग्रौर ग्राक्रमणों के खिलाफ जूझें, लड़ें ग्रौर ग्रपनी ग्रात्मरक्षा करें यह भी था तो मैं तो यह कहता हूं कि इस पहलू को इस तरीके से देखना चाहिए। यह ऐसा प्रश्न नहीं है जो इधर या उधर की दलबन्दी का है। इस सारे प्रश्न में यह जानकारी करनी होगी मुख्य मंत्रीजी से मैंने ग्रर्ज किया वह शायद प्रबन्ध भी करेंगे। इस पहलू को जो देखा पुलिस का सबइन्सपेक्टर, दूसरे लोगों ने जो हालात बताये, यह दोषी है ग्रगर वह दोषी है तो निश्चित तौर से मुख्य मंत्रीजी एक्शन लेंगे ग्रौर मैं कहता हूँ ग्रापकी जो मांग है धारणा है, उससे कम मेरी धारणा भी नहीं है। मैं भी उसी तरीके से मानता हूं। ग्रखबार की बात को ग्राप बार-बार कोट करते हैं मैं उससे भी ग्रागे जाना चाहता हूं हो सकता है सबइन्सपेक्टर नहीं हो किसी दूसरे ग्रॉफिसर का भी हाथ हो सकता है उसको भी स्पेयर नहीं किया जायेगा। यह भी हम जांच कर रहे हैं, इससे भी हमने मुख्य मंत्रीजी को ग्रवगत करा दिया था ग्रौर खुद मौके पर देखकर ग्राये हैं। लेकिन यह बात भी सच है, हमने एफ.ग्राई.ग्रार. वगैरह भी देखी। पिछले वर्षों में ग्रगर मैं रिजीम का नाम

(श्री सम्पत राम)

लूंगा तो नाराजगी हो जायेगी, वह तो ठीक नहीं है। लेकिन पिछले वर्षों में चोरी के, विभिन्न प्रकार के, हिस्ट्रीशीटर के, वारण्ट के कितने ही केसेज इन कंजरों के खिलाफ हुए हैं। लेकिन इसका मतलब यह कहां हो जाता है कि यह जुर्म करें और इसके बदले में यह इस तरह का आक्रमण करें। वहां पर कोई चीज नहीं छोड़ी, सब कुछ नष्ट कर दिया। इसकी जिम्मेदारी, मैं मानता हूं, चाहे इधर के माननीय सदस्य बैठे हों, चाहे उधर के बैठे हों, सारा का सारा हिन्दु समाज है। आज वह लोग समाज की मेन धारा से बिल्कुल कट गये। अलग रहते हैं स्कूल नहीं है, नजदीक में बैठता नहीं है, उनका कोई प्रबन्ध नहीं करता है। यदि यह नहीं हुआ, इसी तरह की घटनाएं होती रहेंगी और यह अपने एक्शन्स को नहीं छोड़ेंगे। हमको उनके नजदीक जाना पड़ेगा। एक उदाहरण आपको बताता हूं। शाहजहांपुर आता है जब आप जाते हो दिल्ली से वहां पर मीणों के तीन-चार सौ घर हैं। यह पहले पंजाब में थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट के जमाने में चोरी बहुत करते थे डाका बहुत डालते थे। नामी थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया। हर घर में से एक-एक आदमी को उन्होंने पुलिस में दाखिल किया उनको एजूकेशन दी, उनको सम्भाला। आज की स्थिति यह है कि अध्यक्ष महोदय, कोई चोरी डाका वहां पर नहीं करता है। आपने समझा कि यहां पर भी कोटा और मध्य प्रदेश में लूट खसोट होती थी पिण्डारियों के द्वारा, उनके लिए भी तत्कालीन सरकार ने यह व्यवस्था की थी कि इन्हें कहीं न कहीं सैटिल करो नहीं तो यह समस्या हल नहीं हो सकेगी। इसी प्रकार की व्यवस्था आपकी यहां की जो घुमक्कड़ कौम है और यह जो जुर्म करती है उस जुर्म के लिए सारा का सारा समाज जिम्मेदार है। आज जब उन्होंने चोरी कर ली तो उनके ऊपर इतना बड़ा हादसा हो गया। बहुत से लोग हैं जिन्होंने डाका डाला, बहुत से लोग हैं जो जुर्म करते हैं, उनके ऊपर कुछ नहीं हो पाता क्योंकि वह कमजोर हैं। सारा समाज एक हो गया। अकेले सवर्ण ही नहीं थे। इसमें जो भीड़ आई थी तीन या चार हजार की उसमें शिड्यूल्ड कास्ट के लोग भी हैं। यह मैं मानूंगा कि नेतृत्व दूसरे का था, उनके साथ वह आगे हो गये। मेरे को यही स्टेटमेंट देना था। अखबार वाली बात तो मैं आज भी कहता हूं कि पुलिस का कर्तव्य बनता था कि वह फायरिंग करती। हवाई फायरिंग करते और कोई भी जिसमें मानवता का खून बचा था या कुछ भी हो जाता उसको बीच में गोली चलाकर रोकना चाहिए था। यह उनका कर्तव्य था, वह नहीं निभाया उसके बारे में जांच होगी। और कोई भी दोषी पाया गया तो सरकार किसी भी रूप में उसको स्पेयर नहीं करेगी और इसके अलावा भी आपने यह जिक्र नहीं किया गया, और भी कई ऑफिसर हैं उसकी भी कोई कोताही रही होगी तो उसकी भी मुख्य मंत्रीजी जांच कर रहे हैं उसमें से किसी को भी स्पेयर नहीं किया जायेगा। आप लोगों ने जो जानकारी चाही वह मैंने दे दी। मैं इन्हीं

(श्री सम्पत राम)

शब्दों के साथ अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्रीजी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय श्री सम्पतरामजी का का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने अपने दर्द को कई रूप में इस सदन में प्रवृत्त किया। अध्यक्ष महोदय, यह घटना हुई इससे इन्कार करने की स्थिति नहीं है। घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, मुझे और पूरे सदन को इस घटना के कारण बहुत दुख है। अब प्रयत्न यह करना है कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। अध्यक्ष महोदय, इस घटना की नैतिक जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और मैं समझता हूं इसको स्वीकार करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। राजस्थान के मुख्य मंत्री होने के नाते यदि किसी की जेब में से पांच रुपये निकल गये, किसी आदमी का सिर फोड़ दिया या किसी आदमी का कत्ल कर दिया गया, मुख्य मंत्री के नाते मैं अपने उत्तरदायित्व से अलग नहीं हो सकता। आप कहें या नहीं कहें मैं स्वयं भी मानता हूं कि मेरी यह नैतिक जिम्मेदारी है। इस नैतिक जिम्मेदारी के साथ आपने मेरा त्याग पत्र मांगा। मैं इतना ही कह सकता हूं कि मुख्य मंत्री बनने का या बने रहने का मेरा कोई एम्बीशन नहीं है। मुख्य मंत्री बनकर मैं धन कमाने के लिए नहीं आया हूं, व्यक्तिगत लाभ उठाने के लिए नहीं आया हूं। जनता ने मुझ में विश्वास व्यक्त किया है, जनता की कुछ अपेक्षायें हैं उन अपेक्षाओं के आधार पर जितनी मेरे द्वारा, मेरे साथियों के द्वारा जनता की सेवा हो सके इस प्रकार का निरन्तर प्रयास करूंगा इसमें कोई सन्देह करने की आवश्यकता नहीं है। त्याग पत्र का प्रश्न है, इस बारे में भी मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर मेरे त्याग पत्र देने से यह सदन मुझे इस बात का विश्वास दे दे कि भविष्य में किसी हरिजन के साथ अन्याय नहीं होगा तो त्याग पत्र देने में मुझे एक मिनट नहीं लगेगा। लेकिन यदि मैं यह समझूं कि हरिजनों के ऊपर होने वाले अत्याचार मेरे त्याग पत्र से रुकते हों तो मेरे लिए इससे बड़ी कोई सेक्रिफाइस नहीं है। यह आप विचार करें। मैं आपके ऊपर ही छोड़ता हूं कि मेरे त्यागपत्र के कारण इस समस्या का समाधान हो तो आप मुझे कह दीजिए एक मिनट लगेगा। अब दूसरा प्रश्न आता है....

डा. हरि सिंह (फुलेरा) : आपकी सरकार बनने के बाद जुर्म बढ़े हैं। यह स्थिति साफ है। जगह-जगह हरिजनों पर जुर्म हो रहे हैं मैं आपको इसकी एविडेन्स दूंगा और वह आपके बलबूते पर हो रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है, आप दे दीजिए आपको बहुत मौका मिलेगा। मैं ऐसा नहीं समझता कि आपको मौका नहीं मिलेगा, अभी मौका मिला है। अब दूसरा प्रश्न आता है कि क्या देश में हमने इस प्रकार की परम्परा डाली है...(व्यवधान)

श्री रामप्रसाद लड्ढा : तीन घटनाएं हुई हैं आपके राज में, 17 तारीख को, बारात को नहीं चलने दिया। आगरा में देख लीजिए क्या हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये ।

सदन की कार्यवाही
सदन की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घण्टे के लिए बढ़ा दिया जाय । सदन की कार्यवाही पूरी होने तक ।

श्री अध्यक्ष : सदन की आज की कार्यवाही पूरी होने तक के लिए सदन की अनुमति से समय बढ़ाया जाता है ।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा
ग्राम मण्डावरी, जिला चित्तौड़गढ़ में कंजरों की हत्या

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, वैर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है कि आगरा में कुछ घटनाएं हो गई, मैं समझता हूं माननीय सदस्य आगरा चले जायं ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : 17 तारीख को वैर में हुई है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह मैं समझ गया ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हिण्डौन में बारात को रोक दिया गया । मेरे सामने 17 तारीख को मैं खुद बरात चढ़ाकर आया हूं । यह आपके राज की बात है । वैर में 17 तारीख को बारात को नहीं चलने दिया ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य विराजें ।

श्री राम प्रसाद लड्ढा : बारात को रोक दिया गया था, हाकी और डण्डों को लेकर बैठ गये थे । मैं खुद डी. एस. पी. के साथ पहुंचा हूं । जब जाकर के बारात चढवाई है ।

श्री अध्यक्ष : विराजिये विराजिये ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं जिस बात का जिक्र कर रहा था कि इस नैतिक उत्तरदायित्व के लिए देश में किस प्रकार की परम्पराएं बनी हैं माननीय सदस्यों ने स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्रीजी का उल्लेख किया है और ये बताया की रेल दुर्घटनाओं को लेकर स्वर्गीय शास्त्रीजी ने त्यागपत्र देकर देश में नैतिक जिम्मेदारी निभाई है इस बात को प्रतिपादित किया । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस देश में एक ही रेल दुर्घटना हुई है ? क्या इस देश में इसी प्रकार की इससे ज्यादा कहीं हत्याएं नहीं हुई हैं ? क्या इस देश में इस प्रकार के अमानवीय अत्याचार एक जगह ही नहीं कई जगह हुए हैं ? और इस राज्य में भी अगर यही परम्परा चलती कि नैतिक जिम्मेदारी के नाते त्याग पत्र देना चाहिए तो मेरा विश्वास है कि श्री शिवचरणजी माथुर और चाहे श्री हरिदेवजी हो, चाहे श्री पहाड़ियाजी हों, उनको बहुत पहले ही मुख्य मंत्री बनने के साथ ही त्याग पत्र देना पड़ता । अब जिस प्रकार की परम्परा है उस परम्परा में एक्सक्लूजिवली आप मुझे कहें कि आपको त्यागपत्र देना है तो मैंने तो फिर भी आपको कहा है कि अगर मेरे त्याग पत्र से यदि हरिजनों की समस्या का समाधान होता है तो मैं समझता हूं कि त्यागपत्र

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

देकर मैं अपने आपको सौभाग्यशाली समझूंगा। माथुर साहब बोले कि वहां पर वह नहीं गया, वह नहीं गया। माथुर साहब आपको ध्यान है, आसनजिलेलाव की घटना आपको याद है। राजस्थान के मुख्य मंत्री 1।। महीने बाद उस घटना स्थल पर पहुंचे। जोशीजी गये, मैं भी गया, विधान सभा में बोले और बोलने के बाद आप आसनजिलेलाव गये। आसनजिलेलाव में जाने के बाद आपने क्या किया और क्या नहीं किया यह तो मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन मैं इतना अवश्य निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जो वहां पर घोषणाएं की थीं वह घोषणाएं आज तक पूरी नहीं हुई, वह मुझे पूरी करनी हैं। मैं आपको विश्वास देता हूं कि आपने जो भी घोषणाएं की हैं उनको पूरा करने की चेष्टा करूंगा।

श्री शिवचरण माथुर : जो कहा था' आप और हम दोनों चल कर देख आयें।

श्री भैरोंसिह शेखावत : यह तो सिलसिला चलेगा। कहा गया कि अब तक 8 आदमी या 9 आदमी एक साथ नहीं मरे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोट में 18 आदमी मरे दंगे में मरे हैं और क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं उस समय खड़े होकर त्यागपत्र देने की, आज आप मेरे से त्यागपत्र मांग रहे हैं.....

श्री ईश्वरलाल सैनी : हरिजनों की बात कही है। दंगे कहां से आ गये।

श्री भैरोंसिह शेखावत : वह भी बता दूंगा, अब बोलो मत आप। मैंने आपकी सब बातें सुनी हैं, सैनी साहब पूरी बातें सुनी हैं.....

श्री ईश्वरलाल सैनी : दंगे भी आप लोगों ने करवाये थे...

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं समझता हूँ जैसा आपने कहा और मैंने सुना, अब बारी मेरी है और सुनने की बारी आपकी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 18 आदमी मर गये उसमें 14 मुसलमान अल्पसंख्यक मारे गये। उस समय क्या मुख्य मंत्री को सांप सूंघ गया था वह त्यागपत्र नहीं दे सकते थे? और आज वह मुझ से कह रहे हैं कि त्यागपत्र दो। मकराना में तीन आदमियों की हत्या हुई आपने त्यागपत्र नहीं दिया बल्कि आप पर आरोप लगाता हूँ कि आपने दोषियों के खिलाफ मुकदमे वापिस लिए। मैं इतना ही निवेदन कर रहा हूं कि आज कुछ कहने से पहले किसी से कुछ करवाने के पहले यदि आपने आदर्श उपस्थित किया होता तो मैं समझता हूं कि आपके इशारे मात्र की जरूरत थी श्री भैरोंसिहजी त्याग पत्र दे देता। आपने जिक्र किया कि आपने राजा मानसिंह की हत्या के बाद त्याग पत्र दिया। मन में आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं त्यागपत्र किन परिस्थितियों में आप से लिया गया है, दिया नहीं, त्याग पत्र आपसे लिया गया है...(व्यवधान)... मुझ से भी अगर मेरी पार्टी कहे तो मैं भी अनुशासित कार्यकर्ता हूं यह मैं आपको कह सकता हूं पार्टी जिस दिन कहेगी आपको त्यागपत्र देना है एक मिनट नहीं लगेगा

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

लेकिन मैं समझता हूं कि पार्टी के नेता को भी बहुत मेहनत करनी पड़ी आपसे त्याग पत्र लेने में। और आपको भी त्याग पत्र नहीं देने की स्थिति पैदा हो मेहनत करनी पड़ी आप असफल रह गये और नेता सफल हुए।

श्री शिवचरण माथुर : यह गलत बयानी कर रहे हैं। जिस भावना से आप उत्तर दे रहे हैं। आप सीधा कुछ आरोप लगा रहे हैं...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आरोप तो मैंने नहीं लगाये....

श्री शिवचरण माथुर : आपने कहा, मैंने एक मिनट नहीं लगाया।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर : सही बात का क्या आरोप है आपके ऊपर? (व्यवधान)

श्री शिवचरण माथुर : एक मिनट में त्यागपत्र दिया है कोई समय नहीं लगाया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी सम्पतराम जी को कुछ दबाया जा रहा था....

श्री ईश्वरलाल सैनी : हम नहीं दबा रहे हैं, आप दबा रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप सुनो तो सही। यह दबाया जा रहा था कि आप अपने वक्तव्य के बारे में कहो। अखबारों में जो बात छपी है उसके बारे में कहो और माथुर साहब ने अभी कहा कि मैंने दबाव से नहीं दिया। मैं समझता हूँ कि उस समय के अखबार उठाकर देखलें कि किस प्रकार से त्यागपत्र दिया है। मन से दिया है या लिया गया है। अब मैं उस विवाद में नहीं पड़ता। अध्यक्ष महोदय, मैं तो केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि आदर्श की मांग करने से पहले व्यक्ति को आदर्श अपनी ओर से प्रस्तुत करना पड़ेगा। यदि किसी ने भी आदर्श प्रस्तुत किया हो देश में इस प्रकार की परम्परायें बनीं हों तो मैं समझता हूँ मैं तो उन व्यक्तियों में से हूं जो उन परम्पराओं के आधार पर सबसे आगे चले।

अब प्रश्न आता है, इस घटना क्रम के सम्बन्ध में। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं मैं पहले कुछ तथ्यों की ओर अपना ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जिससे आपको यह अहसास हो जाये कि आपने जो तथ्य इस सदन में रखे हैं पूर्णतया वह सही नहीं हैं। आपने एक बात कही कि सत्तू को खड़ा किया गया और उसके गोली मारी गई। उस सत्तू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैंने देखी है उसमें गोली के निशान नहीं है, मरा जरूर है। सर की चोट से मरा है। लाठियों से उसके ऊपर चोट लगी लेकिन गोली की चोट उसके नहीं लगी है। अब इससे आप अन्दाज लगा लें कि केवल तथ्य आपको मिले हैं मुझे मिले हैं जब तक उन तथ्यों का सही प्रकार से वैरीफिकेशन नहीं हो, तब तक किसी ऐसे तथ्य के आधार पर कार्यवाही कर लें, यह सम्भव नहीं है। वहां 9 आदमी मरे, मैं वहां गया हूं और जाते वक्त रास्ते में जनता खड़ी थी उससे भी मिला हूं। वहां भी मैंने उनसे

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

दो ढाई घण्टे बातचीत की है और मकानों को देखा है। मकानों को तोड़ा गया। बारूद उसमें काम में ली गई, बारूद के निशान भी वहां थे पर मैंने उसके पहले ही एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट को वहां भेज दिया कि वह प्रत्येक घर में जाकर देखें कि कौन कौन मकान एक्सप्लोजिव से तोड़ा गया है और कौन मकान हथोड़ों से या सहमल से तोड़ा गया है। वह सारे मकान दिखवाये, दिखवाने के बाद वह सारा असेसमेंट करवाया और उसी के साथ पुलिस कार्यवाही सख्ती से करे इस बात के निर्देश दिये। यह बात सही है सम्पतराम जी ने जैसे कहा कि विवाद एक दिन का नहीं है। कई माननीय सदस्यों ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि विवाद एक दिन का नहीं है। यह विवाद कोई तीन महीने से या 3॥ महीने से जबसे मुख्य मंत्री बना हूँ यह विवाद उस समय से नहीं है। यह विवाद वर्षों से चलता आया है। अध्यक्ष महोदय, उन मृतकों के सम्बन्ध में इस सदन में नहीं कहना चाहूंगा लेकिन माननीय मंत्री महोदय जो पुलिस में केसेज रजिस्टर्ड हुए हैं उनको देखे, जितने लोगों को सजा हुई है उनको देखे। जिन लोगों के मामले बने हैं, माल बरामद हुआ है उनको देखे लेकिन मैं जनता में किसी को अधिकार नहीं देना चाहता और न इस पक्ष में हूँ कि यदि चोरी करता हुआ चोर पकड़ा भी जाये तो मारने का किसी को अधिकार नहीं है, हत्या करने का किसी को अधिकार नहीं है। लेकिन इन लोगों ने जिन के सम्बन्ध में टसल चल रही थी, यह मेरे कारण से टसल पैदा हुई हो या मेरी सरकार के कारण से टसल पैदा हुई हो ऐसी बात नहीं है जो माननीय सदस्य विपक्ष के वहां गये हैं उनको यह भी जानकारी हुई होगी उन कंजरों ने यह भी कहा कि हम पिछले दो वर्ष से मण्डावरी गांव मे होकर बेगू नहीं जा सके। मैं बेगू से कंजरों की बस्ती में आने के लिए मण्डावरी गांव से होकर गया। दो वर्ष से वहां तनाव है और तनाव का क्या कारण था? तनाव का कारण था कि जिस हत्या का आपने जिक्र किया है वह आज से दो-डेढ़ वर्ष पहले हत्या हुई। यह हत्या तो मेरे समय में नहीं हुई।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): 12 मार्च की हत्या के बारे में आपको क्या कहना है?

श्री भैरोंसिंह शेखावत: वह मैं दूंगा, आप तसल्ली रखो, मुझे सब ध्यान है। मैं कागज नहीं देख रहा हूँ तो भी आपकी शक्ल देख रहा हूं। मैं इतना निवेदन कर देऊं कि इस घटना में क्या वह हत्या मेरे समय में हुई? क्या उस हत्या की एफ. आर. (फाइनल रिपोर्ट) मैंने दिलवाई? मै समझता हूं माथुर साहब आपका राज होगा या जोशीजी का राज होगा।

एक माननीय सदस्य: स्थानीय विधायक के भांजे ने हत्या करवाई।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: मैं निवेदन कर रहा हूँ, अब वह एफ. आर. दी गई, फाइनल रिपोर्ट दी गई, उसके लिए तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं, पिछले वर्षों में चोरियां हुई, उसके लिए तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं। चोरियां बरामद हुईं, उसके लिए तो मैं

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

जिम्मेदार नहीं हूँ। चोरियों में लोगों को सजा हुई, उसके लिए तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। वहां पर लोगों की हिस्ट्रीशीट खुली उसके लिये तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। अब इस सारे वातावरण में आपस में तनाव था। मैंने कंजरों से पूछा कि तनाव का कारण क्या है ? वे कहने लगे यहां भूमि का विवाद है। मैंने उसी समय तहसीलदार से कहा कि जाकर मालूम करो कि यह कौनसी भूमि का विवाद है, किस भूमि पर उन्होंने अतिक्रमण किया है, कितनी भूमि है, और क्या उस भूमि को डोराया बांध से सिंचाई हो सकेगी ? मैं समझता हूं मैंने वहां जानकारी की ओर अभी कोई 10-11 बजे मेरे पास तहसीलदार और पटवारी का लिखा हुआ आया कि भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है और अभी यह माथुर साहब कहने लगे कि जमीन कांग्रेस पार्टी ने अलाट की है, कांग्रेस के जमाने में अलाट हुई है। मैंने इस बात की भी जानकारी की है कि उनकी जमीन पुश्तैनी है, बाप-दादाओं की है। न आपने अलाट की न मैंने अलाट की, किसी ने अलाट नहीं की। खेती की जमीन है, अच्छी पैदावार होती है, इसमें कोई सन्देह नहीं लेकिन जमीन अलाटमेन्ट का श्रेय लेना चाहें तो ले लीजिये, मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन सही नहीं है। अब जमीन के अलाटमेन्ट के प्रश्न पर विवाद है, यह मेरी समझ में नहीं आया। ये एक दिन का विवाद नहीं जैसा मैंने कहा दो वर्ष पहले का विवाद है और दो वर्ष से लोग उस सड़क से नहीं गुजर रहे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या मुख्यमंत्री होने के नाते आपको इस बात की जानकारी नहीं थी कि कंजर लोग सही, सीधे रास्ते से बेगू में नहीं जा सकते, सामान खरीद कर नहीं ला सकते, वहां पर जाकर अपनी जरूरत की चीजों की पूरी नहीं कर सकते। मैं आपसे पूछूंगा कि आपका उस समय उत्तरदायित्व कहां अथवा क्या मैं आपसे पूछूं कि आप इतने अनभिज्ञ थे ? आपको इस बात का पता नहीं लगा और क्या उस बात के लिए आपसे पूछूं कि पुलिस वालों ने आपको कोई जानकारी नहीं दी ? अब इस सारी व्यवस्था के अन्दर आप स्वयं ही विचार करलें कि कहां तक हम दोषी हैं। मैंने आपको स्पष्ट कहा कि नैतिक दृष्टि से मैं दोषी हूँ, इसमें कोई सफाई नहीं देना चाहता लेकिन जिस प्रकार की घटना हुई, उस घटना को लेकर कोई माननीय सदस्य बोल रहे थे अमुक आदमी साथ था और अमुक आदमी साथ नहीं था। माथुर साहब यदि ईमानदारी से कलेजे पर हाथ रखकर विचार करो तो आपको इस बात का पता लगेगा कि इसके अन्दर न कांग्रेस पार्टी, न बी.जे.पी., न जनता पार्टी, कोई भी अछूती नहीं रही, सब शामिल थे हमला करने में। कोई बचा हुआ नहीं है। यह 12 गांवों के लोग एकत्रित हुए थे तो आप यह समझते हैं कि 12 गांवों में बी.जे.पी. या जनता पार्टी की ठेकेदारी है। वहां पर कोई दूसरा माई का लाल पैदा ही नहीं हुआ जो कांग्रेस पार्टी का सदस्य हो। कांग्रेस के थे, बी.जे.पी. के भी थे, जनता पार्टी के भी थे, विपक्ष के भी थे। लोगों में एक मोब फ्रेंजी पैदा हुई कि इन कंजरों को सबक सिखाया जाय और यह इसी का परिणाम है कि 9 कंजर मारे गये। अब मैं यह मानता हूं कि सबसे बड़ी वेदना मुझे यह है कि एक दिन में यह घटना नहीं हुई। बाकायदा योजना बनाई गई, योजना बनाकर किस प्रकार से हमला किया जाय, इसकी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

व्यवस्था की गई। हमले के लिए किस प्रकार के हथियारों की आवश्यकता है, उस प्रकार के हथियार एकत्रित किये गये और हथियार एकत्रित करके 4 बजे सुबह पहुंचे। यह कंजरों ने मुझे बताया कि ज्योंही 4 बजे वे लोग आये, कुत्तों ने भौंकना शुरू किया। और जब कुत्तों ने भौंकना शुरू किया तो हमने देखा कि लोग तो चौरफ आकर खड़े हो गये और खड़े होने के बाद जब हमने देखा कि यह लोग मारेंगे। यह उनका कहना था कि शिवचरण जी माथुर के शासन में दो वर्ष पहले उनके गांव में इसी प्रकार का हमला हुआ और एक आदमी की हत्या हुई तो उन्हें डर लग रहा था कि कहीं पुनरावृत्ति न हो जाय तो सारे लोग जगे, हथियार उठाये, और हथियार उठाकर उनको पूरा सामना करने के लिए तैयार हो गये और यह आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि गांव के आदमी कैसे लड़ाकू होते हैं और गांव के आदमी का मुकाबला कंजर या इस प्रकार के कौम किस प्रकार से करती है। इसकी जब सूचना पुलिस के थानेदार को हुई तो थानेदार वहां से रवाना हुआ, 4 कांस्टेबल और हैड कांस्टेबल को साथ लेकर मौके पर पहुंचा। मैं माननीय सम्पतराम जी की इस बात को मानता हूँ कि उस घटना को देखने के बाद पुलिस वाला फायर करता तो 5-7 आदमी मर जाते तो कोई आपत्ति नहीं थी लेकिन पुलिस वालों ने फार्यरिंग नहीं की और उसने हथियार पहले रखवाये। हथियार रखवा लिये, ज्योंही हथियार रखे, मुझे जानकारी मिली है कितनी सही है या गलत, मैं कह नहीं सकता लेकिन दोनों तरफ से मैंने जानकारी वेरीफाई की... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : दोनों तरफ से हमला हुआ, न पुलिस जख्मी हुई...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं जो कह रहा हूं। आपकी और मेरी बात में कोई फर्क नहीं है। मैं यह निवेदन कर रहा था कि जब गांव वाले इकट्ठे हो गये, कंजर इकट्ठे हो गये, पुलिस वहां पहुंच गई, पुलिस हथियार सरेण्डर कर दिये। जिस समय हथियार सरेण्डर हुए, उस समय जनता थोड़ी दूर खड़ी...

श्री हीरालाल इन्दौरा : हथियार किन्होंने सरेण्डर किये ? कंजरों ने ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हथियार सरेण्डर कर दिये, हथियार सरेण्डर करके जीप में रखें।

एक माननीय सदस्य : पुलिस ने करवाये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, पुलिस ने ही, कह रहा हूँ न मैं और कहा किसने है। (व्यवधान) ना, ना, पुलिस ने करवाये।

श्री चन्दनमल बैद : खाली कंजरों के।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कंजरों के। हां तो मैं खुद ही कह रहा हूँ ना। (व्यवधान) जोशी जी, उन सदस्यों को रोकिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप सुनें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यह निवेदन कर रहा था कि पुलिस ने सरेण्डर करवाये। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है, यह तथ्य है। पुलिस ने सरेण्डर करवाये और सरेण्डर करने के बाद जो दोनों पक्षों से मुझे जानकारी मिली है, एक मकान में कुछ धमाका हुआ, उस धमाके के साथ ही जो चौतरफ की भीड़ थी, वह कंजरों के ऊपर टूट पड़ी। टूट पड़ने के बाद में शीभूड़ा नाम के व्यक्ति को भीड़ पकड़ना चाहती थी तो यहां पर सारे कंजर इकट्ठे हुए, उसमें शीभूड़ा शामिल नहीं है। वहां लोगों ने कहा, पहले हमें शीभूड़ को देखो। जिसका मकान दो मंजिला है, वह शीभूड़ा उस मकान में था। भीड़ उधर गई, शीभूड़ा को पकड़ लाई, पकड़कर उसको ठोकना शुरू किया। शीभूड़ा को बचाने के लिए आदमी उस पर पड़ गये। एक पड़ा, उसके चोट पड़ी, दूसरे के चोट पड़ी और बाकी जितने भी बचाने के लिए आये, उनके ऊपर लाठियों के सब तरह के वार हुए और वहीं पर 7 आदमी बिल्कुल खत्म हो गये, एक जगह ही। अब वहां आज खून पड़ा है, इसमें कोई सन्देह नहीं है। 7 आदमियों का खून वहा तो खून तो धरती पर पड़ा है, इससे कौन इन्कार करता है। यह सारा सब कुछ हो गया। वहां से भीड़ हटी और जैसा शिवचरण जी कह रहे थे, पढ़ा-लिखा अध्यापक था, उस अध्यापक का घर शायद 1 या ½ किलोमीटर है। वहां पर पहुंची। उसकी हत्या कर दी। अब यह 7 और 8 आदमी मर गये और एक हॉस्पिटल में मर गया तो मरने के तथ्य को कौन छिपा रहा है। कोई छिपाने वाला नहीं है। इसको छिपाने में किसी को खुशी नहीं होती कि हमें किसी प्रकार की खुशी हो रही है। आपने यह कहा कि आपने इनको दिया क्या है और इस सम्बन्ध में आप करना क्या चाहते हैं? मैं कल गया। मैं सारी घोषणाएं कल भी कर सकता था लेकिन मेरे सामने एक प्रश्न चिन्ह बन गया था कि कल विधान सभा का अधिवेशन आरम्भ हो रहा है, मैं आज यहां घोषणाएं करूंगा तो सम्भव है कल इस बात का विशेषाधिकार का प्रस्ताव मेरे खिलाफ रखा जावे कि सत्र में यह घोषणाएं क्यों नहीं की गई?

श्री प्रद्युम्न सिंह : This is not policy matter. यह पालिसी मैटर नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आज करूं या कल करूं इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कल मैंने कलक्टर को निर्देश दिये हैं कि उनके पास कोई आवास योजना, बीमा पालिसी योजना नहीं है। कलक्टर साहब को मैंने कहा है कि इनके मकान बनेंगे और सरकारी खर्चे से बनेंगे। अब मैं समझता हूं इससे ज्यादा आप भी आसपेक्ट नहीं कर सकते। आपने कहा कि पांच हजार ही दिये। माथुर साहब और जोशी जी आप दोनों बैठे हैं। कलक्टर्स को पांच हजार रुपये देने के अधिकार मैंने नहीं दिये आप दोनों के दिये हुए हैं। यह पुरानी सरकारों के अधिकार दिये हुए हैं कि इस प्रकार की कोई घटना हो जाय तो पांच हजार दे दिये जाय। अब मैंने कोई पांच हजार से हत्या का मूल्यांकन किया हो ऐसी बात नहीं है। मैं यह मानता हूं कि एक कंजर

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

की हत्या 5,000 के बराबर है, ऐसी बात नहीं है। सरकार की व्यवस्था है और यह आज की नहीं पुरानी चली आ रही है कि इस प्रकार की घटना हो जाय तो कलक्टर अपने विवेक और अधिकार से पांच हजार रुपये तुरन्त उस मृतक के परिवार को दे दे। मैंने उस समय माननीय सम्पतराम जी से भी कहा कि रुपये पैसे की कोई कमी नहीं है आप जितनी आवश्यकता समझें उतनी घोषणा करके आ जायें मैं जो अधिकार दे रहा हूं वही सरकारी अधिकार है आप जितनी घोषणा करें उतनी कर दें। मैं कल भी जब वहां था तो भीड़ इकट्ठी हो गई थी। मैंने बेगूं वालों को कहा कि यह सारे घर देख लें। एक घर में भी कपड़ा नहीं है। मैंने कहा कल शाम तक हर घर के व्यक्ति के पास दो-दो कपड़े के जोड़े आपको गांव में से लाकर देने होंगे। लोगों ने इस बात को स्वीकार किया। चित्तौड़ के लोग आये। मैंने उनसे कहा कि देख लें घरों में एक भी बर्तन नहीं है आप उनके लिए नये बर्तन इकट्ठा करें और कल गांव में बर्तन पहुंचायें। वहीं मेरे निम्बाहेड़ा क्षेत्र के लोग भी आ गये। मैंने उनको कहा, दरी और तकिये और एक-एक ओढ़ने की चद्दर निम्बाहेड़ा में इकट्ठी करके आप इनके लिए भेजें और मैं समझता हूँ कि भेज दिया होगा और नहीं भेजेंगे तो मैं सरकार की तरफ से कह सकता हूँ कि सारा इन्तजाम सरकार करेगी। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं माथुर साहब आप बड़े दयावान हैं आपने मौत के मूल्य का पूरा विवरण यहां दिया, आप कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं आप भी कुछ इन्तजाम करके आते।

श्री शिवचरण माथुर : सबसे पहले कांग्रेस के सदस्यों ने ही खाने-पीने का इन्तजाम किया सबसे पहले हमारे लोग गये और उन्होंने व्यवस्था की।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं जाने के संबंध में कोई आपत्ति नहीं करता।

श्री शिवचरण माथुर : सहायता करना सबका मानवीय कर्तव्य है। हमारे लोगों ने उनको जाकर सम्भाला और उनके खाने पीने का इन्तजाम किया। उसमें किसी ने कोई एतराज नहीं किया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन आपने एक घंटे भाषण दिया। अगर आप कुछ करके आते तो निश्चित रूप से कुछ बोलते।

श्री शिवचरण माथुर : यह किया और उसके बाद सारे बेगूं के लोगों ने जो कुछ आप कह रहे हैं उसका इन्तजाम करने के लिए हमारे लोगों ने प्रयत्न किया है। आपने सरकार की तरफ से करने की और आपने कहा कि मैंने अपने लोगों से कहा, चित्तौड़ और निम्बाहेड़ा के लोगों से कहा लेकिन उससे ज्यादा वो करने वाले हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह बिल्कुल सही है लेकिन आपने कुछ किया होता तो निश्चित रूप से बोलते। मुझे ऐसा लगता है कि आप बोले नहीं इसलिए मैं थोड़ा सा.. (व्यवधान) मैं अब भी यह समझता हूं कि जितना किया जा सकता था वह किया

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

है। सरकार निशुल्क उनका उपचार कराएगी। यह सारे अधिकारियों को वहां आदेश दिये हैं। उपचार उनका चल रहा है। आपने कहा कि मैं चित्तौड़ गया ही नहीं। आपको जानकारी होनी चाहिए, आते वक्त मैं चित्तौड़ होकर ही आया। चित्तौड़ के अस्पताल जाकर आया।

श्री शिवचरण माथुर : मैंने यह नहीं कहा कि चित्तौड़ नहीं गये। मैंने कहा कि प्रेस वालों से आप कह कर गये थे कि पांच बजे आऊंगा और आपसे बात करूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं उसी का जवाब दे रहा हूं कि जब मैं बेगूं से रवाना हुआ तो सारा प्रेस मेरे साथ था। अब मुझे बताइये कि चित्तौड़ में कौनसा प्रेस बचा हुआ था जिसके लिए मैं सर्किट हाउस जाता।

श्री शिवचरण माथुर : प्रेस वहां पर कितना था मालूम नहीं लेकिन सारे प्रेस वाले वापिस आये। उन्होंने कहा, मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि आप बेगूं आ जाइये। हमारे पास कुछ साधन नहीं है, गाड़ी नहीं है, कहां से बेगूं आ जावें।

श्री सम्पत सिंह : प्रेस वाले तो लड़ाते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : प्रेस वालों से मेरे भी संबंध अच्छे हैं, आप जानते हैं।

श्री शिवचरण माथुर : आपके संबंध तो अच्छे हो सकते हैं लेकिन उनकी रील छीनी गई।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने अभी कहा। मैं इसकी जानकारी करूंगा। अगर रील छीनी गई है तो अच्छा काम नहीं किया। आप यह मानकर चलिए प्रेस से संबंध मेरे भी अच्छे हैं। वह मेरे साथ भी गये थे और एक बात और बता दूं कि प्रेस वालों से छिपने की मेरी आदत नहीं है। जो तथ्य यहां रख रहा हूं, यदि प्रेस वालों के सामने रख देता तो मुझे आपत्ति नहीं थी। प्रेस वाले तो उल्टे इस बात से नाराज थे कि कल जो घोषणा करने वाले हैं, आज ही हम को बता दें। अब यह तो आप ही अन्दाजा लगा लें कि विधान सभा में जो कुछ कहना चाहिए था वह विधान सभा में कहूँ या विधान सभा के बाहर कहूं। इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, जब वहां गया था तो केवल इस दृष्टि से गया था कि जिन लोगों ने अपराध किया है और प्रशासनिक तंत्र ने किसी प्रकार का दोष किया है तो अपनी आंख से जाकर देख लू। सब इन्स्पेक्टर के दोष के बारे में माननीय सम्पतराम जी ने कहा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि यह सब इन्स्पेक्टर मैंने नहीं लगाया।

श्री चन्दनमल बैद : यह क्या बात हुई, इससे क्या हुआ ? किसी की नियुक्ति आपने नहीं की इससे क्या होता है ? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : वह सब इन्स्पेक्टर माननीय चुन्नीलाल जी धाकड़ की जीप की ड्राईविंग किया करता था और उनके चुनावों में B.J.P. के कार्यकर्त्ता की तरह कार्य करता था। इसके आप इन्कार नहीं कर सकते।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, जिस भावना से हम सी. एम. से उत्तर की अपेक्षा करते थे, मुझे खेद है मुख्यमंत्री जी, आप इस सारी चीज को मानते हैं, स्वीकार करते हैं, दुखद घटना हुई है लेकिन उसमें भी राजनीति लाने की चेष्टा कर रहे हैं। इसकी हम आपसे उम्मीद नहीं कर रहे थे।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : आप जिस थानेदार को हमारे द्वारा लगाया हुआ बता रहे हैं लेकिन आज आपके माननीय चुन्नीलालजी विधायक की गाड़ी चलाती है, वहां की जनता भी अच्छी तरह से जानती है कि आपके बी.जे.पी. के एम. एल. ए. की गाड़ी वहां का थानेदार चलाता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अभी आपने कहा था कि डी. आई. जी. भण्डारी उनके साथ बस्ता लिये घूमते थे, आपने भी कहा था।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : नहीं, नेता महोदय, उसमें बड़ा अन्तर है एक मुख्य मंत्री के नाते चाहे कोई अधिकारी हो...

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माथुर साहब, मैंने तो आपको टोका नहीं है...

श्री शिवचरण माथुर : मशीनरी को आप चेंज नहीं कर सकते, न मैं कर सकता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप खूब लगातार बोलते रहे। मैंने तो केवल इतना सा कहा है कि मैंने नहीं लगाया उस एस. आई. को। मैं जानता भी नहीं, आप भी नहीं जानते होंगे लेकिन उस एस. आई. की नियुक्ति कैसे हुई है वह मैं बाद में आपको बता दूंगा। मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूँ कि आपका अगर कोई नाता एस. आई. से हो, से हो, मेरा कोई नाता हो...(व्यवधान) मेरी समझ में नहीं आता, आप तिलमिला क्यों रहे हैं।

श्री शिवचरण माथुर : एक बात मैं स्पष्ट कर दूं जितने भी माननीय सदस्य बोलो हमने कभी नहीं कहा कि भैरोंसिंह जी की जिम्मेदारी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अच्छा हुआ, आप बदल गये।

श्री शिवचरण माथुर : कभी नहीं कहा, कहां लगा, किसने लगाया...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सदन को इतना स्पष्टीकरण तो कर ही सकता हूँ, यह तो कह सकता हूँ कि एस. आई. को मैं जानता नहीं, उसको लगाया नहीं। मेरे आने से पहले ही वह लगा हुआ है। अब मैं कोई बात कह रहा हूं तो आप पहले से ही पहुंच रहे हैं कि किस नतीजे पर पहुंचना चाहता हूं इसलिए उसे रोकने के लिए मुझे इन्टरप्ट कर रहे हैं।

श्री चन्दनमल बैद : आपके द्वारा नियुक्त होना जरूरी नहीं है। डी. जी. और सी. एस. की आपने नियुक्ति नहीं की है लेकिन वह कोई गलती करते हैं तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी आप पर है। इसलिए आप यह नहीं कह सकते कि इसकी नियुक्ति मेरी नहीं की हुई है।

(९५)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने पहले ही कह दिया है कि थानेदार ने गलती की है तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। उसके बाद बाकी क्या रहता है ? मैं यह निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, इस मामले में कई प्रश्न खड़े हुए हैं। पहला प्रश्न–यह कान्सप्रेसी हुई इसकी जानकारी पुलिस को क्यों नहीं हुई ? जानकारी थी तो पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया ? घटना-स्थल के ऊपर पुलिस थी तो पुलिस ने गोली क्यों नहीं चलाई, हवा में चलाई हो या भीड़ के ऊपर गोली चलाई हो, गोली क्यों नहीं चलाई ? इसके साथ ही इन दो-तीन वर्षों से इनके बीच में विवाद था वह विवाद किस बात के कारण से उत्पन्न हुआ, यह कुछ मुद्दे हैं...

श्री पूनमचन्द विश्नोई : एक मुद्दा और भी है कि तीन-चार साल में तीन-चार मुख्यमंत्री बदले हैं। पहले तो जोशीजी थे, फिर माथुर साहब आये, फिर जोशीजी आये तो आपके टाइम के अन्दर ही यह किस्सा क्यों हुआ, इसका भी आप जवाब दीजिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह बिल्कुल सही है...

श्री पूनमचन्द विश्नोई : क्या उनको शह मिल गई या पोल देखी आपके राज में...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह बिल्कुल सही है...

श्री पूनमचन्द विश्नोई : कि यह काम कर दिया। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब मेरा जवाब सुन लीजिए। मैं विश्नोई साहब से एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूं कि कोटा के दंगों के बाद में पुलिस ने यह रिपोर्ट दी कि दस-पन्द्रह वर्ष से यह आपस में मनमुटाव बढ़ रहा था, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि शिवचरणजी के जमाने मे अठारह आदमी क्यों मरे ? (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : जो कम्यूनल संस्थाएं हैं, उन्होंने दंगे कराये हैं यह तो... (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है। यह बिल्कुल सही है.... (व्यवधान)

श्री पूनमचन्द विश्नोई : हमारी पार्टी में हमने रखा भी नहीं है....

श्री चन्दनमल बैद : यह सी. एम. के लायक जवाब नहीं है... (व्यवधान)

श्री लालचन्द डूडी (भादरा) : अध्यक्ष महोदय, बहस का लेवल नीचे जा रहा है, कृपया कन्ट्रोल करें।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : शिवचरणजी की कुछ गलतियां रही...

श्री लालचन्द डूडी : अध्यक्ष महोदय, बहस का लेवल गिरता जा रहा है इस बात को थोड़ा कन्ट्रोल करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब इससे आगे नहीं बोलूंगा।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली) : नहीं, नेता महोदय, एक बात जरूर है कि आप बार-बार शिवचरणजी और कोटा के दंगों का जिक्र जरूर कर रहे हैं लेकिन

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

कोटा के दंगे किस तरह के थे और इस घटना को एक तरह से जोड़ते हैं आप...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं जोड़ रहा ।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : एक तरफ गोलियां मारी जाय, एक तरफ साम्प्रदायिक दंगे होकर मरे आदमी...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं नहीं जोड़ूंगा ।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : साम्प्रदायिक दंगे भी कराने वाले आपकी पार्टी के लोग थे, दंगे आप करो...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं नहीं जोड़ूंगा ।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : मरे कोई, नाम सर धरो हमारे...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जब बिश्नोई साहब ने कह दिया कि शिवचरणजी माथुर की गलतियों से सबक नहीं लिया जाय, मैं नहीं लेऊंगा ।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, ऑन ए पाइन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन । क्या यह सही है कि दसवें व्यक्ति की भी मृत्यु हो चुकी है ? मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि दसों व्यक्तियों, आप कह रहे हैं कि गोली नहीं लगी, कॉज ऑफ डेथ क्या-क्या रहे, दसों व्यक्तियों के बारे में माननीय मुख्य मंत्रीजी अपने स्टेटमेंट में बतायें । दस आदमी किस कारण से मरे, कॉज ऑफ डेथ क्या रही और जो व्यक्ति गुम है उनकी आपके पास क्या सूचना है ? चौथा प्रश्न मेरा यह है कि धारा 161 के अन्तर्गत जो कंजर भाइयों ने बयान दिये, उसके अन्तर्गत आपने कितने लोगों को गिरफ्तार किया ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह सवाल आप पूछ चुके हैं पहले अपने भाषण में । मुख्य मंत्रीजी उनका जवाब देंगे ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, पिछले सारे जो इस तरह के मुद्दे हैं.... (व्यवधान) सब का उत्तर दूंगा, आप चिन्ता मत करिये, उत्तर सुनिये । मैं आपको पूछने का अधिकार देता हूं लेकिन...

श्री चन्दनमल बैद : ऐसा लचर जवाब आपने आज तक नहीं दिया... (व्यवधान)

श्री जुबेर खां : जब आप अपनी नैतिक जिम्मेदारी मानते हैं तो आप यह बताइये कि आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं ? यह कोई जवाब नहीं है कि माथुर साहब के टाइम में क्या हुआ या जोशीजी के टाइम में क्या हुआ । जब आपने एक बार मोरल रेस्पोन्सिबिलिटी ले ली है तो अब आप यह बताइये कि आपकी सरकार ने अब तक क्या किया और आगे क्या करने जा रही है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि इस प्रकार के मसले हैं जिन मसलों पर प्रशासनिक एजेन्सी कोई जांच करे, उसके प्रति विश्वसनीयता नहीं बनेगी और इसीलिए मैंने

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

निर्णय किया कि इस मामले की ज्यूडिशियल इन्क्वायरी होनी चाहिए। इस मामले की हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, यदि मुझे उपलब्ध हो गया तो राज्य के वर्किंग जज से मैं जांच कराऊंगा और यदि वर्किंग जज, क्योंकि हाई कोर्ट में आप जानते हैं कि जजेज की कमी है और वर्किंग जज कोई उपलब्ध नहीं हुआ तो हाई कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज से मैं इसकी जांच कराऊंगा...

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपसे निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, कि कोई सिटिंग जज, हाई कोर्ट का, इस मामले की जांच करें तो बेहतर रहेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने दोनों बातें आपको कह दी है लेकिन मैं इसमें विलम्ब नहीं करना चाहता...

श्री प्रकाश चन्द्र बैरवा (फागी) : विधान सभा की एक कमेटी इसकी जांच करे और उसमें एस. सी. के सारे लोग हों। एस.सी. की एक अलग कमेटी बने और वह लोग वहां जाकर जांच करे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, जहां तक उनको सहायता देने का प्रश्न है, मैंने कल ही निर्णय ले लिया था, अपने साथियों से हमने बात की, प्रत्येक मृतक के परिवार को एक-एक लाख रुपये की सहायता दी जायेगी। जो भी घायल हैं उनका पूरा उपचार कराया जायेगा। जो मकान टूटे हैं उन सारे मकानों की मरम्मत कराई जायेगी और घायलों को उपचार के अतिरिक्त क्या सहायता दी जाय, यह मैं कलक्टर से कह कर आया हूं कि आप मुझे कल, परसों किसी प्रकार की जानकारी दे दें, उनके लिए भी राशि निश्चित कर दी जायेगी...

एक माननीय सदस्य : मरम्मत नहीं होगी, उनको नये बनाने पड़ेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप फिर मुझसे यह पूछेंगे कि पुराने वाली खिड़की रहेगी या नहीं रहेगी, यह तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन यह मैं मानता हूँ कि कमजोर वर्ग के लोग हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि आप क्या करते हैं, धन्धा क्या है तो कहा कि खेती करते हैं। और क्या करते हो, यह पूछने पर कहा कि बोरगत करते हैं। कितने लाख बोरगत होगी तो कहा कि चार-पांच लाख रुपये की हमारी बोरगत होगी। इस वास्ते आप यह मत सोचो कि बिल्कुल गरीब हैं, चार-पांच लाख रुपये की बोरगत है। अब वहां पर उनको हम सहायता दे रहे हैं, आप भी दें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उनके साथ अन्याय हुआ है उसका परिमार्जन किसी प्रकार से हो सके तो ठीक है लेकिन आज कोई यह नहीं कह सकता कि एक व्यक्ति की मौत का मूल्यांकन एक लाख रुपये है, कोई भी नहीं कह सकता। मूल्यांकन की दृष्टि से चार-पांच हजार हो सकते हैं न बत्तीस हजार हो सकते हैं, न एक लाख रुपये हो सकते हैं। एक व्यक्ति मर गया और जैसा रमाजी ने कहा कि भाई मर गया, वह भाई नहीं आएगा, जो बेटा मर गया वह बेटा नहीं आयेगा, वह सब सही है, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं हो

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सकती। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप अगर मुझे प्रारम्भ में बोलने देते तो शायद यह स्थिति ही पैदा नहीं होती और यदि कल मैं वक्तव्य दे देता तो आपकी क्या हालत होती, आप इसका अपने आप ही अन्दाजा लगा लीजिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह : हमारी क्या हालत हो सकती है, आप यह वाहवाही लेना चाहते हैं। अब आप मुख्य मंत्री हैं नेता महोदय। भैरोंसिंह जी, अब आप मुख्य मंत्री भी हैं, विपक्ष के नेता नहीं हैं आप, फिर हमारी हालत क्या होगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं ऐसी स्थिति में इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि मैंने तो सदन का सम्मान बढ़ाने के लिए यह घोषणाएं सदन के अन्दर की है...

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपने मजबूर होकर यह घोषणाएं की है। सदन का मूड देखकर घोषणाएं की हैं आपने। हमारी मांग के ऊपर आपने घोषणाएं की है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिल्कुल, यह बिल्कुल सही है लेकिन आज आपने अखबार पढ़े होंगे। उसमें यह भी है कि सरकार ज्यूडिशियल इन्क्वायरी करा सकती है...

श्री प्रद्युम्न सिंह : करा सकती है, आपका कराने का इरादा नहीं था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरा इरादा नहीं था और केवल आपके दबाव मे ही इरादा बना है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : हाउस की भावनाओं को देख कर, क्योंकि आपके सदस्यों में भी जोश था इस बात को लेकर...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इतना और बता दूं कि प्रद्युम्न सिंहजी, आप...

श्री लालचन्द डूडी : + + + इतनी बात से ही खुश हो रहे हैं तो मान क्यों नहीं लेते हो ?

श्री ईश्वर लाल सैनी : + + + क्या होता है ? अत्याचार की बात है और + + + बता रहे हैं।

श्री डूंगर राम पंवार : जो सत्ता में नहीं है वह लोग + + + ही हैं, और क्या है ?

एक माननीय सदस्य : आपको सत्ता दी है। जरा पूछो उनसे, आपको सत्ता दी है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्रीजी। माननीय सदस्य, जरा सुनिये। बोलने दीजिए, कुछ बोल रहे हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : एक मिनट साहब, क्या आप उन परिवारों से यह जानकारी लेंगे कि क्या उन परिवारों में कोई पढ़े-लिखे लोग हैं। यदि ऐसे कोई लोग हैं जो

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री राजेन्द्र पारीक)

नौकरी योग्य हैं तो उनको नौकरी दी जाय।

श्री भैरोंसिह शेखावत : ऐसी बातों से चिढ़ा मत करो, हाउस में यह चीजें चलती रहती हैं। इन चीजों से ज्यादा उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं।

श्री राजेन्द्र पारीक : नहीं-नहीं, मैं तो यह कह रहा हूँ कि परिवार में यदि कहीं पढ़े-लिखे लोग हैं तो उनकी नौकरी की व्यवस्था की जाय।

श्री भैरोंसिह शेखावत : इस तरह की बात आप कहें, यह कहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं एक बात अंत में निवेदन करना चाहता हूं और निवेदन यह करना चाहता हूं कि कम से कम इस प्रकार के मसलों को राजनैतिक आधार के ऊपर उनका विचार ही छोड़ दें। आप यह समझें, जैसा प्रद्युम्न सिंह जी ने कहा, हमारे दबाव से...

श्री चन्दनमल बैद : बिल्कुल सही कहा।

श्री भैरोंसिह शेखावत : बिल्कुल सही है, यह राजनीति है।

श्री चन्दनमल बैद : हम साधु बैठे हुए हैं क्या यहां? हम राजनीतिज्ञ होकर बैठे हुए हैं। राजनीति की बात नहीं करेंगे तो क्या साधुओं की बात करेंगे?

श्री भैरोंसिह शेखावत : ठीक है, मैं मान गया। लेकिन अब राजनीति के आधार पर ऐसे मसलों को आप उठाओ, यह ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष : यह राजनीति नहीं, रण-नीति है।

श्री शिवचरण माथुर : विपक्ष में बैठ कर यह कर्तव्य आपने भी निभाया है। हमारा कर्तव्य है, विपक्ष का कर्तव्य है। कोई भी घटना घटती है या जनता के प्रति अत्याचार होता है तो हमारा फर्ज है कि हम सदन के मार्फत सरकार को कहें...

श्री भैरोंसिह शेखावत : ठीक है।

श्री शिवचरण माथुर : कि वह जवाबदार है और वह जिम्मेदारी हमने निभाई है। वह जिम्मेदारी विपक्ष के नाते हमने निभाई है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, श्री विश्नोई साहब ने और श्री पहाड़ियाजी ने मैं समझता हूँ कि बिना राजनीति के कुछ बातें कहीं। इस सदन को उस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए। विश्नोई साहब ने कहा था प्रशासन तंत्र जिस प्रकार का बना हुआ है उस प्रशासन तंत्र में, व्यवस्था में परिवर्तन करना पड़ेगा ताकि नीचे से लेकर ऊपर तक व्यक्ति अपने उत्तरदायित्व को सही प्रकार से समझें व उसका निर्वहन कर सकें।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि मैंने भ्रष्टाचार को खत्म करने का कहा था।

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

प्रशासन तंत्र को संवेदनशील बनाऊंगा और भ्रष्टाचार को खत्म करने की कोशिश करूंगा लेकिन जनार्दन सिंह जी आप जानते हैं कि एक मकान यदि बीस वर्ष तक खोले नहीं और उसमें कचरा भरा रहे तो क्या उसकी तुरन्त ही सफेदी हो सकती है ? पहले उसका कचरा निकालना पड़ेगा और मैं उसमें लगा हुआ हूं।

श्री जुबेर खां : आप निकालने की बात छोड़िए आप उसमें कचरा भरते जा रहे हैं।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : आप कचरा भर रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सन् 77 में क्या किया था जिस कचरे को हमने निकाला था आपने आकर मानवीय आधार मानते हुए उस कचरे को वैसे का वैसे ही नौकरी पर रख लिया।

डा. हरिसिंह (फुलेरा) बड़े आभारी रहेंगे आप तो उसको बढ़ाइये मत।

श्री चन्दन मल बैद : हम तो इसी में खुश हैं।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : आपको इस बात के लिए धन्यवाद कि जिनको हम ने भ्रष्ट समझ रखा था आपने उन सब को भ्रष्टाचार की जगह लगा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं ऐसा समझता हूं कि मैंने इस सदन में अपील की थी कि भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में आपको कोई जानकारी हो तो मुझे जानकारी दें...

श्री शिवचरण माथुर : आप जनरल डिबेट पर जवाब दे रहे हैं, क्या ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं नहीं देना चाहता था माथुर साहब।

श्री शिवचरण माथुर : एक महीना आपका सदन चलेगा, बहुत समय मिलेगा हम भी कहेंगे, आप भी कहेंगे पर यह उपयुक्त वातावरण नहीं है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए आप इस वातावरण में शामिल नहीं हो रहे हैं। मुझे इस बात का दुःख है पर कोई बात नहीं उन्होंने जो प्रश्न किये मैं तो उनके उत्तर दे रहा था। पर एक बात बता दूं जब तक मैं राजस्थान का मुख्य मंत्री हूँ, भ्रष्टाचार को समाप्त करता रहूँगा चाहे कोई भी व्यक्ति हो। कितना कर पाता हूं यह तो पता नहीं। आप कह रहे थे त्याग पत्र देओ, त्यागपत्र देओ, मैं त्यागपत्र देता तो सबसे ज्यादा खुशी भ्रष्ट तत्वों को होती किसी और को नहीं होती...

श्री चन्दनमल बैद : आपने उधर इशारा किया है जनता दल की तरफ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मेरी यह गलती हुई कि मैं आपकी तरफ इशारा नहीं किया। मैं अपनी गलती के लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं जानता हूं कि व्यवस्था में परिवर्तन करना आवश्यक है, आज वहां

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

पर घटना हो जाय, उस घटना की समय पर जानकारी लोगों को नहीं मिले, समय पर एक्शन नहीं हो, इसमें परिवर्तन आना चाहिए, इसमें कोई सन्देह नहीं है लेकिन विश्नोई साहब इस बात को मंजूर करेंगे कि पिछले कई वर्षों से जो परम्परा चल रही है क्या आप और हम एक झटके से तोड़ सकते हैं। बर्खास्त क्यों नहीं कर दिया। बर्खास्त तो कानून के अन्तर्गत ही करूंगा नहीं तो हाई कोर्ट से स्टे लायेंगे और घर बैठे तनख्वाह लेंगे.....

श्री शिवचरण माथुर : कितने दिन की समय सीमा रखी है इसके लिए आपने। आपने जो कचरा मिटाने के लिए कहा उसमें कितना समय लगेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने कितना कचरा छोड़ा है ? जितना आपने कचरा छोड़ा है और जितनी लेबर मैं कर सकता हूँ उतना ही कचरा उठाऊंगा लेकिन आपको विश्वास दिलाता हूँ कि साफ करके छोडूंगा। मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूँ विश्नोई साहब....

श्री ईश्वरलाल सैनी : आप भ्रष्टाचार छोड़ हरिजनों पर अत्याचार तो रोकें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : प्रशासन तन्त्र में किस प्रकार का परिवर्तन व्यवस्था में हो सकता है मैं उसमें अकेला कुछ कर सकूं इस प्रकार की सम्भावना नहीं है। मैं आप लोगों के सुझाव आमन्त्रित करना चाहूँगा कि इस सारे प्रशासन तन्त्र में किस प्रकार का आमूल परिवर्तन किया जाय जिसके आधार पर आपकी और मेरी आकांक्षा के अनुसार यह प्रशासन तन्त्र बन सके।

दूसरा प्रश्न पहाड़ियाजी ने उठाया। बड़ी वेदना से उठाया। माथुर साहब माफ करिये आपने तथ्य तो रखे लेकिन परन्तु पहाड़िया साहब जितनी वेदना प्रकट नहीं की और मैं समझता हूँ कि वेदना थी उनके दिल में, वेदना है। अब वह तो सामाजिक स्तर पर देश के अन्दर क्या बुराइयां हैं उनकी चिन्ता कर रहे हैं और आप इस बात की चिन्ता कर रहे हैं कि इस घटना से किस प्रकार से राजनैतिक लाभ उठाया जाय। दोनों के दृष्टिकोण में बड़ा अन्तर है। इस दृष्टिकोण के अन्तर को दृष्टि से मैं पहाड़ियाजी आपके साथ हूँ। हम आज इस प्रकार का वातावरण बना सकें कि जिसमें अपर कास्ट और शिड्यूल्ड कास्ट इन दोनों के बीच में किसी प्रकार का मनोमालिन्य मिट जाये। इस चालीस वर्ष की जिम्मेदारी मेरे अकेले के ऊपर नहीं है....

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : मैंने नहीं कहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने नहीं कहा मैं भी इसलिए नहीं कहना चाहता कि आपके अकेले की जिम्मेदारी है। मैं केवल यह कहना चाहता हूं समाज में विकृतियां, विपन्नतायें, बुराइयां पैदा हो रही हैं, क्या उसके लिए कोई एक जिम्मेदार है ? सारा देश जिम्मेदार है, सारे देश का समाज जिम्मेदार है और मैं आज आपको कह सकता हूं कि इस देश का

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

दुर्भाग्य है कि इस देश के अन्दर स्वामी दयानन्द सरस्वती के बाद कोई ऐसा नेता पैदा नहीं हुआ जो पिछड़ों में जोश पैदा कर दे और विश्वास पैदा कर दे और जो ऊपर चढ़े हुए लोग हैं उनको अहसास करा दे कि पिछड़े लोगों से नफरत की तो समाज तुमसे नफरत करने लगेगा। हम तो पिछड़े वर्ग को, शिड्यूल्ड कास्ट को, शिड्यूल्ड ट्राइब्स को पिछले चालीस वर्ष से राजनैतिक सौदेबाजी का एक हथियार बनाये हुए हैं। जिस समय चुनाव का मौका आया लाखों रुपये बांट दिये, लोगों को बांट दिये, कभी चिन्ता नहीं की इस बात की कि यह कहां जा रहा है? केवल राजीव गांधी ने चिन्ता की और किसी ने चिन्ता नहीं की। चुनावों के मौके पर राजीव गांधी ने कहा कि गरीबों के लिए मैं 100 रुपये देता हूं उसमें 85 रुपये लोग खा जाते हैं लेकिन आपने इसका भी विरोध किया।

श्री प्रेम सिंह दहिया : लोग खा जाते हैं यह नहीं कहा, राजीव गांधी ने कहा व्यवस्था में खर्च हो जाते हैं। वह अभी खर्च होते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : भई अब राजीव गांधी ने कहा वही मैं कह रहा हूं मैं कहता तो आप नाराज हो जाते पर आप तो राजीव गांधी की बात को भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। मैं समझता हूं राजीव गांधी ने कहा वह गलत था?

राजीव गांधी को दर्द था इसलिए उन्होंने कहा, गरीब का पैसा गरीब के पास पहुंचना चाहिये गरीब का वह रुपया जो वह देते हैं पूरा का पूरा गरीब के पास पहुंचना चाहिये। राजीव गांधी को दर्द था लेकिन लोग तो उस दर्द को स्वीकार ही नहीं करते हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : वाह शुभचिन्तक, धन्यवाद राजीव गांधी के हितैषी साहब आपकी जय हो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इतना ही निवेदन कर रहा हूं। मैं यह कोशिश कर रहा हूं कि गरीब के नाम पर वसूल हुआ धन पूरा का पूरा गरीब के पास पहुंचे। आप और हम दोनों मिलकर इस बात की व्यवस्था करें आप भी मिलें और हम भी मिलें और बीच में खाने वाले हैं, उनको पकड़ें। तो मैं समझता हूं गरीब का पैसा गरीब के पास पहुंचेगा। आप यह समझते हैं क्या पहाड़ियाजी कि पिछले चालीस वर्षों में रुपया खर्च नहीं हुआ। पिछले चालीस वर्ष में कितना रुपया गरीबों के उत्थान के लिए खर्च किया गया है....

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, क्या मुख्य मंत्रीजी को यह अधिकार है कि वह मर्जी आये वह बात करें। यह क्या है? आप पोलिटीकल भाषण दे रहे हैं। एफ.आई.आर. कब दर्ज हुई है, एफ.आई. आर. में किन-किन के नाम हैं, किस को अरेस्ट कर लिया.....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आपने चौटाला और प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र और न जाने कहां-कहां की बात की तब तो हमने टोका नहीं। जरा सुनने का भाव रखो।

102

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने यह तय कर रखा है कि मुझे नहीं बोलने दिया जाए तो मैं बैठ जाऊं। ज्यादा परेशान न हों, सब बताऊंगा। मैं सब बताऊंगा, आप चिन्ता ही मत करो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, यह पब्लिक मीटिंग तो है नहीं.....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिल्कुल नहीं है। पहाड़ियाजी ने क्या पब्लिक मीटिंग में भाषण दिया था ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां, दिया था। वह साधारण सदस्य हैं आप नेता हैं।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : अध्यक्ष महोदय, माफ कीजिए, मुख्य मंत्रीजी विषयान्तर हो रहे हैं। सामाजिक चेतना और सामाजिक व्यवस्था की जो बात मैंने कही थी, उसी तक चर्चा करें तो ठीक रहे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है, ठीक है। उसी पर मैं कह रहा हूँ। कुछ बातें रह जायेंगी। मैं एक निवेदन करना चाहता था, अध्यक्ष महोदय, कि कल मैं जब वहां से आ रहा था तो मण्डावरी गांव मे काफी लोगों की भीड़ थी, जिसमें महिलाएं आगे थीं। उन लोगों ने मुझे जो कागज दिये वह कागज तो जब मौका आयेगा तो मैं आपको देऊंगा। उसमें सब जातियों के लोगों ने शिकायतें की थीं। वह शिकायतें मेरे पास हैं, सदन देखना चाहे तो आपको दिखा सकता हूँ। लेकिन उस भीड़ में मैंने लोगों को स्पष्ट रूप से कहा कि जिस तरह आपने कंजरों के घरों का घेराव करके उनकी हत्या की है, या तो आप एक-दो दिन में सरण्डर कर जाओ। सरण्डर नही करोगे तो जिस तरह वहां घेराव हुआ है, यहां घेराव होगा, एक आदमी को नहीं छोडूंगा। आपको आज फिर कहता हूं। आपने निर्दोष व्यक्ति को दोषी बताया है, लेकिन मैं आपको चुनौती देता हूं कि यदि आप चुन्नीलाल धाकड़ को दोषी बताओगे और सिद्ध करोगे तो वह भी जेल में रहेगा, जेल के बाहर नहीं रहेगा। आप उसकी चिन्ता छोड़िये कि मैं किसी का पक्षपात कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। जैसा आपने कहा, मुझे भी दर्द हुआ। अगर 8, 9, 10 आदमी मर जायं और मैं राजस्थान का मुख्य मंत्री होऊं तो आप क्या यह समझते हो कि मुझे खुशी होगी ? मैंने पुलिस को कहा कि जल्दी से जल्दी पकड़ो, कोई लोग छूटे नहीं इसकी व्यवस्था करो। कोई लोग भाग जायं तो उसको भी पकड़ो, लाओ। जितने भी अपराधी हैं उन लोगों को पकड़ो, उनका चालान करो। अब आप ऐसा समझते हो कि साहब, वह धाकड़ है इसलिए पकड़ोगे नहीं, यह दुर्भाग्य है इस राज्य का और देश का। अगर अपराधी राजपूत होता तो आप सीधा आरोप लगाते कि राजपूत मुख्य मंत्री है इसलिए इसको नहीं पकड़ा। यदि कोई माथुर होता......

अनेक माननीय सदस्य : किसी ने नहीं कहा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरे ऊपर नहीं, किसी के भी ऊपर...। पहले मेरी बात तो सुनो।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : मुख्य मंत्रीजी, हमारी मंशा यह नहीं है, हमने किसी जाति विशेष के ऊपर कोई इंगित नहीं किया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इस परिप्रेक्ष्य में नहीं कह रहा हूँ कि आपने मुझे कोई आरोप लगाया है...(व्यवधान)....एक मिनट सुन लेओ आप, उत्तेजित मत हो आप।

श्री शिवचरण माथुर : हमने यह कहा कि 193 आदमियों को, जो प्रभावित लोग थे, नामजद किया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सब पकड़े जायेंगे।

श्री शिवचरण माथुर : और इसमें पकड़ने वाली बात जो हुई, पहले 10 छांटकर उनको अलग कर दिया। दस जो आदमी गिरफ्तार किये हैं आखिर उसका आधार क्या था ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं एक और बता देऊं कि आप 10-5 के चक्कर में मत पड़ो, कोई भी दोषी हो मैं छोड़ूंगा नहीं। अब इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। मैं यह दूसरे प्रसंग में कह रहा था कि हमारे राजनीतिज्ञों में ही नहीं, यदि कोई माथुर मुख्य मंत्री है और माथुर ने दोष कर दिया, चाहे मुख्य मंत्री को पता ही नहीं, लोग यह कहेंगे कि शिवचरणजी माथुर मुख्य मंत्री हैं इस कारण से यह घटना हुई है। यदि कोई जाट है तो जाट के ऊपर आरोप लगेंगे, गुर्जर है तो गुर्जर के ऊपर आरोप लगेंगे, यदि कोई मीणा है तो मीणा के ऊपर आरोप लगेगा। हमारा दृष्टिकोण कुछ ऐसा हो गया जिसके कारण से हम उस वास्तविकता से हटकर जातिवाद के इस चक्कर में पड़कर बात कर रहे हैं। मैं पहले भी सार्वजनिक रूप से कह चुका, आज भी कहता हूँ कि मुख्य मंत्री के नाते न मेरी कोई जाति है, न मेरा कोई धर्म है...(व्यवधान)...आप चिढ़ क्यों रहे हो ?

डा. हरिसिंह : इस समय आप ठाकुर साहब नहीं लग रहे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठाकुर साहब आप कहो तो मैं कोई यह तो नहीं कहूंगा या कोई आपको गाली निकालूं कि आपने मुझे ठाकुर साहब क्यों कह दिया। यह तो मैं करने वाला नहीं हूं। लेकिन मैं इतना बता देऊं कि मुख्य मंत्री के नाते मेरी न कोई जाति है, न धर्म है। न मेरी सरकार की कोई जाति है, न सरकार का कोई धर्म है। मैं इस बात की कोशिश करूंगा कि कोई जातिवाद का विष इस सरकार में पनपता हो तो उसको रोकूं। मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूं कि 40 वर्षों के राजनीतिक जीवन में मैं जातिवाद के आधार पर चुनाव नहीं जीता हूँ। यह भी कह देऊं कि मैंने जाति के आधार पर अपने निर्वाचन क्षेत्र का चयन नहीं किया। मैं उन क्षेत्रों में जीता हूं जहां राजपूत नहीं हैं। अब आप उस आदमी के लिए...किसी आदमी के लिए...

श्री शिवचरण माथुर : यह कहां कहा गया ? जो बात नहीं कही गई....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी बात को सुनो।

श्री शिवचरण माथुर : जो बात नहीं कही गई है उस सबकाशंस में क्यों आप बात करना चाहते हो ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप तो नहीं कह रहे.....

श्री हरिदेव जोशी : जो मसला पैदा नहीं हुआ है उसको लम्बा करके भाषण को इतना लम्बा कर देना चाहते हैं आप कि लोग थक जायं और कह दे कि आप विराजो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर मानसिक दृष्टि से कोई थकान आती है तो शिवचरणजी माथुर का भाषण सुना था, मुझे नींद आने लगी थी।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : मैंने बात कही थी, लेकिन मैंने कहा था कि आपने प्रभावशाली व्यक्तियों को अभी तक नहीं पकड़ा, मैंने जाति की बात नहीं कही।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने तो बहुत अच्छी बात कही थी, मैंने पहले ही कह दिया ना। आपका भाषण सुनने के लिए मैं जागरूक मस्तिष्क से बैठा था और शिवचरण जी माथुर बोल रहे थे उस समय नींद रोकना मुश्किल हो रहा था। मेरे हाथ की बात थोड़े ही है। आप बोले अच्छा बोले। उसी प्रसंग में कह रहा हूं, हम सब को मिल कर यह जो आपस में मनमुटाव, भेदभाव, खाई पैदा हो रही है उस खाई को पाटने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने जातिवाद का प्रसंग इसलिए कहा कि चुन्नीलाल धाकड़ ने वहां से चुनाव लड़ा। अब मान लीजिये मैं किसी इलाके से चुनाव लड़ूं और वहां पर राजपूत ने कत्ल कर दिया और राजपूत में भी शेखावत ने कत्ल कर दिया तो सीधा आरोप लगेगा कि शेखावत ने कत्ल किया है, भैरोंसिंह का इसमें हाथ होगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : किसने कहा ? किसी ने नहीं कहा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दो-तीन आदमियों ने कहा। नहीं कहा तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : किसी ने आपके ऊपर कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाया है, आप रेकार्ड निकलवा लीजिए।

श्री हरिदेव जोशी : चुन्नीलाल धाकड़ को आप राजनीति से जानते होंगे, हम उसको उसके विद्यार्थी जीवन से जानते हैं। माणिक्यलाल जी वर्मा के यहां रहकर वह बड़ा हुआ है और वह किया है। हमने कभी नाम नहीं लिया।

श्री अध्यक्ष : मेरा निवेदन है कि कम से कम एक-एक तो बोले। अच्छा रहेगा, आप अपनी बात साफ कर पाओगे। एक-एक बोलें, अच्छा रहेगा।

श्री शिवचरण माथुर : यह बात नहीं कही गयी है।

श्री अध्यक्ष : माथुर साहब, एक-एक बोलें तो जवाब लेने में सुविधा होगी आपको।

श्री डूंगरराम पंवार : डाक्टर साहब को चाहिए कि अपनी पार्टी के सदस्यों को समझाये रखें कि कहीं मानसिक सन्तुलन न खो बैठें।

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवां) : सीधा सवाल पैदा होता है कि जब चुन्नीलाल जी को बचाने की बात नहीं है तो 12 मार्च को जो मर्डर हुआ, उसमें एफ. आर. क्यों लगी। जो गवाह कह रहा है कि अमुक आदमियों ने मर्डर किया है और उनका जो भांजा लगता है उसने मर्डर किया है, तो क्या उसका स्टेटमेण्ट लिया है। उसमें एफ. आर. लगी, आपके टाइम में लगी है। क्या उसको री-ओपन करेंगे ? क्योंकि...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हो गया, मैंने सुन ली। मैं जवाब देता हूं।

श्री रामनारायण वर्मा : यह घटना उससे रेलेवेण्ट है। यदि उसमें एफ. आर. नहीं लगती तो शायद यह घटना नहीं होती।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने कहा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए, श्री शिवचरण माथुर साहब की जानकारी के लिए और कई माननीय सदस्यों ने कहा उसमें एफ. आर. लग गयी उनकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि एफ. आर. नहीं लगी। इसलिए कहना चाहता हूँ कि आपको करेक्ट करने के लिए तैयार हूँ, आप करेक्ट होते जाइये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं फिर कह रहा हूँ कि आप इण्टरप्शन भी करें तो एक-एक करें। आप सब 5-5, 4-4 खड़े हो जायं, आप एक-एक बोलिये।

डा. हरिसिंह : क्या मुलजिम अरेस्ट हुए ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप एक बात और सुन लेओ कि उसमें तो एफ. आर. लगी नहीं लेकिन शिवचरण जी माथुर के जमाने में जिस कंजर की हत्या के मामले में एफ. आर. लागू कर दी गयी, उसको री-ओपन करवा रहा हूँ।

श्री शिवचरण माथुर : बिलकुल करवा लीजिए, किसने कहा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : Nobody should be spared. जिसने किया है आप तुरन्त कार्यवाही करिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई स्पेयर करने वाला नहीं हूँ, बस यही तो मैं कह रहा हूं। वह बात यह कह रहे थे न कि एफ. आर. लग गयी, इसलिए मैंने कहा कि एफ. आर. नहीं लगी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अगर पहले के केसेज में एफ. आर. लगी है तो उसको भी री-ओपन करवाइये।

डा. हरिसिंह : इस मामले में मुलजिम अरेस्ट हुए हैं क्या ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब मैं, अध्यक्ष महोदय, अन्त में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं....

डा. हरिसिंह : मुलजिम ग्ररेस्ट करने के लिए मैंने कहा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : डाक्टर साहब, ग्रापको बता देऊं कि सारे मुलजिम, जितने पकड़े जा सकते हैं, तुरन्त पकड़े जायेंगे।

डा. हरिसिंह : इसमें नहीं, 12 मार्च वाले कांड में।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : किन को ?

डा. हरिसिंह : 12 मार्च वाले काण्ड में ग्रापने कहा, एफ. ग्रार. नहीं लगी है। उसमें कोई मुलजिम ग्ररेस्ट हुए हैं क्या ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं एक बता देऊं कि 12 मार्च के ही नहीं, गये साल 1988 में जो मुकदमे रजिस्टर हुए हैं उन सबके ग्रन्दर जो ग्रपराधी हैं वह पकड़े जायेंगे। इसमें कोई सन्देह करने की जरूरत नहीं है।

श्री ईश्वरलाल सैनी : ग्रभी तक तो नहीं पकड़े गये न ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ग्रापको सदन में यह कह रहा हूँ कि मैं किसी के साथ पक्षपात करने वाला नहीं हूँ, ग्रौर जिसने कत्ल किया है, गरीब का कत्ल किया है उसको छोड़ने वाला बिलकुल नहीं हूँ।

श्री रामनारायण वर्मा : 12 मार्च वाले काण्ड में कोई पकड़ा गया है क्या ?

श्री डूंगरराम पंवार : पकड़ने के बाद उनकी धुलाई गूदड़ की तरह होनी चाहिए। गूदड़ की तरह उनको धोया जाना चाहिए।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : मुख्य मंत्री जी, मैं ग्रापका बहुत-बहुत ग्राभारी हूं, ग्राप इतने दिन पहले के मामले सब री-ग्रोपन करिये, हमारी तरफ से ग्रापका पूरा स्वागत है। लेकिन हमारा जो स्पेसिफिक प्रश्न है वह है 12 मार्च का मामला, जिसमें कि चुन्नीलाल जी विधायक के भांजे ने जो मर्डर किया है उस मामले का जिक्र हम कर रहे हैं। उसके बारे में ग्रापने ग्राश्वासन दिया न...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे, जनार्दन सिंह जी, ग्रगर एक बात ग्राप बता दें कि यदि मेरा भतीजा या ग्रापका भाई कोई मर्डर कर दे तो क्या मैं ग्रौर ग्राप जिम्मेदार होंगे ? (व्यवधान)

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : माननीय मुख्य मंत्रीजी ग्रापने बिलकुल सही ग्रौर रिलेवेण्ट क्वेश्चन किया है। ग्रगर उस केस के ग्रन्दर मर्डर चुन्नीलाल जी के भांजे ने किया है तो उसके लिये दोषी है तो हमने चुन्नीलाल जी के लिये कहां कहा है। मगर हमें यह शंका है कि ग्रापकी पार्टी के विधायक होने के नाते, ग्रापकी प्रशासन में भागीदारी है क्योंकि ग्रापकी पार्टी के विधायक होने के नाते वहां की पुलिस, वहां के पुलिस के ग्रधिकारी, वहां का पुलिस प्रशासन पेट्रोनाइज करे, यह वहां से शुरूग्रात हुई। उनका हाथ हो या न हो लेकिन ग्राज इस घटना का हौंसला होने के बाद, यह घटना घटी। यह घटना नहीं होती

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

यदि हथियार वहां नहीं जाते, पुलिस प्रशासन ने सख्ती से उनको पकड़ा नहीं इसलिये उनकी हिम्मत हो गयी...

श्री नाथूराम महारी : भ्रष्टाचार की परिभाषा में नहीं आता है यह केस।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप इस तरह से बोलेंगे तो इसका अन्त नहीं होगा। एक ने सवाल किया है, उसका जवाब वह दे रहे हैं और आप बीच में नयी बात खड़ी कर रहे हैं। सुन तो लीजिये।

श्री भैरोंसिह शेखावत : करौली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि मा. चुन्नीलाल जी धाकड़ सत्तारूढ़ दल के विधायक हैं और उनका प्रशासन पर प्रभाव है। यह कोई नयी बात नहीं हैं। क्या आप जिस समय सत्तारूढ़ दल के सदस्य थे, स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन के चेयरमैन थे अब यह प्रभाव है? आज उस व्यक्ति का जो हमारी पार्टी का सदस्य है दूसरे प्रभाव मानेंगे लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि....

श्री यदुनाथ सिंह : मेरा तो कांग्रेस के राज में भी प्रभाव था।

श्री चन्दनमल वैद : अब नहीं है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अच्छा, मुझे पता नहीं था। इसलिये इस विषय को छोड़ों मैं केवल एक विश्वास देता हूँ कि चाहे कोई बड़ा से बड़ा आदमी हो, चाहे राजनीति में हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न हो जो भी दोषी है उसको सजा मिलेगी और जो निर्दोष है उसके खिलाफ दबाव से कोई कार्यवाही करूंगा नहीं। मैंने इस सम्बन्ध में जो कुछ कहा है वह पर्याप्त है और इस दृष्टि से मैं आप लोगों को केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इन गरीबों की हत्या को राजनीति का हथियार नहीं बनायें यह हथियार नहीं चलने वाला है। गरीब भी तैयार हो गये हैं और जनता भी आपको समझती है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों को मुझे सूचित करना है कि... (व्यवधान) आप मेहरबानी करके एक-एक बोलिये। मैं क्या आपको एक साथ बोलने की इजाजत दे दूं?

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : नहीं।

श्री अध्यक्ष : तो आप एक-एक बोलिये ना। जोशीजी खड़े हुए हैं और आप 5 और खड़े हुए हैं।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, कल जब इस प्रश्न के ऊपर हमारी पार्टी में चर्चा हुयी थी तभी मैंने कह दिया था कि प्रश्न उठाने के थोड़ी देर के बाद में भैरोंसिह जी डिबेट स्वीकार कर लेंगे। अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्यवश आप उलझ गये इसके अन्दर। बात हो रही थी भैरोंसिहजी के और विरोध पक्ष के बीच में और आप आ गये इस बीच में। आपने तो कह दिया कि आप स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि रूल्स नहीं

(श्री हरिदेव जोशी)

मानते हैं और आप रूल्स से चलाना चाहते थे। वह टेक्टिक्स और चीजों को टालकर कहते हैं, मुख्य मुद्दे से हटकर कैसे बात करके निकला जाय, तथ्यों को कैसे तोड़-मरोड़ कर पेश किया जाय इसमें अगर इस सदन के 200 सदस्यों में से सबसे अधिक मार्क्स अगर कोई ले सकता है तो भैरोंसिंह जी शेखावत हैं। इस बात के लिये अगर कोई पदक प्रदान किया जा सकता हो तो, अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रोफेसर केदार इससे सहमत होंगे....

श्री अध्यक्ष : लेकिन जोशीजी इसकी आकांक्षा नहीं है, मैं उम्मीदवार भी नहीं हूँ ऐसा इनका कहना है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : पदक इस बात का दे रहे हैं कि आज विपक्ष सारा एग्जास्ट हो गया कुछ कहने के लिये नहीं रहा।

श्री हरिदेव जोशी : आप भी मुझसे सहमत होंगे रहा या नहीं रहा। यह जानते हैं न कोई हमारी जीत हुई या आपकी हार हुई इस तरह से इस चीज को देख ही नहीं रहा हूं जिस समय सदन में मैंने खड़े होकर इस प्रश्न को उठाया था। तभी मैंने कह दिया था कि यह सोचते हों कि कोई हम यह कह कर हम इसको राजनीति से कर रहे हैं मुझे अफसोस है कि केवल मानवीय विषय को लेकर विरोध पक्ष ने अपनी बात की, आम जनता की बात को रखा उसकी ट्रेजरी बैंचेज ने पालिटिक्लाइज करने की कोशिश की, हो-हल्ला करना शुरू कर दिया और यह स्थिति पैदा करने की कोशिश की जैसे हम कोई गलत बात कहने के लिये खड़े हुये हों। सारी चीज को देख लीजिये, तथ्यों में कहां पर भेद है। मैंने यह बात मुख्य मंत्रीजी से शुरू में कही थी कि जो घटना घटी है उस सम्बन्ध में हम कुछ आपसे चीजें जानना चाहते हैं। मैंने उस समय भी कहा था कि हमारा कोई चार्ज यह नहीं है कि किसी मिनिस्टर का वहां के सदस्य का या किसी का इस केस के अन्दर षडयन्त्र है। इसलिये यह सही है कि अगर एक घटना घटी है उसको एनलाइज नहीं करने देना चाहते हैं। राजस्थान के लिये यह दुर्भाग्य की बात है कि ऐसी घटना राजस्थान के अन्दर घटी है। हम बिहार के लिये सुनते हैं, हम उत्तरप्रदेश के लिये सुनते हैं मगर राजस्थान में ऐसी बात नहीं हुयी और जब पहली मर्तबा हुई है तो हमको शाकिंग लगा। अब आज जब हमने इस चीज को, मगर आप इतने इगर थे, आप इसको सदन के अन्दर लाना चाहते थे तो जो एजेन्डा आया है उसमें, अध्यक्ष महोदय, आपको मुख्य मंत्रीजी लिख सकते थे कि मैं पहले स्टेटमेण्ट देऊंगा। हमने इसमें नहीं देखा तो हमने कहा हम इसको उठायें...

श्री भैरोंसिह शेखावत : यह बात नहीं है आप तो सवा नौ बजे ही दे गये थे।

श्री हरिदेव जोशी : हां, तो उसके पहले एजेन्डा आ गया था। उसके पहले एजेन्डा आ चुका था। एनी वे....

श्री भैरोंसिह शेखावत : खैर! कोई बात नहीं है, बहुत बड़ा काम किया।

109

श्री हरिदेव जोशी : जब सदन में इसके ऊपर चर्चा हुई तो तथ्य क्या चाहिये थे इस विषय के ऊपर कि यह घटना क्यों घटी ? क्या यह टाली जा सकती थी ? कौन लोग मरे हैं, मरने वाले लोग कौन हैं, किसके कहां क्या लगी है ? यह सब होने के बाद में कितने लोग गिरफ्तार हुये हैं, कितने लोग बाकी हैं, कोई गोली चली तो उसके पीठ पर लगी है अथवा सामने लगी है, कोई लाठी लगने से 9 आदमी मरे हैं तो सिर में लाठी लगने से मरे हैं या पांव में लाठी लगी है इससे फ्रैक्चर हुए हैं ? दो मिनिस्टर्स और मुख्य मंत्रीजी गये मगर इन चीजों का कोई भी हवाला सदन में नहीं दिया गया है...

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप चाहें तो इन्ज्यूरी रिपोर्ट और पोस्ट-मार्टम रिपोर्ट आपको दे देऊं या सदन की मेज पर रख देऊं ? (व्यवधान)

श्री हरिदेव जोशी । जो रेलेवेंट चीज है वह यह है कि....

श्री भैरोंसिह शेखावत : एक निवेदन है कि इनके जवाब के बाद में फिर मुझे जवाब देना है।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है सामान्यतया डिबेट कनक्लूड हो रही है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : तथ्य लायेंगे तो मुझे तथ्यों का जवाब देना है।

श्री अध्यक्ष : डिबेट कायदे के मुताबिक आपने स्टार्ट की और वह कनक्लूड कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि वह कनक्लूड कर रहे हैं तो उसमें कोई नये तथ्य नहीं आयेंगे। जो आपने जवाब दिया है उस पर कमेंट्स है।

श्री हरिदेव जोशी : उस पर कमेंट्स ही कर रहा हूं। मुख्य प्रश्न यह है कि...

श्री सुरेन्द्र व्यास : जोशीजी को जवाब देना पड़ेगा।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : कहीं पर विवाद ही नहीं है। जो घटना हुई है उस घटना को स्वीकार किया जा रहा है। अपराधियों को दण्ड देने की बात कही जा रही है। तब तथ्यों को जानने का सवाल ही नहीं है।

श्री हरिदेव जोशी : स्वीकार करना गोयल साहब एक बात है और तथ्यों को सदन के सामने रखना दूसरी बात है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप यह समझते है क्या कि तथ्य छिपाने में मेरा कोई आनन्द है। मेरे पास तथ्य उपलब्ध हैं। आप चाहो तो अभी दे सकता हूं, सदन की कार्यवाही के बाद दे सकता हूं। कोई छिपाने वाली बात नहीं है।

श्री हरिदेव जोशी : आप इस राज्य के होम मिनिस्टर हैं, आप इस राज्य के मुख्य मंत्री हैं। होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर से यह अपेक्षा की जाती है कि वाकिया से लेकर के और आज की तारीख तक जो तथ्य हैं उससे इस सदन को अवगत करायेंगे।

श्री भैरोंसिह शेखावत : ऐसी परम्परा आपने तो डाली नहीं थी लेकिन मैं आपका कहना मानने का प्रयास करूंगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मेरा तो आपने क्रास एग्जामिन किया है यहां पर एक-एक क्वेश्चन के ऊपर तीन-तीन घण्टे मेरा क्रास एग्जामिन किया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप मुझे यह कह कर गये थे कि आज आप मेरा क्रास एग्जामिन करना ताकि मैं जी. ए. डी. का मिनिस्टर पक्का हो जाऊं।

श्री हरिदेव जोशी : आप अगर यह चाहते हों तो कि इस प्रकार के मर्डर और इस प्रकार की घटनाओं के ऊपर आपने किससे और किस तरह से क्या क्वेश्चन किये हैं तो सारी प्रोसिडिंग्स छपती हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप सारी प्रोसिडिंग्स में निकाल लाओ कि मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी के रूप में या शिवचरण माथुर के रूप में किसी गरीब की हत्या के मामले में एक लाख रुपये का अनुदान दिया हो।

श्री हरिदेव जोशी : पैसा देकर के आप यह कहना चाहते हैं कि मैंने ज्यादा पैसा दे दिया इसलिए मैं भला आदमी हूं, भला मुख्यमंत्री हूँ।

श्री नत्थी सिंह : संवेदनशील हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यह नहीं कहता कि आपने दिया नहीं इसलिए आप बुरे आदमी हैं। यह मैंने भी नहीं कहा।

श्री हरिदेव जोशी : मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह सदन मिस लीड किया गया है। मिस लीड इस सेंस में कि मुख्य मुजरिम कौन है। पहाड़िया जी ने पिछड़ी हुई जातियों की बात कही। आपने उस थीसिस को, उस थ्योरी को वह किया है इसके ऊपर न तो पहाड़िया जी को कोई डाक्टरेट मिलने वाली है और न आपको डाक्टरेट मिलने वाली है। मैं तो आपको एक बात. कहना चाहता हूं क्या हमारी निगाह में जो कुछ आपने कहा उससे भी और जो कुछ सम्पतराम जी ने कहा उससे मुझे यह लगता है कि ऐसे लोग नम्बर 1 के गुनाहगार हैं और इसके ऊपर एक्शन में सबसे अधिक ढिले। यह मेरे मन को लगता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपके मन तो आसन जिलेलाव में भी लगा था और शिवचरण जी ने आपकी बात को माना नहीं था।

श्री हरिदेव जोशी : नहीं मानी और आप भी नहीं मान रहे हो। आपको मैं क्या कहूं। उन्होंने नहीं मानी तो यह उनकी बात है। आज आपका मौका है। आप भी कह दीजिए कि मैं नहीं मानना चाहता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपका कहना मानना चाहता हूँ। बाकी के लोग तो छिप-छिप कर कहते हैं, मैं खुले आम मानना चाहता हूँ।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, भैरोंसिंह जी ने नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार की। वह हां कहें तब भी है। जिम्मेदारी हर एक की होती है। कभी भी किसी चीफ मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर को

(श्री हरिदेव जोशी)

अथवा मिनिस्टर को यह पता भी नहीं होता है कि प्रान्त के किस कोने के अन्दर क्या हो रहा है। मगर प्रशासन सुचारू हो इसकी जिम्मेदारी उसके ऊपर होती है। आज एक साथ 9 या 10 मर गये वह एक बात है। हरिजन इतने उसमें वह हो गये वह दूसरी बात है। पहले नहीं मरे होंगे, हमारे जमाने में गोली नहीं चली वह बात नहीं है। प्रश्न यह है कि हम आगे बढ़ रहे हैं अथवा हम पीछे जा रहे हैं। प्रश्न यह है कि राजस्थान का समाज आगे जा रहा है अथवा पीछे की तरफ जा रहा है? चाहे वह जयपुर के दंगे हों, चाहे वह कोटा के दंगे हों। मैं यहां पर नहीं था और आप भी मुख्यमंत्री नहीं थे। मगर भैरोंसिंह जी उन दंगों के कारण से आपको भी दर्द हुआ होगा और मुझे भी दर्द हुआ मैं दूर बैठा हुआ था। यह हमारे ऊपर एक कलंक है कि हमारे यहां ऐसा हुआ। 1947 के अन्दर जब बहुत आग जल रही थी देश भर में, जयपुर में ऐसा नहीं हुआ था। अब हुआ है तो यह कोई खुशी की बात नहीं है, दर्द की बात है मगर उसको इस तरह से केश करने की बात आप करो कि शिवचरण माथुर वहां बैठे हुए थे और यह हो गया इसलिए तो आप कोई ताश के पत्ते खेल रहे थे क्या जो स्कोर करना चाहते थे। हम और आप सभी इस सदन के अन्दर पिछले 40 वर्षों से बैठे हुए चले आ रहे हैं। किसी ने कभी उत्तेजना में, किसी ने कभी गलतफहमी में कई बातें कह दी होंगी, कई काम कर दिये होंगे मगर उस सारे के पीछे एक बात थी कि राजस्थान की प्रगति हो, राजस्थान हिन्दुस्तान के अच्छे राज्यों में से एक हो और हम उसके अन्दर भागीदार बनें। बार-बार आपकी पार्टी के लोग यह कहते हैं कि हम इधर हैं आप उधर हैं। अभी कहा था + + +।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हमको भी कई बार कहा है।

श्री हरिदेव जोशी : भैरोंसिंह जी अगर इधर बैठना + + + होना है तो ज्यादा + + + आप और आपकी पार्टी के लोग रहे हो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जोशी जी उधर बैठना आपका सौभाग्य है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपको उधर ही रखें।

श्री हरिदेव जोशी : 1977 में भी आप लोग यही कह रहे थे मगर उस दिन आपको पता नहीं चला। चुनाव लड़ता है तब तक आदमी को पता नहीं चलता है कि हार रहा है कि जीत रहा है। जिस दिन चुनाव का रिजल्ट निकलता है उसी दिन पता चलता है। आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि अपने जूनियर साथियों को थोड़ा समझा दो कि बेचारगी की भावना निकाल दें दिमाग से। हम जो यहां पर कोई प्रश्न उठा रहे हैं तो हमारी ज़िम्मेदारी है इसलिए उठा रहे हैं। लोग

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री हरिदेव जोशी)

यह कहते हैं कि आप इतने वर्षों तक अमुक पद पर रहे हो, यह है, वह है। अमुक पद पर रहे हो यह हो इतनी उम्र हो गई है आपकी, आपको यूं करना चाहिए मैं कहता हूं उनको कि मुझे खाना क्या खाना चाहिए यह तो मुझे ध्यान रखना चाहिए मगर यहां बैठ करके विरोधी पक्ष का जो रोल है उसको हम छोड़ नहीं सकते।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं नहीं चाहता कि आप छोड़ें।

श्री हरिदेव जोशी : आप यह सोचते हों कि अगर आप दूसरों को नगण्य समझ करके और हमेशा के लिए चिरन्जीवी हो गये हो यह भ्रम आपको भी निकाल देना चाहिए यह कोई चक्रवत परिवर्तन के सुखानिच्-दुखानिच्।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह चिरन्जीवी होने का तो आशीर्वाद आप ही लेवें।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष जी, मैं किसी दिल्ली की बात नहीं कहता मैं तो केवल एक बात कहना चाहता हूं कि आपने अपने साथी केबिनेट कलिग की भावना की कद्र नहीं कि उन्होंने न केवल अखबारों में बल्कि इस सदन के फ्लोर के ऊपर जो भावनायें व्यक्त की आपने उसकी बेइज्जती की।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसमें आपको क्या लाभ मिलेगा।

श्री हरिदेव जोशी : मुझे तो कोई लाभ नहीं मिलेगा मैं अपनी बात आपको कह देता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बुजुर्ग हैं चाहे जो कहें।

श्री हरिदेव जोशी : ऐसा है कि थोड़े दिनों में पीपल पान खरन्दता हस्ति कोपडिया, मुझ बीती तुझ बीत छः धीरज बापड़िया। आपकी वही दशा होने वाली है यह तो काल है यह सबके साथ है आपको बख्श ने वाला नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने तो आपके सम्मान के लिए कहा है आप बुजुर्ग हैं जो कुछ कहेंगे हम सुनेंगे मैंने आपको कोपड़िये वाली बात के आधार पर नहीं कहा।

श्री हरिदेव जोशी : मुझे आज से पांच साल पहले कोई बुजुर्ग कहता तो मुझे यों होता था। आज मुझे कहीं कोई पीड़ा नहीं है। क्योंकि मैं महसूस करता हूं कि उम्र के साथ में आदमी बुजुर्ग होता ही है। मुझे तकलीफ इस बात की है एक बुजुर्ग के नाते कि आपको जितना स्पष्ट होना चाहिए था उस चीज में आप स्पष्ट नहीं हुये। जान-बूझ करके नहीं हुये। छिपाया आपने कुछ मैं यह इल्जाम नहीं लगा रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि आपने अब तक थानेदार को गिरफ्तार क्यों नहीं किया, उसके ऊपर मुकदमा क्यों नहीं चलाया वह छूट जाता। मगर भैरोंसिंह जी आपने मौके पर जाकर जो चीज समझने की कोशिश की उसको समझ कर भी आपने इसको छोड़ दिया। मैं

(श्री हरिदेव जोशी)

यह नहीं कहता कि किसी केस में इन्वेस्टीगेशन नहीं होना चाहिए। मगर आपके साथी केबिनेट कलिग ने जो रिपोर्ट आपको दी है आप कहें तो इसकी भाषा पढ़ करके मैं आपको सुना दूं। मैं कहता हूं कि वह भाषा क्लियरली यह इण्डीकेट करती है कि उनका पाइन्टर उस थानेदार की तरफ है। उस थानेदार के आफिसर्स का पाइन्टर उस थानेदार की तरफ है। यह केस ऐसा है जिसके बाबत मैं आपको कह सकता हूं जिम्मेदार लोगों की राय के आधार पर भी आपने एक्शन नहीं लिया। क्यों नहीं लिया यह आपके विवेक की बात है रही बात कि आप त्याग पत्र दें अथवा न दें आपने कहा कि हम कह दें। किसी के कहने से कोई इस्तीफा नहीं देता है। यह एक राजनैतिक योग है। अन्तर-आत्मा किसी की ऐसी होती है जिससे प्रभावित होकर के दे देता है कोई प्रभावित होकर के नहीं देता है। आप क्या करें क्या नहीं करें यह हमारे ऊपर नहीं है। यह आपके ऊपर ही है मगर मैं यह कहता हूं मेहरबानी करके हमसे जो भी आप काम लेना चाहे, लीजिए जहां कहीं आप जाने को कहें हम तैयार हैं। आइन्दा राजस्थान में इस प्रकार की घटना न हो इस बात के लिए प्रयत्न कीजिए इसमें हम आपके साझीदार हैं यही मेरी राय है।

श्री अध्यक्ष : वाद-विवाद समाप्त होता है।

Dabate has been cancluded now.

घोषणा

सभापति तालिका

माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि प्रक्रिया के कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 9(1) के अन्तर्गत निम्नांकित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए मनोनीत करता हूं :

1. श्री जीतमल जैन।
2. श्री रामनारायण विश्नोई।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

विधेयकों का विवरण

श्री सचिव : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा द्वारा गत सत्र में पारित निम्नांकित विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं, जिन पर राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गयी है।

1. राजस्थान भूमि एवं भवन कर (संशोधन) विधेयक, 1990.
2. राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1990.
3. राजस्थान विनियोग (संख्या–1) विधेयक, 1990.
4. राजस्थान विनियोग (संख्या–2) विधेयक, 1990.
5. राजस्थान विनियोग लेखानुदान (संख्या–3) विधेयक, 1990.

अध्यादेश

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश. 1990

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री भंवर लाल जी शर्मा।

श्री भंवर लाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 1990 (का अध्यादेश संख्या–1) सदन की मेज पर रखता हूँ।

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री जी।

अधिसूचनायें

राजस्व (उपनिवेशन) विभाग

श्री भैरोंसिह शेखावत (मुख्यमंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व (उप निवेशन) विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें—

(1) अधिसूचना संख्या एफ 4 (9) रेव/कोल/87 दिनांक 12 अक्टूबर, 1989 जिसके द्वारा राजस्थान (उप निवेशन) (अलाटमेण्ट एण्ड सेल आफ गवर्नमेण्ट लैण्ड इन दी इन्दिरागांधी केनाल कालोनी एरिया) रूल्स, 1975 में संशोधन किया गया है।

(2) अधिसूचना संख्या एफ 13 (6) रेव/कोल/89 दिनांक 17 अक्टूबर, 1989 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (सेल कालोनी एरिया) कन्डीशन्स, 1973 में संशोधन किया गया हैं,

(3) अधिसूचना संख्या प. 19 (1) राज/उप/86 दिनांक 21 अक्टूबर, 1989 जिसके द्वारा कतिपय सिंचाई परियोजनाओं पर राजस्थान उप निवेशन अधिनियम, 1954 के प्रावधान लागू किये गये हैं।

(4) अधिसूचना संख्या एफ 4 (7) रेव/कोल/86 दिनांक 21 दिसम्बर, 1989 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (जनरल कॉलोनी) कन्डीशन्स, 1955 में संशोधन किया गया है,

(5) अधिसूचना संख्या एफ 4 (13) रेव/कोल/87 दिनांक 21 दिसम्बर 1989 जिसके द्वारा राजस्थान स्पेशल एसिस्टेन्स टू डिसएवल्ड एक्स सर्विसमेन एण्ड डिपेन्डेन्ट्स आफ डिसीज्ड डिफेन्स पर्सनल (अलाटमेण्ट आफ लैण्ड) नियम, 1963 में संशोधन किया गया है।

(6) अधिसूचना संख्या एफ 4 (23) रेव/कोल 84 दिनांक 21 दिसम्बर, 1989 जिसके द्वारा राजस्थान उप निवेशन (जनरल कालोनी) कन्डीशन्स, 1955 में संशोधन किया गया है, एवं,

(7) अधिसूचना संख्या एफ 4 (5) रेव/कोल/87 दिनांक 28 दिसम्बर 1989 जिसके द्वारा राजस्थान उप निवेशन (अलाटमेण्ट एण्ड सेल आफ गवर्नमेण्ट लैण्ड एण्ड अलाटमेण्ट आफ लैण्ड इन मंडीज इन दी भाखरा एण्ड इन्दिरा गांधी केनाल

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

इन इन्दिरागांधी कैनाल कालोनी एरिया) रूल्स, 1975 में संशोधन किया गया है। सदन की मेज पर रखता हूं।

परिवहन विभाग

श्री अध्यक्ष : परिवहन मंत्री।

श्री चन्द्रभान (परिवहन मंत्री) : मैं परिवहन विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें जिनके द्वारा विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के शैक्षणिक भ्रमण के लिए अनुबन्धित बसें कर मुक्त की गयी है :—

1. अधिसूचना संख्या प. 5 (22) परि./89 दिनांक । अक्टूबर, 1989.
2. अधिसूचना संख्या प. 5 (19) परि/89 21 अक्टूबर, 1989.
3. अधिसूचना संख्या प. 5 (37) परि/89 दिनांक 20 जनवरी, 1990.
4. अधिसूचना संख्या प. 5 (2) परि/90 दिनांक 8 फरवरी 1990
5. अधिसूचना संख्या प. 5 (3) परि/90 दिनांक 9 अप्रेल, 1990.
6. अधिसूचना संख्या प. 5 (4) परि/90 दिनांक 21 मई, 1990.

सदन की मेज पर रखता हूँ।

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री अध्यक्ष : उद्योग मंत्री।

श्री कृष्ण कुमार गोयल (उद्योग मंत्री): मैं कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619 ए की उप धारा 3 का भाग (बी) के अन्तर्गत सांभर साल्ट्स लि. का 24 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1988-89 सदन की मेज पर रखता हूँ।

श्री अध्यक्ष : श्री कृषि मंत्री।

श्री दिग्विजय सिंह (कृषि मंत्री) : मैं भूमि विकास निगम अधिनियम, 1975 की धारा 38 की उप धारा 3 के अन्तर्गत राजस्थान भूमि विकास निगम का 15 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं 31 मार्च, 1990 को समाप्त हुये वर्ष के लेखे सदन की मेज पर रखता हूं।

विधायी कार्य

पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयक

राजस्थान न्यायालय फीस तथा वाद मूल्यांकन (संशोधन) विधेयक, 1990

श्री अध्यक्ष : विधायी कार्य : पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयक। मुख्य मंत्री।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं, राजस्थान न्यायालय फीस तथा वाद मूल्यांकन अधिनियम, 1961 को और संशोधित करने के लिये विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति चाहता हूं :

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान न्यायालय फीस तथा वाद मूल्यांकन अधि

(श्री अध्यक्ष)

नियम 1961 को और संशोधित करने के लिए संशोधन विधेयक, 1990 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गयी। प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से राजस्थान न्यायालय फीस तथा वाद मूल्यांकन (संशोधन) विधेयक, 1990 को पुरःस्थापित करता हूं।

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1990

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1990 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक 1990 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1990 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : अध्यादेश जारी करने के कारणों का विवरण।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अन्तर्गत राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 1990 (1990 का अध्यादेश संख्या 8) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

अपराधी परिवीक्षा राजस्थान (संशोधन) विधेयक, 1990

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री कुन्दनलाल।

श्री कुन्दनलाल मिगलानी (राज्य मंत्री, समाज कल्याण) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपराधी परिवीक्षा (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1990 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि अपराधी परिवीक्षा (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1990 को पुरःस्थापित प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री कुन्दनलाल मिगलानी : अध्यक्ष महोदय, मैं अपराधी परिवीक्षा (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1990 को पुरःस्थापित करता हूँ।

शोकाभिव्यक्ति

श्री अध्यक्ष : शोकाभिव्यक्ति। माननीय मुख्यमंत्री जी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, लोकसभा के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री के. एस. हेगड़े, राजस्थान विधान सभा के सदस्य श्री श्रीभान सिह एवं श्री अमृत लाल पायक के निधन पर मैं शोक प्रकट करता हूँ और मैं अपनी ओर से व सदन की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, श्री हेगड़े लोकसभा के अध्यक्ष थे, उसके पूर्व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। अध्यक्ष के रूप में उन्होंने सदन में बहुत ही महत्वपूर्ण परम्पराएँ स्थापित की। उनके निर्णय जो लोकसभा में दिए हैं, आज भी माननीय सदस्य उनका उद्धरण देकर कई समस्याओं का समाधान करने में सहयोग लेते हैं। विद्वता के नाते उनकी कितनी प्रशंसा की जाय, यह तो मैं समझता हूँ जितना वह विद्वान थे उसकी प्रशंसा शब्दों में नहीं की जा सकती। जिस समय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, हिन्दुस्तान में उन्होंने एक नजीर पैदा की कि जिस समय उनको सुपरसीड किया गया अपने दो साथियों के साथ उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय से त्यागपत्र देकर एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया कि सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्तियां, सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नतियां, सर्वोच्च न्यायालय में इस प्रकार की अन्य गतिविधियां, यह न्यायाधीशों पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डाल सके इस दृष्टि से उन्होंने त्यागपत्र देकर न्यायिक जगत में भी एक उदाहरण प्रस्तुत किया।

मैंने कई बार उनके भाषण सुने हैं, मैं ऐसा समझता हूं कि जिस विषय पर भी वह बोलते थे ऐसा लगता था कि उस विषय का उनको पूर्ण ज्ञान है और ज्ञान के आधार पर सरल भाषा में वह लोगों तक अपनी बात कैसे पहुंचायें इसमें भी उन्होंने दक्षता हासिल की।

मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके शोक संतप्त परिवार को इस दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे।

श्री श्रीभानसिंह जी इस सदन में दो सत्र तक सदस्य रहे। मेरा विश्वास है कि सदन के कई पुराने माननीय सदस्य श्री श्रीभानसिंह जी को अच्छी तरह से जानते हैं। एक बहुत ही प्रखर वक्ता, हिन्दी में हो चाहे अंग्रेजी में हो, लेकिन जिस समय वह बोलते थे ऐसा लगता था कि उस व्यक्ति का भाषा के ऊपर बहुत जबर्दस्त कमांड है। कांग्रेस पार्टी में भी रहे लेकिन सही बात कहने में उन्होंने कभी संकोच नहीं किया। यदि सरकारी पक्ष उससे नाराज भी होता तो उस व्यक्ति ने कभी भी इस बात की चिन्ता नहीं की। मुझे ज्यादा दुःख इस बात का है कि उनको कैन्सर हो गया था और कैन्सर की बीमार को उस व्यक्ति ने हँसते हुए सहन किया, वह बिरले ही आदमी होते हैं। हास्पिटल में वह थे, मेरी भी पत्नी बीमार थी, इस कारण रोज

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मिलना-जुलना होता था लेकिन इतना कह सकता हूं कि कैन्सर काफी आगे बढ़ गया था, बढ़ने के उपरान्त भी इस व्यक्ति में इतना कॉन्फिडेंस था, उस कॉन्फिडेंस के कारण से ही वह जीये। उपचार हुआ। उपचार का लाभ मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता लेकिन उपचार के लिए भी वे चेष्टा करते रहे, उनका उपचार भली प्रकार किया भी गया लेकिन ईश्वर की ऐसी ही देन थी कि वह हमारे बीच से उठ गए।

श्री अमृत लाल पायक इस विधान सभा के सदस्य रहे। अच्छे व्यक्ति थे। विधान सभा में कई बार उन्होंने भाग लिया। वह गरीबों की बात रखने में हमेशा आगे रहते थे, वह भी हमारे बीच से उठ गये।

मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति मिले इस दृष्टि से में ईश्वर से प्रार्थना करता हूं।

इन्हीं शब्दों के साथ में इन तीनों बिछुड़े हुए मित्रों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।

श्री हरिदेव जोशी (नेता, प्रतिपक्ष) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने स्वर्गीय श्री हेगड़े के बारे में जो भावनाएँ प्रकट की हैं मैं उनसे सहमत हूँ। मैं अपनी ओर से और विरोधी पक्ष की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। श्री हेगड़े अच्छे विद्वान, शिक्षाविद् थे। सबसे बड़ी बात वे एक सफल स्पीकर थे। उन्होंने जो परिपाटी कायम की वह आज भी कोट की जाती है कई जगह।

अध्यक्ष महोदय, हमारे एक साथी श्री श्रीमानसिंह जी को खो करके कई लोग अपने आपको मित्रविहीन महसूस करते हैं। वे भरतपुर के रहने वाले थे, बहुत जिन्दादिल दोस्त थे, जिन-जिन के वे दोस्त थे वे लोग अपने आपको इतना अधिक आश्वस्त महसूस करते थे कि उनके साथ एक सद्भावना रखने वाला और अपनापन रखने वाला व्यक्ति उठ गया। रुग्णावस्था में अनेक बार मैं उनसे मिला। मगर एक चीज है, जो कैन्सर से पीड़ित लोगों को हम देखते हैं पीड़ा से परेशान, उनके पास जब कभी भी मैं गया, मैंने उन्हें कोई शिकायत करते हुए नहीं सुना। ऑपरेशन हुआ, अनेक प्रकार के कष्ट सहे और ऐसी स्थिति में आ गए कि देखने वाला यह कहे कि भगवान उन्हें उठा ले तो बहुत अच्छा। मगर उस आदमी ने कभी निराशा की बात नहीं कही। उस दोस्त के, उस साथी के चले जाने की सबको पीड़ा है।

मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनके परिवार को यह शोक बर्दाश्त करने की क्षमता भगवान दे, यह प्रार्थना करता हूँ।

प्रतापगढ़ निवासी श्री अमृत लाल जी पायक हम लोगों के बहुत नजदीक के साथी थे। रियासती जमाने में जब आन्दोलन चलते थे तब बड़ी रियासतों के लोग अथवा ब्रिटिश इलाके के लोग कल्पना नहीं कर

(श्री हरिदेव जोशी)

सकते थे कि छोटी रियासतों में दमन किस प्रकार से और कैसे हुआ करता था। श्री अमृतलाल जी पायक उस पीढ़ी के व्यक्ति थे जिन्होंने जन जागरण के द्वारा वहां पर आजादी प्राप्त करने के लिए राजाशाही और जागीरदारी को खत्म करने के लिए आन्दोलन का नेतृत्व किया। वह लम्बी उम्र पाये हुए व्यक्ति थे। जब तक जीये तब तक कुछ न कुछ सार्वजनिक काम में लगे रहे। चाहे वह हरिजन सेवा का काम हो अथवा और कोई शिक्षा या सार्वजनिक काम हो।

अमृतलाल जी राजस्थान के उन अग्रणी लोगों में से थे जिन्होंने अपनी रियासतों में प्रजामण्डलों की स्थापना की। वह स्वतन्त्रता सेनानी और परम सात्विक साधू रूप थे। पायक जी को मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके परिवार को भगवान इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे, यह प्रार्थना करता हूँ।

श्री नत्थीसिंह (नेता, जनता दल): अध्यक्ष महोदय, श्री के. एस. हेगड़े, श्री श्रीभानसिंह और श्री अमृतलाल पायक को अपनी ओर से और अपने दल की तरफ से हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री हेगड़े साहब जहां उच्च श्रेणी के न्यायविज्ञ थे, लोकसभा के अध्यक्ष उस समय हुए जब से एक तरह से हमारे जनतांत्रिक मूल्यों की जो दुर्गति हो गई थी और एक तरह से पटरी से गाड़ी उतर गई थी तब जाकर उन्होंने अध्यक्षता का भार संभाला और जनतांत्रिक मूल्यों की पुनः स्थापना की ओर संसद और विधान सभाओं को अनुभूति दी कि वह जनता की अभिव्यक्ति का फिर से सशक्त साधन बन सकें।

श्री श्रीभानसिंह जी मेरे पड़ौसी और मेरे जिले के रहने वाले थे। इतने हंसमुख और मिलनसार थे कि इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्भिक वक्ता होने के साथ-साथ बहुत विद्वान थे। जब वह दस साल बाद विधान सभा के सदस्य नहीं रहे उसके बाद भी अध्ययन, जनता की समस्याओं के प्रति उनकी गहरी रुचि, नियमित रूप से खेल में भाग लेना यह उनकी दिनचर्या थी। जब तक उनको कैंसर का रोग नहीं हुआ, वह रोजाना, मैं देखता था, खेलने के लिये क्लब में शाम को अपनी साईकल पर नियमित रूप से जाते थे।

श्री अमृतलाल पायक को भी मैं अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

प्रभू से मैं प्रार्थना करता हूं कि इन तीनों महानुभावों की आत्माओं को शांति दे और उनके परिजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे।

श्री हेतराम बेनीवाल (सांगरिया): माननीय अध्यक्ष महोदय, हेगड़े जी के निधन पर सदन के नेता और विपक्षी दल के नेता ने जो विचार प्रकट किये हैं समझता हूं कि हमारे देश में जो जनतान्त्रिक परम्परा को मजबूत करने में इस देश के विद्वानों ने, विशेष तौर से जो कानून विज्ञ हैं उन्होंने जिस तरह का योगदान दिया है, हेगड़े जी

(श्री हेतराम बेनीवाल)

जब जज थे उनके साथ अन्याय हुआ। उन्होंने सिर झुका कर उसको स्वीकार करने के बजाय उन परिस्थितियों का मुकाबला करके उन्होंने यह साबित कर दिया कि वह झुकने वाले व्यक्ति नहीं थे और यही गुण उसके बाद जब वह पार्लियामेंट में आये और स्पीकर बने तब सारे देश को महसूस हुआ। उनकी बजह से हमारे देश में जो परम्परा है, हमारे देश की पार्लियामेंट्री परम्परा है मजबूत हुई, उनका बहुत बड़ा योगदान, उसको मजबूत करने में रहा। आज वह हमारे बीच में नहीं रहे, इस बात की क्षति, जो परम्परा उनकी वजह से मिली थी, उसका हमको नुकसान हुआ।

मैं अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हमारे इस सदन के दो और साथी जो इस सदन के सदस्य थे, श्री श्रीभान सिंहजी और पायक जी, मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे परिचित नहीं हूँ और न ही मिला लेकिन जो भावनाएं माननीय सदस्यों ने उनके बारे में प्रकट की हैं वह निश्चित तौर से राजस्थान की विधान सभा में रहकर राजस्थान के सार्वजनिक जीवन में रहकर उन्होंने जो हमारे प्रदेश की उन्नति के लिये बहुत कुछ किया, मैं समझता हूँ ऐसे साथी हमसे बिछुड़ गये इसका अफसोस है। उनके प्रति भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ और श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए माननीय सदन के नेता, विरोधी दल के नेता, जनता दल के नेता के विचारों में मेरे विचार समाये हुए हैं। साथ में मैं इतना कह सकता हूं कि श्री श्रीभानसिंहजी के मैं काफी नजदीक था। श्री श्री भानसिंह जी एक निडर, निर्भीक और एक प्रखर वक्ता थे। समय की पाबन्दी उनकी ऐसे देखने में मिली है कि हाउस में वह बहुत रेगुलर रहते थे। जब बोलने के लिये खड़े होते थे तो अंग्रेजी और हिन्दी में जब उनका भाषण चलता था तो एकदम हाउस स्तब्ध रह जाता था। उनके बोलने में इतना रस था कि कोई भी माननीय सदस्य बीच में उनको टोका टाकी नहीं करता था। यही नहीं, वह समय के ऐसे भी पाबन्द थे कि किसी भी माननीय सदस्य को या मंत्री महोदयों को, जिनको देखने का मौका मिला, यदि उन्होंने मिलने का टाइम दे दिया है और अगर उस टाइम पर मंत्री जी नहीं आये हैं तो बड़े से बड़े मंत्री को भी, जिसने टाइम मिस कर दिया है वह मिलना पसन्द नहीं करते थे। यह उनमें एक विशेषता थी। वह अध्ययन करने में हमेशा अपने कमरे के अन्दर स्टडी करते ही रहते थे।

ऐसे तीनों व्यक्तियों, हेगड़े साहब को, पायक साहब को और श्रीभानसिंह जी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनके शोक संतप्त परिवार को इस दुख को सहन करने की बड़ी से बड़ी शक्ति दे, यही मेरी प्रार्थना है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, शोक के इस वातावरण में डूबे हुए इस सदन में माननीय सदन के नेता, प्रतिपक्ष दल के नेता, अन्य दलों के नेताओं एवं सदस्यों ने पूर्व अध्यक्ष, लोकसभा, स्वर्गीय श्री के.एस. हेगड़े, इस विधान सभा के पूर्व सदस्य स्वर्गीय श्री श्रीभानसिंह एवं श्री अमृत लाल पायक के निधन पर जो शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है व संवेदना प्रकट की है, उसमें मैं अपने बोझिल दिल व मन से अपनी भावना सम्मिलित करता हूँ।

स्वर्गीय श्री के.एस. हेगड़े का जन्म 11 जून, 1909 को ग्राम कावदूर में हुआ था। आपने शिक्षा कावदूर प्राथमिक स्कूल, कर्कला वोर्ड हाई स्कूल सेन्ट एलूसिस कॉलेज मंगलोर, मद्रास में प्रेसीडेसी कॉलेज एवं लॉ कॉलेज में प्राप्त की थी। 1947 से 1951 तक आप सरकारी रीडर एवं पब्लिक प्रोसीक्यूटर के पद पर रहे।

आप 1952 से 1957 की अवधि में कांग्रेस पार्टी के टिकट से राज्य सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। आप सभापति तालिका के सदस्य रहे। लोक लेखा समिति (1954-55) नियम समिति राज्य सभा एवं रेल भ्रष्टाचार जांच समिति के सदस्य भीं रहे। आप विशेषाधिकार समिति के सभापति रहे। आपने 1954 में संयुक्त राष्ट्र संघ के नवें सत्र के लिए प्रतिनिधित्व एवं उसकी वित्तीय समिति में भी कार्य किया 1957 से 1966 तक आप मैसूर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर तथा 1956 से 1967 की अवधि में आप दिल्ली एवं हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर आसीन रहे एवं 1967-73 तक आप उच्चतम न्यायपति न्यायाधीश के पद पर रहे।

1977 में आप छठी लोकसभा के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए। आपने अध्यक्ष पद पर रहते हुए सभा का संचालन अत्यन्त गरिमापूर्वक किया। आपने क्राइसिस इन दी जुडिशियरी एवं "डायरेक्टिव प्रिन्सीपल्स" नामक दो पुस्तकें भी लिखी थी। आपका असामयिक निधन दिनांक 25 मई, 1990 को अपने निवास स्थान मंगलूर में हुआ....

स्वर्गीय श्री श्री भानसिंह का जन्म 19 फरवरी, 1925 को भरतपुर में हुआ था। आप प्रथम विधान सभा एवं द्वितीय विधान सभा में क्रमशः रूपवास एवं बयाना निर्वाचन क्षेत्र से कृषिकार लोक पार्टी से निर्वाचित हुए थे। आप जमींदार परिवार से सम्बन्धित थे। आपने अपनी शिक्षा पूर्ण करके राजनीति में प्रवेश किया।

आपको चित्रकारी, मुर्गी पालन और देश की सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं में विशेष रुचि रही। आप टेनिस और स्क्वेश के अच्छे खिलाड़ी रहे।

आपका असामयिक निधन दिनांक 5 मई, 1990 को हुआ।

स्वर्गीय श्री अमृतलाल पायक का जन्म 11 जनवरी, 1903 को प्रतापगढ़ जिला चित्तौड़ में हुआ था। आप द्वितीय विधान सभा में कांग्रेस दल की ओर से प्रतापगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे।

आप 1945 में प्रजा मण्डल के अध्यक्ष पद पर रहे। सन् 1948 से 1950 तक

(श्री अध्यक्ष)

राजस्थान प्रान्तीय कार्यकारिणी के सदस्य रहे। 1948 से 1951 व 1955 से 1957 तक अध्यक्ष, म्युनिसिपल बोर्ड प्रतापगढ़ रहे। आप हरिजन एवं आदिवासी सेवक संघ के मंत्री रहे। महिला मण्डल, प्रतापगढ़ के उपाध्यक्ष रहे।

आपकी रुचि सदैव हरिजन कल्याण एवं दलितों की सेवा में रही। आपका असामयिक निधन 14 अप्रेल, 1990 को हुआ।

मैं उक्त समस्त दिवंगत नेताओं को अपनी ओर से और इस सदन के समस्त माननीय सदस्यों की ओर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्माओं को शान्ति प्रदान करे और उनके शोक संतप्त परिवारजनों को उनके बिछोह को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

माननीय सदस्यगण कृपया दो मिनट मौन के लिये खड़े होकर दिवंगत नेताओं की आत्माओं की शान्ति के लिये प्रार्थना करें।

(सदन ने दो मिनट खड़े होकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की)

सदन की कार्यवाही कल दिनांक 27 जून, 1990 के प्रातः साढ़े ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक म. प. 6·42 बजे बुधवार, दिनांक 27 जून, 90 के म. पू. 11·30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट

(प्रश्नकाल के निलम्बन के कारण तारांकित प्रश्नोत्तर जो अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार लिए गये)

चूरू शहर में ड्रेनेज व्यवस्था

1. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला मुख्यालय चूरू के लिए पानी निकासी की ड्रेनेज स्कीम बनाई गई है ? यदि हां, तो क्या योजना है और कब तक प्रारम्भ हो जायेगी ?

(2) क्या यह सही है कि बरसात के दिनों पूरे शहर में पानी भर जाता है जिससे मकानों में पानी भर जाता है ? यदि हां, तो पानी की निकासी की व्यवस्था के प्रति अब तक उपेक्षा के क्या कारण रहे हैं ?

उत्तर

(1) चूरू नगर के लिए पानी निकासी की एक योजना बनाई गई थी, जो वित्तीय साधन उपलब्ध नहीं होने के कारण क्रियान्वित नहीं की जा सकी। अतः अब नये सिरे से पुनः वर्तमान स्थिति के अनुसार जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग के माध्यम से नई योजना तैयार कराई जा रही है। नगर परिषद चूरू शहर के उन क्षेत्रों की सूची जहां पानी एकत्रित होता है, संलग्न कर योजना तैयार करने हेतु जलदाय विभाग को निवेदन किया है।

(2) यह सही है कि बरसात के दिनों में चूरू शहर में करीबन 28-30 स्थानों पर पानी भर जाता है, जिसे समय-समय पर पम्प के माध्यम से निकाल दिया जाता है। इस समस्या का समाधान मुख्य रूप से चूरू नगरपरिषद की कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण नहीं हो सका है। धन उपलब्ध होते ही समस्या का समाधान करने के लिए प्रयत्नशील है।

सवाई माधोपुर जिले के विद्युतीकृत गांवों का विद्युत कार्य

2. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (खण्डार) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या वर्ष 1990 में सवाई माधोपुर जिले के ग्राम रामपुरिया, धीरोली, सेवती कलां, व सेवती खुर्द का विद्युतीकरण कर दिया गया ? यदि हां, तो उक्त ग्रामों में पोल गाड़ने का ठेका किस-किस ठेकेदार को दिया गया और कार्य पूर्ण होने की क्या-क्या शर्तें थी ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त ग्रामों में पोल एक ही आंधी में ढह गये ? यदि हां, तो ठेकेदारों व अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। रामपुरिया के 33 पोल में से 9 पोल तथा ग्राम धीरोली, सेवतीकलां एवं सेवती खुर्द के सारे पोल खड़े करने के कार्य का ठेका श्री भंवर सिंह पुत्र

(ऊर्जा मंत्री)

श्री भवानी सिंह को निम्न शर्तों पर दिया गया था :—

1. बी.एस.आर. सवाई माधोपुर-8 के अनुसार कार्य पूर्ण किया जाये।

2. कार्य पूर्ण करने की अवधि आदेश से एक माह होगी।

3. लाईन सम्बन्धी वांच्छित सामान मण्डल द्वारा दिया जायेगा।

(2) जी नहीं। उपरोक्त ग्रामों में से केवल ग्राम रामपुरिया के 10 पोल जो विभागीय कर्मचारियों द्वारा खड़े किये गये थे, असामान्य आंधी के कारण टेढे हो गये। अतः इसके लिए ठेकेदार या कोई अधिकारी जिम्मेदार नहीं हैं। इसलिए किसी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

जोधपुर संभाग में अवैध वाहन-चालन

3. **श्री राजेन्द्र गहलोत** (सरदारपुरा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर सम्भाग में राष्ट्रीयकृत मार्गों में निजी वाहनों के चलन से क्या राज्य पथ परिवहन निगम की आय पर विपरीत प्रभाव पड़ा है ?

(2) क्या उक्त सम्बन्ध में सरकार को जोधपुर डिपो व कर्मचारियों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो पिछले 2 वर्ष में शिकायतें कब-कब प्राप्त हुई तथा उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

(3) राज्य सरकार अब इन अनाधिकृत वाहनों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) सम्भव है।

(2) जी हां। दिनांक 16-6-89, 3-10-89, 5-10-89, 23-10-89, 28-10-89, 29-10-89, 7-11-89, 13-12-89, 16-12-89, 5-2-90, 1-3-90, 19-5-90, 1-6-90, 2-6-90, 7-6-90, 15-6-90 को इस सम्बन्ध में पत्र प्राप्त हुए हैं। प्राप्त शिकायतों के आधार चैकिंग दलों द्वारा समय-समय पर चैकिंग की जाकर उनकेचालान बनाये गये हैं। गत दो वर्ष में (88-89, 89-90) जोधपुर संभाग में 16153 वाहनों को चैक किया गया जिसमें से 6119 वाहनों के चालान बनाये गये 1475 वाहनों को सीज किया गया एवं 47·01 लाख रुपये की राशि बतौर जुर्माने के वसूल की गई।

(3) चैकिंग दलों द्वारा निरन्तर रूप से अनाधिकृत वाहनों को रोकने के प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। अप्रेल एवं मई में राज्य में 10856 वाहन चैक किये गये। जिसमें 6622 का चालान किया गया तथा 922 वाहन सीज किये गये। इसके फलस्वरूप रु. 33·50 लाख की राशि वसूल की गई। जिसमें 17·48 लाख रुपये जुर्माने के बतौर वसूल किये गये।

ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षण केन्द्र

4. **श्री चम्पालाल बांठिया** (पचपदरा) : क्या प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार ने शिक्षा के अभाव की दृष्टि से ग्रामों में निजी संस्थाओं /व्यक्तियों से अनुबन्ध के आधार पर शिक्षण केन्द्र खोलने की कुछ माह पूर्व योजना बनाई थी ?

(2) यदि हां, तो क्या उसकी क्रियान्विति हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ? प्रस्तावित योजना का प्रारूप सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

घाटोल तहसील में सीमेंट फैक्ट्री

5. **श्री नवनीत लाल नीनामा** (घाटोल) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा के गांव उण्डवाला, माटिया बाडगूज में सीमेंट बनाने लायक पत्थर का सर्वे कराया गया है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार उक्त गांवों में सीमेंट फैक्ट्री चालू कर बेरोजगारी दूर करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त गांव की पहाड़ियों में धातुदार पत्थर प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार उक्त पहाड़ियों में पाये गये धातुदार पत्थरों का उपयोग करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां लाइम स्टोन का सर्वे कराया गया था। राज्य सरकार के उक्त एरिया में सार्वजनिक क्षेत्र में सीमेंट फैक्ट्री लगाये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। वैसे भी राज्य सरकार स्वयं उद्योग न लगाकर उपक्रमियों/उद्योगपतियों को ही उद्योग स्थापना हेतु प्रोत्साहित करती है। सर्वेक्षण के अनुसार इस क्षेत्र में उपलब्ध चूना पत्थर के भण्डार वन क्षेत्र में होने तथा रेलवे लाईन से लगभग 90 कि.मी. दूर होने से सीमेंट फैक्ट्री लगाया जाना आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं होगा।

(2) जी हां। धात्विक खनिजों के भी संकेत मिले हैं। विस्तृत सर्वेक्षण से यह पाया गया है कि इन धातुओं का खनन आर्थिक रूप से लाभप्रद नहीं होगा।

शराब व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण

6. **श्री सुरेन्द्र व्यास** (मालपुरा) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ने राज्य पर्यटन विकास निगम को बीयर की बिक्री का लाइसेन्स दिया हुआ है ? क्या सरकार को जानकारी है कि निगम का लाभ मुख्यतया इसी बीयर की बिक्री के कारण है ?

(2) शराब के ठेकेदारों द्वारा राजस्व का दुरुपयोग न हो इस हेतु क्या सरकार

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

शराब के पूरे व्यापार का राष्ट्रीयकरण कर पर्यटन निगम अथवा अन्य माध्यम से ऐसा व्यवसाय करने का कोई विचार रखती है ताकि राज्य सरकार की राजस्व आय में वृद्धि हो सके ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार ने राज्य पर्यटन निगम को बीयर की बिक्री का लाईसेन्स दिया हुआ है। निगम को बीयर बिक्री कार्य में लाभ है परन्तु शत-प्रतिशत लाभ बीयर बिक्री से नहीं है।

(2) जी नहीं।

मरूस्थलीय जिलों में वृक्षारोपण

7. **श्री पूनमचन्द विश्नोई** (फलौदी) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि वन विभाग राज्य से मरूस्थलीय जिलों में स्थानीय वृक्ष एवं झाड़ियों जैसे खेजड़ी जाल रोहिड़ा, कूमट, केर, कंकेड़ी, हिंगोर, अरनी, देशी बबूल, बेर आदि को लगाने की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है।

(2) यदि नहीं, तो वन विभाग द्वारा उक्त किस्म के लगाये गये वृक्षों की गत 5 वर्षों की वर्षवार संख्या के आंकडे सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार मरूस्थलीय वृक्षों को अधिकाधिक लगाने का कोई कार्यक्रम बनाने का विचार रखती है यदि हां ? तो क्या व कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं। विभाग द्वारा स्थानीय प्रजातियों को वृक्षारोपण कार्यों में लगाने पर जोर दिया जा रहा है।

(2) विभाग द्वारा गत पांच वर्षों में इन क्षेत्रों में कुल लगाये गये पौधों में लगभग 20% पौधे खेजड़ी, रोहिड़ा, कुमट, बेर, आदि जैसी स्थानीय प्रजातियों के थे। गत पांच वर्षों में इन जिलों में लगाये गये वृक्षों की संख्या सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(3) जी हां। इ. गा. नहर परियोजना के द्वितीय चरण में जापानी सहायता के क्रियान्विती की जाने वाली वृक्षारोपण योजना में कमांड क्षेत्र में 80% व अनकमांड क्षेत्र में 30% स्थानीय प्रजातियों का वृक्षारोपण प्रस्तावित है। यह योजना इसी वर्ष से क्रियान्वित की जावेगी।

गत पांच वर्षों में मरुस्थलीय जिलों में लगाये गये पौधों का विवरण

वर्ष	लगाये गये कुल वृक्षों की संख्या	स्थानीय प्रजातियों के वृक्षों की संख्या
1985—86	47·93 लाख	9·59 लाख
1986—87	120.41 लाख	24·08 लाख
1987—88	140·00 लाख	28·00 लाख
1988—89	168·79 लाख	33·76 लाख
1989—90	121·54 लाख	24·31 लाख
योग	598·67 लाख	119·74 लाख

पाली जिले के औषधालय

8. **श्री अचलाराम** (देसूरी) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) "अ" श्रेणी औषधालयों के लिए स्टाफ स्ट्रेन्थ के क्या मापदण्ड नियत हैं। ऐसे औषधालयों में रोगियों को क्या-क्या औषधियां एवं सुविधाएं दी जाती हैं? जिला पाली में "अ" श्रेणी औषधालय कितने हैं? क्या उनमें नियमानुसार पूर्ण सुविधाएं उपलब्ध हैं?

(2) यदि नहीं, तो क्यों? अब कब तक उक्त सुविधाएं दी जावेंगी?

उत्तर

(1) "अ" श्रेणी बिना शैय्या वाले औषधालय में निम्नानुसार स्टाफ होना चाहिये :

नाम पद	पदों की संख्या
चिकित्सक	1
नर्स/कम्पाउण्डर	2
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1

"अ" श्रेणी औषधालय में रोगियों को कोई अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान नहीं है वरन अन्य औषधालयों की भांति गत वर्ष की उपलब्धि वार्षिक रोगी संख्या के आधार पर औषधि दी जाती है जिला पाली में ऐसे 27 "अ" श्रेणी आयुर्वेदिक औषधालय (बिना शय्या वाले) हैं इनमें स्वीकृत मापदण्ड के अनुसार नर्स/कम्पाउण्डर के पद सृजित नहीं हैं।

(2) बजट प्रावधान उपलब्ध होने पर कमी वाले पदों को सृजित कराने की कार्यवाही करना सम्भव हो सकेगा।

राज्य सेवा में नियुक्ति हेतु नियोजन कार्यालय की भूमिका

9. **श्री जितेन्द्र सिंह** (जैसलमेर) : क्या नियोजन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि साक्षात्कार हेतु बेरोजगार व्यक्तियों के नामों की सूची जिला नियोजन अधिकारी भेजते समय भेदभाव बरतते हैं जिससे भ्रष्टाचार की सम्भावना रहती है?

(2) क्या राज्य सरकार वर्तमान व्यवस्था में सुधार हेतु कोई नीति बना रही है जिससे बेरोजगार व्यक्ति साक्षात्कार हेतु सीधे किसी भी कार्यालय में जा सकें?

(3) क्या बेरोजगार व्यक्ति का नाम किसी भी नियोजन कार्यालय में इन्द्राज होना ही काफी है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। राज्य सरकार ने अपने आदेश संख्या प 9(2)अनि/90 दिनांक 29 जनवरी, 1990 द्वारा रोजगार कार्यालय की सूची में से ही नियुक्ति करने की अनिवार्यता

(नियोजन राज्य मंत्री)

समाप्त कर दी, जिससे अब बेरोजगार व्यक्ति साक्षात्कार हेतु सीधे राज्य सरकार के कार्यालयों, राज्य सरकार के संस्थानों व अर्द्ध राजकीय संस्थानों में सीधे ही आवेदन कर सकते हैं।

(3) जी हां। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने अपने आदेश संख्या प. 9(2) श्रनि/90 दिनांक 29 जनवरी, 1990 द्वारा आदेश जारी कर दिये हैं।

राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड

10. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : क्या खादी एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को कब भंग किया गया ? खादी बोर्ड का पुनर्गठन कब तक कर दिया जायेगा ?

(2) उक्त बोर्ड में प्रतिनिधियों का चयन किस आधार पर होता है ?

(3) राजस्थान खादी बोर्ड, खादी कमीशन के अन्तर्गत अखाद्य तेल से साबुन बनाने की कितनी इकाइयां स्वीकृत हैं तथा कितनी कार्यशील हैं ? उक्त पर सेल्स-टैक्स की छूट की सीमा व्यक्तिगत इकाइयां व सहकारी संस्थाओं की अलग-अलग कितनी-कितनी है ?

उत्तर

(1) राजस्थान खादी बोर्ड को भंग नहीं किया गया। पुनर्गठन का कार्य राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(2) बोर्ड में प्रतिनिधियों का चयन (मनोनयन) बोर्ड अधिनियम की धारा 4(ख) के प्रावधानों के अन्तर्गत किया जाता है।

(3) अखाद्य तेल अन्तर्गत स्वीकृत व कार्यरत इकाइयों का विवरण निम्न प्रकार है :—

राज्य बोर्ड

कुल सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या :—

संस्था	47
सहकारी समितियां	35
व्यक्तिगत	125

31-3-90 तक कार्यरत इकाइयों की संख्या :—

संस्था	12
सहकारी समितियां	10
व्यक्तिगत	31

खादी कमीशन

कुल सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या :—

संस्था	15

31-3-90 तक कार्यरत इकाइयों की संख्या :—

संस्था	15

130

(खादी ग्रामोद्योग राज्य मंत्री)

व्यक्तिगत इकाइयों को अधिकतम 2.00 लाख रुपये सहकारी समितियों को 5.00 लाख रुपये व संस्थाओं को 15.00 लाख रुपये के टर्न ओवर पर बिक्री कर से मुक्त रखा गया है।

आदिवासियों को संगमरमर की खानों का आबंटन

11. **श्री दयाराम परमार** (खैरवाड़ा) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) तहसील क्षेत्र खैरवाड़ा में संगमरमर की कुल कितनी खानें हैं तथा किन-किन व्यक्तियों के नाम आवंटित हैं ?

(2) क्या यह सही है कि स्थानीय आदिवासियों को कोई खान आवंटित नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों ? अब तक कितने आदिवासियों को खान आवंटित कर दी गई है ?

(3) क्या राज्य सरकार वहां के शिक्षित बेरोजगार आदिवासी युवकों को खान आवंटन करने एवं चलाने के लिए ऋण की व्यवस्था करने हेतु कोई योजना बना रही है ?

उत्तर

(1) तहसील क्षेत्र खैरवाड़ा में संगमरमर (सरपेन्टाईन) के कुल 90 खान पट्टे आवंटित हैं जिनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। वर्तमान में तहसील खैरवाड़ा में 6 आदिवासियों को खनन पट्टे स्वीकृत हैं।

(3) जी नहीं। ऐसी कोई योजना राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(सूची विस्तृत होने कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

राजगढ़ तहसील (चूरू) में कारागृह

12. **श्री इन्द्रसिंह पूनिया** : क्या कारागृह राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या तहसील राजगढ़ (चूरू) में जेल भवन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या वर्ष 1900-91 में सरकार की कारागृह बनाने की योजना है ? यदि हां, तो कहां-कहां एवं कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) उक्त तहसील में कारागृह कब से बन्द है तथा इस उप खण्ड के अपराधियों को कहां भेजा जाता है ? कारागृह बन्द होने के कारण अब तक अपराधियों को विभिन्न अदालतों में लाने ले जाने पर कर्मचारियों को कितना यात्रा भत्ता आदि देना पड़ा है ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। तहसील राजगढ़ (चूरू) में एक उप कारागृह भवन है परन्तु उप कारागृह भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में होने से असुरक्षित घोषित किये जाने के कारण उप कारागृह कार्यरत नहीं है।

(कारागृह राज्य मंत्री)

(2) जी हां। वर्ष 1990-91 की वार्षिक योजना में तीन नये जेल भवन डीग, बारां एवं राजगढ़ (चूरू) में बनाये जाने के प्रस्ताव आयोजना विभाग द्वारा सिद्धान्तः स्वीकृत कर लिये गये हैं।

(3) तहसील राजगढ़ (चूरू) के जेल भवन को दिनांक 5-2-82 से बन्द किया गया। इस उप खण्ड के बन्दियों को उप कारागृह, रतनगढ़ पर पुलिस अभिरक्षा में भेजा जाता है। पुलिस गार्ड का यात्रा भत्ता पुलिस विभाग द्वारा वहन किया जाता है। इस विषयक सूचना एकत्रित की जा रही है।

केशवरायपाटन में पेयजल

13. **श्री मांगीलाल मेघवाल** (पाटन) एवं **श्री श्रीकिशन सोनगरा** (अजमेर पूर्व) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बून्दी जिले के केशवरायपाटन नगर क्षेत्र में कब से किस योजना से किस मानदण्ड से पेयजल सुविधा प्रदान की जाती है ?

(2) क्या लम्बे अन्तराल के बाद जन-संख्या वृद्धि के अनुपात में पेयजल प्रदाय की प्रमात्रा में वृद्धि की गई ? यदि हां, तो क्या व किस योजना द्वारा ?

उत्तर

(1) केशवरायपाटन नगर में वर्ष 1971 में पाइप्ड पेयजल योजना प्रारम्भ की गई थी। मापदण्डों के अनुसार वर्ष 1971 में 90 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन मात्रा प्रदाय की गई थी तथा वर्तमान में 107 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जल की मात्रा वितरण की जा रही है।

(2) वर्ष 1971 में वितरित 7.20 लाख लीटर प्रतिदिन मात्रा में समय-समय पर वृद्धि की जाकर वर्तमान में लगभग 16 लाख लीटर जल की मात्रा प्रतिदिन वितरित की जा रही है। मात्रा में वृद्धि 1974 में योजना के पुनर्गठन के फलस्वरूप एवं 1984 तथा 1988 में एक-एक नया नलकूप बनाकर की गई।

सहाड़ा क्षेत्र में कृषि विद्युत कनेक्शन

14. **डा. रतनलाल** (सहाड़ा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा, रायपुर में वर्तमान में काश्तकारों के कुओं पर विद्युत् कनेक्शन हेतु कितने आवेदन-पत्र विचाराधीन है ?

(2) उक्त क्षेत्र में गत वर्ष में कितने काश्तकारों को कुओं पर विद्युत् कनेक्शन दिया गया ?

(3) इस वर्ष कितने कुओं पर विद्युत् कनेक्शन दिये जाने की योजना है ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा, रायपुर के अन्तर्गत वर्तमान में तहसील सहाड़ा में 918 तथा तहसील रायपुर में 511 कृषि

(ऊर्जा मंत्री)

कनेक्शन हेतु आवेदन पत्र विचाराधीन हैं।

(2) वर्ष 1989-90 में विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा, रायपुर के अन्तर्गत सहाड़ा क्षेत्र में 105 तथा रायपुर क्षेत्र में 83 कृषि विद्युत कनेक्शन प्रदान किये गये।

(3) वर्ष 1990-91 में कृषि कुओं को ऊर्जीकृत करने हेतु लक्ष्यों के निर्धारण की प्रक्रिया जारी है। लक्ष्यों के आवंटन के पश्चात् ही संख्या बताना संभव होगा।

बड़े शहरों में ट्रेवल एजेन्सियां

15. **श्री सालिग राम** (बयाना) एवं **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य के बड़े शहरों, यथा जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर में प्राइवेट बसों द्वारा लम्बी दूरी की नियमित यात्रा सेवाओं के कार्यालय खुले आम संचालित हैं? यदि हां, तो किस-किस ट्रेवल ऐजेन्सी के नाम से और उनके मालिक कौन-कौन हैं तथा प्रत्येक ट्रेवल ऐजेन्सी के पास कितनी-कितनी बसें हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि इन ट्रेवल ऐजेन्सियों के माध्यम से यात्रा करने वालों के लिये कान्ट्रेक्ट केरिज भ्रमण का परमिट सदैव यातायात विभाग से प्राप्त होता है? यदि हां, तो ऐसे नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या इन प्राइवेट बसों को जो परमिट दिये जाते है वे एक व्यक्ति या समूह द्वारा कान्ट्रेक्ट पर पूरी बस लेने के होते हैं न कि एक-एक पेसेन्जर से अलग-अलग किराये के? यदि हां, तो उक्त ट्रेवल ऐजेन्सियां एक-एक यात्री को गन्तव्य स्थान पर किस हैसियत से ले जाती हैं? सरकार इन अवैध वाहनों को रोकने में क्या कारगर कदम उठा रही है?

उत्तर

(1) यह सही है कि बहुत सी ट्रेवल एजेन्सियों के कार्यालय राज्य के बड़े शहरों में खोले हुए हैं। परिवहन विभाग में ट्रेवल एजेन्सियों को पंजीकृत करने का वर्तमान में कोई प्रावधान नहीं है।

(2) संविदा वाहनों के लिए परमिट वाहन स्वामियों अथवा वाहन धारकों को आवेदन करने पर मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 74, 87 व 88 के अन्तर्गत दिये जाते हैं। परमिटधारी वाहन के संचालन के लिये किसी भी व्यक्ति, समूह तथा ऐजेन्सी के साथ संविदा करने हेतु स्वतन्त्र है।

(3) ट्रेवल ऐजेन्सियां एक-एक यात्री से किराया वसूल कर उनका समूह बनाकर अनुज्ञापत्रधारी से पूरी वाहन को गन्तव्य स्थान पर ले जाने के लिये संविदा करने के लिये स्वतन्त्र है। वाहन स्वामी को अस्थाई/स्पेशल परमिट एक समूह के लिए जारी किये जाते हैं न कि पैसेन्जर से अलग-अलग किराये के लिये। अवैध वाहनों को रोकने के लिए चैकिंग दलों द्वारा लगातार चैकिंग कर चालान बनाये जाते हैं, सीज

(यातायात मंत्री)

किये जाते हैं एवं संधारण राशि वसूल की जाती है।

(4) कितने नये ग्रामों में किस-किस स्तर के नये विद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

सिरोही क्षेत्र के विद्यालय

16. श्रीमती तारा भंडारी (सिरोही) : क्या प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र सिरोही में गत पांच वर्षों में कितने उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया ?

(2) वहां किन-किन विद्यालयों को इस वर्ष क्रमोन्नत करने का प्रस्ताव है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त क्षेत्र के कितने गांवों में कुल कितने प्रकार के विद्यालय हैं ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सिरोही में गत पांच वर्षों में पांच उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया।

(2) इस वर्ष में उच्च प्राथमिक से माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने का फिलहाल प्रस्ताव नहीं है।

(3) सिरोही विधान सभा क्षेत्र के गांवों में स्थित विद्यालयों का विवरण निम्न प्रकार है :—

गांव की संख्या	सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय	माध्यमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय	प्राथमिक विद्यालय
1	2	3	4	5
137	2	14	40	109

(4) इस वर्ष नये विद्यालय खोलने का प्रस्ताव नहीं है।

झालावाड़ जिले की सिंचाई योजनायें

17. श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।—

(1) झालावाड़ जिले में 1977 से 1979 तक कौन-कौनसी सिंचाई योजनायें केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा बनाई गई तथा किस-किस योजना पर कितनी-कितनी धनराशि लगी और कौन-कौनसी सिंचाई योजनायें सरकार के विचाराधीन हैं ?

(2) उक्त योजनाओं को पूर्ण करने के लिए राज्य सरकार क्या प्रयास कर रही है ?

(श्री बालचन्द्र आर्यवीर)

(3) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र पिडावा में पिपलाद व रमाय दलपत सिंचाई योजनायें लम्बित हैं ?

(4) क्या यह भी सही है कि पिपलाद योजना हेतु केन्द्र से धनराशि भी मंजूर हो चुकी है ? उक्त निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ हो जावेगा ?

उत्तर

(1) झालावाड़ जिले में सन् 1977 से 1989 तक 1 वृहद 2 मध्यम व 17 लघु सिंचाई योजनाएं राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई। उन पर योजनावार किया गया व्यय का विवरण संलग्न सूची "अ" में दर्शाया गया है। विचाराधीन परियोजनाओं से 4 वृहद, 11 मध्यम एवं 13 लघु सिंचाई परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। इनका नाम सूची "ब" में दिया है।

(2) निर्माणाधीन विभिन्न योजनायें पूर्ण करने हेतु वित्तीय साधनों के अनुसार राज्य सरकार प्रति वर्ष बजट आवंटन करती हैं। बजट की उपलब्धता के अनुसार कार्य करवाया जाता है। विचाराधीन योजनाओं के लिये सर्वे, आकलन बनाना व उनकी स्वीकृति हेतु कार्यवाही की जा रही हैं।

(3) विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा में पिपलाद नामक मध्यम सिंचाई योजना प्रस्तावित है। रमाय दलपत नाम की कोई सिंचाई योजना प्रस्तावित नहीं हैं।

(4) जी नहीं, इस योजना का निर्माण राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय जल आयोग व योजना आयोग की स्वीकृति के पश्चात् प्रारम्भ किया जा सकेगा।

सूची "अ"

झालावाड़ जिले में वर्ष 1977 से 1989 तक ली गई सिंचाई योजनाओं का ब्यौरा

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना पर किया गया व्यय (लाख रुपयों में)	विशेष विवरण
	वृहत सिंचाई परियोजनाएं		
1.	भीमसागर	1614	निर्माणाधीन
	मध्यम		
1.	हरिश्चन्द्र सागर	614	निर्माणाधीन
2.	छापी	501	निर्माणाधीन
	लघु सिंचाई परियोजनाएं		
1.	सहारन खेड़ी	73	पूर्ण
2.	राजपुरा	27	पूर्ण
3.	जूनाखेड़ा	5	पूर्ण
4.	सरोला	47	पूर्ण
5.	जल्पा	14	पूर्ण
6.	गणेशपुरा	45	निर्माणाधीन
7.	अमीनखेड़ी	10	पूर्ण
8.	सामनखेड़ी	21	पूर्ण
9.	बिनायगा	43	पूर्ण
10.	क्यासरा	6	पूर्ण
11.	मानपुरा	0.3	निर्माणाधीन
12.	बोरटा	0.1	निर्माणाधीन
13.	मोगरा	19	निर्माणाधीन
14.	विस्तुनिया	32	पूर्ण
15.	मथानिया	3	निर्माणाधीन
16.	निमोदा	23	निर्माणाधीन
17.	नाका सारना	7	निर्माणाधीन

सूची "ब"

झालावाड़ जिले की प्रस्तावित वृहत, मध्यम, एवं लघु सिंचाई योजनाओं का ब्योरा

1. **वृहत सिंचाई परियोजना :**
   1. मनोहर थाना
   2. काली सिन्ध
   3. परवन
   4. गागरिन
2. **मध्यम सिंचाई परियोजना :**
   1. पीपलाद
   2. चावली
   3. क्यासरी
   4. गुलेन्डी
   5. रींवा
   6. कालीखार
   7. घारगंगा
   8. रिचड
   9. नेवाज लिफ्ट
   10. कनवारा
   11. राजगढ़
3. **लघु सिंचाई परियोजनाएं :**
   1. कुटकी
   2. कीलवी
   3. सांगरिया
   4. पारलिया
   5. सेमली भावानी
   6. हरीपुरा डाडिया
   7. कंवरपुरा
   8. भोंरी
   9. बांसखोर
   10. जसबंतपुरा
   11. सरखेड़ी
   12. रिजोदा
   13. हरीगढ़

नीम का थाना उपखण्ड में आरा मशीनें

18. **श्री फूलचन्द गूर्जर** (नीम का थाना) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नीम का थाना उपखण्ड में लकड़ी चीरने की कितनी आरा मशीनें कार्यशील हैं ? इनमें से कितनी अधिकृत व कितनी अनाधिकृत हैं ? गांव, नाम मालिक सहित पृथकशः ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(2) वन क्षेत्र से कितनी दूरी पर आरा मशीन लगाने का मानदण्ड निर्धारित है ?

(3) उक्त क्षेत्र के ग्राम गणेश्वर में स्थापित आरा मशीन क्या मानदण्ड के अनुरूप हैं ? यदि नहीं, तो उसके मालिक के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) नीम का थाना उपखण्ड में लकड़ी चीरने की 92 आरा मशीनें कार्यरत है जिनमें से दो आरा मशीनें अधिकृत तथा 90 आरा मशीनें अनाधिकृत है। ब्यौरा सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) इस प्रकार का कोई मानदण्ड नियमों में निर्धारित नहीं हैं।

(3) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

अनधिकृत आरा मशीनों की सूची उप खण्ड, नीम का थाना

क्र. सं.	मशीन मालिक का नाम	स्थान जहां स्थापित है
1	2	3
1.	श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र भागीरथमल चौधरी	ढाणी सेवा की भामरड़ा जोड़ा भाडली मोड़, श्रीमाधोपुर
2.	,, मूलचन्द जांगिड़ पुत्र श्री सेडूराम जांगिड़	ग्राम बावड़ी श्रीमाधोपुर
3.	,, प्रदीप कुमार पुत्र फूलचन्द शर्मा	खेतड़ी मोड़ नीमकाथाना
4.	,, रामवतार अग्रवाल	,, ,, ,,
5.	,, रामनारायण पुत्र लक्ष्मीनारायण जागिड	नीमकाथाना
6.	,, मोहनलाल पुत्र प्रसादीराम जागिड	,,
7.	,, गजानन्द आयल एण्ड फ्लोर मिल्स	गजेश्वर
8.	,, श्रीराम पुत्र प्रभूदयाल जागिड	नीमकाथाना
9.	,, दुर्गा आरा मशीन	,,
10.	,, छगनलाल जागिड	,,
11.	,, जगदीश पुत्र गुडाराम जागिड	,,
12.	,, रतनलाल पुत्र सूरजभान सैन	रामसिंह की ढाणी
13.	,, बीरवल पुत्र कानाराम सैनी	,, ,,
14.	,, रामदयाल पुत्र सेडूराम सैनी	मावण्डा खुर्द
15.	,, मूलचन्द पुत्र श्यामलाल मिस्त्री	पाटन
16.	,, किशनलाल पुत्र हरिप्रसाद शर्मा	हसामपुर
17.	,, रामेश्वर लाल पुत्र घीसाराम जागिड	वरडा वापिया
18.	,, जयदयाल पुत्र गणपतराम शर्मा	सिरोही
19.	,, शंकरलाल पुत्र हीराराम जागिड	सिरोही
20.	,, गिरधारीलाल पुत्र रामेश्वर जागिड	,,
21.	,, रमेश पुत्र मूलचन्द जागिड	,,
22.	,, रामस्वरूप पुत्र मोहनलाल जागिड	चला
23.	,, भागीरथ पुत्र ग्यारसाराम सैनी	गुहाला
24.	,, कानाराम पुत्र हनुमान सहाय सैनी	—
25.	,, जगदीश पुत्र गुल्लाराम कुम्हार	—

1	2	3
26.	श्री सीताराम पुत्र भागीरथ जागिड	—
27.	,, मोहनलाल पुत्र रामेश्वर महाजन	चला
28.	,, भागीरथ पुत्र बेगाराम बलाई	नीमकाथाना
29.	,, प्रभूदयाल पुत्र जगन्नाथ प्रसाद जागिड	—
30.	,, मंगतूराम पुत्र सूहाराम जागिड	जीलो
31.	,, मक्खनलाल पुत्र सुरजाराम जागिड	मावण्डा कला
32.	,, रणजीतसिंह पुत्र भीवाराम यादव	मावण्डा खुर्द
33.	,, रणजीतसिंह पुत्र अर्जुनराम जाट	—
34.	,, गोकुलचन्द पुत्र चन्द्राराम जाट	डावला
35.	,, झाबरराम पुत्र गुल्लाराम सैनी	गुहाला
36.	,, कालूराम पुत्र मुरली सैनी	—
37.	,, यादव सा मिल्स	डावला
38.	,, सुभाष पुत्र हरद्वारी जाट	नीमकाथाना
39.	,, जवाहरमल पुत्र लादूराम जाट	चला
40.	,, भोलाराम पुत्र कालूराम सैनी	गुहाला
41.	,, मोहनलाल जागिड	मावण्डा खुर्द
42.	,, नन्दलाल जागिड, सा मिल्स	मावण्डा कला
43.	,, मातादीन पुत्र रामदीन सैनी	बिहाका
44.	,, रामकुमार पुत्र जंगलीराम जागिड	इस्लामपुर
45.	,, मालीराम एण्ड सन्स	चुंगी नाका नं. 2 के पास रींगस
46.	,, रामेश्वरलाल खाती	बस स्टेण्ड के पास रींगस
47.	,, शंकरलाल पुत्र बंशीलाल खाती	जैतूसर
48.	,, भीखाराम पुत्र बालूराम खाती	गुढा
49.	,, मदनलाल पुत्र घीसाराम खाती	—
50.	,, घीसाराम पुत्र हनुमान यादव	महरोली
51.	,, हनुमान पुत्र बन्नाराम पारीक	,,
52.	,, किशन सिंह पुत्र रामचन्द्र सिंह	,,

1	2	3
53.	श्री सानूराम पुत्र मुरलीधर शर्मा	महरोली
54.	,, सीताराम पुत्र घीसाराम शर्मा	,,
55.	,, दयाल इण्डस्ट्रीज	वार्ड नं. 5 श्रीमाधोपुर
56.	,, बंशीधर पुत्र कानाराम	वार्ड नं. 1 ,,
57.	,, विजय कुमार पुत्र बालूराम खाती	वार्ड नं. 3 ,,
58	,, बोदूराम जाट	वार्ड नं. 2 ,,
59.	,, सामोता आरा एण्ड फ्लोर मिल्स	वार्ड नं. 16 ,,
60.	,, हनुमान पुत्र चोथमल माली	वार्ड नं. 16 ,,
61.	,, नाथूलाल पुत्र अशोक कुमार	वार्ड नं. 6 ,,
62.	,, गणेश उद्योग, सैनी इण्डस्ट्रीज	वार्ड नं. 12 ,,
63.	,, नृसिंगलाल पुत्र सुडाहाम खाती	नथलाई ग्राम श्रीमाधोपुर
64.	,, रामगोपाल पुत्र मोहनलाल खाती	,,
65.	,, नाथूराम पुत्र छोटूलाल खाती	मऊ
66.	,, मालीराम पुत्र जैसाराम बनिया	नाथूसर
67.	,, रूड़मल पुत्र गणेशराम जाट	जालपाली
68.	,, कैलाश नाणका, जोशी	श्रीमाधोपुर
69.	,, नाथूराम पुत्र पुराराम जागिड	मूंडरू
70.	,, मूलचन्द पुत्र नन्दूराम	लिसाड़िया
71.	,, सीताराम पुत्र गोपीराम	,,
72.	,, द्वारका प्रसाद पुत्र बनवारी लाल	नाथूसर
73.	,, अशोक कुमार	श्रीमाधोपुर
74.	,, घासी पुत्र मांगीलाल जागिड	खटून्दरा
75.	,, शंकर पुत्र भगवानाराम	खटून्दरा खण्डेला
76.	,, रामेश्वर लाल पुत्र भूदरमल जागिड	,,
77.	,, जगदीश पुत्र हजारीलाल	,,
78.	श्रीमती आसिमा पत्नी बसीरया हजारी	खण्डेला
79.	कुरेशी सा मिल्स	,,

1	2	3
80.	श्री शंकर पुत्र नरसाराम माली	गंगाराम की ढाणी दायरा
81.	रतन सा मिल्स	दायरा
82.	श्री सुरज्ञान पुत्र मुरलीधर जांगिड	बरसिंह पुरा
83.	श्री अब्दुल सलाम पुत्र अन्दआली मुसलमान	खण्डेला
84.	,, सुवालाल पुत्र नानूराम	कोटड़ी
85.	,, सोनी सा मिल्स	कांवट
86.	,, रामेश्वरलाल पुत्र लादूराम जांगिड	,,
87.	,, भागीरथमल भर्तहरी एण्ड कम्पनी	,,
88.	,, चौथमल सैनी	,,
89.	,, रामोतार गुप्त पुत्र श्री सूरजमल गुप्ता	थोई
90.	,, धन्नालाल पुत्र भूराराम	,,
91.	,, किशोरीलाल पुत्र प्रभूदयाल जांगिड	नीमकाथाना
92.	,, रेखाराम पुत्र श्री लिखमाराम रैगर	श्रीमाधोपुर (सीकर)

हाडेचा ग्राम (जालोर) के आयुर्वेदिक औषधालय की क्रमोन्नति

19. **श्री लक्ष्मीचन्द मेहता** (सांचोर) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या जालौर जिला के हाडेचा गांव के आयुर्वेदिक अस्पताल को "अ" श्रेणी में क्रमोन्नत करने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? अब कब तक इसे क्रमोन्नत किया जायेगा ?

उत्तर

जी हां। ग्राम की जनसंख्या तथा औषधालय की प्रतिदिन की रोगी संख्या को ध्यान में रखते हुए इसे "अ" श्रेणी में क्रमोन्नत करने का औचित्य नहीं है।

श्रमिकों के लिए नई वेतन नीति

20. **श्री मोहनलाल बारूपाल** (जायल), **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा) एवं **श्री प्रकाश बैरवा** (फागी) : क्या श्रम एवं नियोजन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य में श्रमिकों के लिए कोई नई वेतन नीति लागू की गई है ? यदि हां तो न्यूनतम वेतन में कितनी वृद्धि की गई है ? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि देश के अन्य प्रान्तों, जैसे हरियाणा, पंजाब की अपेक्षा राजस्थान में न्यूनतम वेतन वृद्धि न्यून मात्रा में की जाती है ?

(3) क्या सरकार हरियाणा जैसे अन्य प्रान्तों की वेतन वृद्धि के समकक्ष वृद्धि करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) क्या गत दो वर्षों में राज्य सरकार ने न्यूनतम वेतन वृद्धि की ? यदि हां, तो आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार ने श्रमिकों के न्यूनतम वेतन का पुनर्निर्धारण निम्न प्रकार किया है :—

अकुशल	श्रमिक—22·00 रु.	प्रतिदिन
अर्द्धकुशल	श्रमिक—23·50 ,,	,,
कुशल	श्रमिक—25·00 ,,	,,

(2) प्रत्येक राज्य अपने साधन के अनुसार अपने श्रमिकों का वेतन निर्धारण करता है। वेतन निर्धारण की कोई केन्द्रीय नीति नहीं है।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

अतारांकित प्रश्न संख्या-21

(स्थगित)

उदयपुर शहर में पेयजल व्यवस्था

22. **श्री शिव किशोर सनाढ्य** (उदयपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर नगर में गत 4-5 वर्षों से गम्भीर पेयजल संकट है ? यदि हां, तो इसके समाधान के लिए सरकार के सामने कौन-कौन से प्रस्ताव हैं ? क्या यह सही है कि उदयपुर की पेयजल समस्या के निराकरण हेतु जयसमंद से पानी लाने के लिए कार्यवाही शुरू की गई थी और इसके लिए सर्वे कराकर पाइप डलवाये गये थे ? यदि हां, तो क्या उक्त पाइप पुनः हटवा लिए गये ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि यहां से उक्त पाइप कोटा भिजवाये गये ? यदि हां, तो इसके क्या कारण रहे ?

(3) क्या राज्य सरकार मानसी वाकल योजना को शुरू करने का विचार रखती हैं ? यदि हां, तो इस योजना के चरणबद्ध कार्यक्रमों का विवरण सदन की मेज पर रखें। इसमें कुल कितना समय लगेगा ?

(4) क्या यह सही है कि उदयपुर नगर के अन्दर पानी की पाइप लाइन जीर्ण शीर्ण व पुरानी हो गई है और वर्तमान में पानी के दबाव की क्षमता को वहन करने योग्य नहीं हैं ? यदि हां; तो ऐसी स्थिति में पाइप लाइनों को बदलने की सरकार क्या व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

(5) क्या यह सही है कि उदयपुर नगर को पिछोला व फतेहसागर से पेयजल वितरित किया जाता है ? क्या ये झीलें प्रदूषित होती जा रही हैं ? पानी की स्वच्छता एवं झीलों की सफाई हेतु विभाग द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

(6) क्या यह सही है कि उदयपुर नगर में पेयजल कम दबाव से वितरित हो रहा है और पेयजल वितरण का समय निर्धारित नहीं है ? इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1986, 87 एवं 88 के मानसून में कम वर्षा होने के कारण नगर के मुख्य पेयजल स्रोतों फतेहसागर एवं पिछोला में पानी की कम आवक होने के कारण पेयजल समस्या उत्पन्न हुई थी। वर्ष 1989 में अच्छी वर्षा होने के कारण जल उपलब्धि पर्याप्त है। दीर्घकालीन उपायों हेतु मानसीवाकल योजना प्रस्तावित है। आपूर्ति में संवर्धन की दृष्टि से जयसमन्द से भी योजना कार्य प्रारम्भ किया है। इस कार्य के लिए कुल 54792 मीटर पाइप योजना के लिए उपलब्ध है।

(2) 444·14 मीटर पाइप कोटा जल प्रदाय योजना के लिए कोटा बैराज क्रॉसिंग हेतु भिजवाये गये जो तकनीकी दृष्टि से आवश्यक थे।

(3) मानसीवाकल योजना को अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण से सहायता प्राप्त कार्यक्रम के अन्तर्गत किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। चरणबद्ध कार्यक्रमों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(5) वितरण पाइप लाइनें छोटी तथा पुरानी होने के कारण कम दबाव की

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

समस्या है परन्तु नगर को विभिन्न वितरण क्षेत्रों में विभाजित कर उचित दबाव से सप्लाई की व्यवस्था की गई है। सुधार इत्यादि के कार्य को धन उपलब्धि के अनुसार किया जा सकेगा।

(5) जी हां। पिछोला व फतेहसागर पेयजल के मुख्य स्रोत हैं। इन झीलों के किनारों पर स्थित मकानों, होटलों इत्यादि से निष्कासित जल झील में मिलने के कारण प्रदूषण की समस्या है। इनसे प्राप्त जल को फिल्टर कर तथा किटाणुरहित किया जाकर प्रदाय किया जाता है। झीलों की सफाई हेतु समय-समय पर जलकुम्भी को निकाला जाता है।

(6) वितरण में पर्याप्त मात्रा एवं दबाव बनाये रखने की दृष्टि से नगर को विभिन्न वितरण क्षेत्रों में विभाजित किया जाकर निर्धारित समय पर जल आपूर्ति की जाती है। शहर के विभिन्न मोहल्लों में औसतन दो-तीन घण्टे प्रतिदिन जल वितरण किया जाता है।

रानीवाड़ा (जालौर) में विद्युत व्यवस्था

23. **श्री रतनाराम चौधरी** (रानीवाड़ा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या रानीवाड़ा, जिला जालौर में 132 के. वी. ग्रिड स्टेशन प्रस्तावित है एवं जिस भूमि पर 132 के. वी. लाइन स्थित है वह भूमि भी अवाप्त कर ली गई है ? यदि हां, तो क्या उक्त स्टेशन इस वर्ष बनकर तैयार हो जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) रानीवाड़ा में 31 मार्च, 1990 तक कितने कृषि कनेक्शन दिये गये हैं ? क्या 1982 तक के कृषि आवेदकों को भी अभी तक विद्युत सम्बन्ध देना शेष है ? यदि हां, तो क्यों ? अब कब तक उनको कनेक्शन दे दिया जायेगा ?

(3) क्या विद्युत खण्ड रानीवाड़ा के कृषि उपभोक्ताओं की शिकायतें हैं कि उन्हें वोल्टेज नहीं मिल पा रहा है व 33 के.वी. ग्रिड स्टेशन पर क्षमता से अधिक लोड है जिससे ट्रान्सफार्मर्स जल जाते हैं ?

(4) वर्ष 1989-90 में इस सबडिवीजन में कितने ट्रांस्फार्मर्स जले व कितने समय में बदले गये ? क्या काश्तकारों को ट्रान्सफार्मर जलने से हुई क्षति के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। भूमि अभी हाल ही में अवाप्त की गई है अतः उक्त सब स्टेशन को इस वर्ष के कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया जा सका। इस ग्रिड सब स्टेशन को आगामी वर्ष 1991-92 में सम्मिलित किये जाने की सम्भावना है।

(2) रानीवाड़ा उपखण्ड में 31 मार्च, 1990 तक कुल 2353 कृषि कनेक्शन दिये गये हैं। वर्ष 1982 तक के कुछ आवेदकों को

(ऊर्जा मंत्री)

कृषि कनेक्शन देना शेष है। इनको कनेक्शन तकनीकी साध्यता व उपलब्ध वित्तीय बजट में सीमित-प्रावधान होने के कारण नहीं दिये जा सके। वर्ष 1990-91 के लक्ष्यों के निर्धारण, घोषित वरियता नीति व स्वीकृत 33/11 के.वी. सब स्टेशन बड़गांव मालवाड़ा के बनने के बाद तकनीकी व वित्तीय दृष्टि से साध्य प्रावेदकों को कनेक्शन देना सम्भव होगा।

(3) जी हां। विद्युत उपखण्ड रानीवाड़ा के कृषि उपभोक्ताओं की वोल्टेज कम मिलने की शिकायतें हैं। 33 के. वी. ग्रिड सबस्टेशन पर स्थापित ट्रांसफार्मर की क्षमता से लोड अधिक है परन्तु इसकी वजह से ट्रांसफार्मर्स नहीं जले हैं। केवल 1·6 एम.वी.ए. क्षमता का मरम्मत शुदा ट्रांसफार्मर 33/11 के. वी. सब-स्टेशन रानीवाड़ा पर वर्ष 1989-90 में तकनिकी कारणों से गारन्टी पीरियड में जला है।

(4) वर्ष 1989-90 में रानीवाड़ा उपखण्ड के अन्तर्गत 48 वितरण ट्रांसफार्मर विभिन्न क्षमता के जले हैं। ट्रांसफार्मर्स जलने व बदले जाने की तिथि संलग्न तालिका "अ" में दर्शा दी गई है। ट्रांसफार्मर साधारणतया प्राकृतिक प्रकोप व तकनीकी कारणों से जलते हैं जो उपलब्धतानुसार यथाशीघ्र बदल दिये जाते हैं। अतः किसी भी प्रकार की क्षति व कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता है।

वर्ष 1989-90 में रानीवाड़ा उपखण्ड के अन्तर्गत वितरण ट्रांस्फोर्मर्स के जलने, क्षमता एवं बदलने की सूची

क्र.सं.	ग्राम का नाम	क्षमता	जलने की तिथि	बदलने की तिथि
1.	रोड़ा	25 केवीए	16.4.89	17.4.89
2.	रानीवाड़ा कलां	100 ,,	13.5.89	8.5.89
3.	करवाड़ा	63 ,,	2.5.89	4.6.89
4.	केर	25 ,,	30.7.89	30.7.89
5.	सिघावास	25 ,,	20.6.89	29.8.89
6.	रोडा	25 ,,	16.8.89	6.10.89
7.	वीलर	16 ,,	27.8.89	6.10.89
8.	सिघावास	63 ,,	8.8.89	,,
9.	धामसीन	63 ,,	13.8.89	17.10.89
10.	भाटवास	25 ,,	27.8.89	,,
11.	रूपावटी	16 ,,	,,	6.10.89
12.	जाखरी	100 ,,	25.8.89	6.9.89
13.	धूलिया	63 ,,	27.8 89	17.10.89
14.	करडा	63 ,,	,,	,,
15.	सेवारा	100 ,,	,,	29.9.89
16.	रानीवाड़ा	,, ,,	28.8.89	4.10.89
17.	गांग	25 ,,	14.8.89	17.10.89
18.	कागमाला	63 ,,	29.9.89	18.10.89
19.	बीलर	25 ,,	,,	,,
20.	बैराठा	,, ,,	,,	17.10.89 (17.10.89)
21.	जाखरी	100 ,,	6.9.89	6.9.89

1	2	3		4	5
22.	भंवरीया	63	,,	28.10.89	4.11.89
23.	वड़गाव	25	,,	23.10.89	5.11.89
24.	करहा	63	,,	,,	25.1.089
25.	वमिनबाड़ा	25	,,	12.10.89	18.10.89
26.	चाटवाड़ा	25	,,	25.1.89	5.11.89
27.	रतनपुर	63	,,	3.10.89	24.10.89
28.	चरपटिया	25	,,	21.10.89	21.10.89
29.	जोड़वास	63	,,	19.10.89	19.10.89
30.	मारुवाड़ा	25	,,	13.11.89	15.11.89
31.	रानीवाड़ाकलां	25	,,	18.11.99	22.1.189
32.	करड़ा	63	,,	11.12.89	15.12.89
33.	गांग	63	,,	10.12.89	14.12.89
34.	गांग	63	,,	12.12.89	15.12.89
35.	गांग	25	,,	5.12.89	6.12.89
36.	कोटड़ा	25	,,	4.12.89	16.12.89
37.	डूंगरी	100	,,	2.1.90	3.1.90
38.	सांतरु	25	,,	19.1.90	25.1.90
39.	दहीपुर	100	,,	21.1.90	25.1.90
40.	रुपीवाटी	25	,,	19.1.90	25.1.90
41.	जाखिरी	100	,,	12.2.90	20.2.90
42.	कोटरा	25	,,	26.3.90	30.3.90
43.	रानीबाड़ाकला	25	,,	,,	31.3.90
44.	धूलिया	25	,,	5.3.90	8.3.90
45.	सूरेजवाड़ा	100	,,	8.3.90	8.3.90
46.	मडारड़ी	63	,,	20.3.90	22.3.90
47.	मालवाड़ा	25	,,	26.3.90	26.3.90
48.	बड़गाव	63	,,	26.3.90	,,

निगम के बस स्टेण्ड्स का रख-रखाव

24. **श्री सुरेन्द्र गोयल** (जैतारण) : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम और स्वायत्त शासन विभाग के मध्य दिनांक 9-2-1989 को चर्चा में यह तय किया गया था कि राजस्थान में स्थित सभी निगम बस स्टेण्ड व्यवस्था रख-रखाव हेतु सम्बन्धित नगरपालिकाओं को सुपुर्द कर दिये जावें एवं निगम द्वारा 1-4-1989 से प्रति बस प्रति ट्रिप एक रुपया नगरपालिका को दिया जायेगा। जिसके लिए स्वायत्त शासन विभाग ने परिपत्र एफ 28 (1) सा/स्था.नि./84/1012-1210 दिनांक 29-4-1989 जारी किया था और इसी तरह परिवहन निगम के कार्यकारी निदेशक (प्रशासन) एफ./आर-17/प्रो./प्रशा/89 451 दिनांक 10-8-89 को स्वीकृति जारी कर दी थी ?

(2) यदि हां, तो क्या परिपत्रों की अनुपालना करते हुए बस स्टेण्ड व्यवस्था व रख-रखाव हेतु पालिकाओं/परिषदों को सुपुर्द कर दिये गये हैं और दिनांक 1-4-89 से प्रति बस के हिसाब से नगरपालिकाओं को किराया राशि दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब इस व्यवस्था की क्रियान्विति कब तक कर ली जायेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं। चर्चा के अनुसार केवल निम्न प्रकार के बस स्टेण्ड रख-रखाव की व्यवस्था हेतु सम्बन्धित नगरपालिकाओं को उनके प्रस्तावों पर सुपुर्द किये जाने थे:—

(1) निगम द्वारा क्रय की गई भूमि पर दानदाताओं द्वारा निर्मित कराये गये बस स्टेण्ड।

(2) दानदाताओं द्वारा नगरपालिका की भूमि पर निर्मित कराये गये बस स्टेण्ड, जो निगम के अधीन हैं।

(3) जिन स्थानों पर नगरपालिका की जमीन पर निगम बस स्टेण्ड निर्मित कराये हैं।

(2) उपरोक्त स्टेण्ड केवल तीन हैं :—

1. जैतारण 2. बांदनवाड़ा 3. किशनगढ़ (अजमेर)

इनमें से किसी को भी नगरपालिका को सुपुर्द नहीं किया गया है। जैतारण बस स्टेण्ड के लिए न्यायालय के निर्णय 11-12-89 के सन्दर्भ में नहीं सुपुर्द किया है। बाकी के लिए नगरपालिकाओं से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

जिन बस स्टेण्डों का रख-रखाव नगरपालिका द्वारा किया जा रहा है उनको निर्धारित भुगतान निगम की तरफ से 1 रुपया प्रति ट्रिप प्रति बस से भुगतान किया जा रहा है।

भादरा तहसील के सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूलों में रिक्त पद

25. **श्री लालचन्द डूडी** (भादरा) : क्या प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भादरा तहसील में कितने सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल है एवं प्रत्येक में निर्धारित मानदण्ड के अनुसार स्टाफ के कितने पद स्वीकृत हैं ?

(2) उक्त में से कितने अध्यापकों, व्याख्याताओं एवं प्राचार्यों के पद रिक्त हैं ?

(3) रिक्त पद भरने हेतु क्या सरकार कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) भादरा तहसील में 6 सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय है। प्रत्येक में निर्धारित मापदण्ड के अनुसार स्वीकृत पदों का विवरण निम्न प्रकार है :—

1. रा.सी.उ.मा.वि., भादरा	55
2. रा.सी.उ.मा.वि., उतरादावस	31
3. रा.सी.उ.मा.वि., डावड़ी	35
4. रा.सी.उ.मा.वि., छानी-बड़ी	57
5. रा.सी.उ.मा.वि., निनाण	36
6. रा.बा.सी.उ.मा.वि., भादरा	31

(2) उक्त में से अध्यापकों/व्याख्याताओं एवं प्राचार्यों के रिक्त पद निम्न प्रकार हैं :—

1. अध्यापक	8
2. व्याख्याता	27
3. प्राचार्य	2

(3) रिक्त पदों को शीघ्र ही भरने की कार्यवाही की जा रही है।

नसीराबाद क्षेत्र में सरेमिक-उद्योग की स्थापना

26. **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार द्वारा नसीराबाद के आस पास उपलब्ध क्वाटर्स एवं फेल्सपार खनिज पदार्थों की बहुलता को दृष्टिगत रखते हुए खुर्जा की भांति सामान्य सुविधा केन्द्र एवं सरेमिक उद्योग की स्थापना हेतु केन्द्रीय सरकार को कोई योजना प्रेषित की गई है ? यदि हां, तो कब एवं अब तक उसमें क्या प्रगति हुई ?

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

(2) राज्य सरकार द्वारा इस योजना की मंजूरी के लिये क्या-क्या प्रयास कब-कब किये गये ?

उत्तर

(1) जी हां, राज्य सरकार द्वारा सिरेमिक उद्योग हेतु सामान्य सुविधा केन्द्र स्थापित करने हेतु एक योजना केन्द्रीय सरकार को वर्ष 1986 में प्रेषित की गई थी। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रोद्योगिक विभाग ने इस योजना के आकर्षक मानते हुए इस अनुसंधान केन्द्र की स्थापना का वर्ष 1987 में समर्थन किया गया था। तत्पश्चात उक्त केन्द्र की स्थापना हेतु भारत सरकार से अपेक्षित अनुमोदन हेतु निरन्तर प्रयासों के उपरान्त भी भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(2) राज्य सरकार द्वारा इस योजना की स्वीकृति के लिये किये गये प्रयासों में विवरण संलग्न है।

सिरेमिक उद्योग हेतु सामान्य सुविधा केन्द्र स्थापित करने हेतु केन्द्रीय सरकार को प्रेषित योजना की स्वीकृति हेतु किये गये प्रयासों का विवरण

1. राज्य सरकार द्वारा सिरेमिक उद्योग हेतु सामान्य सुविधा केन्द्र स्थापित करने के लिए केन्द्रीय सरकार को दिनांक 13.3.86 को एक योजना प्रेषित की गई थी ।

2. भारत सरकार को निरन्तर स्मरण कराने के उपरान्त भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा दिनांक 21.7.87 को सूचित किया गया कि यह प्रस्ताव आकर्षक एवं इस अनुसन्धान केन्द्र की स्थापना का समर्थन करते हैं ।

3. इस आधार पत्र दिनांक 12.8.87 को भारत सरकार के औद्योगिक विकास विभाग को निवेदन कर इस केन्द्र की स्थापना हेतु अनुमोदन की अपेक्षा की गई ।

4. भारत सरकार को उक्त योजना के अनुमोदन हेतु निरन्तर अनुस्मरण भिजवाने के उपरान्त दिनांक 15.12.88 के अन्तर्गत कुछ जानकारी की उपेक्षा की गई । जो निदेशालय उद्योग विभाग द्वारा दिनांक 2.1.89 को भिजवा दी गई ।

5. तदुपरान्त भारत सरकार के विकास आयुक्त (लघु) उद्योग द्वारा दिनांक 20.1.89 को इस योजना के सम्बन्ध में जानकारी की अपेक्षा की गई थी । क्योंकि यह योजना निदेशक लघु उद्योग, संस्थान द्वारा तैयार की गई थी । उन्हें भारत सरकार द्वारा अपेक्षित जानकारी हेतु निदेशक, उद्योग विभाग द्वारा दिनांक 20.3.89 को निवेदन किया गया ।

6. तत्पश्चात् लघु उद्योग सेवा संस्थान द्वारा उक्त केन्द्र अजमेर जिले में स्थापित करने के सम्बन्ध में एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट निदेशालय, उद्योग विभाग को भिजवाई गई है जिसका निदेशालय उद्योग विभाग के स्तर पर विवेचन किया जा रहा है ।

गंगा कैनाल लिंक चैनल का निर्माण

27. श्री हीरालाल इन्दौरा (केसरी-सिंहपुरा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गंग कैनाल लिंक चैनल का निर्माण कब शुरू किया और इस हेतु वर्षवार कितनी राशि आवंटित की गयी ? कितनी राशि अब तक व्यय हुई ? यह योजना कब तक पूरी होने की सम्भावना है ?

(2) हरियाणा क्षेत्र में आने वाले हिस्से को बनाने के लिए कब-कब व कितनी राशि हरियाणा सरकार को दी गयी और हरियाणा सरकार द्वारा यह कार्य कब शुरू किया गया ?

उत्तर

(1) गंग कैनाल लिंक चैनल का निर्माण कार्य दिनांक 15-2-84 से प्रारम्भ किया गया। वर्षवार आवंटित राशि एवं राजस्थान में व्यय का ब्यौरा संलग्न तालिका में प्रस्तुत है :—

वांछित बजट उपलब्ध होने पर इसके चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण हो जाने की सम्भावना हैं।

(2) हरियाणा क्षेत्र में आने वाले हिस्से को बनाने हेतु वर्षवार दी गई राशि संलग्न तालिका में प्रस्तुत है।

हरियाणा राज्य द्वारा इसका निर्माण कार्य वर्ष 1988-89 में प्रारम्भ किया गया।

गंग कैनाल लिंक चेनल पर वर्षवार बजट आवंटन

व्यय का विवरण

(आंकड़े लाख रुपये में)

वर्ष	राजस्थान में आवंटित राशि	राजस्थान में व्यय	हरियाणा राज्य को दी गई राशि
1	2	3	4
83—84	300.00	298.59	
84—85	202.00	202.04	
85—86	129.83	134.83	
86—87	111.16	111.04	84.00
87—88	191.94	192.11	30.00
88—89	176.48	161.46	—
89—90	90.41	90.45	155.00
90—91	63.12	7.04 (दिनांक 8-6-1990 तक)	50.00
योग	1264.94	1197.56	319.00

टोंक जिले में वृक्षारोपण

28. **श्री रामनारायण** (निवाई) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) टोंक जिले को वृक्षारोपण कार्यक्रम हेतु विगत 5 वर्षों में वर्षवार कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई ? क्या राशि अन्य जिलों के मुकाबले है ? यदि कम है, तो विषमता क्यों है ?

(2) इस जिले में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के बारे में सरकार की क्या योजना है ?

उत्तर

(1) टोंक जिले में वृक्षारोपण हेतु विगत पांच वर्षों में 328.68 लाख रुपये की धन राशि आवंटित की गई। वर्षवार विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। अन्य कुछ जिलों के मुकाबले में वृक्षारोपण कार्य कम होने का मुख्य कारण यह रहा है कि यह जिला ग्रामीण ईंधन वृक्षारोपण योजना में चयनित नहीं हुआ।

(2) इस जिले को एरिया ओरियंटेड फ्यूल एण्ड फोडर योजना में अब सम्मिलित किया जा रहा है। योजना लागू होने पर जिले में अधिक वानिकी कार्य हाथ में लिये जा सकेंगे।

टोंक जिले में वृक्षारोपण कार्यक्रम हेतु गत पांच वर्षों में आवंटित राशि का विवरण

वर्ष	आवंटित राशि
1985–86	54.278
1986–87	93.214
1987–88	47.538
1988–89	83.458
1989–90	50.2
	328.688

आयुर्वेदिक औषधियों में, औषध उपयोग

29. **श्री रामेश्वर प्रसाद गूर्जर** (जमवा-रामगढ़) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या राज्य सरकार ने आयुर्वेदिक औषधालयों में आयुर्वेदिक औषधियां ही इस्तेमाल करने के निर्देश दिये हैं ? यदि हां, तो औषधालयों के वैद्य एवं उपवैद्य अंग्रेजी दवाइयों का इस्तेमाल क्यों करते हैं ? क्या इस हेतु सरकार की अनुज्ञा प्रदत्त है ? यदि नहीं, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(2) राज्य सरकार ने अब तक अंग्रेजी दवाइयों के इस्तेमाल करने पर किन-किन वैद्यों के खिलाफ कार्यवाही की ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां । जिन चिकित्सकों एवं नर्स-कम्पाउण्डर के विरुद्ध अंग्रेजी दवाइयों का उपयोग किये जाने की शिकायत प्राप्त होती है उनके विरुद्ध राजस्थान असैनिक सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण व अपील) नियमों के तहत कार्यवाही की जाती है ।

(2) एलोपैथिक औषधियों व इन्जेक्शनों के प्रयोग की शिकायत आने पर, जिन विभागीय चिकित्सकों के विरुद्ध गत 2 वर्षों में कार्यवाही की गयी है, उनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई हैं ।

उन चिकित्सकों की सूची जिनके विरुद्ध गत दो वर्षों में एलोपैथिक औषधियां व इन्जेक्शनों के प्रयोग की शिकायत प्राप्त हुई तथा राजस्थान असैनिक सेवा (वर्गीकरण नियन्त्रण व अपील) नियमों के तहत कार्यवाही की गयी है—

क. सं.	नाम चिकित्सक एवं पद स्थापन स्थान	की गयी कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण
1	2	3
1.	श्री जगदीश प्रसाद शर्मा, डीग (भरतपुर)	आदेश क्रमांक 18365-68 दिनांक 12-7-88 द्वारा दोष प्रमाणित नहीं होने के कारण दोष मुक्त किया गया है।
2.	श्री रामकिशोर शर्मा, सावरदा (जयपुर)	आदेश क्रमांक 35189-91 दिनांक 6-12-88 परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया गया है।
3.	श्री भवरलाल व्यास, विनोता (चित्तौड़गढ़)	आदेश क्रमांक 8702-4 दिनांक 19-4-89 द्वारा एक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड में दण्डित किया गया है।
4.	श्री महावीर सिंह राठोड़, बेसलसर (बीकानेर)	आदेश क्रमांक 9571-74 दिनांक 26-4-89 द्वारा परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया गया है।
5.	श्री रामस्वरूप शर्मा, कनछेन (भीलवाड़ा)	आदेश क्रमांक 28313-16 दिनांक 10-8-89 द्वारा परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया गया है।

1	2	3
6.	श्री हीरालाल शास्त्री, मंगलाना (नागौर)	भविष्य के लिये सावधान करते हुए पत्रांक 28777-80 दिनांक 16-8-89 द्वारा प्रकरण समाप्त किया गया है।
7.	श्री हीरालाल चोबीसा, कोल्यारी (उदयपुर)	परिनिन्दा के दण्ड से पत्रांक 41461-64 दिनांक 22-12-89 द्वारा दण्डित किया गया है।
8.	श्री पुरुषोतम शर्मा, पक्का सारणा (श्री गंगानगर)	परिनिन्दा के दण्ड से पत्रांक 5283-86 दिनाक 19-2-90 द्वारा दण्डित किया गया।
9.	श्री रमेशचन्द गौड़, कुम्भानगर (चितौड़गढ़)	पत्रांक 11366-67 दिनांक 23-4-90 द्वारा सी. सी. ए नियम 17 के तहत आरोप पत्र दिया गया है। उत्तर अप्राप्त है।
10.	श्री सुरेशचन्द पाराशर, झालाटाला (भरतपुर)	पत्रांक 28661-62 दिनांक 3-10-88 द्वारा सी. सी. ए. नियम 17 के तहत आरोप पत्र दिया गया है उत्तर अप्राप्त है।
11.	श्री जगदीश शर्मा, बान्धनाऊ (चूरू)	पत्रांक 13879-80 दिनांक 19-5-88 द्वारा सी. सी. ए. नियम 16 की तहत आरोप पत्र दिया गया है। जांच अधिकारी की नियुक्ति की जा चुकी है। जांच रिपोर्ट अप्राप्त है।
12.	श्री मुरारीलाल, माणकसर (बीकानेर)	पत्रांक 23751-52 दिनांक 11-8-88 द्वारा सी. सी. ए. नियम 16 के तहत आरोप पत्र दिया हुआ है। चिकित्सक द्वारा रिकार्ड देखने का आवेदन दिया है।

1	2	3
13.	श्री रामावतार शर्मा, नारायणपुर हीरापुरा (सवाई माधोपुर)	पत्रांक 3308 दिनांक 2-2-90 द्वारा प्राथमिक जांच हेतु जांच अधिकारी नियुक्ति किया जा चुका हैं। जांच रिपोर्ट अपेक्षित है।
14.	श्री रामकुमार, कसार (कोटा)	पत्रांक 13916 दिनांक 24-5-90 द्वारा प्राथमिक जांच हेतु जांच अधिकारी नियुक्त किया जा चुका है। रिपोर्ट अपेक्षित है।
15.	श्री अशोककुमार शर्मा, नेछवा (सीकर)	पत्रां 15722 दिनांक 14-6-90 द्वारा प्राथमिक जांच हेतु जांच अधिकारी नियुक्ति किया जा चुका है। जांच रिपोर्ट अपेक्षित है।
16.	श्रीमती इन्द्रा रावत, नितोडा (सिरोही)	पत्रांक 14191 दिनांक 26-5-90 द्वारा प्राथमिक जांच अधिकारी नियुक्ति किया जा चुका है जांच रिपोर्ट अपेक्षित है।
17.	श्री द्वारकाप्रसाद, लुहाना (चूरू)	पत्रांक 14189 दिनांक 26-5-90 द्वारा जांच अधिकारी नियुक्त किया जा चुका है। जांच रिपोर्ट अपेक्षित है।

सूरजगढ़ क्षेत्र के गांवों को समुचित पेयजल

30. **श्री बाबूलाल खाण्डा (सूरजगढ़) :** क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के फरट गांव में जल आपूर्ति चार माह से बन्द है ? यदि हां, तो क्यों ? इस संबंध में विभाग द्वारा क्या कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि डमोली गांव में अधिकांश हैण्ड पम्प खराब हैं ? यदि हां, तो कितने खराब हैं व कितने ठीक हैं ? क्या यह सही है कि हैण्ड पम्प ठीक करने के लिये कर्मचारी गांव वालों से रुपये ऐंठते हैं ? यदि हां तो सहायक अभियन्ता खेतड़ी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? इन हैण्ड पम्प्स को अब सरकार कब तक ठीक करा देगी ?

(3) क्या यह सही है कि सूरजगढ़ क्षेत्र के 51 गांवों में पेयजल का गम्भीर संकट है ? यदि हां, तो इसके समाधान के लिये विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर -

(1) क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना काजडा में स्थित 3 स्त्रोतों में से एक डी. सी. बी. के खराब हो जाने के कारण उत्पादन में कमी के फलस्वरूप अन्तिम छोर पर स्थित ग्राम फरट में जलापूर्ति अनियमित रही है। ग्राम फरट में स्थित स्थानीय कुएं को चालू कर समस्या का अस्थाई निदान कर दिया गया है।

(2) ग्राम डमोली में स्थित 15 हैण्डपम्पों में से 8 हैण्डपम्प चालू हैं, एक सूखा है एवं 6 परित्यक्त हैं। हैण्डपम्पों का रखरखाव पंचायत समितियों के अधीन है तथा कर्मचारियों द्वारा रुपये ऐंठने की विभाग को शिकायत मिली है जिसमें जांच के आदेश दे दिये गये हैं।

(3) सूरजगढ़ क्षेत्र की पेयजल समस्या से ग्रस्त 7 ग्रामों में नये हैण्डपम्प, सार्वजनिक कुओं, नलकूप इत्यादि को चालू कर समस्या का निदान कर दिया गया है, 13 ग्रामों में कार्य प्रगति में है। 28 ग्रामों में संवर्धन योजना प्रस्तावित है, जिन्हें धन उपलब्धि के अनुसार पूर्ण करवाया जा सकेगा।

भिनाय क्षेत्र में कृषि विद्युत् कनेक्शन

31. **श्री सांवर लाल (भिनाय) :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र भिनाय में कुल कितने कृषि विद्युत् कनेक्शन दिये जाने शेष हैं ?

(2) क्या गत वर्ष में एक पोल कनेक्शन मय लागत दिया जाना तय हुआ था ? यदि हां, तो क्या ऐसे सभी किसानों को मांग पत्र जारी कर दिये थे ? यदि हां, तो खण्डवार विवरण सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों ? क्या संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करने का

(श्री सांवर लाल)

प्रकरण विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र भिनाय के अन्तर्गत आने वाले विद्युत उप खण्डों में लगभग 298 आवेदन कृषि विद्युत कनेक्शन हेतु विचाराधीन है।

(2) जी हां। गत वर्ष (1989-90) विधान सभा क्षेत्र भिनाय में आने वाले उपखण्डों में कृषि के एक पोल श्रेणी के अन्तर्गत सम्भव सभी आवेदकों को मांग पत्र जारी कर दिये गये। उप खण्डवार विवरण निम्नानुसार है। सभी आवेदकों को मांग पत्र जारी किये गये। अतः कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता है :–

(1)	उप खण्ड विजयनगर	10
(2)	उप खण्ड केकड़ी	4
(3)	उपखण्ड किशनगढ़ ग्रामीण	3
	कुल	17

सपोटरा कस्बे में निगम-बस सेवा

32. श्री प्रभुलाल (सपोटरा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र सपोटरा में सपोटरा कस्बे को राज्य पथ परिवहन निगम की बसों से कौन-कौन से शहरों से जोड़ा गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार वहां निगम की बस चलाने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

(2) सपोटरा क्षेत्र की उप तहसील मंडरायल व करणपुर में जनता की सुविधा को मद्दे नजर रखते हुए क्या सरकार यहां निगम की बस सुविधा प्रदान करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सपोटरा कस्बे को वर्तमान में निगम की बस सेवा जयपुर से जोड़ा हुआ है। यह बस सेवा सपोटरा से कुड़गांव-गंगापुर-नादोती-गीजगढ़-सिकन्दरा-दौसा होते हुये जयपुर के लिये संचालित है।

(2) आमतौर पर निगम की बसें राष्ट्रीयकृत मार्गों पर ही चलती हैं, चूंकि उक्त मार्ग का अभी राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया है, अतः निगम की बसें चलाना अभी संभव नहीं है।

प्रौढ़ शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा

33. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) एवं श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन) : क्या प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रौढ़ शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा पर राज्य में गत वित्तीय वर्ष में कुल कितनी राशि खर्च की गयी ? इस हेतु राज्य में कुल कितने केन्द्र संचालित हैं ?

(श्री हीरालाल आर्य)

(2) क्या उक्त दोनों योजनायें अपने उद्देश्य में सफल हो पाई हैं ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त दोनों योजनाओं में भारी अनियमितता तथा भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं ?

(4) क्या सरकार उक्त दोनों योजनाओं में सुधार की आवश्यकता समझती है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) प्रौढ़ शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा पर राज्य में गत वित्तीय वर्ष में हुआ कुल व्यय एवं संचालित केन्द्रों की सूचना निम्न है :—

	प्रौढ़ शिक्षा	अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र
कुल व्यय	623.06 लाख रु	354.12 लाख रु.
संचालित केन्द्रों की संख्या	20016	10612

(2) अनौपचारिक शिक्षा के कार्यरत केन्द्रों में 3.37 लाख बच्चों के नामांकन लक्ष्य के विरुद्ध 3.28 लाख की उपलब्धि रही, जो 97.42 प्रतिशत है। योजना की सफलता के आंकलन के लिए कक्षा-5 की परीक्षा विभागीय स्तर पर आयोजित करने की व्यवस्था वर्ष 1988 से प्रारम्भ की गई है। 1989 में सफल परीक्षार्थियों की संख्या 9770 है।

प्रौढ़ शिक्षा के कार्यरत केन्द्रों में 6.34 लाख व्यक्तियों के नामांकन लक्ष्य के विरुद्ध 6.08 लाख की उपलब्धि रही जो 95.90% है।

(3) अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के संबंध में भारी अनियमितता एवं भ्रष्टाचार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

प्रौढ़ शिक्षा के अन्तर्गत 14 स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा सचालित योजना के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई।

(4) दोनों योजनाओं में उद्देश्य की पूर्ति हेतु नियमित मूल्यांकन व पर्यवेक्षण की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जा रहा है।

अतारांकित प्रश्न संख्या-34
(स्थगित)

लालसोट पंचायत समिति क्षेत्र में स्वरोजगार कार्यक्रम

35. श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति लालसोट के अन्तर्गत वर्ष 1989-90 में कितने शिक्षित बेरोजगार युवाओं का स्वरोजगार योजना में ऋण देने के लिए चयनित किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सभी चयनित व्यक्तियों को ऋण उपलब्ध करवा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(श्री परसादी लाल मीणा)

(3) क्या यह सही है कि उद्योग विभाग द्वारा चयन करने के बाद बैंकों द्वारा ऋण समय पर उपलब्ध नहीं करवाया जाता है ? क्या इस संबंध में सरकार को समय-समय पर कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(4) क्या सरकार शिक्षित बेरोजगार युवाओं को सुगमता से ऋण उपलब्ध हो, ऐसी व्यवस्था करवाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति, लालसोट के अन्तर्गत वर्ष 1989-90 में 59 शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार योजना में ऋण देने के लिए चयनित किया गया। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) विभाग द्वारा 59 चयनित व्यक्तियों के प्रार्थना पत्र पंचायत समिति क्षेत्र में बैंकों को भेजे गये। इनमें से विभिन्न बैंकों द्वारा 45 व्यक्तियों को ऋण देने हेतु स्वीकृति जारी की जा चुकी है। तथा इनमें से 3 व्यक्तियों को ऋण उपलब्ध करवा दिया गया है। शेष व्यक्तियों द्वारा बैंकों की वांछित औपचारिकता पूर्ण नहीं करने के अभाव में बैंक द्वारा ऋण वितरण नहीं किया गया है। अतः इनके प्रकरण बैंकों में विचाराधीन चल रहे हैं। जिन्हें बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृत किया गया है। उन्हें योजना के प्रावधानों के अनुसार 31-3-91 तक ऋण वितरण किया जा सकता है।

(3) यह सही नहीं है कि उद्योग विभाग द्वारा चयन करने के बाद बैंकों द्वारा ऋण समय पर उपलब्ध नहीं करवाया जाता है बल्कि बैंकों की आवश्यक अपेक्षित औपचारिकताएं अभ्यर्थियों द्वारा समय पर पूर्ण नहीं की जाने के कारण ही ऋण उपलब्ध कराने में विलम्ब होता है। इस संबंध में कुछ अभ्यर्थियों द्वारा शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जिनकी जांच कराने पर यही पाया गया कि अभ्यर्थियों द्वारा बैंकों की औपचारिकताएं पूर्ण नहीं किये जाने के कारण ही ऋण उपलब्ध कराने में कठिनाइयां आई हैं।

(4) सरकार द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवाओं को सुगमता से ऋण उपलब्ध करवाने के लिए समय-समय पर विचार करती रहती है। भारत सरकार द्वारा भी इस योजना को अधिक प्रभावी बनाने पर विचार किया जा रहा है। राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय समिति, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति तथा उसकी स्टेरिंग कमेटी में इस योजना में युवाओं को ऋण उपलब्ध होने में आने वाली कठिनाइयों पर विचार करके उनके निराकरण के प्रयास किये जाते हैं। जिला स्तर पर जिला स्तरीय बैंकर्स समिति व जिला औद्योगिक सलाहकार समिति के माध्यम से युवाओं को सुगमता से ऋण उपलब्ध कराने के प्रयास किये जाते हैं। जिला स्तर पर जिला उद्योग केन्द्रों में कार्यरत फील्ड स्टाफ को निर्देश है कि वो बैंक एवं युवाओं से सम्पर्क कर ऋण प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों का निरा-

(उद्योग मंत्री)

करण करवाने का प्रयत्न करे जिससे युवाओं को सुगमता से ऋण उपलब्ध हो सकें।

(सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

नगर विकास न्यास अलवर द्वारा आवंटित भू-खण्ड

1. **श्री शीतमल जैन** (अलवर) : क्या नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या नगर विकास न्यास, अलवर द्वारा जलदाय विभाग, पुलिस विभाग एवं राज्य विद्युत मण्डल को भूखण्ड उपलब्ध कराये गये हैं एवं उन पर निर्माण कार्य कराया गया है ?

(2) यदि हां, तो किस-किस योजना में किस-किस विभाग को किस-किस दर पर कितनी-कितनी भूमि उपलब्ध कराई जाकर निर्माण कार्य कराया गया है ? आवंटन-पत्रों की प्रति एवं भवन निर्माण के नक्शे सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या आवंटित भूखण्डों एवं भवन निर्माण की राशि का संबंधित विभागों द्वारा न्यास को भुगतान कर दिया गया है ?

(4) यदि नहीं, तो कब तक भुगतान प्राप्त कर लिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। परन्तु आवंटन के पश्चात् सभी भूखण्डों पर निर्माण नहीं कराया गया है।

(2) नगर विकास न्यास, अलवर द्वारा विभिन्न विभागों को आवंटित भूखण्डों का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्रमांक	विभाग का नाम	स्कीम नं.	दर	क्षेत्रफल	किस प्रयोजनार्थ विक्रय की
1	2	3	4	5	6
1.	पुलिस विभाग	12	35/- प्र.व.ग.	2066.50	आवासीय प्रयोजनार्थ
2.	,, ,,	8	50,000/- प्रति एकड	3.44 एकड़	,, ,,
3.	,, ,,	शिवाजी पार्क	--	4 क्वाटर्स निर्मित 96/- व. ग.	पुलिस चौकी हेतु

(नगरीय विकास मंत्री)

1	2	3	4	5	6
4.	,, ,,	8			न्यास द्वारा योजना नं. 8 में पुलिस चौकी का निर्माण कराया गया है, जिसका अभी आवंटन नहीं किया गया है। भूमि के आवंटन के सम्बन्ध में दिनांक 2.4.90 को निर्णय लिया जा चुका है। परन्तु भूमि की कीमत तय करने के सम्बन्ध में मामला पुनः न्यास की आगामी बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जावेगा।
5.	पुलिस विभाग	पुलिस कन्ट्रोल रूम बस स्टेण्ड पर			न्यास, अलवर द्वारा वर्तमान में पुलिस कन्ट्रोल रूम में 1 लाख 51 हजार 25 रुपये की लागत से बैरक निर्माण का कार्य भी कराया जा रहा है।
6.	जलदाय विभाग	शिवाजी पार्क		2 क्वाटर्स दर निर्माण 4 स.व.ग.	कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय हेतु
7.	विद्युत विभाग	10	65/- रु. प्र. व. ग.	2729.00 वर्ग गज क्षेत्रफल	33 के. वी. सबग्रिड स्टेशन हेतु

(नगरीय विकास मंत्री)

(3) आवंटन पत्र की प्रतियां सदन के पटल पर रख दी गई है।

(4) विद्युत विभाग को योजना नं. 10 में 33 के. वी. सबग्रेड स्टेशन हेतु आवंटित की गई जिसकी धनराशि रु. 190/- प्राप्त नहीं हुई है। पुलिस विभाग की योजना नं. 12 में आवासीय प्रयोजनार्थ एवं योजना नं. 8 में आवासीय प्रयोजनार्थ आवंटित भूमि की कुल राशि 2,44,429/- रुपया में से राशि 1,87,500% रु. प्राप्त हुए हैं। शेष राशि 56,929/– रुपया का अभी तक भुगतान नहीं किया गया है जिसके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों से पत्राचार चल रहा है। भुगतान शीघ्र प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है।

(सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

सवाई माधोपुर में पोलीटेक्निक महाविद्यालय

2. **श्री चुन्नीलाल** (खण्डार) : क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सवाई माधोपुर राजकीय पोलीटेक्निक महाविद्यालय के लिए सवाई माधोपुर में पर्याप्त व सुविधाजनक भवन उपलब्ध है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त महाविद्यालय को रणथम्भौर रोड स्थित डेयरी फेडरेशन के कामधेनु भवन को उपयुक्त मानकर जिला कलक्टर एवं पदेन प्रशासक सवाई माधोपुर एवं टोंक दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ ने राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु पत्र लिखने पर राज्य सरकार ने इस भवन के लिये स्वीकृति दे दी थी ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त महाविद्यालय को उक्त भवन में चलाने के क्रम में टोंक एवं सवाई माधोपुर दुग्ध उत्पादक संघ तथा राजकीय पोलीटेक्निक महाविद्यालय के मध्य लिखित करार हुआ ? यदि हां, तो क्या उसकी क्रियान्विति हुई यदि नहीं, तो इसके क्या कारण रहे ?

(4) क्या यह सही है कि वर्तमान में उक्त महाविद्यालय किराये के भवन में चल रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां।

(3) दिनांक 3.3 1990 को किरायानामा लिखा गया था। मगर राजस्थान कॉपरेटिव डेयरी फेडरेशन, जयपुर के ऐतराज के कारण यह क्रियान्वित नहीं हो सका।

(4) जी हां। शहर में उपयुक्त राजकीय भवन उपलब्ध न होने के कारण संस्थान किराये के भवन में चल रहा है।

चित्तौड़गढ़-बड़ी सादड़ी निजी बस सेवा

3. **श्री छगन लाल** (बड़ी सादड़ी) : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य पथ परिवहन निगम यात्रियों की सुविधा हेतु चित्तौड़गढ़ वाया आवरीमाता जी, निकुम्भ से बड़ी सादड़ी तक बस चलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार उक्त मार्ग पर यात्रियों की सुविधार्थ निजी बसों को अनुज्ञापत्र/परमिट देने का विचार रखती हैं ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। निगम द्वारा चित्तौड़गढ़ से बड़ी सादड़ी एवं चित्तौड़गढ़ से सांवरियाजी वाया शम्भूपुरा-सावा-कन्नोज-भदेसर-आवरीमाता-निकुम्ब मार्ग के राष्ट्रीयकरण की योजना का प्रारम्भिक प्रकाशन दिनांक 12-8-87 को किया जा चुका है। उक्त योजना पर उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा याचिका संख्या 69/89 पर दिनांक 6-1-89 को स्थगन आदेश दिया जो अभी जारी है। इस आदेश के समाप्त होने पर ही अग्रिम कार्यवाही की जा सकती है।

(2) जी हां। राज्य सरकार उक्त मार्ग पर निजी बसों को अनुज्ञापत्र/परमिट देने का विचार रखती है। वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय की रिट संख्या 3808/89 के आदेश दिनांक 10-10-89 के आदेश प्रभावशील है। स्थगन आदेश वेकेट होने पर परमिट स्वीकृत किये जा सकेंगे।

ऊन आधारित उद्योग की स्थापना

4. **श्री चम्पालाल बांठिया** (पचपदरा): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में प्रमुख ऊन मण्डियां कहां-कहां है तथा उनमें कितनी ऊन का प्रतिवर्ष बेचान होता है ?

(2) क्या राज्य सरकार चालू पंचवर्षीय योजना में उन पर आधारित कारखाना प्रारम्भ करने का इरादा रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या राज्य सरकार ऊनी गलीचे के उत्पादन को बढ़ाने हेतु कुशल श्रमिकों को तैयार करने हेतु सीकर एवं बालोतरा जैसे स्थानों पर प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य में प्रमुख ऊन की मण्डियां बीकानेर केकड़ी, ब्यावर, बाड़मेर एवं सीकर में है। उनके माध्यम से प्रति वर्ष लगभग 1.12 लाख क्विन्टल ऊन का बेचान होता है।

(2) राज्य सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र में ऊन पर आधारित कारखाना चलाने

(उद्योग मंत्री)

का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि इसकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अगर निजी क्षेत्र में कोई उद्योगपति इस प्रकार का कारखाना लगाना चाहेंगे तो उन्हें उचित सुविधाएं प्रदान करदी जावेगी।

(3) ऊनी गलीचों के उत्पादन के लिए कुशल श्रमिकों को तैयार करने के लिए राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा सीकर में दिनांक 12.7.77 से 9.4.80 तक एवं बालोतरा में 3.2.78 से 27.4.80 तक प्रशिक्षण केन्द्र चलाये गये थे। बाद में काफी संख्या में प्रशिक्षणार्थी नहीं मिलने के कारण उन केन्द्रों को बन्द करना पड़ा। वर्तमान में उन स्थानों पर गलीचा प्रशिक्षण केन्द्र चलाये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। उक्त स्थानों पर गलीचा प्रशिक्षण केन्द्र चलाये जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए है। इसलिए वर्तमान में ऐसा कोई केन्द्र चलाने का विचार नहीं है।

बागन सिंचाई परियोजना में सड़क निर्माण

5. **श्री छगन लाल** (बड़ी सादड़ी) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या डूंगला जिला चित्तौड़गढ़ में बागन सिंचाई परियोजना में सड़क का निर्माण विभाग द्वारा किया गया है? यदि हां, तो कब एवं कितने कि. मी. कितनी लागत से एवं वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है? स्वीकृति आदेश की प्रति एवं कार्य प्रगति विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त सड़क को सिंचाई विभाग द्वारा किसी अन्य विभाग को स्थानान्तरित किया गया हैं? यदि हां, तो उक्त आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह कार्य वर्ष 78-79 में प्रारम्भ कराया गया था एवं सड़क की लम्बाई 8 किलोमीटर है कार्य 28.2.81 को समाप्त हुआ था। इसकी लागत 6.78 लाख रुपये आई है। यह सड़क वर्तमान में मरम्मत कराने योग्य हो गई है। इस कार्य के स्वीकृति आदेश दिनांक 10/- 11-1-79 व उसमें संशोधन के आदेश 26-2-79 की प्रतियां संलग्न कर प्रस्तुत है।

(2) अभी तक इस अप्रोच रोड को किसी अन्य विभाग को स्थानान्तरित नहीं किया गया है। परन्तु वर्तमान में इसको सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन व पथ) को स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव है क्योंकि यह सड़क अब डूंगला-बड़ी सादड़ी मार्ग का हिस्सा है।

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

(IRRIGATION DEPARTMENT)

No. TECH/788 W/68–196 Dated : 10-1-1979, 11-1-79

From :—

The Chief Engineer, Irrigation,
Rajasthan, Jaipur–302005.

To :—

The Superintending Engineer,
Irrigation, Jakham Project,
Circle, Udaipur.

ESTIMATE

Ref. :— E. E. Wagan letter No. E. E.W./Tech/E/SPW/160 dt. 7-1-79.

Estimate for the Probable cost of Construction of approach road from Dunglato wagan Dam site.

Chargeable to 533-Capital outlay on Irrigation Navigation Drainage & Flood Control Project (A) Irrigation Project (Commercial) medium Irrigation Project Wagan Diversion Scheme R–communication I-Head works.

Sanctioned for Rs. 5,82,600/–by the Chief Engineer and registerod in this office as No. 62 E. of 1978-79 is returned herewith.

Encl :— Estimate.

Sd/-
Chief Engineer, Irrigation,
Rajasthan, Jaipur

No. Tech/– Dated ....107 .

1. Copy togethor with a copy of the abstract forwarded to the Accountant General, Rajasthan, Jaipur for information. Works will be carried out by the Executive Engineer, Irrigation Wagan Diversion Division Chittorgarh.

2. Copy forwarded to the Executive Engineer, Irrigation Wagan Diversion Division Chittorgarh.

3. Copy forwarded to the Accounts Section of C. E. I. Office Rajasthan, Jaipur.

Sd/-

Chief Engineer, Irrigation,
Rajasthan, Jaipur.

Encl :—Abstract.

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

(IRRIGATION DEPARTMENT)

OFFICE OF THE CHIEF ENGINEER IRRIGATION, RAJASTHAN, JAIPUR.

CORRIGENDUM

The correct amount of Estimate Sanctioned vide this office letter T/728-W/68-71 dated 10-1-1979 may be read as Rs. 5,19,600/- further the quantity rate & amount of item 7 (b) of Estimate may be read as follows.

S.No.	Item	Qty.	Rate	Unit	Amount
7 (b)	Laying soling to complete including hand pacleing etc. complete as per specifications with all leads and lifts complete in all respect.	3850 cum	Rs. 27.50	10 cum	10,588/-

Sd/-

Executive Engineer & T.A. (W)
to Chief Engineer Irrigation
Rajasthan, Jaipur

No. T-728-W/617 Dated : 25-2-1979

Copy to the following for information & necessary action.

1. The A. G. Rajasthan, Jaipur.

2. The Superintending Engineer Irrigation Jakham Project Circle, Udaipur.

3. The Executive Engineer Irrigation Wagan Project, Dn. Chittorgarh.

4. Sr. A. O. to the Chief Engineer, Irrigation, Rajasthan, Jaipur.

Sd/-

Executive Engineer & T. A. (W)
to Chief Engineer Irrigation
Rajasthan, Jaipur.

Copy forwarded to X. En. Wagan Project Dn. Chittorgarh for information & necessary action.

AEn & T.A.

चूरू तहसील में हाथ करघा उद्योगों को प्रदत्त सुविधायें

6. **श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान राज्य हाथ कर्घा विकास निगम के अन्तर्गत राज्य में कितने बुनकर कार्यरत है तथा इनको क्या-क्या सुविधा देय हैं ?

(2) क्या चूरू जिले में कच्चे माल की उपलब्धता के लिये उत्पादन केन्द्र खुले हुए हैं । यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि चूरू शहर व चूरू तहसील में कार्यरत हाथकर्घाओं को सूत उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? इसके लिये कौन दोषी हैं तथा अब कब तक कच्चा माल उपलब्ध करा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) राजस्थान स्टेट हैण्डलूम डवलपमेन्ट कारपोरेशन लि. में वर्तमान में 2566 कर्घों पर बुनकरों को बुनाई कार्य उपलब्ध कराया जा रहा है । निगम द्वारा राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत 78 आगारों/उप आगारों एवं 11 प्रशिक्षण तथा सामान्य सुविधा केन्द्रों के माध्यम से बुनकरों को आधुनिक हाथकरघा बुनाई तकनीकी का प्रशिक्षण दिलाया जाता है । आगारों/उप आगारों द्वारा बुनकरों को कच्चा माल (विभिन्न प्रकार के धागे) वितरित करके विभिन्न प्रकार के हाथकरघा वस्त्रों का उत्पादन करवाकर बुनकरों को उचित बुनाई पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है । जिन बुनकरों के पास कर्घे नहीं होते हैं उन्हें 50 प्रतिशत अनुदान के सहयोग से नये हाथकरघे दिलाये जाते हैं । जिन बुनकरों के पास करघों को रखने के उचित आवास नहीं होता है उन्हें वर्क शेड योजना के अन्तर्गत एक पक्का वर्क शेड निर्माण करने हेतु रुपये 3000/– प्रति वर्क शेड की दर से अनुदान दिया जाता है ।

(2) कच्चा माल निगम द्वारा स्थापित आगारों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है । चूरू जिले में चूरू, रतनगढ़ एवं सुजानगढ़ के निगम द्वारा आगार खोले गये हैं जहां से बुनकरों को उत्पादन हेतु कच्चा माल दिया जाता है ।

(3) जी नहीं, निगम के चूरू आगार के माध्यम से कार्यरत 31 कर्घों के बुनकरों को वर्ष 1989-90 के दौरान कुल 13,470,690 किलोग्राम विभिन्न प्रकार के धागे उत्पादन हेतु वितरित किये गये हैं । आगे भी बुनकरों की मांग के अनुसार सूत उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है ।

हाऊस होल्ड इण्डस्ट्रीज ट्रेनिंग प्रोग्राम

7. **श्री राजेन्द्र पारीक** (सीकर) एवं **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) हाऊस होल्ड इण्डस्ट्रीज ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत विभाग द्वारा कितनी ग्रान्ट इन एड किन-किन स्वैच्छिक संस्थाओं को

(श्री राजेन्द्र पारीक)

प्रदत्त की गई ? विवरण संस्थावार सदन की मेज पर रखें।

(2) इस अनुदान राशि की पूर्णता व उपयोगिता प्रमाण-पत्र कितनी संस्थाओं से प्राप्त हो गये है ?

(3) अब यह कार्यक्रम किन-किन संस्थाओं द्वारा वर्तमान से चलाया जा रहा है, उनकी निरीक्षण की क्या व्यवस्था है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) एच्छिक संस्थाओं को वर्ष 1974-75 से 1989-90 तक ग्रान्ट दी गई उसकी सूची संलग्न है ।

(2) समस्त संस्थाओं से वर्ष 74-75 से 89-90 तक के उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हो गये हैं ।

(3) स्वयं सेवी संस्थाएं जो यह कार्यक्रम चला रही है उसकी सूची संलग्न है । संस्थाओं का निरीक्षण समय-समय पर जिला उद्योग केन्द्रों के अधिकारियों द्वारा किया जाता है ।

1984-85	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90
76452	87108	64390	67220	89350	1,11524
56088	60138	57713	57867	86619	84184
43790	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
94725	88614	1,13702	1,16280	81689	85256
—	—	—	—	—	10,000
18118	—	—	—	—	—
30173	42030	—	—	—	20350
—	4138	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	9134	—	—	—	—
43651	43553	65486	98207	85206	81769
38379	37533	29606	44222	07449	55416
50455	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
37302	63310	78080	71335	—	76729
35876	46529	43233	47665	56877	77384
38442	33809	45802	48742	53666	66244
52457	—	—	—	—	—
52457	46585	56653	90260	62637	74640
32190	75469	87820	70223	61896	1,09722
31580	35135	23074	—	—	—
—	71414	71370	1,06185	91537	1,18781 27100 ट्राइबल एरिया हेतु
—	31988	47722	69271	67088	85628
—	—	37752	45022	40598	55234
—	—	37575	47825	48250	48600
—	—	—	43178	26482	—
—	—	—	21850	36850	23535
—	—	—	74300	—	72950
—	—	—	19564	36700	46733
—	—	—	—	18775	56610
—	—	—	47754	40725	42101
		—	—	43250	66225

संस्थाओं के नाम जो कार्यरत है

क्र. सं.	संस्था का नाम	जिले का नाम
1.	लोक शिक्षण संस्थान, जयपुर	जयपुर
2.	अजमेर प्रौढ़ शिक्षण समिति, अजमेर	अजमेर
3.	जोधपुर प्रौढ़ शिक्षण समिति, जोधपुर	जोधपुर
4.	लालचन्द, कुलवन्त राज चलाना श्री जगदम्बा अन्ध विद्यालय, श्रीगंगानगर	गंगानगर
5.	महिला उद्योग शाला, कोटा	कोटा
6.	लोकहित संस्थान, उदयपुर	उदयपुर
7.	जीवन निर्माण संथान, भरतपुर	भरतपुर
8.	चम्बल घाटी विद्यापीठ सो., धौलपुर	धौलपुर
9.	महिला जागृति परिषद, बीकानेर	बीकानेर
10.	आदर्श सरस्वती महिला कल्याण प्रशि. स. बून्दी	बून्दी
11.	भगवान महावीर विकलांग सहायता स. जयपुर	जयपुर
12.	नेहरू युवा केन्द्र, बाड़मेर	बाड़मेर
13.	नेहरू युवा केन्द्र, सवाईमाधोपुर	सवाईमाधोपुर
14.	नेहरू युवा केन्द्र, भीलवाड़ा	भीलवाड़ा
15.	नेहरू युवा केन्द्र, पाली	पाली
16.	महिला मण्डल कार्यकारिणी समिति, अलवर	अलवर
17.	रतनगढ़ प्रौढ़ शिक्षण समिति, रतनगढ़	चूरू
18.	सोसाइटी फारेर वीमेन इन्ट प्रिन्योर्स रूरल आर्टिजन टोंक	टोंक
ट्राइबल एरिया		
19.	अभिनव शिक्षण समिति, बांसवाड़ा	बांसवाड़ा
20.	नेहरू युवा केन्द्र, चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़

विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के आयुर्वेद चिकित्सालयों में रिक्त पद

8. श्री रतनलाल जाट (सहाड़ा) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के आयुर्वेदिक औषधालयों में वैद्यों, व कर्मचारियों के कुल कितने पद रिक्त हैं? चिकित्सीय संस्थानवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उन्हें कब तक भर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में संचालित आयुर्वेदिक औषधालयों में 3 पद चिकित्सक व 5 पद परिचारक के वर्तमान में रिक्त हैं। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) रिक्त पदों को शीघ्र भरने की कार्यवाही की जा रही है।

आयुर्वेदिक औषधालयों में रिक्त पदों की स्थिति

क्र. सं.	नाम स्थान औषधालय	प. स.	रिक्त पदों की स्थिति		
			चिकित्सक	नर्स/कम्पा.	परिचारक
1.	लारवोला	सराडा	—	—	—
2.	रवारवला	,,	—	—	—
3.	सरगांव	,,	—	—	—
4.	पोटशा	,,	—	—	रिक्त
5.	माझावास	,,	रिक्त	—	—
6.	ढोसर	,,	—	—	—
7.	गंगापुर	,,	—	—	—
8.	उल्लाई	,,	रिक्त	—	—
9.	चीडरवेड़ा	,,	—	—	रिक्त
10.	अरनियां	,,	—	—	—
11.	सोनियाना	,,	—	—	—
12.	शिवरती	,,	—	—	—
13.	कांगनी	,,	—	—	—
14.	सातलियास	,,	—	—	रिक्त
15.	भरक	,,	रिक्त	—	रिक्त
16.	वोराणा	रायपुर	—	—	—
17.	भडोल	,,	—	—	—
18.	कोट	,,	—	—	रिक्त
19.	देवरिया	,,	—	—	—
20.	नाहरी	,,	—	—	—
21.	पालरा	,,	—	—	—
22.	नान्दशा	,,	—	—	—
23.	सगरेव	,,	—	—	—
		योग :—रिक्त	3	—	5

रामेसर चेत्रोड़ी विद्युत लाइन

9. **श्री अमीन खां** (शिव) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले की पंचायत समिति शिव में रामेसर-चेत्रोडी 33 के. वी. लाइन सन् 1984 में स्वीकृत हुई थी जिसको अभी तक पूरा नहीं किया गया ?

(2) क्या यह सही है कि 33 के. वी. लाइन विना, गिराब, बंधडा. सती, मेयालार, सुन्द्रा, पांचला, पीराई, रोहिडी को विद्युत् दवाब (लोड) पूरा नहीं मिलता है जिससे वहां की पेयजल योजनाएं प्रभावित होती है ? यदि हां, तो कब तक सही व्यवस्था कर दी जायेगी ?

(3) रामेसर चेत्रोड़ी 33 के. वी. लाइन कब तक पूरी हो जायेगी ?

उत्तर

(1) बाड़मेर जिले की पंचायत समिति शिव में एक 33 के. वी. लाइन रामेसर चेत्रोड़ी के निर्माण का कार्य वर्ष 7987-88 की वार्षिक योजना में कार्य हेतु स्वीकृत किया गया था, जिसका प्रारम्भिक कार्य उसी वर्ष शुरू कर दिया गया था लेकिन वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण कार्य में कुछ विलम्ब हुआ है। अब इस लाइन के पूरे पोल खड़े कर दिये गये हैं तथा 20 कि. मी. के तार भी खेंचे जा चुके हैं। लाइन का शेष कार्य प्रगति पर है।

(2) प्रश्न में वर्णित ग्रामों को विद्युत् आपूर्ति 33/11 के. वी. रामेसर सबस्टेशन से 11 के. वी. रामेसर गिराव लाइन के द्वारा की जा रही है। इस लाइन पर अधिक भार नहीं होने के कारण पेयजल योजनाओं को मिलाने वाली विद्युत् सप्लाई में 11 के. वी. वोल्टेज बुस्टर लगाये होने के कारण कम वोल्टेज की तकनीकी आधार पर कोई शिकायत जन-स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी द्वारा नहीं की गई है।

(3) 33 के. वी. रामेसर चेत्रोड़ी लाइन का कार्य प्रगति पर है और इसका कार्य इसी वित्तीय वर्ष (1990-91) में पूर्ण किये जाने की योजना है।

भरतपुर सिचाई खण्ड द्वारा व्यय

10. **श्री रामप्रसाद** (वेर), **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा) एवं **श्री निर्भयलाल** (रूपवास) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वित्तीय वर्ष 1989-90 में भरतपुर सिंचाई खण्ड का कुछ बजट लेप्स हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) वित्तीय वर्ष 1989-90 में उक्त खण्ड में किन-किन कार्यों के लिए कुल कितने टैण्डर आमंत्रित किये गये व कितनों पर कार्य पूर्ण कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) वर्ष 89-90 में उक्त खण्ड में 58 कार्यों के टेण्डर आमंत्रित किये गये। सूची संलग्न है। इनमें से कोई भी कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका क्योंकि पर्याप्त बजट उपलब्ध नहीं था।

भरतपुर खण्ड सिचाई विभाग में वर्ष 1990 में आमन्त्रित किए गए टेण्डरों की सूची

क्रमांक	नाम उपखण्ड	कार्य का नाम
1	2	3
1.	कुम्हेर	एक्जूक्यूशन ग्राफ क्यूनिट चैनल इन बानगंगा रिवरपथेना कैनाल हैड रेग्यूलेटर।
2.	,,	एक्जूक्यूशन ग्राफ क्यूनिट चैनल क्रास डैम बानगंगा रिवरडलैना कैनाल हैड रेग्यूलेटर।
3.	,,	कन्सट्रक्शन ग्राफ क्रास डेम एट लालपुर कैनाल हैड।
4.	,,	कन्सट्रक्शन ग्राफ क्रास डेम रमेश स्वामी कैनाल हैड।
5.	,,	रिपेयर ग्राफ पी. ग्रार. बी. चैन 67 रायसीस नाला।
6.	भरतपुर	रोक कटिंग ग्राफ वाई. वास एट सीता डेम।
7.	बयाना	रैनोवेशन ग्राफ ग्रजान कैनाल साईफन चैन 299।
8.	,,	,, वी. ग्रार. बी. चैन 117.30 एवं 147.75 ग्रजान कैनाल।
9.	,,	रैनोवेशन वी. ग्रार. बी. चैन 243.20 ग्रजान कैनाल।
10.	,,	,, वी. ग्रार. बी. चैन 609.50 ग्रजान कैनाल।
11.	,,	,, ग्राफ ग्रजान कैनाल रिपेयरिंग वी. ग्रार. वी. चैन 683 नीयर विलेज नो गांवा।
12.	कुम्हेर	क्लोजिंग ब्रीच ग्राफ सुखावली क्रास।
13.	,,	रिपेयर ग्राफ हैड रेग्यूलेटर लालपुर कैनाल।
14.	डीग	कन्सट्रक्शन ग्राफ वी. ग्रार. बी. चैन 20 चोमोरा कैनाल।
15.	,,	,, ग्राफ वी. ग्रार. बी. चैन 180 जलासिया कैनाल।
16.	,,	,, ग्राफ वी. ग्रार. बी. चैन 170 ग्राफ पीपलवाली कैनाल।

1	2	3
17.	,,	कन्सट्रक्शन ग्राफ बी. ग्रार. बी. चैन 112.60 ग्राफ हुसैनपुर दो मोरा।
18.	कुम्हेर	रिपेयर ग्राफ बी. ग्रार. बी. चैन 67 ग्राफ रायसीस नाला।
19.	भरतपुर	रोक कटिंग वाई वास ग्राफ सीता डेम।
20.	डीग	प्रोवाईडिंग इनलेट एट चैन 90 रनजीत नगर फ्लड कन्ट्रोल ड्रेन।
21.	बयाना	क्लोजिंग ब्रीच ग्राफ दमदमा बांध।
22.	कुम्हेर	रिपेयर ग्राफ रेस्टोरेशन् एण्ड क्लोजिंग ब्रीच ग्राफ जहानपुर बांध।
23.	,,	निर्माण, कार्य बी. ग्रार. बी. देवली वाचरैन चैन 100 एवं सलमपुर भुसावर चैन 135 रमेश स्वामी कैनाल।
24.	,,	रीमोडलिंग ग्राफ तमरेर माईनर स्केप चैनल।
25.	डीग	सीकरी बांध चैन 150 से 250
26.	,,	सीकरी मैन फीडर चैन 400 से 620 स्पारेल सिस्टम।
27.	बयाना	रैनोवेशन ग्राफ ग्रजान बांध चैन 0 से 185
28.	कुम्हेर	रिपेयर ग्राफ सिलूस ग्राफ वारोली बांध।
29.	,,	रिपेयर ग्राफ वेस्टवीयर भटावली बांध।
30.	,,	रिपेयर ग्राफ रेस्टोरेश्म सेवर ग्रपर बांध।
31.	,,	रिपेयर ग्राफ हैड रेग्यूलेटर ग्राफ पथेना कैनाल।
32.	बयाना	रैनोवेशन ग्राफ ग्रोडेल जाट कैनाल।
33.	,,	,, ग्राफ धाटा कैनाल।
34.	,,	,, ग्राफ वाकोली कैनाल।

1	2	3
35.	भरतपुर	कन्सट्रक्शन आफ रेग्यूलेटर कार्य सीता डाईवरशन चैनल चैन 27.
36.	,,	,, आफ बाऊन्डरीवाल वर्कशाप सिंचाई खण्ड।
37.	कुम्हेर	रिपेयर एण्ड रेस्टोरेशन आफ मोती झील।
38.	बयाना	रेनोवेशन आफ अजान बंध चैन 165 से 334
39.	,,	रिपेयर आफ रेस्टोरेशन खेड़ली बांध।
40.	,,	रिपेयर आफ रेस्टोरेशन आफ बारौली बांध।
41.	,,	क्लोजिंग ब्रीच आफ नगला पहरवार बांध।
42.	,,	रेनोवेशन आफ दाहिना कैनाल।
43.	,,	कन्सट्रक्शन आफ सलूस एट चैन 100 छीतरिया क्रास डेम।
44.	कुम्हेर	रिपेयर एण्ड प्रोवाईडिंग लिफटिंग अरेंजमेन्ट हलेना हैड क्रास रेग्यूलेटर।
45.	डीग	कन्सट्रक्शन आफ बी. आर. बी. एट चैन 400 सीकरी बांध।
46.	कुम्हेर	रिपेयर एण्ड रेस्टोरेशन रिमेंनिंग वर्क्स सलूस तरसी बांध।
47.	,,	बेड कटिंग आफ मुरवारा महंगाया कैनाल।
48.	,,	रिपेयर एण्ड रेस्टोरेशन आफ सेह बांध एण्ड बंधली।
49.	बयाना	रिपेयर एण्ड रेस्टोरेशन आफ बारेठा बांध।
50.	कुम्हेर	कन्सट्रक्शन आफ बी. आर. बी. चैन 400, 450 एवं 720 खुरमपुर कैनाल।
51.	डीग	कन्सट्रक्शन आफ रेग्यूलेटर आफ बी. आर. बी. सीकरी मैन फीडर।
52.	बयाना	रेनोवेशन आफ अजान कैनाल भरतपुर सेक्शन चैन 0 से 528

1	2	3
53.	बयाना	रैनोवेशन ग्राफ ग्रजान बांध चैन 334.50 से 516
54.	बयाना	रैनोवेशन ग्राफ चिकसाना कैनाल रेग्यूलेटर।
55.	कैनाल	डा/एस प्रोटेक्शन वर्क ग्राफ वेस्टवीयर बांसी बांध।
56.	कुम्हेर	रिपेयर रेस्टोरेशन ग्राफ भाण्डार बांध।
57.	कुम्हेर	रिपेयर रेस्टोरेशन ग्राफ सेवर ग्रपर बांध।
58.	कुम्हेर	रिपेयर रेस्टोरेशन ग्राफ मोती झील बांध।

पंचायत समिति, रायपुर में खनन कार्य

11. श्री रतनलाल जाट (सहाड़ा) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार को रायपुर पंचायत समिति जिला भीलवाड़ा के कुछ ग्रामों में ग्रेनाइट पाये जाने की जानकारी मिली है ?

(2) क्या विभाग द्वारा इसके खनन के पट्टे जारी भी किये गये हैं ?

(3) यदि हां, तो कितने स्थानीय व्यक्तियों को पट्टे जारी किये गये हैं ?

(4) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में और कहां-कहां खनिज संपदा उपलब्ध है ?

(5) क्या राज्य सरकार उसी क्षेत्र के निवासियों को खनन कार्य के लिये प्राथमिकता के आधार पर लीज/पट्टा देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। उक्त रायपुर पंचायत समिति क्षेत्र में कोई खनन पट्टा जारी नहीं किया गया है।

(3) प्रश्न नहीं उठता

(4) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में ग्राम नयाखेड़ा, भटावर, आम्बाखेड़ा, भीटा उम्मेदपुरा, जबरकिया, खुमानपुरा, सब्बलपुरा टीपूनाड़ी, मंडपियां व डेलाना में खनिज ग्रेनाइट उपलब्ध होने की जानकारी मिली है।

(5) जी नहीं। प्राथमिकता हेतु राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 के प्रावधानों के अनुसार ही प्राथमिकता निर्धारित कर खनन पट्टे दिये जा सकते हैं।

इटावा में लघु पन विद्युत् गृह का निर्माण

12. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के इटावा में लघु पन विद्युत् गृह के निर्माण को स्वीकृति कब हुई और उसकी रूपरेखा क्या है ?

(2) इस पर कुल कितनी राशि खर्च की जानी है ? इस योजना का निर्माण कार्य कब प्रारम्भ होगा तथा विद्युत उत्पादन का कार्य कब प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) इटावा लघु पन विद्युत गृह के निर्माण की स्वीकृति विद्युत मण्डल द्वारा दिनांक 29-1-1985 को एवं योजना आयोग द्वारा पूंजी-विनियोजन स्वीकृति दिनांक 17-9-86 को दे दी गई थी।

स्वीकृत योजना के अनुसार कोटा जिले में इटावा लघु पन विद्युत गृह को चम्बल नदी की दाहिनी मुख्य नहर को इटावा शाखा पर बनाना प्रस्तावित है। विद्युत गृह की कुल अधिष्ठापित क्षमता 0.5 मेगावाट होगी एवं कुल अनुमानित लागत 109.37 लाख रु. होगी।

(ऊर्जा मंत्री)

(2) यह योजना 109.37 लाख रुपयों की वर्ष 1984 के अनुमानों के अनुसार अनुमानित लागत के लिये स्वीकृत हुई थी। योजना की डिजाइन कन्सलटेन्सी का निर्धारण होने के पश्चात् निर्माण कार्य से सम्बन्धित कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी। इस योजना से विद्युत उत्पादन 8 वीं पंचवर्षीय योजना काल के दौरान करने का लक्ष्य है।

बंजर भूमि का विकास

13. राजेन्द्र पारीक (सीकर) एवं **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या वन एवं पर्यावरण (बंजर भूमि विकास) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 1985 में बन्जर भूमि के विकास के लिये राष्ट्रीय बन्जर भूमि विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी ? क्या इस योजना के तहत राजस्थान में कोई कमेटी का गठन किया गया था ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राष्ट्रीय बन्जर भूमि विकास बोर्ड द्वारा राज्य में कितनी योजनाएं स्वीकृत की गई व उनकी क्रियान्विति राज्य में किस प्रकार की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) इस योजना के तहत राज्य सरकार को क्या साधन यथा कार, स्टाफ इत्यादि मुहैया कराये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, विवरण सदन की मेज पर परिशिष्ट "क" के अनुसार रख दिया गया है।

(2) राष्ट्रीय बन्जर भूमि विकास बोर्ड द्वारा राज्य में वन विभाग के माध्यम से स्वीकृत योजनाओं एवं क्रियान्विति का विवरण सदन की मेज पर परिशिष्ट "ख" के अनुसार रख दिया गया है।

(3) इस योजना के तहत विभाग को स्वीकृत साधनों यथा स्टाफ, कार आदि का विवरण परिशिष्ट "ग" के अनुसार रख दिया गया है।

सूची "क"

बंजर भूमि विकास के तहत राजस्थान में गठित कमेटियों का विवरण

1. बंजर भूमि विकास के निर्देशन की राज्य स्तरीय कमेटी	1. मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर	अध्यक्ष
	2. शासन सचिव, वन एवं पर्यावरण, राजस्थान, जयपुर	सदस्य
	3. शासन सचिव, कृषि उत्पादन	,,
	4. शासन सचिव, विशिष्ट योजना संगठन, राजस्थान	,,
	5. शासन सचिव, राजस्व विभाग	,,
	6. शासन सचिव, सिंचाई विभाग	,,
	7. शासन सचिव, सा. नि. विभाग	,,
	8. सचिव एवं अध्यक्ष इ. गा. न. प.	,,
	9. मुख्य वन संरक्षक राज. जयपुर	,,
	10. श्री वी. आई. राजगोपाल, सलाहकार राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड	
	11. विशिष्ट शासन सचिव एवं निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग	
2. जिला स्तरीय कमेटी	1. जिला कलक्टर	अध्यक्ष
	2. जिला प्रमुख	सहअध्यक्ष
	3. अति. कलक्टर (राजस्व)	सदस्य
	4. अति. कलक्टर (विकास)	,,
	5. उपवन संरक्षक	,,
	6. जिला कृषि अधिकारी	,,
	7. अति. जिला विकास अधिकारी/उप जिला विकास अधिकारी	सदस्य सचिव
3. ब्लाक स्तरीय कमेटी	1. उपखण्ड अधिकारी	अध्यक्ष
	2. प्रधान पंचायत समिति	सहअध्यक्ष
	3. क्षेत्रीय वन अधिकारी	सदस्य
	4. तहसीलदार/नायब तहसीलदार	,,
	5. विकास अधिकारी	,,
	6. कृषि प्रसार अधिकारी	,,
4. ग्राम स्तरीय कमेटी	1. सरपंच	अध्यक्ष
	2. पटवारी	सदस्य
	3. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता	,,
	4. ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता	सदस्य सचिव

– | –

(१८१)

परिशिष्ट "ख"

राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास मिशन के तहत राज्य में वन विभाग के माध्यम से स्वीकृत एवं क्रियान्वित योजनाओं का विवरण

क्र. सं.	नाम योजना	सातवीं पंचवर्षीय योजना में		विवरण
		स्वीकृत राशि	व्यय राशि	
1	2	3	4	5
1.	ग्रामीण ईंधन वृक्षारोपण योजना	552.35	549.06	उक्त योजना राज्य के 11 जिलों में क्रियान्वित की जा रही है । सातवीं पंचवर्षीय योजना हाल में राज्य के विभिन्न जिलों के अन्तर्गत इस योजना के तहत 27542 है। क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य कराया जा चुका है वर्ष 90–91 के दौरान 4130 है. क्षेत्र में वृक्षारोपण कराया जाना प्रस्तावित है ।
2.	सिल्वी पेस्ट्रोल योजना	88.73	69.56	यह योजना वर्ष 88-89 में प्रारम्भ की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 89-90 तक 4090 है. क्षेत्र में वृक्षारोपण कराया जा चुका है। वर्ष 90-91 के दौरान 5000 है. क्षेत्र में वृक्षारोपण कराया जाना प्रस्तावित है ।

1	2	3	4	5
3.	एरिया ओरियन्टेड फ्यूल एवं फीडर स्कीम	5.00	5.00	वर्ष 89-90 में यह योजना झालावाड़ जिले में प्रारम्भ की गई थी। वर्ष 90-91 के दौरान इसके अन्तर्गत 400 है. क्षेत्र में वृक्षारोपण कराया जाना प्रस्तावित है।
4.	लघु वन उपज योजना	31.25	31.24	वर्ष 88-89 में प्रारम्भ की गई इस योजना में वर्ष 89-90 में 500 है. क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य कराया गया था एवं वर्ष 90-91 के दौरान 750 है. क्षेत्र में वृक्षारोपण कराया जाना प्रस्तावित है।
5.	बीज विकास योजना	19.60	17.85	उत्तम किस्म के बीजों के चयन, परीक्षण एवं प्रमाणीकरण हेतु वर्ष 88-89 में प्रारम्भ की गई यह योजना वर्ष 90-91 तक पूर्ण कर दी जावेगी। इसके अन्तर्गत बीज परीक्षण प्रयोगशाला का विकास किया जा रहा है।
6.	विकेन्द्रित पौधशालाओं के माध्यम से पौध उत्पादन	172.00	128.78	इस योजना के अन्तर्गत लघु एवं सीमान्त कृषकों के माध्यम से कृषि वानिकी के तहत पौध वितरण हेतु पौधे तैयार कराये जाते हैं। वर्ष 89-90 के दौरान इस योजना में 122.22 लाख पौधे

1	2	3	4	5
				तैयार किये गये जिन्हें वर्ष 90-91 की वर्षा ऋतु में वितरित किया जावेगा। इस वर्ष इस योजना में 137 पौधे तैयार किये जाने का लक्ष्य है।
7.	हर्ष ईको डवलपमेंट प्रोजेक्ट	18.35	2.00	वर्ष 89-90 में प्रारम्भ की गई इस योजना में इस वर्ष 298 है. क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है।
8.	सिघाना-मुडा गैप्स ग्रॉफ अरावली	30.37	8.29	वर्ष 89-90 में प्रारम्भ की गई इस योजना में इस वर्ष 950 है. क्षेत्र में वृक्षारोपण कराया जाना प्रस्तावित है।
9.	बीकानेर एवं गंगानगर बंजर विकास योजना	26.70	—	वर्ष 89-90 के अन्त में स्वीकृत की गई इस योजना का क्रियान्वयन वर्ष 90-91 से किया जावेगा। इस वर्ष इस योजना में 50 है. क्षेत्र में वृक्षारोपण एवं 775 है. क्षेत्र में अग्रिम मृदा कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

परिशिष्ट "ग"

राष्ट्रीय पड़ती भूमि विकास मिशन द्वारा राजस्थान में वन विभाग के माध्यम से स्वीकृत की गई वन विकास योजनाओं में उपलब्ध कराये गये वाहन एवं स्टाफ की सूचना

वाहन

1. 2 जिप्सी

   2 ट्रक

   5 ट्रैक्टर

   1 मिनी ट्रक

स्टाफ

2.

सहायक वन संरक्षक		1
सांख्यिकी सहायक		1
शीघ्र लिपिक		1
कनिष्ठ लेखाकार		2
कनिष्ठ लिपिक		2
वनपाल		3
चालक		8
वन रक्षक		176
	योग	194

तहसील नैनवां में बांध निर्माण

14. श्री रामनारायण वर्मा (नैनवां) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्तमान में नैनवां तहसील में कौन-कौनसी सिंचाई योजनाएं विचाराधीन/निर्माणाधीन हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार की नीति के अनुसार अधिकतर अकाल प्रभावित क्षेत्रों में सिंचाई बांधों का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है ? यदि हां, तो इस तहसील में सिंचाई योजनाओं का निर्माण प्रारम्भ करने तथा अधूरी सिंचाई योजनाओं को जल्दी पूरा करने के लिए राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) नैनवां तहसील के अन्तर्गत बाक्या का नया गांव, अन्नपूर्णा एवं सिसोला लघु सिंचाई परियोजनायें निर्माणाधीन हैं तथा मछली लघु सिंचाई योजना विचाराधीन हैं ।

(2) जी हां । राज्य सरकार वित्तीय साधनों के अनुसार अधूरी सिंचाई योजनाओं को जल्द पूरा करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

छापी–भीमसागर बांध सिंचाई योजना

15. श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झालावाड़ जिले के छापी बांध भीमसागर बांध के लिए सन् 1977 से अब तक कितनी-कितनी धनराशि स्वीकृत हुई, तथा कितनी-कितनी राशि किस-किस मद में खर्च हुई ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) वर्तमान में झालावाड़ जिले में कितनी सिंचाई योजनायें किन-किन विधान सभा क्षेत्रों में कौन-कौन सी चल रही हैं तथा उन पर चालू वित्तीय वर्ष में कितनी-कितनी राशि स्वीकृत करने की योजना है ? निर्माण कार्य की क्या प्रगति है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) छापी परियोजना का वर्ष 1980-81 में आरम्भ हुआ था । इस परियोजना पर अब तक कुल 503 लाख रुपये का बजट आवंटन हुआ जिसके विरुद्ध मई, 90 तक 531.00 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं । जिसका ब्यौरा संलग्न है ।

भीमसागर परियोजना का कार्य वर्ष 1977 में प्रारम्भ हुआ था । इस परियोजना पर अब तक कुल 1564.74 लाख रुपये आवंटन हुआ है जिसके विरुद्ध मई 90 तक 1565.63 लाख रुपये व्यय किए जा चुके हैं जिसका ब्यौरा संलग्न मानचित्र में दिखाया गया है ।

(सिंचाई मंत्री)

(2) वर्तमान में झालावाड़ जिले में एक वृहत भीमसागर योजना पर कार्य चल रहा है इस पर इस वर्ष 20 लाख रुपये का बजट प्रावधान है। छापी परियोजना, हरिशचन्द्र सागर मध्यम परियोजना चल रही है यह दोनों सिंचाई परियोजनायें खानपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत है इन परियोजनाओं पर क्रमशः 200 लाख तथा 150 लाख रुपये बजट प्रावधान है तथा इनका कार्य प्रगति पर है इनके अलावा पांच लघु सिंचाई परियोजनाएं गणेशपुर (खानपुर) मानपुरा (मनोहरथाना) बोरदा (झालरापाटन) मोगरा (डग) त्रिस्थुनिया (डग) पर चालू वित्तीय वर्ष के दौरान क्रमशः रुपये 47 लाख, 25 लाख, 25 लाख, 15 लाख तथा 14 लाख रुपये की धनराशि का आवंटन है तथा कार्य प्रगति पर है।

(राशि लाख रुपयों में)

1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	अक्टूबर, 5/90
57.00	55.00	105.00	60.00	जुलाई, 90 तक योग = 503
0.97	0.67	0.12	0.02	
—	0.02	—	0.52	
38.71	37.24	61.82	22,45	
0.36	0.58	7.97	2.66	
—	—	—	—	
2.77	2.29	0.51	0.41	
0.72	2.25	1.94	1.29	
—	—	—	—	
0.18	0.12	0.15	—	
1.45	2.67	4.45	1.16	
0.28	0.02	—	—	
1.56	0 14	1.06	—	
5.99	3.01	4.99	—	
4.06	5.97	25.23	5.06	
57.05	54.98	108.24	32.57	योग=531
158.15	60.38	117.35	20.00	योग=1564.74
156.18	70.38	127.08	4.99	योग=1565.63

मोरेल बांध

16. **श्री परसादीलाल मीणा** (लालसोट) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मोरेल बांध भराव क्षमता को बढ़ाने के लिए सरकार के समक्ष प्रस्ताव काफी समय से विचाराधीन है ? यदि हां, तो उस पर कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ?

(2) मोरेल बांध से अब तक कुल कितनी भूमि की सिंचाई की जाती है ?

(3) क्या बांध की भराव क्षमता कम होने के कारण किसानों को सिंचाई असुविधा का सामना करना पड़ता है ?

(4) क्या सरकार ने केन्द्रीय जल संसाधन आयोग को बांध का आधुनिकीकरण करने का प्रस्ताव बनाकर भेज दिया है ?

उत्तर

(1) जी हां। मोरेल बांध की भराव क्षमता को बढ़ाने के लिए आधुनिकीकरण के प्रस्ताव जून, 80 में तैयार कर केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली को प्रस्तुत किये गये थे। इस योजना का प्राक्कलन हाइड्रोलोजी अनुमोदन के लिए विचाराधीन है।

(2) वर्तमान में इस बांध पर 29548 एकड़ में वार्षिक सिंचाई का प्रावधान है। इसकी तुलना में अधिकतम सिंचाई 32186 एकड़ में हुई है।

(3) जी नहीं। वर्ष 1981 की बाढ़ से क्षतिग्रस्त बांध का पुन: निर्माण कर वास्तभराव क्षमता वर्ष 1982 में स्थापित कर दी गई थी अत: बांध के मौजूदा सिंचित क्षेत्र में किसानों को असुविधा का प्रश्न ही नहीं है।

(4) जी हां। जैसा कि भाग 1 में बताया गया है।

चित्तौड़गढ़ में स्टेडियम निर्माण

17. **श्री छगनलाल** (बड़ी सादड़ी) : क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर कोई स्टेडियम निर्माण किये जाने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है ?

(2) यदि हां, तो कहां पर एवं कितनी लागत का ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार ने जिलाधीश, चित्तौड़गढ़ से प्राप्त इन्दिरा स्टेडियम, चित्तौड़गढ़ के निर्माण के प्रस्ताव केन्द्र सरकार को अनुदान स्वीकृत करने हेतु भेजे। केन्द्र सरकार ने इस स्टेडियम के निर्माण हेतु मार्च, 1985 में एक लाख रु. की राशि का अनुदान स्वीकार कर रुपये 50,000/– की राशि प्रथम किश्त के रूप में जारी की, जिसका भुगतान जिलाधीश, चित्तौड़गढ़ को नवम्बर, 1985 में किया गया। जून, 1989 तक इस स्टेडियम के निर्माण पर रुपये 54,596/– खर्च किये गये।

(खेल मंत्री)

(2) इस स्टेडियम का निर्माण मीरा नगर, चित्तौड़गढ़ में किया जा रहा है। इसका अनुमानित लागत 25.88 लाख बताई गयी है।

कोक्स कुटीर को कृषि भूमि प्रकरण

18. **श्री लक्ष्मीनारायण दवे** (सोजत): क्या नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगर सुधार न्यास, जोधपुर के निवर्तमान अध्यक्ष द्वारा जोधपुर ग्राम की कोक्स कुटरी के समीप खसरा सं. 513/1, 513/3 व 513/10 की कृषि भूमि के सम्बन्ध में जो राजीनामा जुलाई, 1982 में निष्पादित किया उसमें इन तीन खसरों के तीन मुकदमों का अलग-अलग उल्लेख किया गया जिनके अनुसार कुल 16 वादीगण हैं परन्तु राजीनामे पर राजीनामे पर मात्र दो व्यक्तियों सर्वश्री नरपतसिंह एवं कैलाशराज के ही हस्ताक्षर हैं? यदि हां, तो इस राजीनामे की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त राजीनामे हेतु उपरोक्त 16 वादीगण को तरफ से उपरोक्त दो व्यक्तियों को अधिकृत करने के लिए जो स्पेशल पावर ऑफ एटोर्नी मार्च, 1977 में निष्पादित को गई थी उसमें बकाया 14 वादीगण में से केवल दस के हस्ताक्षर हैं और शेष चार वादीगण रामचन्द्र, फेफी, धापी व चुन्नी के हस्ताक्षर नहीं है और उक्त बाबत मुकदमा दायर है एवं एक अन्य वादी श्री मोडजी की मृत्यु नवम्बर, 1981 में होने के कारण उपरोक्त जुलाई, 1982 में निष्पादित राजीनामा उनकी तरफ से स्वीकृत नहीं माना जा सकता?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त शेष हस्ताक्षर करने वाले नौ वादीगण में से एक वादी श्री प्रीतम सिंह ने उपरोक्त स्पेशल पावर आफ एटोर्नी में अपने हस्ताक्षर का होना फर्जी बताया और वह सिविल कोर्ट में अपने हिस्से की भूमि हेतु मुकदमा आज तक लड़ रहा है? यदि हां, तो उपरोक्त स्पेशल पावर ऑफ एटोर्नी की प्रतिलिपि सदन को मेज पर रखें।

(4) उपरोक्त राजीनामा अवैध होने की दृष्टि में सरकार इस प्रकरण में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) यह सही है कि न्याय के तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा इन खसरों की भूमि के सम्बन्ध में जुलाई, 1982 में राजीनामा निष्पादित किया गया। उक्त राजीनामे में तीन अलग-अलग मुकदमों का उल्लेख किया गया जिनमें वादीगणों की तरफ से श्री नरपत सिंह व श्री कैलाशराज के ही हस्ताक्षर राजीनामें पर हैं। राजीनामे की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) उक्त 16 वादीगणों में से स्पेशल पावर ऑफ एटोनी वर्ष 1977 में 11 व्यक्तियों द्वारा श्री कैलाशराज व श्री नरपतसिंह के पक्ष में निष्पादित की गयी

(नगरीय विकास मंत्री)

थी व इन 11 व्यक्तियों में से 10 व्यक्तियों द्वारा स्पेशल पावर ऑफ एटोर्नी पर हस्ताक्षर है। इस कारण इनके हस्ताक्षर उक्त एटोर्नी पर नहीं है। श्री मोडजी की मृत्यु कब हुई, न्यास रेकार्ड में जानकारी नहीं है। उक्त मोडजी की मृत्यु यदि राजीनामा निष्पादित होने के दिनांक से पूर्व हो गई है तो मृत व्यक्ति के हिस्से के सन्दर्भ ही राजीनामा प्रभाव शून्य है।

(3) पक्षकारान के मध्य कोई विवाद है तो उसका हस्ताक्षर असली अथवा फर्जी होने के तथ्य का निर्धारण न्यायालय के निर्णय के पश्चात् ही हो सकेगा।

(4) उक्त राजीनामे के सन्दर्भ में रिट याचिका उच्च न्यायालय में लम्बित है। इसके अतिरिक्त राजस्व न्यायालय व सिविल न्यायालय में भी मामला लम्बित है व स्थगन निरस्त होने व निर्णय होने पर अग्रिम कार्यवाही सम्भव होगी।

सेवा में,

माननीय श्री राजस्व मण्डल,

राजस्थान, अजमेर।

राजस्व निगरानी संख्या—57/76

प्रार्थी (प्रतिवादी) :—

नगर सुधार न्यास, जोधपुर

(बनाम)

रेस्पोन्डेन्टस (वादीगण) :—

1. श्री रामचन्द्र
2. श्री महावीरराज
3. श्री कैलाशराज
4. श्री शम्भूसिंह
5. श्री नरपत सिंह
6. श्री प्रकाशमल
7. श्री राजस्थान सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 1 व 2
सपठित धारा 151 सी. पी. सी.

मान्यवरजी,

उपरोक्त अनवान के मुकदमे में पक्षकारान निम्न शर्तों पर राजीनामा कर विवाद को आपसी समझौते द्वारा सुलझाकर मुकदमें को निपटाने हेतु सहमत हैं :—

(1) यह है कि इस समस्त प्रकरण के वाक्यात जैसा कि न्यास में अपने जवाब दावा में कहा है, इस प्रकार है कि भू.पू. जोधपुर रियासत द्वारा ग्राम जोधपुर स्थित खसरा नम्बर 513/1, 513/3 एवं 513/10 के वापी पट्टे क्रमशः सर्वश्री छेलजी घांची, गिरधारी घांची एवं चुन्नीलाल घांची के पक्ष में जारी किये गये थे। परन्तु सन् 1947 में जब मसुरिया स्कीम की स्वीकृति देने का मामला भूतपूर्व दरबार के समक्ष प्रस्तुत किया गया तब भू. पू. दरबार के जरिये काउन्सिल रिजालुशन संख्या 10 दिनांक 22-2-1947 को इन खसरों की भूमि अवाप्त करने का आदेश दिया। न्यास का यह भी कथन है कि तत्कालीन जोधपुर राज्य के हाकिन ने उक्त काउन्सिल रिजालुशन की अनुपालना में भूमि आवाप्ति की कार्यवाही कर मुआवजे की राशि को भुगतान पट्टे के धारकों को कर दिया गया। परन्तु जोधपुर रियासत का विलीनीकरण सयुक्त राजस्थान में होने के फलस्वरूप रेकार्ड में इन्द्राज पूरी तौर से नहीं किया जा सकता।

तत्पश्चात् न्यास के गठन के बाद जब न्यास के विवादग्रस्त क्षेत्र के विकास का कार्य अपने हाथ में लिया तब वादीगणों द्वारा यह वाद इस आधार पर प्रस्तुत किया गया कि विवादग्रस्त भूमि का मापी पट्टा उनके नाम से है, वे इस भूमि का लगान आज दिन तक जमा करवाते आये हैं तथा अभी तक भूमि पर वे काबिज है। अवाप्ति के प्रश्न पर वादीगण का यह कथन है कि मारवाड़ लैण्ड एक्वीजिशन एक्ट 1947 के प्रावधानों की पालना नहीं की गई, अतः यदि मुआवजे का भुगतान भी कर दिया है तो भी राज्य सरकार में कभी भी निहित नहीं हुई।

(2) यह है कि विवादग्रस्त भूमि एवं उसके पड़ौस में अन्य भूमि जो शहर जोधपुर में पाल-बालोतरा रोड पर, रावण के चबूतरे के पास स्थित है, के सम्बन्ध में कुल तीन वाद विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन हैं जिनका पूर्ण विवरण निम्न प्रकार है :—

क्र.सं.	वाद सं. न्यायालय	पक्षकारों के नाम	खसरा नं.	रकवा
1	2	3	4	5
1.	राजस्व सहायक जिलावाद सं. धीश, जोधपुर 73/72	1. श्री मोडजी 2. श्रीमती चुन्नी 3. ,, वापी 4. ,, पेफी 5. श्री नरपत सिंह 6. ,, हणवन्त सिंह 7. ,, मेघ सिंह 8. ,, शम्भू सिंह 9. ,, कैलाशराज 10. ,, महावीरराज टाटीया 11. ,, देवी सिंह 12. श्रीमती विमलकंवर बनाम 1. राजस्थान राज्य 2. नगर सुधार न्यास	513/1	29-06 बीघा
2.	राजस्व सहायक जिलावाद सं. धीश, जोधपुर 72/72	1. श्री रामचन्द्र 2. ,, महावीरराज 3. ,, कैलाशराज 4. ,, नरपत सिंह 5. ,, शम्भू सिंह 6. ,, प्रकाशपाल बनाम 1. राजस्थान राज्य 2. नगर सुधार न्यास।	513/3	32 बीघा (बत्तीस बीघा)

1	2	3	4	5
3.	दिवानी अपर सिविल वाद सं. जज, जोधपुर। 81/73	1. श्री कैलाशराज 2. ,, प्रकाशमल 3. ,, नरपत सिंह 4. ,, लक्ष्मण सिंह 5. ,, सरदार प्रीतम सिंह बनाम नगर सुधार न्यास।	513/10	30 बीघा

(3) यह कि उपरोक्त तीनों मुकदमे की कुल भूमि वादीगण के टाइटल डीड के अनुसार 91 बीघा 9 विस्वा है। इस पूरी भूमि में से मुख्या पाल बालोतरा रोड़ कौक्ष कुटीर से पाल बालोतरा रोड़ की लिंक रोड़ निकाली हुई है। इन सड़कों में आई हुई भूमि के अलावा शेष बची हुई भूमि 68 87 बीघा बचती है। इस 68-87 बीघा भूमि में से रावण के चबूतरे से पाल बालोतरा मुख्य सड़क पर जाते समय दाहिनी ओर की भूमि जो उपरोक्त तीनों मुकदमे में विवादग्रस्त है, करीब 20-25 बीघा भूमि पर विभिन्न व्यक्तियों के अतिक्रमण अभी मौजूद है। इस अतिक्रमण वाली भमि को घटाने पर शेष उपलब्ध 48-52 बीघा बचती है। इस 48-52 बीघा भूमि जो मुख्य पाल बालोतरा रोड़ के बाई ओर स्थित है, में से 13-77 बीघा भूमि रावण के चबूतरे के भावी विकास हेतु सुरक्षित रखी जाने के बाद शेष 34-75 बीघा भूमि बढ़ती है जिसे रहवासीय, व्यवसायिक, स्कूल, सिनेमा इत्यादि के काम में ली जा सकती है।

(4) यह कि उपरोक्त 34-75 बीघा भूमि में से 20,000 (बीस हजार) वर्ग गज (3" बाई 3") भूमि न्यास उपरोक्त तीनों मुकदमें में वादीगणों के हक में छोड़कर शेष भूमि न्यास अपने पास रखेगी इस 20,000 वर्ग गज भूमि को संलग्न नक्शे में एवं सूची में विभिन्न व्यवसायिक/रहवासीय भूखण्ड काटकर लाल रंग से दर्शाये गये हैं। यह सलग्न नक्शा व सूची इन राजीनामा का अंग समझा जायेगा।

(5) यह है कि उपरोक्त 20,000 वर्ग गज भूमि वादीगणों के हक में बतौर पूरी तीनों मुकदमों में बताई हुई विवादग्रस्त भूमि के प्रतिकार न्यास छोड़ने हेतु सहमत है। इसी प्रकार से सभी वादीगण उक्त प्रतिकार की 20,000 वर्ग गज भूमि के एवज में शेष बची पूरी भूमि को न्यास को समर्पित करते हैं। इसके बाद शेष भूमि पर वादीगणों का किसी प्रकार प्रकार का राइट, टाइटल या इन्ट्रेस्ट (Right, Title & Interest) नहीं होगा। इसके सम्बन्ध तमाम हक हकूक न्यास या उसके उत्तराधिकारी होगा।

(6) यह है कि पूर्व में वाद संख्या 72/72 एवं 73/72 की कार्यवाही के दौरान इन मुकदमें में बताई गई विवादग्रस्त भूमि आगे से आगे बेचान की जाकर उनके खरीददारों को भी वाद में पक्षकार बना दिया गया था। यद्यपि ये खरीददार स्वयं मुकदमें में पक्षकार है तथा बेचानकर्ता की रजामन्दी से दावों में पक्षकार बनकर अभी तक पैरवी कर रहे हैं, तथापि यदि इन खरीददारों तथा बेचान कर्ता के बीच यदि किसी प्रकार का विवाद कभी उत्पन्न होता है तो उसके न्यास के अधिकारों पर किसी प्रकार का असर नहीं पड़ेगा। इनके आपस के लेन देन के विवाद से न्यास के इस भूमि पर मिल्कियत सम्बन्धी किसी अधिकार पर किंचित मात्र भी असर नहीं पड़ेगा।

(7) यह है कि वादीगणों के सर्व श्री कैलाशराज एवं नरपत सिंह के पक्ष में मुख्त्यारनामा खास (स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी) दिनांक 25.3.77 की तहरीर व तकमील कर दी थी। इस मुख्तयारनामें के आधार पर सर्व श्री नरपतसिंह व कैलाशराज ने न्यास कार्यालय में 23.4.77 को प्रार्थना पत्र देकर राजीनामे की पेशकश की। तत्पश्चात् मामलों की न्यास में विभिन्न स्तर पर जांच की गई। इसी सन्दर्भ में न्यास द्वारा गठित विधि अवाप्ति एवं समझौता समिति के समक्ष मामला रखा गया। इस समिति ने दिनांक 14.4.82 को उपरोक्त अनुसार राजीनामा करने हेतु निर्णय लेकर मामले को दिनांक 28.4.82 को न्यास बैठक में रखा गया तथा न्यास ने भी राजीनामा करने के पक्ष में अपना निर्णय लिया।

इस प्रकार न्यास के निर्णय अनुसार उसके अध्यक्ष के हस्ताक्षर से तथा वादीगणों की ओर से उनके मुख्त्यार खास मर्व श्री कैलाशराज टाटिया एवं नरपत सिंह ने इस राजीनामे पर हस्ताक्षर किये हैं। यदि हस्ताक्षरकर्ता के इस राजीनामे को निष्पादित करने सम्बन्धी अधिकारों की किसी प्रकार से चुनौती दी जाती है तो इसकी जिम्मेदारी सम्बन्धित हस्ताक्षरकर्ता की होगी।

(8) यह है कि इस राजीनामा से जहां तक वादीगण का सम्बन्ध है, उनके समस्त उत्तराधिकारी, खरीददार, वारीसान, एजेण्ट, नौकर तथा ऐसे सभी लोग जो उनके हित में किसी प्रकार का हिस्सा रखते हो, और जहां तक प्रतिवादी न्यास का सम्बन्ध है, उसके उत्तराधिकारी संस्थान पाबन्द रहेंगे।

(9) यह है कि इस राजीनामे के जरिये प्रतिवादी न्यास अपनी अपीलें जो राजस्व मण्डल में विचाराधीन है, विथड्रा करते हैं। अब वादीगण का कोई क्लेम न्यास में शेष नहीं रहता है। इसी प्रकार न्यास का कोई क्लेम वादीगण में नहीं है।

(10) यह है कि पक्षकारगण सभी स्तर के मुकदमें का खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

(11) यह है कि उपरोक्त राजीनामा उक्त पद संख्या 28 में दर्ज तीनों मुकदमें के सम्बन्ध में लागू होगा।

अतः राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त उनवान का मुकदमा राजीनामे के अनुसार निर्णीत फरमाया जावे।

वास्ते नगर सुधार न्यास,

सही/—

मानसिंह देवड़ा

अध्यक्ष

नगर सुधार न्यास, जोधपुर।

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग सं. 1

जोधपुर

वास्ते वादीगण :—

(1) सही/— (कैलाशराज टाटिया)

(2) सही/— (नरपतसिंह)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग सं. 1

जोधपुर।

छत्रपुरा तालाब, कोटा

19. श्री रामनारायण शर्मा (नैनवां) : क्या नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि विज्ञान नगर, कोटा स्थित छत्रपुरा तालाब की भूमि राज्य सरकार की मिल्कियत है ?

(2) क्या वहां स्थित आवासन मण्डल की कॉलोनी के निवासियों के लिए उक्त तालाब की भूमि में रॉक गार्डन की योजना के तहत कुछ धन राशि भी गत वर्षों में खर्च की गई है ? यदि हां, तो उक्त योजना में खर्च की गई राशि, भावी योजना का प्रारूप तथा योजना के पूर्ण होने में हुई देरी के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी नहीं । कोटा स्थित विज्ञान नगर योजना में छत्रपुरा तालाब के नाम से कोई भूमि नहीं है ।

(2) जी नहीं ।

अतारांकित प्रश्न संख्या – 20

(स्थगित)

गिरधर सिनेमागृह (जोधपुर) की भूमि का बेचान

21. श्री गंगाराम चौधरी (बाड़मेर) : क्या नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर नगर के घण्टाघर ओवरब्रिज रोड़ नई सड़क पर निर्मित गिरधर मन्दिर सिनेमा घर की भूमि वर्ष 1978 में नगर सुधार न्यास जोधपुर ने नीलामी द्वारा लीज पर विक्रय की थी ? यदि हां, तो क्रेता का नाम, नीलामी का दिनांक व प्रतिवर्ष लीज की राशि दर्शाते हुए विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान नगर सुधार न्यास अधिनियम के अन्तर्गत बने नियमों एवं नीलामी की शर्तों की अवहेलना करते हुए नगर सुधार न्यास जोधपुर के सम्बन्धित अधिकारियों ने उक्त क्रेता को अनियमित तरीके से कई वर्षों की बकाया लाखों रुपये लीज की राशि एवं ब्याज की छूट दे दी ? यदि हां, तो कितनी ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार उपरोक्त बकाया लीज की राशि ब्याज सहित वसूल करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) दोषी अधिकारियों के खिलाफ कब तक क्या कार्यवाही करने का विचार है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) यह सही है कि जोधपुर नगर के घण्टाघर ओवरब्रिज रोड़ नई सड़क पर निर्मित गिरधर मन्दिर सिनेमाघर की भूमि दिनांक 6-11-78 को नगर सुधार न्यास जोधपुर ने नीलामी द्वारा लीज पर विक्रय

(नगरीय विकास मंत्री)

की थी। क्रेता का नाम मैसर्स लखपत फिल्म एक्सचेन्ज, जोधपुर है। प्रतिवर्ष लीज रुपये 83,027·05 है। सूची परिशिष्ट "क" पर सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) यह सही है कि राजस्थान नगर सुधार अधिनियम के अन्तर्गत बने नियमों एवं नीलामी की शर्तों की अवहेलना करते हुए नगर सुधार न्यास, जोधपुर के सम्बन्धित अधिकारियों ने उक्त क्रेता को अनियमित तरीकों से आठ वर्षों की बकाया राशि लीज व ब्याज की छूट दी है। प्रश्न के खण्ड "एक" के उत्तर में सदन के पटल पर (परिशिष्ट "क") पर रख दी गई है। देय ब्याज की गणना मैसर्स लखप फिल्म एक्सचेन्ज के द्वारा राशि जमा कराने पर ही की जावेगी।

(3) उपरोक्त लीज की राशि ब्याज सहित वसूल करने के लिए वर्ष 1982 से राज्य सरकार ने नगर सुधार न्याय जोधपुर को आदेश दे दिये हैं।

(4) राज्य सरकार के आदेश संख्या प. 3 (292) नविग्रा/3/89 दिनांक 6-2-90 के अनुसार दायित्व निर्धारण करने हेतु जाँच विचाराधीन है। जांच पूरी होने के उपरान्त दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जावेगी।

(205)

सूची

भूमि की कुल कीमत	:	16,60,541.00
भूमि का किराया प्रतिवर्ष	:	1,66,054.00
भूमि पर शहरी जमाबन्दी	:	83,027.05

वर्ष	भूमि का किराया	लीज की राशि	कुल
1978—79	1,66,054.10	41,513.50	2,07,567.60
1979—80	1,66,054.10	41,513.50	2,07,567.60
1980—81	1,66,054.10	41,513.50	2,07,567.60
1981—82	1,66,054.10	83,027.00	2,49,081.10
1982—83	1,66,054.10	83,027.00	2,49,081.10
1983—84	1,66,054.10	83,027.00	2,49,081.10
1984—85	1,66,054.10	83,027.00	2,49,081.10
1985—86	1,66,054.00	83,027.00	2,49,081.10
	13,28,432.80	5,39,675.50	18,68,108.30

मानजी का हत्था जोधपुर में सिनेमा निर्माण की भूमि

22. **श्री हीरासिंह चौहान** (रायपुर) : क्या नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 22-11-82 को नगर सुधार न्यास, जोधपुर के मानजी के हत्थे की व्यवसायिक स्कीम का सिनेमा निर्माण के लिए एक भूखण्ड 43 लाख रु. में नीलाम किया गया जिसका राज. इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट (डिस्पोजल ऑफ अरबन लैंड) रूल्स, 1974 के अनुसार वार्षिक किराया लगभग रु. 4,30,000/- एवं अरबन असेसमेंट के रु. 30,000/- अर्थात् कुल रु. 4,60,000/- क्रेता को नीलाम के दिनांक 22-11-82 से प्रति वर्ष देय होता है ?

(2) क्या यह सही है कि तत्कालीन अध्यक्ष एवं सचिव, नगर सुधार न्यास, जोधपुर ने उपरोक्त क्रेता को लाभ पहुंचाने हेतु उपरोक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में जो "लीज डीड" उनके साथ निष्पादन किया उसमें कब्जे के दिनांक को खाली छोड़ दिया जबकि नियमानुसार वह नीलाम का दिनांक 22-11-82 होता है ।

(3) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त क्रेता ने न्यास के अधिकारियों की मिलीभगत से कागजों पर उक्त सिनेमा भूखण्ड का भौतिक कब्जा नीलाम के 14 महिने पश्चात् दिनांक 20-1-84 को लेना दर्शाया जिससे न्यास को अनुमानित रु.5,40,000/ की हानि हो रही है ?

(4) यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त हानि पहुंचाने वाले सम्बन्धि अधिकारियों से राज्य सरकार राज. नगर सुधार अधिनियम की धारा 93(ए) के अन्तर्गत हानि की राशि वसूल करने एवं उनके विरुद्ध सेवा नियमों के अनुसार कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) यह सही है कि दिनांक 22-11-82 को नगर सुधार न्यास, जोधपुर के मानजी का हत्था योजना में व्यवसायिक स्कीम का सिनेमा निर्माण के लिए एक भूखण्ड 43, 47, 413·10 पैसे में नीलाम किया गया राजस्थान अरबन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट (डिस्पोजल ऑफ अरबन लैंड) रूल्स 1974 के अनुसार वार्षिक किराया लगभग 4,34,741·31 पैसे एवं अरबन असेसमेंट प्रथम तीन वर्ष के लिए 68,404/- रुपये अर्थात् 5,03,145·31 रु. क्रेता को नीलाम के दिनांक 22-11-82 से प्रतिवर्ष देय होता है ।

(2) जी हां ।

(3) जी हां ।

(4) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी ।

नगर विकास न्यास, अलवर में कूलर्स का उपयोग

23. **श्री जीतमल जैन** (अलवर) : क्या नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री जीतमल जैन)

(1) नगर विकास न्यास, अलवर में कितने कूलर हैं एवं उनका उपयोग कहां-कहां हो रहा है? विवरण अधिकारियों के नाम सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) यदि कूलर्स का दुरुपयोग हो रहा है, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी ?

उत्तर

(1) नगर विकास न्यास, अलवर में 43 कूलर हैं इसमें से 20 कूलर न्यास भवन में तथा 20 कूलर विभिन्न अधिकारियों को न्यास द्वारा किराये पर आवंटित आवास गृहों में तथा 3 कूलर न्यास स्टोर में है। विवरण परिशिष्ट "क" पर सदन पटल पर रख दिया गया है।

(2) प्रश्न भाग (1) में संलग्न सूची में वर्णित जिन विभिन्न अधिकारियों को किराये पर आवंटित आवास गृहों में कूलर स्थापित है उनका कोई भी दुरुपयोग किये जाने की कोई शिकायत नहीं है, फिर भी इनके जांच के आदेश दिये जा रहे हैं।

कार्यालय नगर विकास न्यास, अलवर

न्यास द्वारा क्रय किये गये कूलरों का विवरण

क.सं.	नाम अधिकारी	संख्या	संक्षिप्त विवरण
1	2	3	4
1.	अध्यक्ष महोदय श्री रतनसिंह सिन्धीस आवा	5	स्टाक रजिस्टर के अनुसार 43 कूलर क्रय किये गये ।
2.	सचिव महोदय श्री ललित मेहरा	3	
3.	अधिशाषी अभियन्ता प्रथम न्यास क्वार्टर 100 मधुबन श्री ए. के. जैन	2	
4.	अधिशाषी अभियन्ता II जय मार्ग क्वार्टर श्री एच. आर. कपूर	3	
5.	अधिशाषी अभियन्ता III 113 मधुबन न्यास क्वार्टर	1	
6.	पूर्व लेखाधिकारी न्यास बंगला मधुबन 109 श्री डी. एस. चौधरी	2	
7.	उप सचिव न्यास क्वार्टर-105 बसन्त विहार श्री एन. के. शर्मा	1	
8.	सहायक अभियन्ता, न्यास क्वार्टर 106 प्रथम मंजिल श्री एस. के. टामोटिया	1	
9.	उप नगर नियोजक न्यास क्वार्टर नं. 6 बसन्त विहार श्री पी. के. पाण्डेय	1	
10.	अतिक्रमण निरोधक अधिकारी, न्यास क्वार्टर नं. 109ए मधुबन श्री मोतीलाल	1	
11.	कार्यालय भवन, अलवर	19	
12.	कार्यालय भवन, भिवाड़ी	1	
13.	न्यास स्टोर, अलवर	3	
		43	

ह./–
प्र. अधिकारी (स्टोर)

जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय जयपुर में बकाया मामले

24. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : क्या शिक्षा (प्रा. मा.) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला शिक्षा अधिकारी छात्र/छात्रा जयपुर के अधीन वर्तमान में सेवा निवृत्त अध्यापक/अध्यापिकाओं के भुगतान के यथा सामान्य प्रावधायी निधि के एवं वेतन ऐरियर के कितने मामले विचाराधीन हैं एवं क्यों ?

(2) सेवा निवृत्त ऐसे अध्यापक/अध्यापिकाओं के बकाया का भुगतान अब कब तक करवा दिया जावेगा ?

(3) क्या राज्य सरकार को जानकारी में है कि श्रीमती गोरादेवी सेवा निवृत्त सहायक अध्यापिका, सरस्वती कुण्ड खण्ड II सैकण्डरी स्कूल जयपुर की सेवा निवृत्ति हुये काफी वर्ष होने के बावजूद भी इनको बकाया का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है जिससे उक्त अध्यापिका मानसिक एवं आर्थिक रूप से पीड़ित हैं ? क्या सरकार मानवीय दृष्टि से उक्त सेवा निवृत्त अध्यापिका की समस्त बकाया का भुगतान कराने का इरादा रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र/छात्रा) जयपुर के अधीन वर्तमान में सेवा निवृत्त अध्यापक/अध्यापिकाओं के भुगतान के सामान्य प्रावधायी निधि के एवं एरियर के ग्यारह मामले शेष हैं। राज्य बीमा विभाग से भुगतान की स्वीकृति प्राप्त न होने तथा स्थिरीकरण न होने के कारण ऐरियर का भुगतान नहीं हुआ है।

(2) सेवा निवृत्त अध्यापक/अध्यापिकाओं के बकाया भुगतान शीघ्र करवायें जाने की कार्यवाही की जा रही है।

(3) श्रीमती गोरादेवी, सेवा निवृत्त, अध्यापिका सैकेण्डरी स्कूल, सरस्वती कुण्ड का किसी भी तरह का भुगतान बकाया नहीं है।

नगर सुधार न्यास, जोधपुर में कर्मचारियों की छंटनी

25. श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : क्या नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर नगर सुधार न्यास ने 25-9-85 को कितने कर्मचारियों को किस कारण से सेवा पृथक् किया ?

(2) उक्त छंटनी के विरुद्ध 82 कर्मचारियों द्वारा दायर वाद संख्या 28/86 के तहत औद्योगिक विवाद अधिकरण ने क्या आदेश पारित किया ?

(3) इस आदेश के क्रियान्वयन के लिये न्यास ने क्या कार्यवाही की ?

(4) क्या राजस्थान उच्च न्यायालय ने इस प्रकरण के सन्दर्भ में सेवा से पृथक्

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

किये गये कर्मचारियों को आर्थिक भुगतान करने हेतु कोई आदेश दिया है ? यदि हां, तो इस आदेश के विरुद्ध क्या न्यास ने उच्चतम न्यायालय में अपील की या क्या वह अपील खारिज कर दी गई ?

(5) इस विवाद के सन्दर्भ में न्यास को कानूनी प्रक्रिया में कितना आर्थिक भार वहन करना पड़ा ?

(6) कर्मचारियों को सेवा से पृथक् किये जाने के कारण व उच्च न्यायालय की आदेश की पालना में न्यास को प्रतिमाह कितना आर्थिक भार वहन करना पड़ रहा रहा है ?

(7) 25-9-85 के पश्चात् अब तक न्यास ने कितने नये व्यक्तियों को नियुक्त किया ? पूर्व में निकाले गये कर्मचारियों को ही पुनः सेवा में क्यों नहीं लिया गया, जबकि इन्हें सेवा में लेने से न्यास प्रति माह के आर्थिक भार से बच सकता है ?

उत्तर

(1) न्यास द्वारा 25-9-85 को 82 दैनिक वेतन भोगी वर्क चार्ज कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त की गई। उक्त सेवा समाप्ति न्यास की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं होने, विकास कार्यों में कमी हो जाने व राज्य सरकार द्वारा न्यास वर्कचार्ज श्रमिकों के स्वीकृत पद नहीं होने के कारण औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25(1) तहत की गई है।

(2) उक्त सेवा समाप्ति के विरुद्ध प्रस्तुत श्रम विवाद संख्या 28/86 में औद्योगिक विवाद अभिकरण द्वारा दि. 30-4-88 को पारित एवार्ड में श्रमिकों को सेवामुक्त किये जाने की तारीख यदि दि. 25-9-85 से सेवा में पुनर्स्थापित किये जाने की तारीख तक पूर्व पद एवं वेतन का 50 प्रतिशत पूर्व भूमि के रूप में प्रदान करने के निर्देश प्रदान किये गये।

(3) न्यास ने एवार्ड दिनांक 30-4-88 के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत कर स्थगन आदेश प्राप्त किया।

(4) सेवा मुक्त श्रमिकों से 69 श्रमिकों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में धारा 17-बी औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त श्रमिकों को उनके द्वारा प्राप्त किये जाने वाले अन्तिम वेतन का भुगतान अवार्ड के दि. से किये जाने हेतु दि. 19-7-88, 18-8-88 व 13-4-89 को आदेश प्रदान किये गये, जिसकी पालना में उक्त 69 श्रमिकों को वेतन भुगतान किया जा रहा है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा धारा 17-बी औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत पारित आदेश के विरुद्ध की गई न्यास द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर की गई। उक्त विशेष अनुमति याचिका का निर्णय दिनांक 25-11-88 को किया गया जिसमें इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करने का उल्लेख करते हुए याचिका खारिज की गई।

(नगरीय विकास न्यास)

(5) इस विवरण में न्यास को कानूनी प्रक्रिया में लगभग 25,000/- रुपये का आर्थिक भार वहन करना पड़ा।

(6) माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में इन श्रमिकों को वेतन भुगतान हेतु न्यास को प्रतिमाह लगभग 26,000/- रुपये का आर्थिक भार वहन करना पड़ रहा है।

(7) दिनांक 25-9-85 के पश्चात् अब तक न्यास ने एक व्यक्ति की नियुक्ति की है, जो राज्य सरकार के पत्रांक प. 1(59) नविभ्रा/प 9/ दिनांक 22-12-89 की स्वीकृति अनुसार है।

रतननगर (चूरू) में सड़क एवं नालियों का निर्माण

26. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि चूरू तहसील की रतननगर, नगरपालिका क्षेत्र में वर्षों से वार्डों के भीतर कहीं भी सड़क व नालियों का निर्माण नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार विशेष अनुदान देकर सड़कों व नालियों के निर्माण का इरादा है ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त नगरपालिका क्षेत्र को ग्राम पंचायत में बदलने की सिफारिश मुखर्जी समिति ने की थी ? यदि हां, तो क्या सरकार नगरपालिका को ग्राम पंचायत में बदलने का कार्य करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त नगरपालिका को सरकार द्वारा प्रति व्यक्ति अनुदान की राशि 1981 की जनसंख्या के अनुसार दी जा रही है लेकिन तब से जनसंख्या काफी बढ़ गई है और आय के पर्याप्त साधन नहीं होने के कारण अर्थाभाव से कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है ? यदि हां, तो ऐसी स्थिति में आर्थिक ढांचा सुधारने हेतु क्या सरकार वहां प्रति व्यक्ति अनुदान की राशि बढ़ाने व कर्मचारियों को बकाया वेतन की अदायगी व भविष्य में नियमित वेतन अदा करने की व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

(1) नगरपालिका रतननगर क्षेत्र में वर्ष 1980 के पश्चात् किसी भी वार्ड में कहीं भी नाली व सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। इससे पूर्व वार्ड नं. 3, 6, 7 में नालियों का निर्माण कराया गया था। सड़कों व नालियों के निर्माण हेतु नगरपालिका का प्रस्ताव प्राप्त होने पर धन की उपलब्धता के आधार पर विशेष अनुदान के सम्बन्ध में विचार किया जावेगा।

(2) जी हां। यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है तथा 1991 की जनगणना के आंकड़े आने के पश्चात् इस पर निर्णय लिया जावेगा।

(3) यह सही है कि नगरपालिका रतननगर को सन् 1981 की जनगणना के

(स्वायत्त शासन मंत्री)

अनुसार अनुदान दिया जा रहा है। नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति के सम्बन्ध में राज्य सरकार चिंतित है। वर्ष 1989-90 में नगरपालिका रतननगर को कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु 4 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिया गया था।

सांचौर तहसील के ग्रामों में पेयजल

27. **श्री लक्ष्मी चन्द मेहता** (सांचौर) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जालौर जिला की सांचौर तहसील में ग्राम आकोली परावा से चितलपाना रतनपुरा को पेयजल प्रदाय करने की कोई योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है ?

(2) यदि हां, तो कब तक योजना की स्वीकृति जारी कर दी जायेगी और योजना का कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां, क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना परावा-रतानपुरा, जिसकी अनुमानित लागत 29.45 लाख रुपये है, स्वीकृत की जा चुकी है।

(2) योजना पर कार्य धन उपलब्धि के अनुसार करना सम्भव होगा।

राजस्व निरीक्षक, जोधपुर के विरुद्ध शिकायती प्रकरण

28. **श्री राजेन्द्र पारीक** (सीकर) एवं **श्री गोविन्द सिह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या नगर परिषद्, जोधपुर के राजस्व निरीक्षक के विरुद्ध पारस आटो मोबाईल्स जोधपुर के पेट्रोलियम पदार्थ की बिक्री की चुंगी राशि जो लगभग दो करोड़ रु. की थी, को चुंगी की आय से वंचित होने का कोई प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन है ?

(2) क्या राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालय में इस प्रकरण के संबंध में तैनात प्रभारी के दुराचरण के कारण परिषद् के खिलाफ हुए फैसले के कारणों की समीक्षा करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) नगर परिषद, जोधपुर विरुद्ध पारस आटो मोबाईल्स, जोधपुर के वाद सं. 1952/81 में सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में दिनांक 7.11-89 को चुंगी सम्बन्धी निर्णय हुआ, जिसमें परिषद को लगभग दो करोड़ रुपये की हानि हुई है। इससे सम्बन्धित अधिकारी एवं कर्मचारी के उत्तरदायित्व निर्धारण की कार्यवाही प्रगति पर है।

(2) इस फैसले के सन्दर्भ में राज्य सरकार आवश्यक उचित वैधानिक कार्यवाही कर रही है, जिससे परिषद को आर्थिक हानि न हो। साथ ही इस विषय में सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभिक जांच के पश्चात् की जायेगी।

लालसोट में सड़क निर्माण

29. श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या, नगरपालिका लालसोट के सभी वार्डों में सड़कों का भारी अभाव है ? क्योंकि लम्बे समय से वार्डों में सड़कों का निर्माण नहीं हो पाया है ।

(2) उक्त नगरपालिका के विगत पांच वर्ष का आय व्यय का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि नगरपालिका की आय का अधिकांश व्यय प्रशासन पर किया जाता है ? यदि हां, तो कुल आय का कितना प्रतिशत व्यय ?

(4) क्या सरकार सड़कों के निर्माण के लिये विशेष अनुदान राशि देने का विचार रखती है ? यदि नही, तो क्यों ?

उत्तर

(1) नगरपालिका लालसोट के वार्ड नम्बर 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 14, 15 व 16 में सड़कें हैं, परन्तु कई रास्ते एवं गलियों में सड़कों का निर्माण नहीं हुआ है । वार्ड नम्बर 5, 6, 7, 8, 9 काफी फैले हुए हैं, जहां सड़कें अभी तक नहीं बनी हैं ।

(2) नगरपालिका, लालसोट के विगत पांच वर्षों की आय-व्यय का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(3) नगरपालिका की आय का करीब पचास से छप्पन प्रतिशत तक व्यय प्रशासन पर किया जाता है । प्रतिशत का वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है :—

वर्ष	प्रतिशत
1985-86	55.10%
1986-87	49.89%
1987-88	54.47%
1988-89	55.90%
1989-90	56.36%

(4) नगरपालिका को वर्ष 1987-88 एवं 1988-89 में क्रमशः 40,000/- व 25,000/- रुपये विशेष अनुदान दिया गया था । जिसमें से 40,000/- रुपये का उपयोग हो चुका है । 25,000/- रुपये का उपयोग होना शेष है । नगरपालिका से प्राप्त विशेष अनुदान के प्रस्ताव पर कार्यवाही विचाराधीन है ।

नगरपालिका लालसोट की गत 5 वर्षों की आय व्यय का विवरण

वर्ष	आय		व्यय
1	2		3
1985–86	आवर्तक	8,17,179.26	7,76,195.72
	अनावर्तक	2,78,473.72	3,34,601.36
	योग	10,95,652.98	11,10,797.08
1986–87	आवर्तक	9,63,193.37	10,23,694,58
	अनावर्तक	4,49,356.78	5,99,864.63
	योग :	14,12,550.15	16,23,559.21
1987–88	आवर्तक	10,85,287.90	11,38,486.91
	अनावर्तक	5,06,084.51	4,85,335.29
	योग :	15,91,372.41	16,23,822.20

1	2		3
1988–89	आवर्तक	15,28,188.20	12,76,417.13
	अनावर्तक	1,81,920.05	3,13,931,22
	योग :	17,10,108.25	15,90,348.38
1989–90	आवर्तक	17,89,844.79	13,38,273.88
	अनावर्तक	1,70,372.84	7,15,134.66
	योग :	19,60,217.63	20,53,408.54

215

जिला टौंक की पेयजल आपूर्ति योजनायें

30. श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) टौंक जिले में किस-किस शहर एवं किन-किन ग्रामों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की योजना है ? योजना की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1985-86 से वर्ष 1989-90 तक किन-किन स्थानों को कितना-कितना पानी किस-किस योजना से उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था एवं किस-किस योजना में कितनी-कितनी राशि खर्च करने का अनुमान था ? लक्ष्यों की पूर्ति कहां तक हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) टौंक जिले के एक शहर तथा 100 ग्रामों में पेयजल उपलब्ध कराने की स्वीकृत योजनाओं की सूची संलग्न प्रपत्र-"क" में दर्शा दी गई है।

(2) वांछित विवरण संलग्न प्रपत्र-"ख" में दर्शाया गया है।

(सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

पंचायत समिति, फागी एवं चाकसू में हैण्डपम्प व्यवस्था

31. श्री प्रकाश चन्द बैरवा (फागी) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति फागी एवं चाकसू में गत 5 वर्षों में कितने हैण्डपम्प खोले गये ? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त खोदे गये हैण्ड पम्पों में कितने हैण्ड पम्प सूख गये व कितने अन्य कारणों से खराब हो गये हैं ?

(3) क्या सूखे एवं खराब हुए हैण्ड पम्पों के स्थान पर नये हैण्ड पम्प लगाने अथवा पेयजल की अन्य वैकल्पिक व्यवस्था की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या उक्त दोनों पंचायतों के प्रत्येक गांव में पेयजल सुलभ करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो कब तक व्यवस्था कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति फागी एवं चाकसू में गत 5 वर्षों में क्रमशः 319 एवं 296 हैण्ड पम्प खोदे गये। सूची संलग्न है।

(2) उपर्युक्त खोदे गये हैण्ड पम्पों में से पंचायत समिति फागी में दो हैण्डपम्प व चाकसू में 5 हैण्डपम्प सूख गये हैं। इनके अतिरिक्त क्रमशः 16 एवं 18 हैण्डपम्प

(जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

अन्य कारणों से खराब होकर परित्यक्त कर दिये गये।

(3) उपर्युक्त सूखे हुए हैण्डपम्पों को गहरा कर दिया गया है एवं परित्यक्त हैण्डपम्पों के स्थान पर फागी में 3 एवं चाकसू में 18 वैकल्पिक हैण्डपम्प लगाने का कार्य प्रगति पर है।

(4) जी नहीं। वर्ष 1990-91 में सभी गांवों में पेयजल सुलभ कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

नगरपालिका बालोतरा द्वारा सड़क निर्माण

32. **श्री चम्पालाल बांठिया** (पचपदरा): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नगरपालिका बालोतरा द्वारा गत तीन वर्षों में कितनी सड़कों, नालियों का निर्माण कराया गया तथा इन पर कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि नगरपालिका द्वारा निर्मित सड़कें व नालियां अभी भी अधूरी पड़ी हैं? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या राज्य सरकार उक्त नगरपालिका को अतिरिक्त राशि आवंटित कर सड़क एवं नालियां बनाने का इरादा रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) नगरपालिका बालोतरा द्वारा गत तीन वर्षों में 50 सड़कें एवं 41 नालियों का निर्माण करवाया गया है। इस पर कुल राशि रुपये 24,92,395 व्यय की गई। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) नगरपालिका द्वारा निर्माण कराई जा रही सड़कों में से दो का कार्य अधूरा पड़ा था, वह अब प्रगति पर है। नालियां कोई अधूरी नहीं है।

(3) नगरपालिका ने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है। नगरपालिका की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ है। इसलिए अभी अतिरिक्त राशि आवंटित किये जाने का प्रश्न ही नहीं है।

(सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

बाड़मेर-जैसलमेर में कताई-बुनाई उद्योग की स्थापना

33. **श्री अमीन खां** (शिव): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर-जैसलमेर के सीमावर्ती जिलों के ग्रामों की गरीब परिवारों की महिलाएँ कताई बुनाई

(श्री अमीन खां)

व कशीदाकारी का कार्य बहुत अच्छा करती है ? यदि हां, तो इनको शोषण से बचाने व प्रोत्साहित करने हेतु क्या सरकार कोई योजना तैयार करने का विचार रखती है ?

(2) क्या सरकार बाड़मेर-जैसलमेर जिलों में ऊन कताई व बुनाइ के लिये कोई उद्योग स्थापित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नही, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। वर्तमान में राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अन्तर्गत इन जिलों की महिलाओं को खादी ग्रामोद्योग, राजस्थान बुनकर संघ, हाथकरघा निगम एवं राजस्थान वित्त निगम के माध्यम से सहायता दी जा रही है।

(2) जी, नहीं। कताई बुनाई के लिए विशेष बड़े उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता नही है। कताई बुनाई उद्योग कुटीर एवं गृह उद्योग में आता है एवं राज्य सरकार भविष्य में विभिन्न निगमों/बोर्डो के माध्यम से ही सुविधाएं/सहायताएं प्रदान करेगी।

जयपुर उद्योग सवाई माधोपुर

34. **श्री चुन्नीलाल** (खण्डार) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर उद्योग, साहूनगर, सवाई-माधोपुर बन्द पड़ा है ? यदि हां, तो इसे कब पुनः प्रारम्भ कर दिया जावेगा ?

(2) क्या उक्त उद्योग के राष्ट्रीयकरण के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसके संबंध में अब तक क्या प्रगति है ?

(3) क्या उक्त उद्योग के बन्द होने के दौरान सामान चोरी के संबंध में कोई प्राथमिक कार्यवाही पंजीकृत कराई गई है ? यदि हां, तो अब तक कितनी प्राथमिकी इस संबंध में पंजीकृत हुई तथा कितने मूल्य का/सामान अब तक चोरी होना पाया गया है ?

(4) उक्त चोरी गये सामान में से अब तक कितने मूल्य का सामान बरामद किया गया तथा कितने व्यक्तियों को दण्डित कराने के लिये किन न्यायालयों में आरोप पत्र प्रस्तुत किये गये तथा उसमें कितने व्यक्ति अब तक दंडित हुये ?

(5) उक्त सामान चोरी के लिये जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो कितने अधिकारी एवं कर्मचारियों के विरुद्ध अब तक कार्यवाही लम्बित है तथा कितने प्रकरणों में दोषी अधिकारी एवं कर्मचारियों को दण्डित किया गया।

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर उद्योग लि., सवाई माधोपुर का पुर्नचालन/पुर्नसंस्थापन बोर्ड फोर इण्डस्ट्रियल एण्ड फाईनेशियल

(उद्योग मंत्री)

रिकन्सट्रक्शन, नई दिल्ली द्वारा इण्डिस्ट्रियल रिकन्सट्रक्शन बैंक ऑफ इण्डिया की परिशोधित रिपोर्ट पर दिये जाने वाले आदेश पर निर्भर करेगा।

(2) जयपुर उद्योग लि., के भविष्य के सम्बन्ध में ठोस सुझाव देने हेतु एक सीनियर कन्सलटेंट की नियुक्ति की जा चुकी है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर राज्य सरकार द्वारा विचार कर निर्णय लिया जावेगा।

(3) यह प्रश्न उद्योग विभाग से सम्बन्धित नहीं हैं।

(4) यह प्रश्न उद्योग विभाग से सम्बन्धित नहीं है।

(5) यह प्रश्न उद्योग विभाग से सम्बन्धित नहीं है। तथापि यह कम्पनी का आंतरिक मामला है।

जोधपुर के मालखानों के अनियमितताओं के विचाराधीन मामले

35. श्री **रामकरण सिंह** (कोटपुतली) एवं **श्री मदन लाल सैनी** (गुढ़ा) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गबन/घपलों/रेकार्ड में हेराफेरी/अनियमितताओं आदि की विश्वसनीय सूचनाएँ प्राप्त होने पर विभाग द्वारा जोधपुर आबकारी विभाग के दो माल खानों (प्रथम पूर्व द्वितीय पश्चिम) की जांच गत माह प्रारम्भ की थी ? यदि हां, तो जांच में किस प्रकार की क्या-क्या अनियमितताएं एवं घपले पाये गए ? पूर्ण विवरण, मालखाना पूर्व और मालखाना पश्चिम का, अलग-अलग सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि मालखाना प्रभारी, के प्रभाव के कारण जांच पूर्ण नहीं हो सकी ?

(3) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार अब पूर्ण जांच कराने का विचार रखती है ?

(4) अब तक प्राप्त गड़बड़ियों के दोषी मालखाना प्रभारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(5) क्या उक्त प्रभारी के विरुद्ध निष्पक्ष जांच हेतु जिले के अन्यत्र स्थानान्तरण किया जायेगा ? यदि नहीं, तो जांच प्रभावित न हो, इस हेतु राज्य सरकार क्या व्यवस्था करने का विचार रखती हैं ?

उत्तर

(1) जी हां, जांच से 116½ बोतले सादा शराब 4 बोतल गुलाब 62 बोतलें अंग्रेजी शराब एवं 22 बोतलें शोधित प्रासव की अभिलेखों में काट-छांट कर नाजायज शराब घोषित कर नष्ट कराने पर राज्य सरकार को आर्थिक क्षति पहुंचाई। इसके अतिरिक्त 11 ड्रम शोधित प्रासव जिसकी मात्रा करीब 2100 लीटर व 27 बोतल सादा शराब मालखाने में कम पायी गयी एवं राजकीय अभिलेखों में हेराफेरी व काट- छांट करना पाया गया।

(आबकारी मंत्री)

(2) वृत पूर्व की जांच पूर्ण हो गयी है। पश्चिम की जांच अभी चल रही है। जिसे शीघ्र पूर्ण करने हेतु निर्देश दिये जा चुके है।

(3) पूर्ण जांच की जा रही है।

(4) जांच प्रतिवेदन प्राप्त होते ही मालखाना प्रभारी श्री निस्सार मोहम्मद कनिष्ठ लिपिक को आबकारी आयुक्त के आदेश क्रमांक 671 दिनांक 14-6-90 द्वारा निलम्बित किया जा चुका है तथा अतिरिक्त आयुक्त, जोधपुर को इस प्रकरण में कर्मचारी के विरुद्ध पुलिस में एफ. आई. आर. दर्ज कराने के निर्देश दिये गये है, और कर्मचारी के विरुद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत विभागीय जांच करने के लिए चार्जशीट मय अभिलेख कार्यालय आबकारी आयुक्त, उदयपुर को भेजने के निर्देश आबकारी आयुक्त द्वारा दिये जा चुके है।

(5) मालखाना प्रभारी को निलम्बित किया जा चुका है। उसका अन्यत्र स्थानान्तरण करना आवश्यक नहीं है। जांच मालखाना वृत पूर्व की हो चुकी है और पश्चिम की चल रही है, जांच निष्पक्ष रूप से की जा रही है।

आबकारी शुल्क

36. **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विभाग में एक्साईज ड्यूटी व लाईसेंस फीस वसूल न करने अथवा कम वसूल करने, निर्धारित मापदण्ड से अधिक शराब नष्ट करने पर एक्साईज ड्यूटी की वसूली न करने के कारण मोलासिस एवं माल्ट पर तथा मोलासेस के अधिक नष्ट होने पर जो स्प्रिट के कम उत्पादन (Yield) के कारण एक्साईज ड्यूटी का नुकसान तथा अन्य इसी प्रकार की अनियमितताओं के कारण एक्साईज रेवेन्यू की कितनी धन राशि के कितने कैसेज 31 मार्च, 1990 तक लम्बित थे ?

(2) इनके निपटाने की क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) आबकारी विभाग में एक्साईज ड्यूटी व लाईसेंस फीस वसूल न करने अथवा कम वसूल करने, निर्धारित मापदण्ड से अधिक शराब नष्ट करने पर एक्साइज ड्यूटी की वसूली न करने के कारण मोलासेज एवं माल्ट पर तथा मोलासेज के अधिक नष्ट होने पर जो स्प्रीट के कम उत्पादन के कारण एक्साईज रेवेन्यू के विभाग में कुल 144 मामले दिनांक 31-3-90 तक लम्बित थे जिनमें रुपया 7,18,93,782/- की राशि निहित है।

(2) उपरोक्त लिखित राशि रुपया 7,18,93,782/- में से रु. 17,72,562/- की राशि पर विभिन्न न्यायालयों से वसूली पर स्थगन है। रु. 5,38,32,245/- के वसूली के मामले ऐसे है, जो विभाग को मान्य नहीं हैं। जिसके लिए महालेखाकार/राज्य सरकार से पत्राचार चल

(आबकारी मंत्री)

रहा है। रु. 3,84,432/- की राशि वसूल की जा चुकी है। शेष राशि रु. 1,59,04,543/- के लिए वसूली/परीक्षण की कार्यवाही जारी है।

होम्योपैथी चिकित्सकों का वेतन स्थिरीकरण

37. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि आयुर्वेद विभाग के अधीनस्थ कार्यरत होम्योपैथिक चिकित्सकों का वर्ष 1981-86 का वेतन स्थिरीकरण अभी तक नहीं किया गया है? यदि हां, तो किन-किन का? ऐसे चिकित्सकों की सूची मय कारण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त होम्योपैथिक चिकित्सकों का वेतन स्थिरीकरण विभाग द्वारा कब तक कर दिया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1981 में कार्यरत होम्योपैथिक चिकित्सकों में से 3 तथा वर्ष 1986 में कार्यरत होम्योपैथिक चिकित्सकों में से 5 होम्योपैथिक चिकित्सकों के वेतन स्थितिकरण किया जाना अवशिष्ट है जिनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई हैं। इनमें से प्रथम 3 चिकित्सक वे ही है जिनका 1-9-81 का वेतन स्थिरीकरण अनुमोदित होना अवशिष्ट हैं।

(2) सम्बन्धित होम्योपैथिक चिकित्सकों के सेवा अभिलेखों की पूर्ति एवं विभागीय जांच के निर्णयोपरान्त वेतन स्थिति किये जा सकेंगे।

होम्योपैथिक चिकित्सकों की सूची जिनके वर्ष 1981 व 1986 के वेतन स्थितिकरण अवशिष्ठ है :—

क्र. सं.	नाम चिकित्सक मय पदस्थापन स्थान	वर्ष जिसका स्थितिकरण अवशिष्ठ है	अवशिष्टता का कारण
1	2	3	4
1.	डॉ. विनोदकुमार शर्मा, विधान सभा परिसर जयपुर	1981 व 1986	जनवरी 1987 तक यह चिकित्सक प्रतिनियुक्ति पर निजी चिकित्सा संस्था में कार्यरत थे इस कारण इनका 1981 का वेतन स्थितिकरण नहीं हो सका है ।
2.	डॉ. रमाकान्त शर्मा, मण्डावरिया (सिरोही)	1981 व 1986	इनका 1981 का संशोधित वेतन स्थितिकरण जिला कार्यालय जयपुर 'अ' क्षेत्र से कराने हेतु माह फरवरी 90 में सेवा पंजिका भेजी हुई है। 1981 का संशोधित वेतन स्थितिकरण होने के बाद 1986 का वेतन स्थितिकरण किया जावेगा।

1	2	3	4
3.	डॉ. ओमप्रकाश दीक्षित, सांखू (चूरू)	1981 व 1986	उक्त चिकित्सक, निजी चिकित्सा संस्था में कार्यरत थे। बाद में इस संस्था को राज्याधीन लिया गया चयन में अनियमितता की शिकायत की जांच उप-महानिरीक्षक पुलिस, अजमेर रेंज, अजमेर द्वारा की जा रही है। अतः जांच पूर्ण होने पर वेतन स्थितिकरण किया जाना संभव हो सकेगा।
4.	डॉ. झूमरमल कोठारी, भीलवाड़ा	1986	इनका माह 10/84 का वेतन चुकाना अवशिष्ठ होने के कारण स्थितिकरण नहीं कराया जा सका। रिक्त पद से वेतन आहरित करने की स्वीकृति दी जा चुकी है। माह 10/84 का वेतन आहरित करने के बाद वेतन स्थितिकरण कर दिया जावेगा।
5.	डॉ. राजेन्द्रप्रसाद माथुर, नारायणपुर (अलवर)	1986	इन्हें औषधालय से स्वेच्छापूर्वक अनुपस्थित रहने तथा अन्य शिकायत पर आदेश क्रमांक शि./1/16/86/

1	2	3	4
			2379-81 दिनांक 7-1-87 से निलम्बित किया गया और पुनः आदेश क्रमांक 27633-36 दिनांक 29-7-87 से जांच कार्यवाही विचाराधीन रखते हुए पुनः प्रतिष्ठापित किया गया था । इनके निलम्बित काल का निर्णय विभागीय जांच पूर्ण होने पर किया जावेगा । इसके बाद ही स्थितिकरण अनुमोदित किया जाना संभव होगा ।

अतारांकित प्रश्न संख्या 38
(स्थगित)

निवाई कस्बे में महाविद्यालय

39. **श्री रामनारायण बैरवा** (निवाई): क्या महाविद्यालय शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि शिक्षा की दृष्टि से टौंक जिला काफी पिछड़ा हुआ है व इस जिले में केवल 2 कालेज हैं ?

(2) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार निवाई विधान सभा क्षेत्र में निवाई में कालेज खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार टौंक जिले की कुल साक्षरता 20·26 है। पुरुष साक्षरता 21·53 एवं महिला साक्षरता 2·13 है। इस प्रकार यह साक्षरता की दृष्टि से राज्य में 17वें स्थान पर है एवं दस जिले इससे नीचे क्रम में है। शैक्षिक सुविधाओं की दृष्टि से राजस्थान के औसत के लगभग सुविधाएं उपलब्ध है। जनसंख्या का प्रतिशत 2·29 ही है उसके मुकाबले स्कूली सुविधा 2·23 से 2.82 (के बीच) प्रतिशत है। यह सही है कि टौंक जिले में 2 महाविद्यालय हैं। इसके अतिरिक्त वनस्थली में छात्राओं के लिए एक डीम्ड विश्वविद्यालय वनस्थली विद्यापीठ भी है।

(2) अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। निवाई के नजदीक ही वनस्थली विद्यापीठ छात्राओं के लिए डीम्ड विश्वविद्यालय भी है।

पंचायत समिति खण्डार के ग्रामों का विद्युतिकरण

40. **श्री चुन्नीलाल** (खण्डार) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति खण्डार व सवाई-माधोपुर में कुल कितने ग्रामों में से कितने ग्रामों का विद्युतिकरण किया जा चुका है ? कितने का विद्युतिकरण का कार्य चल रहा है एवं कितने ग्राम शेष हैं ?

(2) शेष ग्रामों का विद्युतिकरण कब तक कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति खण्डार व सवाई-माधोपुर में कुल 184 व 140 ग्रामों में से माह मार्च 1990 के अन्त तक क्रमशः 107 एवं 114 ग्रामों का विद्युतिकरण किया जा चुका है। पचायत समिति खण्डार के शेष 77 तथा पंचायत समिति सवाई माधोपुर के शेष 26 ग्राम विद्युतिकरण हेतु ग्रामीण विद्युतिकरण निगम योजनाओं में स्वीकृत हैं। वर्ष 1990-91 के वार्षिक ग्रामीण विद्युतिकरण कार्यक्रम के निर्धारण की प्रक्रिया चल रही है।

(2) शेष ग्रामों का विद्युतिकरण आगामी वर्षों में योजनामद में ग्रामीण

(ऊर्जा मंत्री)

विद्युतिकरण हेतु आवंटित वित्त एवं घोषित वार्षिक लक्ष्यों के अनुरूप किया जाना संभव हो सकेगा।

पंचायत समिति निवाई व टोंक के ग्रामों का विद्युतिकरण

41. **श्री रामनारायण बैरवा** (निवाई): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति निवाई व टोंक में कितने गांवों का विद्युतिकरण होना शेष हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त पंचायत समितियों के स्थित गावों में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों की बस्तियों का विद्युतिकरण हो चुका है? यदि हां, तो कितनी का व कितनी बस्तियों का विद्युतिकरण होना शेष है? बस्तियों के नाम एवं गांव की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पंचायत समिति निवाई व टोंक में माह मार्च, 1990 के अन्त में क्रमशः 43 एवं 134 ग्रामों का विद्युतिकरण होना शेष है, जिनकी सूची 'अ' व 'ब' संलग्न है।

(2) पंचायत समिति निवाई एवं टोंक में स्थित विद्युतिकृत ग्रामों की प्रस्तावित हरिजन बस्तियों में से क्रमशः 56 एवं 71 हरिजन बस्तियों का विद्युतिकरण माह मार्च, 1990 तक किया जा चुका है, तथा निवाई एवं टोंक के विद्युतिकृत ग्रामों की प्रस्तावित हरिजन बस्तियों में से क्रमशः 8 एवं 2 का विद्युतिकरण करना शेष है। सूची परिशिष्ट 'स' व 'द' में संलग्न है।

227

सूची-'अ'

पंचायत समिति, टोंक जिला टोंक के अविद्युतिकृत ग्रामों की सूची

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.
1	2	3
1.	सादिक नगर	11/4/2
2.	अरनिया कांकर	3
3.	जहूरपुरा	4
4.	बीजलपुरा	10
5.	इब्राहीमबाद	11
6.	हनीफगंज	12
7.	मुरतानगर	16
8.	बागरवा	17
9.	राधाकिशनपुरा	18
10.	मोहम्मदनगर ढाणी	19
11.	गंगापुर	20
12.	अलीनगर	21
13.	नोरंगपुरा	22
14.	अहमदुल्लपुरा	23
15.	गुढा रामदास	24
16.	राधाकृष्णपुरा	25
17.	अब्बासनगर खास	26
18.	मोहम्मदपुरा ओंकारपुरा	27
19.	जय किशनपुरा	28
20.	चक अब्बासनगर नं. I	29
21.	चक अब्बास नगर नं II	30

1	2	3
22.	चक अब्बास नगर नं. III	31
23.	सोंधीपाल	36
24.	मोहनी	37
25.	काटीरियामान्ड	39
26.	सादमपुर	40
27.	चक मियारामपुरा	45
28.	अनवरनगर भूरावली	41
29.	इस्माइलपुरा	53
30.	अनवरपुरा खेडा	54
31.	घूंसरी	55
32.	दौलतपुरा	56
33.	करीमपुरा	57
34.	पीथावास	58
35.	रहीमपुरा (धोल भाटा)	59
36.	अमीनपुरा	62
37.	अलीमपुरा	68
38.	बलखाण्डिया	69
39.	इमामनगर	70
40.	हमजापुर	71
41.	रहीमनगर	72
42.	नया टीला	73
43.	मवासीपुरा	74
44.	मदरीपुरा	75
45.	अजीजपुरा	78
46.	चक रहमानपुरा	79

1	2	3
47.	इसाकपुरा	81
48.	मुमाना	82
49.	विलायतीपुरा	84
50.	मसूदपुरा	85
51.	मवालीपुरा	87
52.	श्रीनगर	88
53.	रेरामपुरा	89
54.	सफीपुरा	93
55.	दोताना	94
56.	जवानपुरा	97
57.	बजीरनगर	97
58.	हनीफपुरा	98
59.	वजीराबाद	99
60.	खरीटाबाद	100
61.	दादीयान	103
62.	ककराजकला	107
63.	ककराज खुर्द	108
64.	सादिकपुरा	109
65.	देवडी	111
66.	मोर खेडा	114
67.	किशनपुरा	115
68.	अलीनगर	117
69.	इस्लामपुरा गटा	119
70.	परतोटिया	120
71.	मालीपुरा	121
72.	जावली	122

1	2	3
73.	इब्राहीमपुरा थाटा	123
74.	करीवनगर	126
75.	बसीरपुरा	130
76.	उस्मानपुरा बीरान	141
77.	देव बनियान	154
78.	सुखीपुरा	156
79.	अरनिया तिवाड़ी	167
80.	आयतपुरा	168
81.	खानपुरा	179
82.	सेवारामपुरा	183
83.	उस्मानपुरा अवद	186
84.	मोहम्मदनगर	188
85.	अलीमपुरा (मालीवास्या)	190
86.	अहमदनगर उर्फ हसनपुरा	191
87.	अहमदनगर चौकी	193
88.	महमूद गंज	199
89.	थाली	200
90.	मीर नगर	202
91.	सहदाहबाद	203
92.	सांखना	204
93.	फारुख नगर	205
94.	देवपुरा	206
95.	सुल्तानपुर	207
96.	भंवर खां	208
97.	नसीरपुर	209
98.	बजीरपुर खुर्द	210

1	2	3
99.	वजीरपुर कलां	211
100.	लक्ष्मीपुरा	212
101.	राजनगर	213
102.	मीरागंज शेरपुर	214
103.	निम्बाना	215
104.	बीड़ हसनपुरा	222
105.	चक सरदारपुरा	227
106.	रघुनाथपुरा	224
107	अलाहपुरा चन्डोला	225
108.	ताखोली	226
109.	उम	227
110.	सरदारपुरा	228
111.	युसूफ गंज	229
112.	कल्याणपुरा	230
113.	राजपुरा	231
114.	अल्लाहपुरा	234
115.	रहीमपुरा उर्फ धोली तलाई	237
116.	बोरडी	242
117.	रयूफपुरा (खेडा)	243
118.	अहमदपुरा चौकी	244
119.	मोहम्मदपुरा नया गांव	245
120.	मोहम्मदगंज जागीर	248
121.	बाडा अब्दुलापुरा	252
122.	रहमानियान	253
123.	घांसरी	254
124.	गुलाबपुरा	255

1	2	3
125.	रसूलपुरा	256
126.	फरूकाबाद	257
127.	लावाडर	258
128.	काबरा	259
129.	युसूफगंज	260
130.	ईसरदा	261
131.	बिसनपुरा	262
132.	झालरा	263
133.	अरनिया घाटी	264
134.	खेडा मोर समन	265

सूची 'ब'

पंचायत समिति निवाई, जिला टोंक के अविद्युतिकृत ग्रामों की सूची।

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.
1	2	3
1.	रामपुरा	11/2/2
2.	गोपालपुरा	5
3.	श्री कृपालपुरा	16
4.	सूरज का खेडा	18
5.	श्री जगपुरा	19
6.	बाट पथराज कलां	20
7.	श्री उदेतपुरा	22
8.	चुराडा	29
9.	बाढ पथराज खुर्द	40
10.	बाढ खेडी मोहनपुरा	50
11.	मनमोहनपुरा	57
12.	जहां शाहजहांपुरा	61
13.	श्री सूरतपुरा	67
14.	रत्नकपुरा	72
15.	श्री सुखपुरा	74
16.	सवाई जयसिंहपुरा	94
17.	श्योसिंहपुरा	97
18.	चोरपुरा	103
19.	गोविन्दपुरा	104
20.	विजयपुरा	107
21.	बाढ किशनपुरा	111
22.	श्योसिंहपुरा	118
23.	गोपीनाथपुरा	122

1	2	3
24.	गोरधनपुरा	135
25.	चिमनपुरा	127
26.	जसोदा नन्दनपुरा	138
27.	महापुरा उर्फ तुखया	140
28.	श्री सुखचैनपुरा	141
29.	श्री सुन्दरपुरा का बास	142
30.	बाढ रामपुरा	143
31.	लक्ष्मी दामोदरपुरा	144
32.	बाढ कुरकस्या	148
33.	श्री रूपपुरा	149
34.	रामदामोदरपुरा	150
35.	बन्सीपुरा	151
36.	कयाम नगर बाग्रडी	152
37.	मोटका	153
38.	श्रीराजधनपुरा	154
39.	बाढ गोर कलां	159
40.	बाढ गोर खुर्द	162
41.	बाढ हान्डा	163
42.	सुरजपुरा	91
43.	श्रीराजधिराजपुरा	139

(235)

सूची 'स'

पंचायत समिति, निवाई में विद्युतिकृत व अविद्युतिकृत
हरिजन बस्तियों की सूची ।

क्र. सं.	गांव का नाम	क्र.सं.	गांव का नाम
1	2	1	2
विद्युतिकृत हरिजन बस्तियों की सूची			
1.	वाढ किशनपुरा	2.	वाढ गोरकला
3.	बाढ गोर खुर्द	4.	बाढ हांडा
5.	वाढ बेड़ी मोहनपुरा	6.	वाढ कुकस्या
7.	वाढ पथराज कलां	8.	बाढ पथराज खुर्द
9	वाढ रामपुरा	10.	बंशापुरा
11.	चिमनपुरा	12.	चूराडा
13.	गोपालपुरा	14.	गोपीनाथपुरा
15.	गोविन्दपुरा	16.	गोरधनपुरा
17.	जसोदा नन्दनपुरा	18.	कायम नगर उर्फ बानड़ी
19.	लक्ष्मी दामोदरपुरा	20.	महापुरा उर्फ तुर्किया
21.	मनमोहनपुरा	22.	मोठुका
23.	रघकपुरा	24.	राम दामोदरपुरा
25.	रामपुरा	26.	सवाई जयसिंहपुरा
27.	शाहजहांपुरा	28.	श्री कृपालपुरा
29.	श्री जगपुरा	30.	श्री राजधावपुरा
31.	श्री राजधिराजपुरा	32.	श्री रूपपुरा
33.	श्री सूरतरामपुरा	34.	श्री सुखपुरा
35.	श्री सुन्दरपुर का वाड	36.	श्री उद्योतपुरा
37.	श्री विजयपुरा	38.	श्योसिंहपुरा उर्फ केरिया
39.	श्योसिंहपुरा	40.	सूरज का खेड़ा
41.	सुख चैनपुरा		

1	2	1	2
अविद्युतिकृत हरिजन बस्तियों की सूची			
1.	जुगलपुरा खुर्द	2.	दामोदरपुरा
3.	चोरपुरा	4.	खणदेवत
5.	नटवाड़ा	6.	सुनारा
7.	खाडवा	8.	नोहटा

सूची "द"

पंचायत समिति टोंक, में विद्युतिकृत व अविद्युतिकृत हरिजन बस्तियों की सूची।

क्र. सं.	गांव का नाम	क्र. सं.	गांव का नाम
1	2	1	2
विद्युतिकृत हरिजन बस्तियों का सूची			
1.	टोंक शहर	2.	मंडावर
3.	पापलू	4.	अरांनी
5.	बगड़ी	6.	नानेर
7.	बोरखेड़ी	8.	धोला खेड़ा
9.	कल्याणपुरा	10.	युसुफपुरा
11.	सोस	12.	इस्लामपुरा
13.	हरिपुरा	14.	चौगाई
15.	जानकी बल्लभपुरा	16.	निमोला
17.	ठीकरिया	18.	बीठोला
19.	चूरिया	20.	करीमपुरा
21.	करीरिया	22.	बमोर
23.	जोला	24.	रहीमपुरा
25.	सोहेला	26.	डोडवाड़ी
27.	रहीमपुरा नया गांव	28.	हनोतीया
29.	खुरेड़ी		
अविद्युतिकृत हरिजन बस्तियों की सूची			
1.	चूरिया बैरवा बस्ती	2.	देवपुरा बैरवा बस्ती

सांचौर तहसील के ग्रामों का विद्युतिकरण

42. **श्री लक्ष्मीचन्द मेहता (सांचौर) :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जालौर जिले की सांचौर तहसील में कितने ग्राम विद्युतिकृत है तथा किन किन गांवों में विद्युतिकरण की स्वीकृति दी जा चुकी है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि घोषित गांवों में सभी जगह विद्युतिकरण नहीं किया गया है ? यदि हां, तो वे कौन से गांव हैं, सूची सदन की मेज पर रखें । उन गांवों में कब तक विद्युतिकरण का काम पूरा कर दिया जायेगा ।

उत्तर

(1) जालौर जिले की सांचौर तहसील में मार्च 1990 तक 110 ग्राम विद्युतिकृत हैं । 49 ग्राम इस क्षेत्र की चल रही ग्रामीण विद्युतिकरण योजना में स्वीकृत हैं । सूची "अ" व "अ–1" संलग्न है ।

(2) जी हां । तहसील सांचौर में विद्युतिकृत घोषित ग्रामों में से 20 ग्रामों में विद्युतिकरण का कुछ कार्य करना शेष है जिनकी सूची "ब" संलग्न है । इन ग्रामों में कार्य प्रगति पर है ।

सूची 'अ'

तहसील सांचोर जिला जालौर के माह मार्च, 90 तक
विद्युतिकृत ग्रामों की सूची ।

क. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.	विद्युतिकरण का दिनांक
1	2	3	4
1.	चितलवाना	17-3-41	31-3-84
2.	केरिया	42	31-3-87
3.	चारणीम	43	"
4.	रणोदर	44	"
5.	मैत्रावास	45	"
6.	अनखोल	52	31-3-84
7.	जोधावास	53	"
8.	निम्बाऊ	54	"
9.	झाब	55	"
10.	बोरली	56	31-3-87
11.	सेली	57	31-3-84
12.	राठोडान	58	"
13.	पादरली	59	31-12-87
14.	सिवाडा	60	31-3-84
15.	रतनपुरा	64	27-2-87
16.	गोमी	66	31-3-87
17.	ईसरोल	68	"
18.	हाडेचा	69	15-2-87
19.	काछेला	70	31-3-87
20.	बागसड़ी	71	15-3-87
21.	जानवी	72	"

1	2	3	4
22.	अचलपुरं	81	15-3-83
23.	बीछावाड़ी	82	31-3-83
24.	छजारा	83	30-3-88
25.	बासन चौहान	84	28-2-83
26.	बाविरवा	85	30-3-88
27.	डडुसन	86	28-2-86
28.	पालडी सोलंकियान	88	28-2-82
29.	वरणपुरी	89	10-11-82
30.	वरणपुरी डंडवा	90	28-2-82
31.	जाखल	91	31-3-82
32.	परांग	92	31-3-89
33.	मालवाडा	93	31-1-84
34.	आकोली	94	31-3-84
35.	खिरोडी	95	31-1-84
36.	भरकुआं	97	25-2-84
37.	हरियाली	98	30-5-81
38.	चौरा	99	28-2-84
39.	मांदरूण	100	31-1-84
40.	मूली	101	31-3-84
41.	देबड़ा	102	30-5-81
42.	भूतेल	103	28-2-84
43.	बेलातरा	104	"
44.	पमाता	105	31-3-84
45.	बीजरोल	106	28-2-86
46.	लियादरा	107	28-2-84
47.	जेरोल	108	14-3-84
48.	भरणाय	109	28-2-84

1	2	3	4
49.	बलाना	110	31-8-87
50.	बान्ता	111	26-2-87
51.	डाँगरा	112	30-12-86
52.	कानोला	113	30-5-81
53.	धमाणा	114	20-1-82
54.	कमालपुरा	115	30-5-81
55.	सिद्धेश्वर	116	,,
56.	उबार	117	30-6-81
57.	कीलवा	118	31-12-82
58.	भड़वल	119	31-3-83
59.	घूडत्रा	120	28-2-83
60.	लालपुर धाधवा	121	31-3-82
61.	सिलू	122	15-6-81
62	कोड	123	31-3-82
63.	गोलासन	124	सितम्बर, 81
64.	गरडाली	125	31-12-82
65.	प्रतापपुरा	126	31-3-82
66.	पहाड़पुरा	127	31-12-82
67.	अजार	128	,,
68.	जाजूसण	129	30-4-81
69.	लाछड़ी	130	3/81
70.	फालना	131	30-4-81
71.	हाडेतर	132	,,
72.	नागोलड़ी	133	29-8-87
73.	पुर	134	31-3-86
74.	बोढा	135	28-3-87
75.	खारा	136	

1	2	3	4
76.	मीरपुरा	137	29-1-88
77.	गुन्दाऊ	138	31-3-86
78.	सरनाऊ	139	31-3-82
79.	दाँता	140	25-2-86
80.	काँटोल	141	27-2-86
81.	मेडा जागीर	142	30-4-81
82.	पंथमेडा	143	31-3-82
83.	बडसम	144	,,
84.	विरोल	146	30-11-82
85.	लुणियासर	147	11-11-82
86.	नेनरोल	148	31-12-82
87.	तेतरोल देवडान	149	27-7-88
88.	पाचला	150	31-3-85
89.	कूडा	151	26-2-86
90.	पालडी देवडान	152	30-12-84
91.	साकड	153	31-3-82
92.	वासन देवडान	154	12-84
93.	वाली	155	25-2-85
94.	बनदेव	156	29-2-85
95.	दुगावा	157	31-3-85
96.	सुराना	158	,,
97.	दधूडा	159	22-2-88
98.	टिटोप	160	25-2-85
99.	लाछीवाडा	161	29-2-85
100.	गुढा हेमा	46	31-8-89

1	2	3	4
101.	धरना वास	47	31-12-89
102.	इटाडा	48	30-1-90
103.	तातडी	49	31-12-89
104.	रामपुरा	50	30-1-90
105.	बमल	51	31-8-89
106.	झोटडा	61	28-2-90
107.	डाबल	62	31-12-89
108.	डाबल सॉगडवान	63	30-3-90
109.	हिन्डवाडा	65	28-2-90
110.	ग्रामली	87	31-12-89

सूची 'अ'-1

जालोर जिले की सांचोर तहसील के विद्युतिकरण हेतु
स्वीकृत ग्रामों की सूची

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.
1	2	3
1.	शांतिया	17-3-78
2.	सुथाना	79
3.	जैसला	80
4.	बांक	77
5.	सरवाना	76
6.	भुवाना	75
7.	नलधरा	74
8.	होती गांव.	39
9.	अगखा	6
10.	सिलीसन	40
11.	गलीफा	37
12.	राहोरा	67
13.	दूथवा	7
14.	सैसवा	5
15.	सायर का कोसेटा	4
16.	सूरचन्द	14
17.	भीमपुरा	13
18.	काजी की बारी	12
19.	केरिया	10
20.	अरवा	9
21.	बुगंरी	2
22.	खामराई	1

1	2	3
23.	जलबेरी	3
24.	निम्बज	15
25.	पटवा	16
26.	तान्पो	8
27.	खाखरवी	33
28.	केसूरी	73
29.	भरवास	34
30.	मैंघा	35
31.	भरतवा	38
32.	भंरू	36
33.	रायपुरा	11
34.	मैलावास-चारण	21
35.	साकरिया	20
36.	केसरयारली	22
37.	भवरला	26
38.	भिडका	25
39.	अकोडिया	24
40.	जोरादर	27
41.	फोगरवा	17
42.	सुन्थेरी	18
43.	बरनवा	32
44.	घीनपुरा	30
45.	बलेरा	31
46.	भाटकी	29
47.	नन्दोली	28
48.	भवतरा	19
49.	राखर	23

सूची "ब"

सांचोर तहसील के विद्युतिकृत घोषित ग्राम, जिनमें विद्युतिकरण का कार्य शेष है। 'क' सूची।

पं. समिति	क्र.सं.	ग्राम का नाम	विद्युतिकरण की दिनांक
सांचोर	1.	अचलपुरा	10-3-83
	2.	पहाड़पुरा	31-3-83
	3.	डेाबल	28-2-82
	4.	दादूसन	"
	5.	वरही	31-3-83
	6.	इजरोल	"
	7.	हुजरा	38 3-88
	8.	विछावाड़ी	"
	9.	नागोलारी	"
	10.	गुढाहेगा	31-8-89
	11.	करनावास	31-12-89
	12.	ततारा	"
	13.	इताादा	38-1-90
	14.	रायपुरा	"
	15	चम्बेल	31-8-89
	16.	बार्वत	31-12-89
	17.	सांगवाड़ा	38-3-90
	18.	हिन्दवाड़ा	28-2-90
	19.	कोटारा	
	20.	आमेली	31-12-89

बड़ी सादड़ी डूंगला के ग्रामों का विद्युतिकरण

43. **श्री छगनलाल** (बड़ी सादड़ी) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1989-90 में बड़ी सादड़ी डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ के किन-किन गांवों को विद्युतिकरण की विभिन्न योजनाओं के तहत विद्युत से जोड़ने की योजना प्रस्तवित थी ?

(2) योजनान्तर्गत कितने गांवों का विद्युतिकरण हो गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) यदि नहीं, तो गांवों को अब कब तक विद्युतिकृत कर दिया जायेगा ?

(4) क्या नये गांवों को भी बिजली से जोड़ने की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक उसकी क्रियान्विति सम्भव होगी ?

उत्तर

(1) वर्ष 1989-90 में बड़ी सादड़ी एवं डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ के निम्नांकित गांवों को विद्युत से जोड़ना प्रस्तावित थी :—

पंचायत समिति बड़ी सादड़ी

क्र.सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.
1.	सांगरिया	21/9/27
2.	खर-खारियाजी का खेड़ा	50
3.	अमीरामा	90
4.	चन्द्रा खेड़ी	55
5.	कचूमरा	28
6.	बोर खेड़ा	68
7.	लालपुरा	141
8.	सुल्तानपुरा	67
9.	सेमल खेड़ा	69
10.	पयारी	139
11.	केशरपुरा	140

पंचायत समिति, डूंगला

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.
1.	पालखेड़ी	31/10/23
2.	नागपुरा	22
3.	दुर्गाखेड़ा	97
4.	बिलोट	94
5.	नीम गांव	41
6.	मुलकदास की खेड़ी	48
7.	अलोद	88
8.	सारंगपुरा	46

(ऊर्जा मंत्री)

क्र.सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.
9.	नाडा खेड़ा	16
10.	भूत खेड़ा	18
11.	देवाखेड़ा	51
12.	आजमपुरा	21
13.	घोरा खेड़ा	17

(2) योजनान्तर्गत बड़ी सादड़ी के 9 एवं डूंगला के 9 ग्रामों का विद्युतिकरण हो गया है। सूची "अ" संलग्न है।

(3) पंचायत समिति बड़ी सादड़ी एवं डूंगला में वर्ष 1998-90 में विद्युतिकरण हेतु प्रस्तावित ग्रामों में से क्रमशः 2 एवं 4 ग्रामों का विद्युतिकरण नहीं किया जा सका है। इन गांवों के लिए वर्ष 1990-91 के वार्षिक ग्रामीण विद्युतिकरण कार्यक्रम के निर्धारण की प्रक्रिया चल रही है।

(4) राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण विद्युतिकरण के तहत ग्रामों के विद्युतिकरण के घोषित लक्ष्यों एवं योजना मद में ग्रामीण विद्युतिकरण हेतु आवंटित वित्त के अनुरूप ग्रामीण विद्युतिकरण निगम योजनाओं में स्वीकृत ग्रामों में से ग्रामों का चयन कर वार्षिक ग्रामीण विद्युतिकरण कार्यक्रम में विद्युतिकरण हेतु प्रस्तावित किया जायेगा। ग्रामीण विद्युतिकरण निगम योजनाओं में स्वीकृत सभी ग्रामों के विद्युतिकरण की निश्चित समयावधि बता पाना सम्भव नहीं है।

अतारांकित प्रश्न संख्या—43 की सूची

पंचायत समिति बड़ी सादड़ी एवं पंचायत समिति

डूंगला के वर्ष 1989—90 में विद्युतिकृत

किये गये ग्रामों की सूची।

पंचायत समिति सादड़ी			पंचायत समिति डूंगला		
क्र.सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.	क्र.सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.
1.	सांगरिया	21/9/27	1.	पालखेड़ी	21/10/23
2.	खर-खरिया जी का खेड़ा	50	2.	नागपुर	22
3.	अमीरामा	90	3.	दुर्गाखेड़ा	97
4.	चन्द्रा खेड़ी	55	4.	विलोट	94
5.	कचूमरा	28	5.	नीम गांव	41
6.	बोर खेड़ा	68	6.	मुलकखास की खेड़ी	48
7.	सुल्तानपुरा	67	7.	अलोद	88
8.	सेमल खेड़ा	69	8.	नाड़ा खेड़ा	16
9.	केशरपुरा	140	9.	देवा खेड़ा	51

काचरी लिफ्ट योजना

44. **श्री बालचन्द आर्यवीर** (डग) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा जिले की पंचायत समिति अन्ता की काचरी लिफ्ट योजना की स्वीकृति कब हुई एवं तब से अब तक योजना का कितना कार्य पूर्ण हो चुका है तथा कितना शेष है एवं अब तक कितनी राशि व्यय हो चुकी है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त योजना हेतु कृषि भूमि अवाप्त की गयी थी ? यदि हां, तो कुल कितनी बीघा भूमि कब अवाप्त की गई ? क्या किसानों को भूमि एवं फसलों का मुआवजा दे दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब सरकार मुआवजे की राशि का भुगतान कब तक कर देगी ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त लिफ्ट योजना को आवंटित राशि अन्य योजना के लिए स्थानान्तरित कर दी गयी ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि इस योजना के लिए धन राशि समय पर नहीं देने से योजना पूरी नहीं हो सकी तथा किसानों को फसल एवं भूमि का मुआवजा भी नहीं मिल सका ।

(5) लिफ्ट को पूरा कराने हेतु अब कितनी राशि आवंटित की जा रही है ? यदि नहीं तो, क्यों ? उक्त का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा तथा कब से सिचाई करना प्रारम्भ कर दिया जावेगा एवं कितने गांवों की कितनी भूमि सिंचित होगी ?

(6) उक्त लिफ्ट से कितने गांवों की कुल कितनी भूमि की सिचाई की जावेगी ।

उत्तर

(1) कोटा जिले की पंचायत समिति अन्ता की काचरी लिफ्ट योजना की स्वीकृति राज्य सरकार के पत्र क्रमांक एफ 3 (69) एएस/आई/सैल/78/II/225 दिनांक 19-2-88 द्वारा जारी की गई थी । काचरी जलोत्थान योजना की मुख्य नहर का 60 प्रतिशत मिट्टी का कार्य और माइनरों पर 80 प्रतिशत मिट्टी का कार्य पूर्ण हो चुका हैं । लाइनिंग व अन्य पक्के कार्य अभी शेष हैं । लगभग 143 लाख रुपये लागत में से अब तक इस योजना पर केवल 20.76 लाख रुपये का व्यय किया जा चुका है ।

(2) जी हां । इस योजना के लिए 325 बीघा भूमि अवाप्त की गई थी । अवाप्त की गई भूमि व फसलों को मुआवजों का भुगतान बजट के अभाव में नहीं किया गया है । वांछित बजट उपलब्ध होने पर किसानों को भूमि व फसलों का मुआवजा दे दिया जावेगा ।

(3) जी नहीं । वर्ष 1988-89 में चम्बल की लिफ्ट सिचाई योजनाओं पर 100 लाख रुपये का बजट आवंटित किया था जिसको धनराशि की कमी के कारण घटाकर 50 लाख रुपये करना पड़ा था ।

(4) चम्बल की लिफ्ट योजनाओं के लिए बजट की कमी रही है ।

(सिंचाई मंत्री)

(5) इस योजना को पूर्ण करने हेतु अब लगभग 122 लाख रुपये की और आवश्यकता है। चालू वित्तीय वर्ष में चम्बल की लिफ्ट योजनाओं पर 75 लाख रु. का बजट आवंटित है इसी में यह योजना भी शामिल है। इसका पूर्ण होना धनराशि की उपलब्धि पर निर्भर है। कार्य पूर्ण होने पर ही सिंचाई सुविधा प्रदान की जा सकती है। इस योजना से तामखेड़ा, काचरी, बालाखेड़ा, अन्ता, चक शाहबाद व मातडिया ग्रामों की 1788 हैक्टर भूमि सिंचित करने का प्रस्ताव है।

(6) भाग 5 में उत्तर आ गया है।

पंचायत समिति टोडाभीम व नादोती में बांध निर्माण

45. **श्री रामस्वरूप मीना** (टोडाभीम) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) मार्च, 1985 से अब तक सवाई माधोपुर जिले के विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में कौन-कौन से कब-कब व कितनी-कितनी राशि के बांध बनाये गये थे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) पंचायत समिति टोडाभीम व नादोती के अन्तर्गत 1986 से 1990 तक अकाल राहत के अन्तर्गत कौन-कौन से बांधों का निर्माण कराया गया? प्रत्येक बांध पर कितनी धन राशि व्यय हुई? बांध के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) नव निर्मित बांधों में कौन-कौन से बांध अपूर्ण रहे और उनमें क्या-क्या कार्य अपूर्ण रहा? क्या अपूर्ण बांध पूर्ण कराने हेतु सरकार विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में मार्च, 85 से अब तक किसी बांध का निर्माण नहीं कराया गया है।

(2) अकाल राहत के अन्तर्गत पंचायत समिति नादोती में 1986 से 1990 तक बांध पीपली गुडाचन्दजी का निर्माण कराया गया है। इस पर 2·5 लाख रुपये की राशि व्यय की गई। पंचायत समिति टोडाभीम में कोई नये बांध का कार्य शुरू नहीं किया गया।

(3) पीपली गुडाचन्द जी बांध अपूर्ण रहा है। इस बांध पर केवल प्रारम्भिक कार्य हुआ है। अनुमानित लागत 39 लाख रुपये में से केवल 2.5 लाख रुपये का कार्य हुआ है। इस कार्य को सरकार अकाल राहत में पूरा कराने का विचार रखती है।

अतारांकित प्रश्न संख्या-46

(स्थगित)

जयपुर जिले के बुनकरों को हाथ करघे

47. **श्री गणपतराम** (दूदू) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री गरापतराम)

(1) जिला जयपुर के अन्तर्गत तहसील फुलेरा, दूदू, सांभर व मोजमाबाद क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के बुनकरों को तत्कालीन राजस्थान हाथकरघा परियोजना मण्डल ने कितने करघे दिये थे ?

(2) क्या मण्डल द्वारा दिये गये सभी करघों को राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया गया था ? यदि हां, तो कितनी धन राशि दी गई थी ?

(3) क्या उन चयनित बुनकरों को जिन्हें हाथ करघा खरीद के लिए अनुदान दिया गया था उन्हें स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर के द्वारा ऋण भी उपलब्ध कराया गया था ? यदि हां, तो कितनी धनराशि ऋण के रूप में दिलाई गई थी ?

(4) क्या परियोजना मण्डल द्वारा चयनित बुनकरों को जो अनुदान व ऋण राशि दी गई थी उसका चुकती भुगतान बैंकों को कर दिया गया ? यदि नहीं, तो कितनी धन राशि भुगतान हेतु शेष है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या राज्य सरकार बुनकरों को इन कर्जों को माफ करके बैंकों को देय धन राशि स्वयं भुगतान करने का इरादा रखती है ?

उत्तर

(1) जयपुर जिले के अन्तर्गत तहसील फुलेरा, दूदू, सांभर व मोजमाबाद क्षेत्रों में तत्कालीन राजस्थान हाथकर्घा परियोजना मण्डल द्वारा कुल 65 बुनकरों को हाथकर्घे दिये गये थे।

(2) जी हां। तत्कालीन राजस्थान हाथकर्घा परियोजना मण्डल द्वारा उपरोक्त कर्घों के लिए कुल रुपये 37711·20 की राशि अनुदान के रूप में दी गई थी।

(3) जी हां। उपरोक्त बुनकरों को रुपये 37711·20 की राशि के ऋण दिलाये गये थे।

(4) अनुदान राशि का भुगतान बैंकों को कर दिया गया है। ऋण राशि बुनकरों ने बैंकों को भुगतान की है अथवा नहीं यह सूचना राज्य सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

(5) बुनकरों की ऋण माफी का राज्य सरकार के विचाराधीन हैं।

(252)

शुद्धि पत्र

क्र. सं.	स्कम्भ सं.	पंक्ति सं.	अशुद्ध	शुद्ध
1.	48	18	सांगरिया	संगरिया
2.	138	19	श्री जनादर्नसिह गहलोत	श्री जनार्दनसिंह गहलोत
3.	148	12	श्री सम्तराम	श्री सम्पतराम
4.	231	1	श्री ग्रध्यक्ष	श्री ग्रध्यक्ष
5.	238	25	सांगरिया	संगरिया
6.	265	90	5	4
7.	330	14	कर्सचारियों	कर्मचारियों
8.	332	1	नगरीय विकास श्रीमं	नगरीय विकास मंत्री